

एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम



एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम



अरुण श्रीवास्तव



यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with!

यूनियन बैंक को राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार



माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों से श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011-12 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री डी. सरकार, उनके साथ खाड़े हैं श्री आर.पी.एन.सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार.



माननीय डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक से श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011-12 के लिए 'ख' क्षेत्र में प्रथम, 'क' क्षेत्र में तृतीय एवं 'ग' क्षेत्र में चतुर्थ पुरस्कार हेतु शील्ड प्राप्त करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री डी. सरकार, उनके साथ खाड़े हैं (दाएं से बाएं) श्री एस.के.जैन, कार्यपालक निदेशक, श्री ए.के.ठाकुर, महाप्रबंधक (मार्ग व कार्मिक) तथा श्री अरुण श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), के.का.

यूनियन बैंक
अफि इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India

Good people to bank with

www.unionbankofindia.co.in | कॉल प्री नं. 1800 22 2244

एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

संपादन
अरुण श्रीवास्तव

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया  **Union Bank**
of India

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 021
फोन : 022-22896612/22896633
फैक्स : 022-22048632

स्टाफ महाविद्यालय
बननेरघट्टा रोड, बेंगलूर -560083
फोन : 080-22639001/22639022
फैक्स : 080-27828627

एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

संरक्षक

- ❖ अरुण तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मार्गदर्शन

- ❖ एस.के.जैन
कार्यपालक निदेशक
- ❖ के.सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक
- ❖ राकेश सेठी
कार्यपालक निदेशक

विशेष सहयोग

- ❖ ए.के.ठाकुर
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं कार्मिक)
- ❖ अशोक कुमार गुप्ता
महाप्रबंधक (सीआरएलडी)
- ❖ एच.एन.सक्सेना
प्राचार्य, स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूर

परामर्श

- ❖ वी.के.गाबा
उप महाप्रबंधक (सीआरएलडी)

संपादक

- ❖ अरुण श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक (राभा),
राकाप्र, कें.का., मुंबई

संपादन सहयोग

- ❖ डॉ. नीरा प्रसाद
मुख्य प्रबंधक (राभा),
नोक्षेका, बेंगलूर
- ❖ उमा सतीश
वरिष्ठ प्रबंधक (राभा),
स्टाफ कालेज, बेंगलूर
- ❖ नवल दीक्षित
वरिष्ठ प्रबंधक (राभा),
राकाप्र, मुंबई

मुख्यपृष्ठ संकल्पना

- ❖ के.के. यादव
सहायक प्रबंधक (राभा),
क्षेका, बेलगाम

प्रथम संस्करण : मार्च, 2014

मुद्रक: लावण्या मुद्रणा,
बेंगलूर, फोन: 080-26610563

इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है. स्रोत का उल्लेख करने पर, इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों को पूर्णतया या आंशिक तौर पर उद्धृत किये जाने पर बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी.



अरुण तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इस बैंक के सर्वोच्च पद पर कार्यग्रहण के साथ ही मुझे अपने बैंक की विभिन्न परम्पराओं को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि अपना बैंक प्रति वर्ष कुछ ऐसे प्रमुख विषयों पर पुस्तक का प्रकाशन कर रहा है, जो न केवल बैंक, बल्कि बैंकिंग उद्योग की प्राथमिकता के विषय हैं। इसी क्रम में बैंक द्वारा इस वर्ष “एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम” पर पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तक की विषय सामग्री का अवलोकन करने पर मुझे और भी प्रसन्नता है कि सामग्री का संकलन व प्रस्तुतीकरण अपने ही बैंक के अनुभवी स्टाफ सदस्यों द्वारा किया गया है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि उच्च प्रबंधन द्वारा आज प्रत्येक स्तर पर एनपीए को कम करने और इसे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एनपीए बढ़ने से सीधे बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां जमाराशियों पर हमें अधिक से अधिक ब्याज देने हेतु बाध्य होना पड़ रहा है, वहीं ऋणों पर ब्याज दरों को प्रतिस्पर्धी रखा जाता है। इस कारण ब्याज मार्जिन न्यूनतम स्तर पर रहता है। परिणामस्वरूप बैंक की लाभप्रदता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। तथापि, एनपीए कम करना और कोई नया एनपीए न होने देना बैंकों की प्राथमिकता है। साथ ही विवेकाधीन अपलिखित खातों (पीडब्ल्यूओ खातों) में वसूली पर सर्वाधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन खातों में वसूली गयी राशि सीधे लाभप्रदता को बढ़ाती है। इस प्रकार बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक है कि ऋण खातों की सतत निगरानी के जरिये उन्हें एनपीए होने से बचाया जाए, ताकि पीडब्ल्यूओ खातों की स्थिति ही पैदा न हो तथा यदि किन्हीं कारणों से खाते पीडब्ल्यूओ श्रेणी में आ जाएं तो उनकी पूर्णतः वसूली करने का प्रयास किया जाए। इस पुस्तक में प्रस्तुत विभिन्न लेखों के माध्यम से पाठकों को विषय से संबंधित सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि पाठक-वर्ग इसे रुचिकर व उपयोगी पाएंगे। इस पुस्तक के लेखकों, पाठकों एवं संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं।

पुनः शुभकामनाओं सहित,

प्रतिवारी



एस.के.जैन

कार्यपालक निदेशक

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि बैंक द्वारा बैंकिंग विषयों पर प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पुस्तकों की शृंखला में इस वर्ष एनपीए जैसे ज्वलंत व गंभीर विषय पर “एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम” नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, जो निःसंदेह ही राजभाषा को बैंकिंग से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है.

मेरा मानना है कि सभी बैंक प्रशिक्षण तंत्र के माध्यम से अपने स्टाफ सदस्यों को विभिन्न बैंकिंग विषयों में प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सामान्यतः सैद्धांतिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री, स्टाफ सदस्यों के स्वयं के अनुभव हैं. इस दृष्टि से यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. हमारे बैंक द्वारा पूर्व में प्रकाशित स्तरीय हिन्दी पुस्तकों के आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने सहज प्रस्तुतीकरण व गुणवत्तापूर्ण विषय संयोजन की दृष्टि से जहां यह पुस्तक पाठकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, वहीं इससे हमारे स्टाफ सदस्यों को एनपीए जैसे गंभीर विषय को बेहतर ढंग से समझने एवं तत्संबंधित जिज्ञासाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.

मैं इस पुस्तक में रचनात्मक सहयोग देने वाले सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. पुस्तक प्रकाशन का निर्णय लेने एवं इसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु मैं राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, कें. का., मुंबई एवं स्टाफ महाविद्यालय के प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि पुस्तक प्रकाशन का यह समन्वित प्रयास भविष्य में भी जारी रखा जाएगा.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

एस.के.जैन



के. सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक

किसी भी बैंक के लिए एनपीए में बढ़ोतरी को अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है. हमारे बैंक में भी एनपीए के स्तर में पिछले कुछ समय में लगातार वृद्धि हुई है. इसका सीधा - सीधा असर बैंक की लाभप्रदता पर हो रहा है. लेकिन कई बार यह प्रश्न होता है कि ऐसा क्या किया जाए कि एनपीए के स्तर को नियंत्रित किया जा सके. कई बार स्टाफ सदस्यों की बैठक आयोजित की जाती है. कई बार स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है. लेकिन फिर भी सभी स्टाफ सदस्यों को इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी नहीं पहुँच पाती है और जानकारी के अभाव में संबंधित स्टाफ सदस्य चाहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं.

यह पुस्तक ऐसे ही सभी स्टाफ सदस्यों का मार्गदर्शन करेगी, जो बैंक के एनपीए को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. प्रस्तुत सामग्री काफी उपयोगी है. मेरा मानना है कि सभी स्टाफ सदस्यों को इसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, ताकि बैंक के एनपीए को कम किया जा सके और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके.

मेरा विश्वास है कि पुस्तकों के प्रकाशन का यह सिलसिला निरंतर आगे भी जारी रहेगा.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

के सुब्रह्मण्यम



राकेश सेठी
कार्यपालक निदेशक

“एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम” विषय पर इस पुस्तक के अवलोकन पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है, जब बैंकिंग उद्योग एनपीए की समस्या से जूझ रहा है. हमारा बैंक भी एनपीए की समस्या से अछूता नहीं रहा है. ऐसे समय में बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि वास्तव में एनपीए क्या है ? इससे कैसे बचा जा सकता है ? और इसे कैसे कम किया जा सकता है ? पुस्तक में प्रस्तुत लेख इसी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं. सभी पाठकों से मेरा अनुरोध है कि इन लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एनपीए कम करने हेतु सभी आवश्यक एवं योग्य कार्रवाई करें.

मुझे यह भी जानकारी दी गयी है कि अपने बैंक द्वारा इससे पहले भी प्रत्येक वर्ष विभिन्न बैंकिंग विषयों पर इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन नियमित रूप से किया गया है. मैं आशा करता हूं कि शाखा प्रबंधक पुस्तक प्राप्त होने पर स्टाफ सदस्यों की बैठक कर एक बार अवश्य उनका मार्गदर्शन करेंगे व उन्हें पढ़ने के लिए कॉपी देंगे.

इसके प्रकाशन से जुड़े सभी स्टाफ सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

सम्पादक की कलम से

कहा जाता है कि आधुनिक बैंकिंग का जन्म इटली में हुआ, जहां बैंकिंग का कार्य करने वाले लोग एक स्थान पर एकत्र होकर जरूरतमंद लोगों को रकम उधार देते थे. उस समय लोगों से जमा स्वीकार करने का कार्य नहीं होता था. बैंकिंग के विकास के साथ धीरे-धीरे आम जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य भी इससे जुड़ा और आज तो अनेक अनुषंगी कार्य बैंकिंग के महत्वपूर्ण घटक के रूप में इससे जुड़ गये हैं.

पारंपरिक तौर पर उधार देना बैंकिंग का प्रमुख तथा प्राथमिक कार्य रहा है और इसी पर उसका लाभार्जन एवं अस्तित्व भी निर्भर करता है. अतः बैंक अपनी उधारी अथवा ऋण संविभाग इस प्रकार बढ़ाने का अनवरत प्रयास करते हैं कि उससे ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो तथा समय से ऋण राशि की वापसी भी हो. तथापि अपेक्षानुसार ऐसा घटित होता नहीं है. वस्तुतः प्रकृति का यह एक शाश्वत नियम है कि दूसरों को कुछ देने की अपेक्षा उनसे प्राप्त करना कठिन है और यदि वह प्राप्य वस्तु, धन - सम्पत्ति से जुड़ी हो तो प्राप्ति और भी कठिन हो जाती है. हर स्तर पर सर्वोत्तम सावधानी एवं सजगता के बावजूद, बैंक - ऋणों की शत प्रतिशत वापसी (वसूली) नहीं हो पाती है. कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी ऋण की वापसी न होने अर्थात् उसके गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) हो जाने पर बैंक की लाभप्रदता पर दोहरा प्रभाव पड़ता है. एक ओर जहां उस ऋण पर ब्याज की वसूली न होने से आय घटती है, वहीं ऋण की बकाया रकम के समायोजन के लिए लाभ की रकम से प्रावधान करना पड़ता है. यही कारण है कि ऋण की समय से वसूली बैंकों की सर्वोच्च प्राथमिकता हो गई है. ऋण वितरण हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति से लेकर उसकी वापसी तक हर स्तर पर एवं हर समय बैंकों द्वारा समुचित सावधानियां बरती जा रही हैं, ताकि कोई एनपीए न हो और यदि दुर्भाग्यवश एनपीए हो गया तो उसका समुचित प्रबंधन कर लिया जाए.

बैंकिंग क्षेत्र के महादानव एनपीए को रोकने तथा उसके समुचित प्रबंधन पर स्टाफ सदस्यों को अद्यतन एवं समुचित जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से, बैंक द्वारा शुरू की गई बैंकिंग विषय पर पुस्तक प्रकाशन की शृंखला के छठे चरण में 'एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम' नामक पुस्तक प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एनपीए

प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर स्टाफ सदस्यों से प्राप्त उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक आलेख प्रस्तुत हैं। उल्लेखनीय है कि काफी संख्या में प्राप्त विषयगत आलेखों ने एक ओर जहां हमारे उत्साह को बढ़ाया; वहीं सीमित पृष्ठों को देखते हुए विभिन्न शीर्षकों पर प्राप्त आलेखों में से सर्वोपयुक्त आलेखों के चयन का कार्य भी कठिन रहा। इन आलेखों में एनपीए प्रबंधन-संकल्पना एवं नियंत्रण, एनपीए प्रबंधन प्रथाओं की यात्रा एवं भावी चुनौतियां, पूर्व चेतावनी संकेत (ईएएस), एनपीए खर्चों का अनुश्रवण, बैंकों एवं उनके तुलन-पत्रों पर इसका प्रभाव, एनपीए प्रबंधन - समय की मांग, प्रभावी एनपीए प्रबंधन की कार्यनीति, एनपीए प्रबंधन के विधिक उपाय - डीआरटी, सरफेसिया समझौता, विवेकपूर्ण मानदंड एवं प्रावधानीकरण, मंजूरी के उपरांत आस्तियों का प्रभावी पर्यवेक्षण, एनपीए निपटान में समझौता वार्ता, राजस्व वसूली अधिनियम, लोक अदालत, भारतीय साख सूचना ब्यूरो लि. (CIBIL), सीजीटीएमएसई एवं ईसीजीसी की भूमिका, प्रूडेंशियल राइट-ऑफ की प्रासंगिकता तथा एनपीए पर प्रभाव, ऋणों की पुनर्संरचना, सरफेसिया एवं डीआरटी अधिनियम में नवीनतम संशोधन, एनपीए रोकने में ड्यू डिलीजेंस एवं ऋण मूल्यांकन का महत्व, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, एनपीए पर सरकारी नीतियों का प्रभाव, वसूली कैम्प, एनपीए वसूली हेतु मानक संहिता आदि के माध्यम से एनपीए प्रबंधन पर सही, सटीक व उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सर्वोच्च स्तर से प्राप्त मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद किसी भी संकल्पना को साकार करने के प्रमुख कारक होते हैं और मुझे यह उल्लेख करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि सर्वोच्च स्तर से जो आशीर्वाद व मार्गदर्शन मिला, उसके लिए कृतज्ञता शब्द बहुत छोटा है। इसके अतिरिक्त अपने अमूल्य आलेखों से जिन रचनाधर्मियों ने पुस्तक प्रकाशन के कार्य को मूर्त रूप दिया है, उनके प्रति भी हम अत्यंत आभारी हैं। आशा है कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। साथ ही इस पुस्तक के प्रकाशन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले अन्य सभी साथियों के प्रति भी हम कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करते हैं।



अरुण श्रीवास्तव

अनुक्रम

| | |
|--|----|
| □ गैर निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन - अवधारणा तथा नियंत्रण - अशोक गुप्ता | 1 |
| ○ भारत में एनपीए प्रबंधन प्रथाएँ एवं भावी चुनौतियाँ - रंजीत प्रसाद | 12 |
| ○ एन.पी.ए. का बैंकों पर प्रभाव - डा. उषा सहगल | 21 |
| ○ पूर्व चेतावनी संकेत - नपीए रोकने के प्रभावी साधन - निधि सोनी | 25 |
| ○ एनपीए का बैंक के तुलनपत्र पर प्रभाव - हृषीकेश मिश्र | 31 |
| ○ एनपीए रोकना - सामूहिक जिम्मेदारी - संतोष श्रीवास्तव | 37 |
| ○ प्रभावी एनपीए प्रबंधन हेतु कार्यनीतियाँ - एस.के. शुक्ला | 46 |
| ○ प्रभावी एनपीए प्रबंधन के लिए विधिक उपाय : सरफेसिया - नेहा जोशी | 52 |
| ○ समझौते के जरिये एनपीए का निपटान - मुद्रा का आवधिक मूल्य - केशव बैजल | 59 |

| | |
|---|-----|
| ○ विवेकपूर्ण मानदंड, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण - डॉ. चेतना पांडेय | 63 |
| ○ एनपीए रोकथाम के लिए मंजूरी उपरांत आस्तियों का निरीक्षण - निमाई कुमार ठाकुर | 75 |
| ○ राजस्व वसूली अधिनियम की प्रभावोत्पादकता - विशाल झाझड़िया | 81 |
| ○ लोक अदालत-वैकल्पिक विवाद निस्तारण फोरम - दिलीप ए. गवई | 87 |
| ○ प्रूडेन्शियल राइट ऑफ की प्रासंगिकता तथा एन.पी.ए. पर इसका प्रभाव - गणेश तिवारी | 92 |
| ○ ग्राहक संबंध प्रबंधन - आस्ति गुणवत्ता हेतु प्रभावी साधन - पूजा कनौजिया | 97 |
| ○ एनपीए रोकने में भारतीय साख सूचना ब्यूरो लि. (CIBIL) की भूमिका - लोकेश यादव | 100 |
| ○ एनपीए वसूली में नवोन्मेषी दृष्टिकोण - श्रीकला एल.के. | 103 |
| ○ समझौता और निपटान - आवश्यकता एवं प्रक्रिया - अमृता विजय डोंगरवार | 109 |
| ○ एनपीए निपटान में प्रभावी समझौता वार्ता - पिंकी राठोर | 114 |
| ○ ऋण पुनःसंरचना - गैर निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन - कल्याण कुमार | 123 |

- एन.पी.ए. से निपटने में सीजीटीएमएसई तथा ईसीजीसी की भूमिका
- प्रशांत प्रभु 128
- सरफेसिया एवं डीआरटी अधिनियम में नवीनतम
संशोधन - बैंकों का सुदृढीकरण
- शेषाचल हेगड़े 135
- स्टाफ हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ : एनपीए वसूली का सशक्त माध्यम
- कृष्ण कुमार यादव 140
- एनपीए रोकने में ड्यू डिलिजेंस एवं ऋण मूल्यांकन
का महत्त्व : इलाज से परहेज बेहतर
- पी के मोहन्ती 145
- एनपीए में वसूली एजेंसियों की भूमिका
- एन. जयराम 152
- वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और एनपीए
- गणपत लाल चपलोट 158
- एनपीए प्रबंधन में टेक्नॉलॉजी की भूमिका
- एस. रमेश 166
- भारत सरकार की नीतियों का गैर निष्पादित आस्तियों पर प्रभाव
- अरुण कृष्ण 170
- लघु स्तरीय एनपीए से निपटने हेतु वसूली कैम्प
- लक्ष्मी श्रीनिवास 173
- प्रभावी एनपीए प्रबंधन हेतु रणनीतियां - विधिक उपायों के इतर
- दयानंद चौधरी 178
- देयों की वसूली हेतु मानक संहिता
- रामजीत सिंह 183

अशोक गुप्ता

गैर निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन - अवधारणा तथा नियंत्रण

आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना बैंक का मुख्य कार्य है. ऋण वितरण के लिए उपलब्ध निधियों में, जमा राशि, ऋण आदि के माध्यम से प्राप्त संसाधनों के अलावा, ऋणियों से वापस प्राप्त राशि एक महत्वपूर्ण घटक होती है. बैंक के ऋण संविभाग में बढ़ती गैर निष्पादक आस्तियां चिन्ता का विषय बन गई हैं. इसके कारण जाहिर हैं : गैर निष्पादक आस्तियों से कुछ मिलता नहीं है, बल्कि उन पर व्यय होता है. प्रावधानीकरण और विलम्बित भुगतान से हानियों की आशंका के कारण दूसरी आमदनियाँ भी कम हो जाती हैं. इसलिए गैर निष्पादक आस्तियों के बारे में जानना तथा इनका प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

गैर निष्पादक आस्ति की परिभाषा :

एक आस्ति, जिसमें पट्टे की आस्ति भी शामिल है, गैर निष्पादक तब बन जाती है, जब इससे बैंक के लिए आय अर्जन बन्द हो जाता है. कोई ऋण या अग्रिम निम्न दशाओं में गैर निष्पादक आस्ति हो जाता है:

- मियादी ऋण की दशा में, ब्याज और / या ऋण की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है.
- अधिविकर्ष / नगद साख की दशा में, खाता अनियमित होने पर.
- खरीदे / भुनाये गये बिल की दशा में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने पर.

2 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- अल्पावधि फसल ऋणों की दशा में, ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, दो फसल अवधि के लिए अतिदेय रहने पर.
- दीर्घावधि फसल ऋणों की दशा में, ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, एक फसल अवधि के लिए अतिदेय रहने पर.
- किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होने पर.
- किसी खाते में नियमित/तदर्थ ऋण सीमा का नियत तारीख/तदर्थ स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों तक, सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण न होने पर.
- 180 दिनों से अधिक पुराने स्टॉक/पुस्त ऋण विवरण के पेटे अनुमत आहरण.

आस्ति वर्गीकरण :

गैर निष्पादक आस्तियों को, उनके गैर निष्पादन होने की अवधि तथा देयों की वसूली योग्यता के आधार पर तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

i. **अवमानक आस्तियां** : जब कोई आस्ति 12 माह से कम अथवा 12 माह के बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादित रहती है तो उसे अवमानक आस्ति में वर्गीकृत किया जायेगा.

ii. **संदिग्ध आस्ति** : जब कोई आस्ति 12 माह की अवधि के लिए अवमानक आस्ति संवर्ग में रहती है तो उसे संदिग्ध आस्ति में वर्गीकृत किया जायेगा.

iii. **हानि आस्तियां** : उस आस्ति को हानि आस्ति में वर्गीकृत किया जायेगा, जहां बैंक द्वारा उसे हानि के रूप में चिह्नित किया गया है, परन्तु पूरी राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है.

प्रावधानीकरण मानदंड :

विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन में, निर्धारित संवर्गों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर प्रावधान करना होता है. आस्ति की वसूली संदिग्ध होने पर, उस संवर्ग में रहने की अवधि, प्रतिभूतियों की वसूली तथा बैंक के पास चार्ज प्रतिभूतियों के मूल्यों में होने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों तथा हानि आस्तियों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

| | |
|--|--|
| <p>मानक आस्तियां</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रत्यक्ष कृषि तथा लघु व सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को अग्रिम 2. व्यावसायिक स्थावर सम्पदा (CRE) को अग्रिम 3. गृह निर्माण ऋण (आकर्षक दर वाले शामिल) 4. प्रथम दो वर्षों में पुनर्गठन किये गये अग्रिम 5. शेष सभी अग्रिम, जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं. | <p>0.25% 1.00% 2.00% 2.75% 0.40%</p> |
| <p>अवमानक आस्तियां</p> <p>बिना किसी भेदभाव के, ई.सी.जी.सी. गारंटी में कवर तथा प्रतिभूतियां उपलब्ध होने पर, कुल बकाया के 15% के लिए सामान्य प्रावधान करना होगा. जिस अग्रिम राशि के लिए प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है और उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसके लिए बकाया राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान अर्थात् कुल 25% प्रावधान करना होगा.</p> | <p>15 या 25%</p> |
| <p>संदिग्ध आस्तियां</p> <p>अनारक्षित अंश</p> <p>आरक्षित अंश :</p> <p>एक वर्ष तक</p> <p>एक से तीन वर्ष तीन</p> <p>वर्ष से अधिक</p> | <p>100%</p> <p>35%</p> <p>40%</p> <p>100%</p> |

खाते गैर निष्पादक होने के कारण :

निधियों का विपथन (diversion), परियोजना में समय/लागत अधिक लगना, कारोबार की असफलता, प्रबंधन में अक्षमता, ऋण की निगरानी में ढिलाई, अनुपयुक्त/पुरानी तकनीक, श्रमिक अशांति, प्रमुख पदों में संघर्षण, प्रमुख पदाधिकारी की मृत्यु/अक्षमता, प्राप्य राशियों की वसूली न होना, कपट/दुष्कर्म/गबन आदि आंतरिक कारणों से खाते गैर निष्पादक हो सकते हैं. बाहरी कारणों जैसे- आर्थिक मंदी, बिजली की कमी, मूल्य वृद्धि, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, काउंटर पार्टी की असफलता, मांग में कमी की वजह से आदेश निरस्त होना, मुकदमों आदि से खाते गैर निष्पादक हो

4 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

सकते हैं. एक विवेकपूर्ण बैंकर की हैसियत से, यह हमारी जिम्मेदारी है कि कम्पनी के निष्पादन पर ध्यान रखें तथा सही समय पर सही निर्णय लें.

ऋणी निम्न चार प्रकार के होते हैं:

1. जो लोग भुगतान करने में समर्थ होते हैं तथा इच्छा रखते हैं. ऐसे ऋणी केवल फोन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करने पर चुकौती कर सकते हैं.
2. जो लोग भुगतान करने में सक्षम नहीं होते हैं, परन्तु इच्छा रखते हैं. यहां बैंक द्वारा एक बारगी समझौता विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है.
3. जो लोग भुगतान करने में सक्षम होते हैं, परन्तु करने की इच्छा नहीं रखते, ऐसे मामलों में कानूनी / सरफेसिया उपाय किये जाने चाहिए.
4. जो लोग भुगतान करने का बिल्कुल समर्थ नहीं रखते हैं, परन्तु इच्छा रखते हैं. इन मामलों में बैंक के पास एकमात्र विकल्प रहता है - बट्टे खाते में डालना और डी.आर.टी. में दावा दायर करना. ऋणियों/गारंटरो की व्यक्तिगत सम्पत्तियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर एजेंसियों की सेवाएं ली जा सकती हैं, ताकि न्यायालय के माध्यम से संपत्ति को कुर्क किया जा सके.

गैर निष्पादक आस्तियों का प्रभाव :

बड़ी मात्रा में गैर निष्पादक आस्तियां बैंक के निष्पादन को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं. उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

- सर्वप्रथम इससे बैंक का लाभ कम हो जाता है. गैर निष्पादक आस्तियां जितनी अधिक होंगी, प्रावधान उतना ही अधिक करना होगा, जो समग्र रूप से बैंक की लाभदायकता को कम करता है.
- गैर निष्पादक आस्तियां, बैंक के खराब निष्पादन को दर्शाती हैं.
- निधियों के पुनरावर्तन को प्रभावित करती हैं और जो आस्तियों / देयताओं में असंतुलन लाती हैं.
- निधियों की लागत बढ़ती है.
- प्रतियोगी दरों पर सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता तथा उद्यमी भावना को प्रभावित करती है.

- गैर निष्पादक आस्तियां अधिक होने पर, अनियंत्रित बैंक के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा के लिए जोखिम हो सकता है.
- कोई भी बड़ा ऋण खाता पार्टी / बैंक अधिकारियों / या दोनों की धोखाधड़ी के कारण अगर गैर निष्पादक आस्ति बन जाता है तो वित्तीय नुकसान होता है.
- गैर निष्पादक आस्तियां अधिक होने पर, वृहद् स्तर पर समर्थ ऋणियों को ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है.
- गैर निष्पादक आस्तियों की समस्या केवल बैंकों को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि समूची अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है.
- परिणामतया देश के पूंजी निर्माण तथा आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है.

गैर निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन :

गैर निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन के विषय में व्यापक तौर पर कहा जाये तो इसमें दो बातें हैं - निगरानी और वसूली. निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी वसूली. आस्तियों की गुणवत्ता को बनाये रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है. निगरानी का कार्य, बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने की कार्यवाही को प्रारम्भ करने का अभिन्न अंग है. निगरानी कार्य का मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऋण राशि का संवितरण, ऋण राशि की सुरक्षा, खाता सामान्य अपेक्षा के अनुरूप संचालित होना तथा इसे निष्पादित आस्ति के रूप में रखना सुनिश्चित किया जाना है. ऋण सीमा की स्वीकृति के साथ ही निगरानी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है. इस प्रक्रिया में निम्न तीन स्तर शामिल होते हैं :

- संवितरण से पहले
- संवितरण के दौरान
- संवितरण के बाद

कोई भी अग्रिम खाता रातों-रात खराब नहीं हो जाता. खाता खराब होने से पहले हमें पर्याप्त संकेत मिलते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि इन संकेतों पर लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दें, जिससे खाते के स्लिपेज को रोका जा सके. अर्ली अलर्ट सिस्टम-I (ई.ए.एस.-I), अर्ली अलर्ट सिस्टम-II (ई.ए.एस.-II), स्पेशल मेशन एकाउंट (एस.एम.ए.) के रूप में संवेदनशील आस्ति संवर्ग की प्रणाली हमारे पास है.

6 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

| | |
|--|---|
| ई.ए.एस.-I चूक 30 दिन से अधिक तथा 45 दिन तक ई.ए.एस.-II 45 दिन से 60 दिन तक एस.एम.ए. 60 दिन से 90 दिन तक | ब्याज / किश्त / खरीदे या भुनाये गये बिल / पैकिंग क्रेडिट / कार्यकारी पूंजी सीमा में आधिक्य / तदर्थ सीमा का समायोजन न होना. डारमेंट खाते में परिचालन / आहरण अधिकार में कमी |
| ई.ए.एस.-II | ऋण सीमा की समाप्ति तारीख के बाद 31 दिन से 90 दिन तक नवीनीकरण लम्बित रहना |
| एस.एम.ए. | ऋण सीमा की समाप्ति तारीख के बाद 91 दिन से 180 दिन तक नवीनीकरण लम्बित रहना |

चूक के कुछ अन्य तकनीकी कारणों, जैसे - प्रतिभूतियों का निरीक्षण न करना, दस्तावेजों में त्रुटि, स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत न करने से खाता संवेदनशील आस्ति संवर्ग में आ जाता है।

हमारे बैंक में फिनेकल के माध्यम से किसी माह/तिमाही के अन्त में निश्चित तारीख को मॉक रन जनरेट करने की मजबूत प्रणाली है। मॉक रन में दिखने वाले खातों में समय पर निगरानी कर, स्लिपेज को काफी हद तक रोका जा सकता है। स्लिपेज को रोकने के लिए हम नाजुक खातों में तिमाही के अन्त में वसूली की प्रक्रिया अपना रहे हैं। प्रत्येक महीने में खाता मॉक रन में दिखने को रोकने के लिए बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पूरी अतिदेय राशि की वसूली की जाये। ऋण सीमा के नवीकरण की दशा में, ऋण प्रस्ताव समय रहते सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाये।

वसूली की रणनीति :

अब हम गैर निष्पादित आस्तियों की वसूली के अति महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् वसूली पर जाते हैं। बैंक ने जो ऋण दिया है, उसे वह कभी भी वसूल कर सकता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। बैंक प्रतिवर्ष वसूली नीति बनाता है, जो सबके लिए अपने आप में एक मार्गदर्शक के समान है।

बैंक, केस विशेष के आधार पर वसूली के उपाय प्रारम्भ कर सकता है। वसूली उपायों में अनुस्मारक, व्यक्तिगत अनुवर्ती कार्रवाई, वसूली कैम्प, बीमार इकाइयों का

पुनरुद्धार, कार्पोरेट ऋणों की भुगतान अनुसूची में परिवर्तन / एक बारगी समझौता (ओ.टी.एस.), बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बी.आई.एफ.आर.), अनुदान का समायोजन (यदि हो), बट्टे खाते में डालना, जमानतदारों / दोस्तों तथा रिश्तेदारों के माध्यम से समझाना, विशेषीकृत शाखाओं के माध्यम से वसूली, वसूली एजेंटों के माध्यम से वसूली, ऋणों का प्रतिभूतीकरण तथा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (ए.आर.सी.) को बेचना, लोक अदालत, दीवानी मुकदमा - फैसले से पहले कुर्की, रेवेन्यू वसूली अधिनियमों के तहत वसूली, ऋण वसूली प्राधिकरण (डी.आर.टी.) अधिनियम तथा सरफेसिया अधिनियम, 2002 आदि शामिल हैं।

वसूली के लिए बैंकर के पास उपलब्ध उपर्युक्त सभी उपायों में, सरफेसिया सबसे प्रभावी अस्त्र है। बैंकर को इस अधिनियम की कार्यप्रणाली तथा कार्यान्वयन को भली-भांति समझना होगा।

यह अधिनियम दिनांक 17.12.2002 से प्रभावी है (पहले दिनांक 21.06.2002 को यह एक अध्यादेश के रूप में आया और बाद में इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया)। इस अधिनियम के लागू होने से, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध जमानत के रूप में रखी गई ऋणी की आस्तियों को अपने अधिकार में कर, लीज, समानुद्देशन या बिक्री से हितों का अंतरण कर जमानती आस्तियों की वसूली कर सकते हैं। इसके पहले, अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना लेनदार को प्रतिभूतियां बेचने या प्रवर्तित करने का अधिकार नहीं था।

- i. धारा 13(2) के तहत ऋणी/सह ऋणी/गारंटर्स/जमानतदारों को 60 दिनों का समय देकर देयताओं को चुकाने के लिए नोटिस जारी किया जायेगा तथा धारा 13(4) के अधीन जमानती लेनदार द्वारा आस्ति को कब्जे में लेने के आशय की जानकारी दी जाएगी।
- ii. 60 दिनों की अवधि की समाप्ति पर, अगर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक आस्ति की बिक्री से अपने देयों की वसूली के लिए उसे अपने कब्जे में ले सकता है।
- iii. ऋणी द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है तथा बैंक ऐसे निवेदन प्राप्त की तारीख से 7 दिनों के अन्दर जवाब देने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य होगा।
- iv. एक तरफा निर्णय से बचने के लिए यह अधिनियम ऋणी को ऋणदाता से किसी भी प्रकार के विवरण लेने की सुविधा देता है, जैसे देय राशि, दावाकृत ब्याज

8 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

आदि. अगर नोटिस में कोई गलती या अनियमितता हुई है तो लेनदार द्वारा नया नोटिस जारी किया जा सकता है. तथापि, इस स्तर पर बताये गये कारणों या जमानती लेनदार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित पत्राचार से ऋणी को डी.आर.टी. में आवेदन करने का अधिकार नहीं मिल जाता है.

- v. इस अधिनियम के तहत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही नोटिस जारी किया जा सकता है. यह अधिकारी स्केल-IV तथा उससे ऊपर का ही हो सकता है. कब्जे में लेने के बाद, बैंक द्वारा दो समाचार पत्रों में सामान्य जनता की जानकारी के लिए कब्जा नोटिस को प्रकाशित करना होगा.
- vi. ऐसा प्रकाशन, सम्पत्ति को कब्जे में लेने के 7 दिनों के अन्दर देना होगा. बैंक द्वारा कब्जा लेने के बाद 45 दिनों के अन्दर ऋणी/बन्धकदाता द्वारा शिकायतों के समाधान के लिए डी.आर.टी. के पास आवेदन कर सकते हैं. डी.आर.टी. के निर्णय से संतुष्ट न होने पर कोई भी पार्टी 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा में डी.आर.ए.टी. में अपील दायर कर सकती है.
- vii. बैंक द्वारा कब्जे में ली गई ऐसी सम्पत्ति की बिक्री तभी की जा सकती है, जब बैंक के अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन तथा 30 दिनों का समय देकर दो समाचार पत्रों (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में हो) में विक्रय की सूचना दी गई हो. इस प्रकार व्यापक प्रचार के बाद सम्पत्ति का विक्रय अधिकतम मूल्य पर किया जा सकता है. अगर प्राप्त की गई राशि, बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो, जमानती लेनदार शेष राशि की वसूली के लिए डी.आर.टी. के पास जा सकता है.

समझौता / एक बारगी समझौता (ओ.टी.एस.)

जब ऋणी भुगतान करने की इच्छा रखता है, परन्तु उसके पास साधन नहीं हैं, तब बैंक द्वारा ऐसे खतों में एक बारगी समझौता के विकल्प के प्रयोग से इन निधियों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है. गैर निष्पादक आस्तियों के लिए समझौतों द्वारा वसूली के मूलभूत दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- ए) बातचीत के द्वारा समझौता कर निपटान करना चाहिए, ताकि न्यूनतम व्यय तथा कम से कम समय में, प्राप्य राशियों में से अधिकतम सम्भव राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जा सके.

- बी) गैर निष्पादक आस्ति वाले ऋणियों से समझौता करते समय, जानबूझकर चूककर्ताओं तथा ऋणी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों की वजह से चूककर्ताओं के बीच सही तरीके से पहचान करनी होगी. पहले मामले में, कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए, दूसरे मामले में सहानुभूति का दृष्टिकोण होना चाहिए.
- सी) जब वसूली योग्यता के निर्धारण के लिए प्रतिभूति उपलब्ध है, तब उसके स्थान, दशा, बिक्री योग्यता तथा सम्पत्ति ऋणी के कब्जे में है या किराये पर है, आदि पर विशेष ध्यान देना होगा.
- डी) राहत प्रस्ताव पर विचार करते समय, सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य को आधार माना जाना चाहिए, न कि विपत्ति में बेचे जाने वाला मूल्य.
- ई) ऋणी / गारंटर की वर्तमान गतिविधियों, उनके वर्तमान संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.
- एफ) समझौता प्रस्ताव के निर्धारण के समय, बैंक के पास उपलब्ध निधियों के तुरन्त पुनर्चक्रण (recycling) का विकल्प तथा विधिक व अन्य लम्बी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया से सम्भावित वसूली का विश्लेषण किया जाना चाहिए.
- जी) गैर निष्पादक आस्तियों के मामलों में, स्टाफ की जवाबदेही की जांच तुरन्त तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरी की जानी चाहिए.
- एच) प्रस्तावों के सही और निष्पक्ष निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए समझौता / राहत प्रस्तावों की वेटिंग तथा संस्तुति के लिए समिति अवधारणा का पालन किया जाना चाहिए.
- आई) क्रेडिट कार्ड की देयताओं के निपटारे के लिए, उपर्युक्त मानदण्ड स्वीकार्य नहीं होंगे. क्रेडिट कार्ड की देयताओं में मूलराशि तथा बी.पी.ए.आर. ब्याज न्यूनतम स्वीकार्य समझौते की राशि होगी.
- जे) उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझौता / राहत प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए. मुख्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निम्न योजना बनाई गई है:
- अगर अग्रिम / ऋण, बैंक के पक्ष में चार्ज प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित है तो, उनकी वसूली योग्य राशि तथा बिक्री योग्यता.

10 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- ऋणी / गारंटर के कुल संसाधन.
- गैर निष्पादित आस्ति की अवधि.
- बैंक की वैधानिक स्थिति.

यूनियन बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों की स्थिति:

गैर निष्पादक आस्तियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए यूनियन बैंक ने अपनी रणनीति में निम्न कार्य योजना बनाई है :

- रु.25 करोड़ तथा अधिक बकाया वाले खातों में सभी संघीय बैंकों तथा ऋणियों के साथ सक्रिय समन्वय के द्वारा वसूली के लिए विशेष ध्यान.
- विधिक उपायों के द्वारा वसूली के लिए समय पर कार्य (डी.आर.टी. तथा सरफेसिया).
- रु.10 लाख से कम बकाया वाले गैर निष्पादक आस्ति खातों में विशेष समझौता योजना के माध्यम से वसूली पर ध्यान देना होगा. बैंक ने “**विशेष समझौता योजना 2013**” के नाम पर रु.10 लाख तक के ऋणों को एक बारगी समझौते के द्वारा निपटान के लिए, बिना किसी प्रत्यायोजन या भेदभाव वाली योजना बनाई है. यह योजना दिनांक 4 सितम्बर 2013 से 31 मार्च 2014 तक लागू है. इसमें प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के खातों के लिए काफी छूट दी गई है.
- ऋणियों के साथ समझौता कर निपटान के लिए नियमित रूप से वसूली कैम्पों का आयोजन करना.
- विवेकपूर्ण बट्टे (PWO) में डाले गये खातों तथा ऋणियों/जमानतदारों की आस्तियों के विक्रय या कुर्की के द्वारा वसूल हो सकने वाले खातों के लिए विशेष वसूली अभियान चलाना.
- स्लिप होने वाले सभी खातों की गम्भीरता से जांच कर उनके शीघ्र अपग्रेडेशन के लिए विशेष ध्यान देना होगा.
- औद्योगिक वित्त शाखाओं तथा बड़ी शाखाओं की गैर निष्पादक आस्तियों पर कार्रवाई के लिए अलग टीम का गठन किया जाना.
- आस्ति वसूली शाखाओं की कार्यप्रणाली की तिमाही-वार समीक्षा करना.

हमारे बैंक में गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा किये जा रहे सघन प्रयास सराहनीय हैं, परन्तु अपनी आस्तियों की गुणवत्ता में और सुधार तथा गैर निष्पादक आस्तियों को एक न्यूनतम स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रयासों के द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों के स्तर को तुरन्त कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वसूली के क्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास करने हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने एवं सम्मान तथा पुरस्कृत करने के उद्देश्य से यूनियन बैंक ने एक विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है, जिसे अनुदेश परिपत्र क्रमांक 9706 दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा परिचालित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्टाफ सदस्यों को उनके योगदान, उपलब्धियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ देना है।

वसूली की प्रक्रिया में, बैंक की प्रतिष्ठा तथा ऋणी के साथ लम्बी अवधि के संबंधों का पूरा ध्यान रखना होगा। इसलिए, बैंक की ऋण वसूली नीति, ग्राहक की गरिमा तथा सम्मान पर आधारित है। बैंक द्वारा देयों की वसूली के लिए अनुचित मजबूरी वाली नीति को नहीं अपनाया जाएगा। यह नीति शालीनता, उचित व्यवहार तथा मार्गदर्शी आधार पर बनी है। देयों की वसूली तथा प्रतिभूतियों पर कब्जा वापस करने में निष्पक्ष कार्यप्रणाली का पालन किया जाता है, ताकि बैंक पर ग्राहकों का विश्वास बना रहे।

अंततः, इस लेख के माध्यम से, मैं आप सब से अपील करता हूँ कि वसूली प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि बैंक की आस्तियों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और यूनियन बैंक की पहचान हमेशा के लिए अच्छे बैंक के रूप में रहे।

रंजीत प्रसाद

भारत में एनपीए प्रबंधन प्रथाएँ एवं भावी चुनौतियाँ

वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का प्रमुख व्यवसाय विविध उद्यमों को वित्तपोषण (फाइनेंस) करना है और अग्रिमों की चुकौती इन उद्यमों के कार्य निष्पादन एवं निधियों की उत्पादन क्षमता (जेनरेशन) पर पूर्णतः निर्भर होती है। चूँकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज देना भविष्य से संबंधित है, अतः परिस्थितियों की अनिश्चितता इसके लिए गंभीर वित्तीय जोखिम उत्पन्न कर सकती है। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता निःसंदेह स्वस्थ बैंकिंग की द्योतक है। बैंकों द्वारा विविध गतिविधियों के साथ व्यापक पैमाने पर अपने व्यापार में विस्तार किया गया, इसी परिप्रेक्ष्य में गैर निष्पादक आस्तियों का पोर्टफोलियो अस्तित्व में आया और विश्व के लगभग सभी बैंकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली आर्थिक सुधार के उपरांत गैर निष्पादनकारी आस्तियों का प्रभाव कम करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। बैंकों द्वारा इसके प्रभाव को कम करने हेतु बहु-आयामी प्रयत्न, भारत-सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित विभिन्न उपाय काफी सराहनीय हैं, फिर भी बहुत कुछ करना शेष है और अनेक अप्रत्यक्ष चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

हाल के कुछ समय में शुद्ध गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी आई है। कुछ बैंक शून्य स्तर पर एनपीए प्रदर्शित करने में सफल हुए हैं। बैंकों द्वारा यह प्रयास सराहनीय है तथा यह सिद्ध करता है कि भारतीय प्रणाली द्वारा प्रमाणित उत्तम बैंकिंग, तकनीकी एवं संव्यवहार का आदर्श रूप है।

बैंकों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का इतिहास:

बैंकों द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की निगरानी पहले से ही की जाती रही है। संवर्गवार विभाजित करना, नियंत्रण हेतु विभाग बनाने का कार्य बैंकों ने बाद में किया। बैंकों ने उन अग्रिमों और ऋणों की पहचान की जरूरत महसूस की, जिनकी वसूली मुश्किल हो तथा आगे और कठिन होने की संभावना हो। ऐसे वर्ग को सामान्य नामकरण “ऋण विगत कारण” (लोन पास्ट ड्यू) दिया गया। ऐसे खातों का निरंतर निरीक्षण, बकाया राशि आदि की वसूली, विनियोजन (रीशिड्यूलिंग) और अंतिम पर्याय के रूप में सूट फाइल करने के लिए अलग से वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसे खातों में ब्याज लगाना भी बंद कर दिया गया, जब वे “ऋण विगत कारण” हो गये थे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सन् 1985 में हेल्थ कोड सिस्टम (हेल्थ कोड 1 से 8 तक) लागू किया, ताकि इन खातों को वर्गीकृत किया जा सके, साथ ही इन अग्रिमों के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियाँ आवश्यकता पड़ने पर वसूली जा सकें। इस प्रकार वसूली के आधार पर अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। नवंबर 1991 में वित्तीय सुधार हेतु श्री एन. नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई रिपोर्ट में उपर्युक्त मानदंड की प्रबलता दिखी। इस प्रकार एनपीए का वर्गीकरण मूल रूप से सन् 1992 में प्रारंभ हुआ और तब से इसमें परिवर्तन और सुधार हुए हैं, ताकि देश में वित्तीय संस्थाओं का सुचारु रूप से विकास हो सके।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की वसूली - वर्गीकरण मानदंड / संकल्पना :

वसूली की संकल्पना प्रारंभ से ही किस्तों या ब्याज पर आधारित है, न कि प्रतिभूतियों, ऋणदारों या गारंटर्स के नेटवर्क की उपलब्धता पर। बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों का, नरसिम्हन समिति के मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा गया और उसके अनुसार अपनी आय की पहचान और प्रावधानीकरण मानक, निर्धारित करने को कहा गया। शुरुआत में अर्थात् 1992-93 में ब्याज/किस्त बकाया होने का मानक चार तिमाहियां निर्धारित किया गया था, उसके बाद घटा कर दो तिमाहियां और वर्तमान में 90 दिन कर दिया गया। परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानक के संबंध में जो सुझाव दिये गए थे, वे इस प्रकार थे :

| परिसंपत्तियों का वर्गीकरण | विवरण | प्रोविज़निंग मानक |
|---------------------------|--|---|
| मानक | निष्पादक परिसंपत्तियां | शून्य |
| उप-मानक आस्तियां | 2 वर्ष की अवधि तक गैर-निष्पादनकारी आस्तियां. | बकाया राशि का 10 प्रतिशत. |
| संदिग्ध आस्तियां | 2 वर्ष से अधिक गैर-निष्पादनकारी आस्तियां. | 100 प्रतिशत का प्रावधान यदि प्रतिभूतियां न हों. 20%, 30% तथा 50% आस्तियों के बीते हुए समय के आधार पर. |
| हानि आस्तियां | ये मूलतः गैर-निष्पादनकारी आस्तियाँ होती हैं, जहाँ न के बराबर प्रतिभूतियां हों. | बकाया राशि का 100 प्रतिशत. |

पिछले 4-5 वर्षों में प्रावधानीकरण (प्रोविजनिंग) मानक और भी कड़े कर दिए गए हैं. प्रोविजनिंग की चर्चा आगे इस लेख में पृथक् रूप से की जाएगी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीए और प्रावधानीकरण (प्रोविजनिंग) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलनपत्र में वर्ष 1992-93 में और तत्पश्चात् काफी पारदर्शिता आयी और मानकों का पालन न किए जाने पर बैंकों के घाटे में वृद्धि दर्ज की गई.

बैंकों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के कारण:

बैंकिंग-प्रणाली में एनपीए के कारणों का विश्लेषण संक्षेप में इस प्रकार है:-

(क) बैंकों की जिम्मेदारी:-

- 1) बैंक की अग्रिम-आकलन (क्रेडिट असेसमेंट) व अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) प्रणाली में कमी.
- 2) ऋण की राशि का सही उपयोग हो रहा है, इसका बैंक द्वारा निरीक्षण न कर पाना.
- 3) ऋणों के संवितरण के समय सही तरीके से दस्तावेज / सेक्यूरिटी आदि तैयार न करना.

- 4) निर्णय/कार्यवाही आदि में बैंक द्वारा विलंब.
- 5) प्रयोजन से ज्यादा या कम उधार या अग्रिम देना.
- 6) एनपीए खातों के निपटान के लिए उचित समाधान-नीति न अपनाना.
- 7) खातों के एनपीए में तब्दील होने के संकेत मिलने पर उचित कार्यवाही न करना.
- 8) बैंक प्रावधानीकरण (प्रोविजन) और एनपीए खातों के राइट ऑफ के माध्यम से कम एनपीए प्रतिशत दर्शा पाने में सक्षम हो रहे हैं.

(ख) उधारकर्ता/ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी :-

- 1) ऋण लेने वालों की क्षमता एवं ऋण से संबंधित प्रोजेक्ट को आँकने में प्रबंधन की कमी.
- 2) वित्त प्रदान (फाइनांस) किए गए प्रोजेक्ट में विलंब होने से लागत में वृद्धि और आय जनन की क्षमता में कमी.
- 3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु अग्रिम दी गई निधि का उस विशेष प्रयोजन को छोड़ अन्य कार्यों में निधि का व्यय (निधियों का प्रत्यावर्तन).
- 4) ऋण लेकर जान बूझकर न चुकाना (विलफुल डिफाल्टर).

(ग) बाहरी एवं अन्य कारण :

- 1) बाजार में उत्पाद की माँग की कमी और बिक्री में गिरावट की कमी के कारण आय कम होना.
- 2) ब्याज-दर में वृद्धि हो जाना.
- 3) योजना के पुनर्वास के कार्यान्वयन में विलंब होना.
- 4) किन्हीं मामलों में ऋण-वसूली कानून बैंक के अनुकूल न होकर ऋणकर्ता के पक्ष में होना.
- 5) देश की आर्थिक परिस्थितियों में आकस्मिक बदलाव होना.

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की वर्तमान स्थिति:

अग्रिम के विस्तार के साथ कुल ऋण का कुछ हिस्सा एनपीए हो सकता है, चूँकि ऋण-वितरण में कुछ स्तर तक विषम परिस्थितियाँ एवं जोखिम निहित होता है. इसीलिए देश में प्रत्येक बैंक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि वे एनपीए बिल्कुल खत्म

नहीं कर सकते तो कम से कम इसे न्यूनतम रखने का प्रयास करें और इसे बढ़ने न दें। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि पिछले 3 वर्षों में बैंकों द्वारा किया गया कुल प्रावधान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल निवल लाभ से अधिक है। एनपीए को कम करने हेतु अपनाया गया प्रबंधन का यह तरीका उचित नहीं है और यह एनपीए प्रबंधन का हल किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। अग्रिमों के विस्तार हेतु बैंकों को कुशल तकनीक का आविष्कार करना चाहिए, जिसमें खास ध्यान देकर एनपीए स्लिपेज न होने पर दिया जाये। एक बात एनपीए के संबंध में और है कि इसका स्तर सामान्य, नियंत्रित व स्वीकार्य स्तर पर किया जाए तो बैंकों के विकास और इसके कार्य निष्पादन को सकारात्मक दिशा प्राप्त होगी और कार्य प्रणाली सुदृढ़ होगी, बैंक के बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का वर्तमान वर्गीकरण और

मानक प्रावधानीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता और प्रावधानीकरण से संबंधित नवीनतम दिशा-निर्देश में संशोधित मानक इस प्रकार हैं:

(क) गैर निष्पादित आस्तियाँ -

बैंक की उन आस्तियों को गैर निष्पादित की संज्ञा दी जाती है, जो आय अर्जन करना बंद कर देती हैं। एनपीए वह लोन या अग्रिम है, जहाँ-

- (i) 90 दिनों से अधिक ऋण का ब्याज या किश्त बकाया हो।
- (ii) ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट के संबंध में खाता 10 दिनों से अधिक "आउट ऑफ ऑर्डर" हो।
- (iii) बिल की खरीदी या बिल डिस्काउंटिंग के संबंध में उसका बकाया 90 दिनों से अधिक हो।
- (iv) अल्पकालिक/दीर्घकालिक फसल ऋण मंजूर होने पर किस्त या ब्याज बकाया हो।
- (v) किसी भी तिमाही में बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज 90 दिनों/ तिमाही के अंत तक अदा न किया हो।

(ख) आय की पहचान (इन्कम रिकोगनिशन) -

आय की पहचान की नीति वसूली (रिकवरी) पर आधारित होनी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आय संग्रहण आधार (एक्यूरेल बेसिस) पर गणना न कर, तब गिना जाना चाहिए, जब वसूली वास्तव में हो जाये। एनपीए पर प्राप्त ब्याज को आय

खाते में नहीं जमा किया जाना चाहिए. सरकार द्वारा संरक्षित खाता भी एनपीए होने पर, उन अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज को, आय खाते में तब तक जमा नहीं करना चाहिए, जब तक वह वास्तव में प्राप्त न हो जाए.

आय का रिवर्सल - यदि कोई अग्रिम, बिल खरीदी के बट्टे सहित वर्ष के अंत तक एनपीए होता है तो आय खाते में उस पर जमा ब्याज रिवर्स कर देना चाहिए और अलग से रिकार्ड रखना चाहिए, जब तक वास्तव में ब्याज प्राप्त न हो जाए.

(ग) आस्ति वर्गीकरण (एसेट क्लासिफिकेशन) -

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के तहत बैंकों को एनपीए बकाया धन न प्राप्त होने की स्थिति को समय के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- उप मानक आस्तियाँ : वे सभी आस्तियाँ उप मानक आस्तियाँ मानी जाएंगी, जो 12 महीने से कम अवधि और 12 महीने तक एनपीए हों.
- संदिग्ध आस्तियाँ : उन आस्तियों को संदिग्ध आस्तियों की श्रेणी में रखा जाएगा, जो 12 माह से अधिक उप मानक आस्तियों के रूप में हों.
- हानि आस्तियाँ (लॉस एसेट) : हानि आस्तियाँ अर्थात् जहाँ बैंक के आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षक या आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की संभावना दर्ज कर ली गयी है, लेकिन उसे पूर्णतः बट्टे खाते में (राइट ऑफ) डाला न गया हो.

(घ) प्रोविज़निंग मानक -

- **हानि आस्तियाँ :**
इन्हें तकनीकी रूप से राइट ऑफ कर देना चाहिए, परंतु वसूली के प्रयास जारी रखना चाहिए. इसके बावजूद यदि किसी कारणवश इन्हें राइट ऑफ न किया गया हो तो बकाया ऋण राशि का 100% प्रावधानीकरण बैंक को करना पड़ता है.
- **संदिग्ध आस्तियाँ :**
संदिग्ध आस्तियों में प्रतिभूति के अभाव में 100% प्रावधानीकरण बैंक को करना पड़ता है. यदि प्रतिभूति (सेक्यरिटी) मौजूद है तो आस्तियों की अवधि के आधार पर 25% से 100% तक प्रावधानीकरण करना पड़ता है. यदि किन्हीं संदिग्ध आस्तियों के लिए 100% संपार्श्विक प्रतिभूति हो, फिर भी 3 वर्षों के उपरान्त बैंक को 100% प्रावधानीकरण करना पड़ता है.
- **उप-मानक आस्तियाँ :**
इसके तहत 15% प्रावधानीकरण ऋण की बकाया राशि पर या बिना कोई

18 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

ईसीजीसी गारंटी कवर प्रदान किए, करना पड़ता है। बिना किसी प्रतिभूति के एक्सपोजर पर इसके अलावा 10% अतिरिक्त प्रावधानीकरण करना पड़ता है।

• **मानक आस्तियाँ:**

इस पर 0.40% सामान्य प्रावधान करना पड़ता है। कृषि तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रत्यक्ष अग्रिमों पर 0.25%, कमर्शियल रियल एस्टेट पर 1%, गृह निर्माण ऋणों पर 2%, पुनःसंचित अग्रिमों पर प्रथम दो वर्षों में 2.75% तक बैंकों को प्रावधान करना पड़ता है। मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधान को शुद्ध एनपीए में शामिल नहीं किया जाता।

| परिसंपत्तियों का वर्गीकरण | विवरण | प्रोविज़निंग मानक |
|---------------------------|--|--|
| मानक आस्तियाँ | निष्पादक परिसंपत्तियाँ | मानक आस्तियों पर 0.40%, कृषि क्षेत्र और लघु एवं सूक्ष्म को सीधे अग्रिमों के लिए 0.25%, व्यक्तिगत ऋण, पूंजी बाजार, वास्तविक संपदा एवं वाणिज्यिक तथा आवासीय हेतु ₹ .20.00 लाख से अधिक के ऋण पर 1.00% प्रावधानीकरण. |
| उप-मानक आस्तियाँ | 1 वर्ष की अवधि तक एनपीए | 15% प्रावधानीकरण, अतिरिक्त प्रावधान 10% और लगेगा, यदि बिना किसी प्रतिभूति के हो. |
| संदिग्ध आस्तियाँ | 1 वर्ष से अधिक एनपीए | 100% प्रावधान यदि प्रतिभूति न हो, अन्यथा 25%, 40%, 50%, 100% अवधि के आधार पर. |
| हानि आस्तियाँ | ये मूलतः गैर-निष्पादनकारी आस्तियाँ होती हैं, न कि बराबर प्रतिभूति होने पर. | बकाया राशि का 100% प्रावधान |

परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान मानकों और निर्देशों को संक्षेप में सारणी रूप में इस प्रकार दिया जा सकता है:

बैंकिंग उद्योग के एनपीए मानदंडों, आय मान्यता और प्रावधानीकरण, जैसा कि ऊपर की सारणी में उल्लेख किया गया है, के फलस्वरूप शुद्ध मुनाफे में कमी आएगी। बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण आने वाले दिनों में बैंकों के मार्जिन पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ब्याज में गिरावट और बेसल III मानदंडों को अपनाए जाने से बैंकों के शुद्ध लाभ में काफी कमी आएगी।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को क्यों रोकना चाहिए ?

एनपीए को रोकना एक चुनौती भरा और जटिल काम है, क्योंकि बहुविध ऋण और छोटे उधारकर्ता अधिक होते हैं। हालांकि पूंजी में पुनर्निवेश और सतत विकास भी आवश्यक है। बैंकिंग प्रणाली में एनपीए एक वास्तविक आर्थिक बोझ है, इसलिए अवरुद्ध पूंजी को वसूलना ही चाहिए। एनपीए होने से पहले संपत्ति को स्ट्रेस्सड आस्ति कहते हैं। स्ट्रेस्सड आस्ति अर्थात् किस्त या ब्याज का अनियमित भुगतान। स्ट्रेस्सड आस्ति होने के परिणाम इस प्रकार हैं :

- धनराशि के चक्र में अवरोध लाता है।
- यह ब्याज के माध्यम से होने वाली आय में कमी लाता है।
- बैंक की प्रावधानीकरण (प्रोविजनिंग) आवश्यकताओं के कारण लाभ को कम करता है।
- यह आस्ति की खराब गुणवत्ता दर्शाता है।
- बैंक की छवि को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।

इसलिए यदि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को शून्य स्तर पर नहीं ला सकते तो ये न्यूनतम स्तर पर होनी चाहिए। जब बैंक अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने में सफल होंगे, तभी बैंक को स्वस्थ माना जाएगा।

निष्कर्ष:

आज बैंकिंग उद्योग एक कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि मुनाफे में कमी के कारण सेवा प्रदाताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, स्टाफ सदस्यों के वेतन में वृद्धि के कारण व्यय की वृद्धि, फंड की लागत के कारण मार्जिन और विविध खर्च में समग्र वृद्धि इत्यादि हैं। इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए एनपीए को कम से कम रखना होगा, ताकि बैंक का मुनाफा कम न हो।

20 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

यदि एनपीए खातों की बढ़ती संख्या को रोका नहीं गया तो बैंकिंग उद्योग को गंभीर समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बेसल III मानकों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो मुनाफे में और कमी आएगी। बैंक को एनपीए के लिए प्रावधान करना पड़ता है और उसे मुनाफे से घटाया जाता है।

बाजार के अनुमान के मुताबिक बैंकिंग उद्योग का सकल एनपीए सितम्बर 2013 में 2.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने के कारण, बैंकों के प्रबंधन को तंग स्थिति में डाल रहा है। लेकिन आतंकित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विभिन्न रणनीतियां और उपाय बैंकों के पास उपलब्ध हैं। बैंक ऋण और अग्रिम देते समय, यह सुनिश्चित करें कि चुकौती कार्यक्रम उधारकर्ता विशेष के साथ उसके नकदी प्रवाह के आधार पर तय किया जाए। ऐसा करने से उधारकर्ता नियमित रूप से लंबे समय तक और निधि की उपलब्धता पर समय पूर्व किस्त की चुकौती करेंगे और इस प्रकार अग्रिमों की वसूली में भी रिकॉर्ड सुधार होगा।

डा. उषा सहगल

एन.पी.ए. का बैंकों पर प्रभाव

आज के समय में बैंकों के सम्मुख ज्वलन्त समस्या एन.पी.ए. की है. एन.पी.ए. यानि गैर निष्पादक आस्तियाँ वे आस्तियाँ, जिनसे बैंकों को कोई लाभ या आय नहीं हो रही होती है. बैंकों का मुख्य कार्य जनता की जमाराशियों को संग्रहित करना तथा उनके बदले ग्राहकों को ब्याज देना होता है. बैंक पुनः उस जमा राशि को अपने पास न रख कर लाभार्थियों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं. उस ऋण पर ऋणी से ब्याज प्राप्त करना होता है, जोकि बैंक की आय का मुख्य स्रोत है. लेकिन जब ऋण से बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती है तो वह ऋण बैंक के लिए नुकसानदायक बन जाता है तथा हानि का कारण बनता है.

जनता को उनसे प्राप्त जमा राशि के बदले देय ब्याज तथा ऋणियों से प्राप्त ब्याज का अन्तर ही बैंक की आय/लाभ है. वास्तव में बैंक जितना ब्याज अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर देता है, उससे अधिक ब्याज ऋणियों से लेता है, जिससे बैंक की आय होती है. देय ब्याज तथा प्राप्त ब्याज का अन्तर जितना अधिक होगा, उतनी अधिक बैंक की आय तथा उतना अधिक लाभ होगा. इसलिए प्रत्येक बैंक का यह प्रयास होता है कि अच्छी क्वालिटी के ऋण, पात्र ऋणियों को दिए जाएं, जिसके लिए सभी बैंकों ने विभिन्न ऋण/अग्रिम की योजनाएं परिचालित की हैं.

आज बैंकों के क्रेडिट का दायरा बहुत बढ़ गया है तथा सभी बैंक लाभप्रदता की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं. हर बैंक चाहता है कि वह लाभ के अनुसार पहले नम्बर का बैंक बने. यह तभी सम्भव है, जब प्रदान किए गए ऋणों का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता रहे तथा ऋणों से निरन्तर आय प्राप्त होती रहे. ऋणियों से निरन्तर अनुश्रवण/सम्पर्क करके हम अपने ऋण विभाग को समृद्ध कर सकते हैं, विशेष रूप से कृषि अग्रिमों में जहाँ पर किश्त छःमाही होती है. हमें शुरू की किश्तों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए,

लेकिन होता इसके विपरीत है। चूंकि हमारी शाखाएं ऋण वितरित करने के बाद यह मान कर चलती हैं कि उक्त खाता 2-3 साल तक तो एन.पी.ए. नहीं होगा। तब तक उस शाखा प्रमुख का स्थानांतरण हो जाता है और आने वाला यह सोचता है कि उसने कौन सा ऋण वितरित किया है। इस कारण वह ऋण का सही ढंग से अनुश्रवण नहीं कर पाता है। ऋण खाते कब गैर निष्पादन आस्तियों में तब्दील हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमें यह बात अपने अंदर गाँठ बांध लेनी चाहिए कि बैंक के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है।

एन.पी.ए. का अभिप्राय :

रिजर्व बैंक की निर्धारित परिभाषा के अनुसार “कोई भी अग्रिम/ऋण की राशि (आस्ति) गैर निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाएगी, यदि ब्याज तथा मूलधन की देय राशि (किश्त) उस तारीख से जब यह ब्याज किश्त देय हो जाती है, एक तिमाही तक वसूल/प्राप्त नहीं हुई हो या बकाया हो। इस परिभाषा के अनुसार ब्याज की अदायगी या मूलधन की किश्त देय हो जाने की नियत तिथि से एक माह के पश्चात् यह राशि वसूल न होने पर उसे “गत देय” (पास्ट ड्यू) माना जाता था और उसे एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाता था। अब यह गतदेय की संकल्पना समाप्त हो गई है और गतदेय होते ही उन्हें एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाता है।

बदलते बैंकिंग परिवेश में एनपीए प्रबंधन अपना अलग स्थान रखता है। एन.पी.ए. यानी गैर निष्पादक आस्तियाँ, जिन ऋणों से बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती, वे गैर आय प्राप्त ऋण खाते कहलाते हैं। बैंक लाभ को बढ़ाने के लिए जितना नया ऋण देना आवश्यक है, उससे अधिक उसका अनुश्रवण जरूरी है, चूंकि बैंक की कार्यकुशलता उसकी लाभप्रदता से आंकी जाती है। लाभप्रदता में मुख्य योगदान ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति का होता है। ऐसा देखा गया है कि शाखा स्तर पर ऋणों को बांट दिया जाता है। लेकिन उसका उतना फोलो अप/अनुवर्ती कार्रवाई नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि शाखा की लाभप्रदता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले तत्व उस शाखा के गैर निष्पादक ऋण, न केवल शाखा के लाभ को कम करते हैं, अपितु बैंक स्तर पर उनके विरुद्ध प्रावधान भी करना पड़ता है। अतः जरूरत इस बात को समझने की है कि गैर निष्पादक ऋण पर एक तरफ तो हमें ब्याज की प्राप्ति नहीं होती, दूसरा उस ऋण पर हमें अलग से प्रावधान करना पड़ता है। अगर गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि इसका दोहरा प्रभाव हमारी लाभप्रदता को सीधे रूप से कम करता है। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऋण वितरित करने के पश्चात् इस पर लगने वाला ब्याज सर्वाधिक होता है। अगर शुरू

की कुछ किश्तें नियमित रूप से हासिल कर लें तो खाते में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है।

ऋणों के गैर निष्पादन (एन.पी.ए.) होने के कारण :

1. अक्सर यह पाया जाता है कि ऋण देने से पहले, पूर्व-निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिससे हमें उधारकर्ता के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती है।
2. जब ऋण दूसरे क्षेत्र में अथवा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के बाहर किया जाता है, उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उधारकर्ता इतनी दूर से लोन क्यों ले रहा है, जबकि रास्ते में अथवा पड़ोस में कई बैंकों की शाखाएं हैं।
3. ऋण का सही उपयोग न किया गया हो अथवा ऋण राशि जिस उद्देश्य के लिए ली गई है, उस उद्देश्य के लिए ऋण राशि का उपयोग न हुआ हो।
4. ऋण राशि का पूर्ण वितरण न किया गया हो। आंशिक ऋण वितरण से इकाई की स्थापना नहीं हो पाती है।
5. समय पर ऋण का वितरण न होना।
6. ऋण वितरण के समय उधारकर्ता को काफी चक्कर लगवाए हों अथवा परेशान किया हो।
7. ऋण वितरण के पश्चात् सही अनुवर्ती कार्रवाई न की गई हो।

ऋण खातों पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तभी ऋण खाते गैर निष्पादक ऋण खाते बन जाते हैं। खाते एन.पी.ए. होने के पश्चात् ही कई लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं।

लक्षण :

- नकद साख खाते में जब पार्टी बार-बार ऋण सीमा से अधिक की मांग करे।
- जब पार्टी के चेक वापिस जाने लगे।
- समय पर ब्याज भरने में असमर्थता दिखाए।
- मियादी ऋण में किश्तें समय पर न दे तथा बार-बार सम्पर्क करने पर बहाना बनाए।
- भेजे गए नोटिस वापिस आ जाएं।

उपाय :

- पार्टी से समय-समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क करना चाहिए, जिससे हमें ऋण अदा न करने की सही जानकारी मिल सके।

24 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- थोड़े से अंतराल पर नोटिस जारी करते रहना चाहिए.
- नोटिस समय पर निकाला जाना चाहिए, जैसे कृषि ऋण में फसल आने से 15 दिन पहले नोटिस जारी किए जाएं, ताकि उधारकर्ता को बैंक ऋण की याद रहे.
- ऋण आवेदन में पूरे पते की जानकारी होनी चाहिए. अक्सर वसूली के समय घर का पता करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. घर के पास कोई प्रसिद्ध जगह अथवा गाँव के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का घर हो, तो उसका उल्लेख होना चाहिए.
- जेस्टेशन अवधि अवश्य दी जानी चाहिए. किसी भी कार्य को शुरू करते ही आय शुरू नहीं हो जाती, इसलिए ऋणी को जेस्टेशन अवधि अवश्य देनी चाहिए. इसके न होने से कई ऋण एन.पी.ए. हो जाते हैं.
- अदायगी अवधि सही निर्धारित होनी चाहिए. कम एवं ज्यादा अवधि कई बार एन.पी.ए. का कारण बन जाती है.
- वसूली के समय हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए.
- प्राकृतिक आपदा के कारण यदि सरकार वसूली स्थगित करती है तो हमें ऋण खाते को रीशिड्यूल करना चाहिए अथवा हमारा एन.पी.ए. बढ़ जाएगा.

अन्त में हम कह सकते हैं कि बैंक/शाखा को ऋण प्रदान करते समय पर्याप्त चौकसी बरतनी चाहिए, ताकि वह ऋण भविष्य में एन.पी.ए. न हो जाए तथा बैंक की लाभप्रदता बनी रहे.

निधि सोनी

पूर्व चेतावनी संकेत - एनपीए रोकने के प्रभावी साधन

एन.पी.ए. (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) अर्थात् गैर निष्पादक आस्तियाँ बैंक के लिए दुधारी तलवार की तरह होती हैं. एन.पी.ए. का सीधा - सीधा असर बैंक की लाभप्रदता पर पड़ता है. जहां एक ओर एनपीए के रूप में पहचान किए गए खातों पर बैंक को अपनी बहियों में प्रावधान करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे खातों पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जा सकता है. इस कारण ब्याज-आय प्रतिकूलतया प्रभावित होती है.

खाते एनपीए कब होते हैं ?

| ऋण का प्रकार | एन पी ए कब होता है? |
|--|---|
| मियादी ऋण/टर्म लोन | जब ब्याज और मूलधन की किस्त की राशि 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती है. |
| कैश क्रेडिट / ओवर ड्राफ्ट या नकद जमा / अतिदेय | यदि खाता 90 दिनों तक 'अनियमित' रहे. |
| खरीदे हुए / बट्टाकृत बिल (Bills purchased and discounted) कृषि अग्रिम | यदि 90 दिनों अथवा अधिक अवधि के लिये अतिदेय शेष है. मूलधन और ब्याज की राशि की किस्त, यदि दो फसलों के मौसम तक कम अवधि की फसलों के लिये एवं लंबी अवधि की फसलों के एक मौसम के लिये अतिदेय हो . |

तकनीकी कारणों के परिणामस्वरूप हुए एन.पी.ए. :

-तदर्थ सीमा - नियत तिथि के 180 दिनों के अंदर यदि नियमित अथवा तदर्थ सीमा की समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया हो.

-180 दिनों से अधिक स्टॉक/बही ऋण स्टेटमेंट के विरुद्ध आहरण किया गया हो.

हमारे बैंक द्वारा इस स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. बैंक द्वारा ईएएस एवं एसएमए के रूप में खातों की पहचान की जाती है एवं ऐसे खातों पर विशेष ध्यान देकर अनुश्रवण किया जाता है, ताकि इन्हें एनपीए होने से बचाया जा सके. इसी प्रकार बैंक द्वारा एनपीए खातों को सिस्टम से भी जनरेट किया जा रहा है और ऐसे खातों का विशेष रूप से अनुश्रवण कर उन्हें एनपीए होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है. कुछ खाते तकनीकी कारणों से एन पी ए हो जाते हैं, जबकि कुछ खातों में ब्याज एवं किश्तें नियमित रूप से जमा न होने एवं परिणामस्वरूप अतिदेय होने के कारण खाते एन.पी.ए. हो रहे हैं. ऐसे खातेदारों से नियमित रूप से अनुश्रवण कर इन्हें एन.पी.ए. होने से बचाया जा सकता है.

हमारे बैंक द्वारा मॉक रन के माध्यम से सूची जनरेट की जा रही है और यह पता किया जा रहा है कि ऐसे कौन से खाते हैं, जिनका विशेष अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है. ऐसे खातों को मॉक रन में आते ही एन.पी.ए. के रूप में स्लिपेज से बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस प्रकार इन खातों को एनपीए होने से बचाया जा रहा है.

कोई भी खाता रातों-रात खराब नहीं हो सकता है. ऐसे खातों में कई तरह के संकेत काफी पहले से ही आने प्रारंभ हो जाते हैं. लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकेतों को महसूस किया जाये/पहचाना जाए और समय रहते सुधारात्मक कदम भी उठाये जाएं, ताकि खाते को स्लिपेज से बचाया जा सके. ऐसे संकेतों को निम्न आधार पर पहचाना जा सकता है:

1. मार्जिन की राशि हेतु अनियोजित तरीके से उधार लेना
2. मंजूरी की शर्तों का पालन न करना
3. ब्याज की राशि के भुगतान को 15 दिनों से भी अधिक समय तक बकाया रखना
4. 30 दिनों से भी अधिक समय तक किश्तें अतिदेय रहना
5. वित्तीय कारणों से चेक वापस होना
6. पार्टि द्वारा सभी संव्यवहारों को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से बैंक खाते के

माध्यम से नहीं किया जाना. बैंक के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त लिए बिना कलेक्शन खाता किसी अन्य बैंक में प्रारंभ करना

7. बिल्स परचेस्ट्र खाले में बकाया लंबित रहना
8. बैंक के माध्यम से वसूली हेतु प्रेषित बिलों का देय दिनांक के पश्चात् भी बकाया रहना. ऐसे बिलों का बारम्बार वापस आना अथवा राशि की वसूली न होना
9. वर्किंग कैपिटल लिमिट का लगातार अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाना
10. स्टॉक स्टेटमेंट एवं अन्य आवधिक विवरणों की प्रस्तुति में अनावश्यक विलंब करना
11. खाले में सीमा से अधिक आहरण/अतिरिक्त सीमा स्वीकृत करने अथवा ब्याज/किश्त जमा करने हेतु समय बढ़ाने का लगातार अनुरोध करना.
12. उधारकर्ता द्वारा बैंक के साथ पारदर्शिता का अभाव/बैंक अधिकारियों से मिलने से बचना.
13. स्टॉक स्टेटमेंट में अनपेड स्टॉक का उल्लेख नहीं करना अथवा बुक डेट विवरण में बुक डेट की अवधि का उल्लेख नहीं करना.

ऐसे चेतावनी सिगनल्स, जोकि यूनिट का निरीक्षण कर अथवा उधारकर्ता, उसके कर्मचारियों से चर्चा कर या बाजार में पूछताछ कर या फिर बैंकर साथियों से चर्चा कर नोटिस किए जा सकते हैं:-

1. प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में विलंब
2. अव-मानक मशीनें अथवा ऐसी मशीनें स्थापित करना, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट/अनुमोदित कोटेशन के अनुसार नहीं हैं
3. प्लांट एवं मशीनरी बार-बार बंद होते हों
4. पूर्ण क्षमता एवं/अथवा प्रोजेक्टेड स्तर से कम उत्पादन/निर्माण
5. श्रमिक समस्या और निर्माण/उत्पादन में बार-बार रुकावट आना
6. स्पेयर पार्ट्स/प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध न होना
7. बैंक को सूचित किए बिना अनियोजित मर्दों का उत्पादन करना
8. बैंक की जानकारी के बिना महत्वपूर्ण प्लांट एवं मशीनरी का निपटान करना/बदलना

28 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

9. विक्रय में लगातार गिरावट की प्रकृति
10. प्रोसेस स्तर/फाइनल स्तर/विक्रय पश्चात् अधिक से अधिक रिजेक्शन
11. सांविधिक देयताओं के भुगतान में चूक अथवा विलंब
12. वर्किंग कैपिटल का पूंजीगत व्ययों अथवा अन्य कार्यों के लिए विपथन (डायवर्सन)
13. देनदारों एवं लेनदारों में बहुत अधिक वृद्धि
14. इनवेंटरी में वृद्धि
15. उद्योग विशेष में सामान्य गिरावट दर्ज होना
16. अपने ग्राहकों, लेनदारों, कर्मचारियों आदि के द्वारा कंपनी के विरुद्ध विधिक प्रकरण दर्ज किया जाना
17. उपयुक्त वित्तीय टाई-अप के बिना, अल्प समय में अनुचित विस्तार किया जाना
18. प्रबंधन समूह में बार-बार एवं अचानक परिवर्तन करना/प्रबंधन के बीच आपसी विवाद रहना
19. लाभप्रदता कम होना/यूनिट द्वारा घाटा दिखाया जाना
20. एक मात्र अथवा कुछ थोड़े से खरीदारों पर निर्भरता/ अपने उत्पाद के लिए कोई वैकल्पिक बाजार उपलब्ध न होना
21. प्रदूषण नियंत्रण, श्रम कल्याण विभाग, आयकर विक्रय कर/ चुंगी/आबकारी विभाग आदि जैसे सांविधिक निकायों से उधारकर्ता के विरुद्ध धमकियाँ प्राप्त होना
22. रिकॉर्ड का हिसाब ठीक न होना अथवा संदिग्ध होना
23. योजना का अभाव/सही योजना का अभाव
24. उधारकर्ता/संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल मार्केट रिपोर्ट
25. महत्वपूर्ण ग्राहक छूट जाना

बैंक द्वारा अवधि एवं देय राशियों की वसूली क्षमता के आधार पर गैर निष्पादित रही आस्तियों को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया गया है:-

- **अवमानक आस्तियाँ (सब-स्टैंडर्ड असेट्स):** ये वे आस्तियाँ हैं, जो 1 वर्ष अथवा एक वर्ष से कम अवधि के लिये एनपीए हो चुकी हैं।
- **संदिग्ध आस्तियाँ (डाउटफुल असेट्स):** वे आस्तियाँ जो एक वर्ष की अवधि के लिये अवमानक आस्तियों के वर्ग में रही हैं, उन्हें संदिग्ध आस्तियाँ कहा जाता है।
- **हानि आस्तियाँ (लॉस असेट्स) :** ये वे आस्तियाँ हैं जिन्हें, बैंक द्वारा, आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों अथवा आर बी आई निरीक्षकों द्वारा हानि आस्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है, किन्तु कुल राशि राइट ऑफ नहीं की गयी है।

ऋण निगरानी पॉलिसी :

बैंकिंग मुख्य रूप से अग्रिम और जमा की प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया है। बैंक को एनपीए खातों से बचाने के लिए ऋण चूककर्ता खातों को सही समय पर निगरानी द्वारा चिह्नित किया जा सकता है। ऋण निगरानी नीति का एक अहम कार्य, सही समय पर खातों को ऋण वापसी में चूक करने पर चिह्नित कर, उन्हें नोटिस/सूचना भेजा जाना है, ताकि वसूली कर खातों को सही समय पर एनपीए होने से बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से लैस (लेंडिंग ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम्स) में बड़ी संख्या में नोटिस जारी करने हेतु पृथक् से ऑप्शन मौजूद हैं। ये नोटिस केवल हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि सात क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेषित किए जा सकते हैं, जैसे - गुजराती, मराठी, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, तमिल एवं तेलुगु।

किसी भी चूककर्ता खाते से 90 दिन की अवधि तक मूलधन और ब्याज की राशि न वसूली जाने पर वो खाता एन पी ए हो जाता है। कोई भी खाता एन पी ए होने से पहले वसूली चूक होने पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

- **ईएएस - I:** अर्ली अलर्ट सिस्टम I - ऐसा खाता जिसकी वसूली 30 दिन से अधिक एवं 45 दिनों तक लंबित है, उसे ईएएस - I खाता कहते हैं।

- **ईएएस - II :** अर्ली अलर्ट सिस्टम II - ऐसा खाता जिसकी वसूली 45 दिन से अधिक एवं 60 दिनों तक लंबित है, उसे ईएएस - II खाता कहते हैं।

- **एसएमए** - स्पेशल मेशन अकाउंट - ऐसा खाता जिसकी वसूली 60 से 90 दिनों तक लंबित है, उसे एसएमए खाता कहते हैं।

लोन डिफाल्ट क्या होता है ?

| निधि आधारित | | | | गैर- निधि आधारित | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| ब्याज/किश्त/खरीदे गए बिल अथवा बट्टागत/पैकिंग क्रेडिट/क्रियाशील पूंजी सीमा/ एडहॉक सीमा का समायोजन करना. | | | | साख पत्र / बैंक गारंटी / डीपीजीएल किश्त/ अन्य गैर निधि आधारित वचनबद्धता/ डेरिवेटिव्स, क्रेता की साख, उधार, अग्रसारित अनुबंध, इत्यादि | | | |
| कोई डिफाल्ट (चूक) नहीं. 30 दिनों तक की अवधि तक के लिए डिफाल्ट | डिफाल्ट की अवधि निम्न में से जिस श्रेणी में हो | | | कोई डिफाल्ट नहीं | हस्तांतरित होना (डिवॉल्ड)/ इनवोक किये गये परंतु असमायोजित | | |
| | 30 से 45 दिनों तक | 45 से 60 दिनों तक | 60 से 90 दिनों तक | | 15 दिनों तक | 16 दिनों से 30 दिनों तक | 31 दिनों से 90 दिनों तक |
| स्टैंडर्ड | ईएएस-I | ईएएस-II | एसएमए | स्टैंडर्ड | ईएएस-I | ईएएस-II | एसएमए |

इन सभी पूर्व चेतावनी संकेतों को भांप कर, सही समय पर खातों का अनुश्रवण कर उन्हें एनपीए होने से बचाया जा सकता है. साथ ही एनपीए होने वाले खातों की संख्या में कमी लायी जा सकती है.

हृषीकेश मिश्र

एनपीए का बैंक के तुलनपत्र पर प्रभाव

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी बैंकिंग पद्धति पर निर्भर करती है. देश की अर्थव्यवस्था का विकास बैंकिंग उद्योग के विकास के साथ जुड़ा हुआ है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाज के सभी कार्य-कलाप बैंकिंग उद्योग से जुड़े हुए हैं. अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंकिंग पद्धति को मजबूत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती. बैंकिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें आम जनता से माँग किए जाने पर भुगतान योग्य जमा राशि इस आशय से संग्रहीत की जाती है कि इसका उपयोग ऋण या निवेश में किया जा सके. बैंक की जमा राशि उन क्षेत्रों तथा ग्राहकों से संग्रहीत की जाती है, जिनके पास अपनी जरूरत से अधिक या भविष्य में उपयोग करने हेतु धन होता है तथा इन धनराशियों का ऋण के रूप में धनाभाव के क्षेत्रों एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों तथा नए उद्योग, व्यवसाय, आदि में उपयोग किया जाता है. इस तरह बैंक के तुलनपत्र में ग्राहकों से संग्रहीत किया गया धन देयता है, जिसका उनके द्वारा माँग किए जाने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाता है. उन राशियों का उपयोग ऋण एवं निवेश करने में किया जाता है, जो तुलनपत्र की आस्तियों का सबसे बड़ा भाग हैं. सबसे पहले बैंक एक उधारकर्ता है, उसके बाद ऋणप्रदानकर्ता. बैंक को जमाकर्ता द्वारा जमा किया गया मूलधन एवं इस पर देय ब्याज का भुगतान उनके द्वारा कहीं भी कभी भी माँग किए जाने पर किया जाता है. भुगतान में किसी प्रकार की देर कल्पना के परे है. इस प्रकार बैंक को ऋण प्रदान करते समय, अपने जमाकर्ता के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि गुणवत्तायुक्त आस्तियों का निर्माण हो सके और मजबूत परियोजनाओं के फलस्वरूप रोजगार का सृजन हो सके एवं आय का स्रोत निरंतर बना रहे.

बैंक आज ऋणप्रदायी संस्था का पर्याय बन चुका है. ऋण, निवेश संस्कृति को जन्म देता है तथा प्रवर्तक नए एवं बड़ी परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रलोभित एवं उत्प्रेरित होते

हैं। इस प्रकार नई परियोजनाओं में निवेश कर न केवल परिसंपत्ति का सृजन, बल्कि रोजगार के अवसर, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा स्वस्थ, सुंदर एवं अनुशासित समाज का निर्माण होता है। स्वस्थ एवं मजबूत अर्थव्यवस्था हेतु आज देश में अच्छी ऋण संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। ऋण बैंक की आस्तियों का सबसे बड़ा भाग है एवं बैंक की लाभप्रदता पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर है, जो कि आय का सबसे बड़ा स्रोत है।

बैंकों के लिए आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किश्तों के भुगतान के आधार पर आस्तियां दो प्रकार की होती हैं - अर्जक या मानक आस्ति तथा अनर्जक आस्ति। जिन ऋण खातों में निर्धारित किश्त एवं ब्याज का तय समय सीमा के अंदर ग्राहक के द्वारा भुगतान किया जाता है, उसे मानक आस्ति कहते हैं एवं इन खातों से ब्याज के रूप में बैंक आय का उपार्जन करता है। जिन ऋण खातों में निर्धारित किश्त एवं ब्याज के भुगतान में नब्बे दिनों से अधिक की देर होती है, उन्हें अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत कर दिया जाता है तथा इन खातों से ब्याज के रूप में मिलने वाली आय का प्राप्त होना बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, इन खातों की शेष बकाया राशि पर बैंकों द्वारा अपने आय खातों से प्रावधान करना पड़ता है, जिससे न केवल बैंकों का धन अवरुद्ध हो जाता है, बल्कि इनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस प्रकार अनर्जक आस्तियां दुधारी तलवार की तरह काम करती हैं।

अनर्जक आस्तियां देश की अर्थव्यवस्था के विकास की सबसे बड़ी बाधक हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसके दुष्परिणाम का शिकार है। इससे बैंक, अर्थव्यवस्था, उधारकर्ता, जमाकर्ता, बैंक तथा प्रवर्तक के यहाँ कार्यरत कर्मचारी एवं आम जनता, आदि सभी इसके प्रकोप के शिकार हैं।

अनर्जक आस्तियों का बैंक के तुलनपत्र पर प्रभाव :

तुलनपत्र किसी भी संस्था की तस्वीर एवं आईने की तरह है, जिससे उसकी नब्ज को जाना जा सकता है। अनर्जक आस्तियों का स्तर बैंक की मजबूती एवं स्वास्थ्य का प्रतीक है। इनका स्तर बैंकों के कार्य-निष्पादन को दर्शाता है तथा इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तुलन पत्र पर पड़ता है, जो इस प्रकार है:

1. **आय:** ऋण खाते को अनर्जक आस्तियों की श्रेणी में वर्गीकृत करने के तत्काल बाद से ब्याज के रूप में आय का प्राप्त होना बंद हो जाता है तथा इन खातों की शेष बकाया राशि पर एक निश्चित धनराशि का प्रावधान किया जाता है, जो अन्य

आस्तियों द्वारा अर्जित की गयी आय को नामे कर की जाती है. इस प्रकार आय में प्रत्यक्ष रूप से कमी होती है.

2. **प्रावधानीकरण** : अनर्जक आस्तियों को हानि मानकर इन खातों के शेष बकाया राशि पर अनिवार्य रूप से विशिष्ट प्रावधान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है एवं प्रावधान आवरण अनुपात न्यूनतम सत्तर प्रतिशत बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि भविष्य की विषम परिस्थिति में बैंक किसी भी प्रकार के झटके को सहन कर सके. बैंकों के सुदृढीकरण की दृष्टि से प्रावधानीकरण एक सशक्त उपाय है. एनपीए खातों को उनकी अवधि एवं वसूली की संभावना के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अनुसार उस पर प्रावधान किया जाता है. यह इस प्रकार है:-

- क) **अवमानक आस्ति**: जो ऋण खाता 12 महीने या इससे कम की अवधि के लिए एनपीए खाते में बना रहता है, उसे अवमानक आस्ति कहते हैं. इन खातों की बकाया राशि पर प्रतिभूति की उपलब्धता के अनुसार 15 से 25 प्रतिशत तक का प्रावधान किया जाता है.
- ख) **संदिग्ध आस्ति**: किसी भी आस्ति के अवमानक आस्ति के रूप में 12 महीने तक रहने के पश्चात् इसे संदिग्ध आस्ति में वर्गीकृत कर दिया जाता है. इन खातों की बकाया राशि पर इनकी अवधि एवं प्रतिभूति की उपलब्धता के अनुसार 25 से 100 प्रतिशत तक का प्रावधान किया जाता है.
- ग) **हानि आस्ति**: आंतरिक, बाह्य या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान पहचान किए गए खाते एवं जिन आस्तियों की प्रतिभूतियों का मूल्य बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम हो, उन्हें हानि आस्तियों में वर्गीकृत कर दिया जाता है. इन खातों पर 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है.

इस प्रकार आय का बहुत बड़ा भाग प्रावधान करने में लग जाता है, जिससे पूंजी निर्माण, लाभप्रदता आदि प्रभावित होते हैं.

3. **लाभप्रदता**: अनर्जक आस्तियों का स्तर अधिक होने के कारण न केवल ब्याज आय में कमी होती है, बल्कि अर्जित आय से प्रावधान भी करना पड़ता है, जो लाभप्रदता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है.

34 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

4. **बैंक पूंजी:** बासेल-2 एवं बासेल-3 के अनुसार बैंकों को उनके आस्तियों के स्तर के अनुसार न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानक बनाए रखना पड़ता है। अनर्जक आस्तियों का स्तर बढ़ने से बैंकों की पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात् इसके स्तर के अनुसार बैंकों को पूंजी का स्तर अधिक बनाए रखना पड़ता है। आय में कमी के फलस्वरूप लाभप्रदता में कमी आती है। परिणामतः पूंजी निर्माण में बाधा पहुँचती है, अर्थात् शुद्ध लाभ के कम होने से पूंजी निर्माण में बाधा पहुँचती है तथा बैंकों को अन्य स्रोतों से उच्च लागत की पूंजी पर आश्रित होना पड़ता है।
5. **ऋण पर प्रतिफल:** उच्च स्तर की अनर्जक आस्तियों के होने से ऋण के प्रतिफल में कमी आना स्वाभाविक है। उच्च अनर्जक आस्तियों के कारण इनसे ब्याज के रूप में आय का आना बंद हो जाता है तथा अर्जक आस्तियों के स्तर में कमी होने पर ब्याज आय प्रभावित होती है।
6. **मुद्रा पुनर्चक्रण:** निधि के अवरुद्ध हो जाने से इसका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता एवं इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर नहीं किया जा सकता है।
7. **तरलता:** अनर्जक आस्तियों के बढ़ने से धन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बैंक में धन की उपलब्धता प्रभावित होती है।
8. **आस्ति-देयता प्रबंधन:** बैंक की जमाराशियों का मांग करने पर भुगतान किया जाता है, चाहे उन्हें किसी भी परिपक्वता अवधि के लिए संग्रहीत किया गया हो। अनर्जक आस्तियों में धन के अवरुद्ध होने पर, आस्ति एवं देयता की परिपक्वता परपर असंतुलन होने से, इसके प्रबंधन का मूल्य महंगा हो जाता है। बैंक द्वारा अधिक दर पर अन्य स्रोतों से उधार लेकर जमाकर्ताओं को भुगतान, तथा मौजूदा एवं नए उधारकर्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इन आस्तियों में अवरुद्ध धन के भविष्य में वसूल होने की संभावना के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
9. **निधि लागत:** धन के अवरुद्ध होने के कारण, वर्तमान एवं नए उधारकर्ताओं की जरूरतों तथा जमाकर्ताओं की मांग की समय पर पूर्ति हेतु, बैंकों को अन्य स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है। बैंक बाजार से उच्च ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण लेकर धन की उगाही करता है। धन के अवरुद्ध होने के कारण जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज दर को कम कर तथा ऋण पर ब्याज बढ़कर निवल ब्याज मार्जिन बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार निधि लागत में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होती है।

10. **नए व्यवसाय में कमी:** अनर्जक आस्तियों का स्तर अधिक होने के कारण बैंकों को मिलने वाले नये व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक की सारी ऊर्जा एवं समय अनर्जक आस्तियों की वसूली में लग जाता है, जिससे उसके पास नई परियोजनाओं एवं ग्राहकों से जुड़ने हेतु समय नहीं बच पाता है। अर्जक आस्तियाँ अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन जाती हैं एवं बैंक से ऋण लेकर जिसका व्यवसाय फलता-फूलता है, वे इसे अपने लिए शुभ मानते हैं तथा उनसे प्रोत्साहित होकर दूसरे लोग भी बैंक से जुड़ना चाहते हैं। बैंकों में अनर्जक आस्तियों के बढ़ने का प्रमुख कारण परियोजनाओं का फेल होना है, जिससे नई परियोजनाओं के लगाने या इनमें निवेश करने से लोग परहेज करने लगते हैं। इस प्रकार अनर्जक आस्तियों के कारण और नई आस्तियों का सृजन नहीं होने से, तुलनपत्र सिकुड़ने लगता है। अनर्जक आस्तियों के बढ़ने से निवेशकों एवं आम जनता का बैंक में विश्वास कम होने लगता है एवं इसका प्रभाव बैंक के जमा संग्रहण पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।
11. **व्यय:** अनर्जक आस्तियों के रखरखाव, अनुश्रवण तथा वसूली में बैंकों का काफी मात्रा में जनबल, धन, समय एवं ऊर्जा का क्षय होता है, जिन्हें अन्यथा नए व्यवसाय एवं अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। अनर्जक आस्तियों की वसूली हेतु बैंक को कई तरह के कानूनी एवं अन्य तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिसके कारण समय एवं जनबल के साथ-साथ अधिक मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए का प्रभाव बैंकिंग की सबसे महत्वपूर्ण एवं विकट समस्याओं में से एक है। एनपीए स्तर का बढ़ना बैंकों के तुलनपत्र के प्रत्येक खण्ड को कुप्रभावित करता है, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार एवं लाभप्रदता बनाए रखते हुए एनपीए का प्रभावी रूप से प्रबंधन करना आज बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाये रखना हमेशा की तरह बैंकों का एक प्रमुख कार्य है एवं यह बैंकों के लिए आज के अत्यंत गतिशील वातावरण में सबसे बड़ी चुनौती है।

आस्ति गुणवत्ता यद्यपि बैंक विशेष के लिए तुलनपत्र को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि बैंक की समस्त गतिविधि एवं व्यवसाय को भी प्रभावित करती है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इससे संबंधित जोखिम पर काबू पाने के लिए बैंकों को सुनियोजित एवं प्रभावी ऋण निगरानी पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। कहा भी गया है - “इलाज से परहेज बेहतर है”। ऋण स्वीकृति एवं आस्ति सृजन करते समय बैंक

36 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

को चाहिए कि यथोचित परिश्रम कर परियोजनाओं तथा उधारकर्ताओं का चुनाव करे, ताकि आस्तियां जीवनपर्यंत सक्षम बनी रहें, जिससे न केवल बैंक, बल्कि परियोजनाओं से जुड़े हर व्यक्ति, समाज एवं देश को इसका लाभ मिलता रहे.

संतोष श्रीवास्तव

एनपीए रोकना - सामूहिक जिम्मेदारी

आज एनपीए गहन चिंता का विषय बन गया है. यह बैंक के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि इससे बैंक की लाभप्रदता प्रतिकूलतया प्रभावित होती है. एक बैंकर के नाते वास्तव में एनपीए रोकना केवल शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि यदि प्रत्येक स्टाफ सदस्य अपने स्तर पर प्रयास करे और सामूहिक जिम्मेदारी ले तो एनपीए को काफी हद तक रोका जा सकता है.

एनपीए के सभी पहलुओं पर गंभीरता से जब हम विस्तृत विवेचन करेंगे, तभी हम सामूहिक जिम्मेदारी भी समझ सकेंगे.

खाते एनपीए होने के कारण:

- सामान्यतः ऋण प्रस्तावों एवं खातों में बैंक की निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदण्डों में कहीं चूक अथवा अभाव रह जाता है, इससे खाते एनपीए हो जाते हैं.
- खातों में ब्याज एवं किश्तें नियमित रूप से जमा नहीं होती हैं, जिसके कारण, अतिदेय होने से खाते एनपीए हो जाते हैं.
- खातों के ड्यू डिलिजेंस पर ध्यान नहीं देने के कारण खाते एनपीए हो जाते हैं.

एनपीए रोकने के लिए ऋण विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी:

- ❖ शाखा में पदस्थ ऋण विभाग के प्रभारी एवं/अथवा शाखा प्रमुख की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह खाते को एनपीए होने से बचाने हेतु हर संभव कोशिश करे. यदि ऋण विभाग के अधिकारी को किसी खाते में कोई अनियमितता दिखाई देती है तो शाखा प्रबंधक तत्पश्चात् उच्च अधिकारियों को सूचित करेगा.
- ❖ इसी तरह यदि कोई खाता स्लिपेज के कारण एनपीए हो जाता है तो ऐसे खाते

को ईएएस/एसएमए के रूप में पहचान करके/खाते की समीक्षा एवं नवीकरण के समय नोट पर स्पष्ट टिप्पणी की जाए कि खाता ईएएस/एसएमए कितनी बार/किन कारणों से हुआ है तथा अनियमितताओं को ठीक करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जाये.

- ❖ यदि कोई खाता ईएएस/एसएमए के अंतर्गत है तो ऐसे खाते में एक्सेस की अनुमति देने का अधिकार केवल अगले उच्चाधिकारी को प्राप्त है और यदि एक्सेस दे दिया गया है तो इसकी रिपोर्टिंग अगले उच्चाधिकारी को की जाए.

ऋण खातों को एनपीए से बचाने के लिए अन्य

महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें:

ड्यू डिलिजेंस

ऋण खाता एनपीए होने के अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण खाते के ड्यू डिलिजेंस पर ध्यान नहीं देना है. वास्तव में ड्यू डिलिजेंस का अर्थ होता है कि “जब हम किसी ऋण खाते की प्रोसेसिंग करते हैं, तब स्वविवेक से ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएं, जिससे बैंक के हित सर्वोपरि रहें एवं खाते के एनपीए होने के मौके न्यूनतम अथवा नगण्य कर दें”.

सामूहिक जिम्मेदारी के अंतर्गत यदि ऋण प्रोसेस एवं स्वीकृति के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये तो खाता एनपीए होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं:

- संबंधित पार्टियों/साझेदारों/निदेशकों के बारे में बाजार में पूछताछ की जाये एवं उनकी प्रतिष्ठा के बारे में पूरी जानकारी ली जाये, इस बारे में शाखा के समस्त कर्मचारियों का सहयोग लिया जाये.
- निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाये, इसके अंतर्गत ऋण मंजूरी के पहले एवं ऋण मंजूरी के बाद पार्टियों के संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाये.
- यदि ऋणी ने पहले किसी अन्य बैंक से भी ऋण ले रखा है तो उसकी जानकारी सिबिल साइट से ली जाये. इस संबंध में हाल ही में निम्न दिशा-निर्देश भी सरकार ने जारी किये हैं:-
 - ❖ सरकार चाहती है कि बैंकों से गलत ऋण नहीं लिये जा सकें और लिये गये ऋण एनपीए न हों. इसके लिए सरकार का यह प्रयास है कि कोई व्यक्ति पहले से ऋण ली गई संपत्ति पर फिर से किसी अन्य बैंक अथवा संस्था से ऋण नहीं ले सके. इसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्युराइटीशन

एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सेक्युरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया [सरसाई] और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड [सिबिल] के बीच एक समझौता हुआ है। अब इन दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट बैंक को बहुत कम शुल्क पर प्राप्त हो जायेगी।

- ❖ इससे बैंक संपत्ति को गिरवी रख कर ऋण देने से पहले सरसाई और सिबिल से रिपोर्ट ले कर यह पता लगा लेगा कि इस संपत्ति पर किसी अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण तो नहीं लिया गया है तथा सिबिल की रिपोर्ट में ऋण लेने वाले के फाइनेंशियल ट्रैक रिकार्ड की जानकारी मिल जायेगी।
- ❖ अब तक ऋणी द्वारा किसी संपत्ति को इक्विटेबल मार्गज कर कई बैंकों से ऋण लेने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिससे बैंकों में धोखाधड़ी एवं खातों के एनपीए होने की घटनाएं बढ़ी हैं, अब सरसाई एवं सिबिल की व्यवस्था से इस पर रोक लग सकेगी। अब सरसाई की रिपोर्ट से यह मालूम हो जायेगा कि संबंधित संपत्ति पर पहले कभी कहीं से ऋण लिया गया है अथवा नहीं। इसी के साथ सरफेसी एक्ट 2002 में भी यह प्रावधान किया गया है कि किसी संपत्ति को गिरवी रख कर ऋण देने पर, इसकी सूचना सरसाई को देना आवश्यक है। यहां शाखा प्रबंधक एवं ऋण विभाग के स्टाफ की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह इस बाबत सजग रहे एवं निर्देशों का पालन करे।
- ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया उधारकर्ता की पहचान एवं चयन से आरंभ होती है। इसमें निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है:
 - ✓ क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों / संस्थानों से संबंधित उधारकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
 - ✓ उधारकर्ता के वर्तमान बैंकर से साख रिपोर्ट प्राप्त करना।
 - ✓ उधारकर्ता के ट्रैक रिकार्ड एवं पूर्व चालचलन आदि के बारे में जानकारी लेना।
 - ✓ उधारकर्ता के कारोबार के आपूर्तिकर्ताओं/क्रेताओं एवं कर्मचारियों से संस्थान की साख के बारे में जानकारी लेना।

40 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- ✓ रेटिंग देने वाली संस्थाओं से, संबंधित उधारकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना.
- ✓ वित्तीय विवरणों/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/संपत्ति के मूल्यांकन आदि की जांच करना.
- ✓ ईसीजीसी की विशेष अनुमोदित सूची/भारतीय रिजर्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची/भारतीय रिजर्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची आदि की गहनता से जांच करना.
- ✓ उधारकर्ता से व्यक्तिगत भेंट एवं उसका विस्तृत साक्षात्कार लेना.
- ड्यू डिजिलेंस उधारकर्ता पर ही नहीं किया जाए, अपितु बंधक के लिए प्रस्तावित संपत्ति/बंधककर्ता और गारंटर पर भी किया जाना आवश्यक है. इसके अंतर्गत इनसे केवाईसी का कड़ाई से पालन करवाया जाये एवं बंधक संपत्ति के स्वामित्व/कब्जा [पो.ज़ेशन]/मूल्यांकन/विपणनीयता आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये.
- उधारकर्ता के ऋण प्रकरण में भौतिक [फिजिकल] सत्यापन प्रोसेसिंग करने वाले अधिकारी के अलावा किसी अन्य बैंक अधिकारी से करवाये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
- उधारकर्ता के बारे में, उधारकर्ता से जुड़े सभी बैंकों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं अपने पास उपलब्ध सूचना उन्हें देनी चाहिए, ताकि प्रकरण के वास्तविक तथ्य उजागर हो सकें.
- कृषि अग्रिमों के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों के लिए ऋण मंजूरी पूर्व निरीक्षण किये जायें, केवाईसी मानदण्डों का पालन करवाया जाये एवं संबंधित व्यक्ति के गाँव में निवास/प्रतिष्ठा आदि के बारे में पूछताछ की जाये. इसके अलावा आस्ति सत्यापन, कृषि उत्पाद की बिक्री, वसूली, अनुवर्ती कार्रवाई हेतु खाते का ऋण वितरण के बाद अर्ध-वार्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिए, इस कार्य के लिए भी सभी को सहयोग करना वांछनीय है.
- बैंक "मॉक रन" के माध्यम से सिस्टम में सूची जेनरेट कर रहे हैं, जिससे यह मालूम किया जा सके कि ऐसे कौन से खाते हैं, जिनका विशेष ध्यान रखा जाना है. ऐसे खातों को मॉक रन में आते ही एनपीए के रूप में स्लिपेज होने से बचाने के प्रयास किये जाते हैं और इन्हें एनपीए होने से बचाया जाता है, अतः यहां सामूहिक सजगता आवश्यक है.

ऋण खाता एनपीए होने के पूर्व चेतावनी संकेत और सामूहिक जिम्मेदारी :

कोई भी खाता अचानक खराब नहीं होता है. इस तरह के खातों में पूर्व में कुछ संकेत प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं. अब यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इन संकेतों से खतरे का आभास होने एवं इन्हें चेतावनी संकेत मानते हुए, यथेष्ट समय पूर्व सुधारात्मक कदम उठाये जाएं, जिससे खाता स्लिपेज होने से बचाया जा सके. यह संकेत निम्न हो सकते हैं:

- 0 उधारकर्ता द्वारा आरंभ से ही अथवा कुछ समय बाद मंजूरी शर्तों का पालन नहीं करना.
- 0 मार्जिन की राशि के लिए अनियोजित तरीके से उधार लेना.
- 0 ब्याज की राशि के भुगतान को 15 दिनों से भी अधिक समय तक बकाया रखना.
- 0 30 दिन से भी अधिक समय तक किश्तों का भुगतान नहीं करना.
- 0 वित्तीय कारणों से उधारकर्ता के चेक वापिस होना.
- 0 उधारकर्ता द्वारा संव्यवहारों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बैंक खाते के माध्यम से नहीं करते हुए, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी अन्य बैंक के खाते से संग्रहण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू करना.
- 0 बिल्स परचेस्ड खाते में बकाया लंबित रहना.
- 0 बैंक के माध्यम से वसूली हेतु प्रेषित बिलों का देय तिथि के बाद भी बकाया रहना एवं ऐसे बिलों का बार-बार वापिस आना और/अथवा राशि की वसूली नहीं होना.
- 0 वर्किंग केपिटल लिमिट का लगातार अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाना.
- 0 स्टॉक स्टेटमेंट एवं अन्य आवधिक विवरण की प्रस्तुति में अनावश्यक विलंब करना.
- 0 खाते में सीमा से अधिक आहरण/अतिरिक्त सीमा स्वीकृत करने या ब्याज / किश्त जमा करने हेतु समय बढ़ाने का बार-बार अनुरोध करना.
- 0 उधारकर्ता द्वारा बैंक के साथ छल-कपट पूर्ण व्यवहार करना एवं बैंक अधिकारियों से मिलने से बचने हेतु बार-बार बहाने बनाना.
- 0 स्टॉक स्टेटमेंट में अनपेड स्टॉक का उल्लेख नहीं करना अथवा बुक डेट विवरण में बुक डेट की अवधि का उल्लेख नहीं करना.

इसके अलावा खाते के एनपीए होने से पहले कुछ **भौतिक चेतावनी संकेत** भी प्राप्त होते हैं, इस समय भी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सभी स्टाफ सदस्य उधारकर्ता की यूनिट का निरीक्षण, बाजार में चल रही चर्चा एवं संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की बातचीत से प्राप्त कर इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे सकते हैं. इसके अलावा सभी कर्मचारियों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे इस संबंध में निम्न बातों पर ध्यान दें, जिससे खाते के एनपीए होने के संकेत प्राप्त हो सकें एवं इस दिशा में समय रहते उचित कदम उठाये जा सकें:

- प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में देरी.
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट/अनुमोदित कोटेशन के अनुसार मशीनों को स्थापित नहीं करना.
- प्लांट एवं मशीनरी बार-बार बंद होना.
- उत्पादन/निर्माण, पूर्ण क्षमता से कम होना अथवा नहीं होना.
- उत्पादन/निर्माण में बार-बार रुकावट आना एवं श्रम समस्याएं पैदा होना.
- कच्चा माल/स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं होना.
- बैंक की जानकारी के बिना, निर्धारित मापदण्ड के अलावा कार्य/उत्पादन करना.
- बैंक की जानकारी के बिना प्लांट/मशीनरी को आंशिक रूप से अथवा पूरे प्लांट मशीनरी को बेचना/बदलाव करना अथवा बंद करना.
- विक्रय में लगातार गिरावट होना.
- सांविधिक देयताओं के भुगतान में चूक/विलम्ब होना.
- वर्किंग केपिटल का पूंजीगत व्ययों अथवा अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना.
- देनदारों एवं लेनदारों की राशि में बहुत अधिक अंतर आना.
- ग्राहकों/लेनदारों/कर्मचारियों आदि के द्वारा संस्थान के विरुद्ध विधिक प्रकरण दर्ज कराना.
- आर्थिक मंदी के कारण उद्योग/व्यवसाय में गिरावट.
- अनावश्यक माल का संग्रहण.
- प्रबंधक वर्ग में बार-बार एवं अनावश्यक परिवर्तन करना.
- प्रबंधन/कर्मचारी विवादों में वृद्धि.
- लाभप्रदता कम होना.
- यूनिट द्वारा घाटा दिखाया जाना.

- केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा, निर्धारित मापदण्डों/नियमों/शर्तों/निबन्धों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर नोटिस आदि प्राप्त होना.
- एक मात्र अथवा कुछ थोड़े से खरीदारों पर निर्भरता.
- उत्पाद के लिए कोई वैकल्पिक बाजार उपलब्ध नहीं होना.
- नियमित एवं महत्वपूर्ण ग्राहकों का संस्थान से दूर होना.
- संस्थान में निर्धारित एवं प्रभावी योजना का अभाव.

एनपीए से खातों को बचाने के लिए अन्य सामूहिक प्रयास:

ऋण खातों को स्वस्थ रखने/स्लिपेज से बचाने के लिए यह जरूरी है कि -

- उधारकर्ता से ऋण मंजूरी शर्तों/निबंधनों का कड़ाई से पालन करवाया जाये.
- उधारकर्ता के वास्तविक कार्य निष्पादन का अनुश्रवण किया जाये, जिसमें पार्टी के विक्रय, परिचालन, लाभ, इन्वेन्टरी, देनदारों का स्तर, नकदी प्रवाह, ब्रेक-इवन पाइंट आदि का विशेष ध्यान रखा जाये.
- यदि उधारकर्ता के प्रस्तुतीकरण [प्रोजेक्शन] एवं वास्तविक स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर हो तो ऐसे समय में उधारकर्ता द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए रिशेड्यूलिंग एवं रिस्ट्रक्चरिंग जैसे सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए.
- ऋण वितरण पूर्व एवं पश्चात् निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं कमियों से कोई समझौता नहीं किया जाये.
- खाते का संचालन नियमित रूप से हो, इसका ध्यान रखा जाये.
- नियमित अंतराल पर स्टॉक स्टेटमेंट पार्टी से प्राप्त किये जायें एवं उनका फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाये.
- स्टॉक आडिट एवं आडिट निरीक्षण रिपोर्ट की कमियों को तुरंत दूर किया जाये.
- खाते में यदि ब्याज अथवा किश्त की राशि अतिदेय हो गई है तो तुरंत उसकी वसूली की कार्रवाई की जाये.
- यदि खाते में सीमा से अधिक आहरण कर लिया गया है तो उसे तुरंत समायोजित करवाया जाये.
- वर्किंग कैपिटल के मामले में : ऋण मंजूरी शर्तों का अनुपालन करवाया जाये,

44 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

आहरण अधिकार की उपलब्धता देखी जाये, स्टॉक निरीक्षण/स्टॉक का मूवमेंट/स्टॉक निरस्तीकरण आदि पर ध्यान दिया जाये. स्टॉक का पर्याप्त बीमा किया जाए. खाते में असंबंधित नामे की गई प्रविष्टियों का पता लगाया जाए और बड़ी राशि के नकदी आहरणों की जांच की जाए.

- टर्म लोन के संबंध में : प्रोफार्मा इनवाइस प्राप्त की जाए/प्रमोटर्स के मार्जिन के साथ टर्म लोन का वितरण सीधे किया जाये/लागत में वृद्धि होने की स्थिति में वित्तीय व्यवस्थाएं की जायें/संस्थान के प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में स्वतंत्र एजेन्सियों जैसे: आर्किटेक्ट, कान्ट्रेक्टर, सी.ए. आदि से प्रमाण पत्र प्राप्त किये जायें.

इसके अलावा कई बार ऋणी, ऋण चुकाना तो चाहता है, परन्तु अनियोजन एवं मजबूरी के कारण वह समय पर ऋण नहीं चुका पाता है और खाता एनपीए हो जाता है. इस संबंध में ऋणी की भी यह जिम्मेदारी है कि वह ऋण लेने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ऋण चुकाने की व्यवस्था करे, यहां ऋण विभाग के कर्मचारी ऋणी को सलाह देकर निम्न उपाय करवा सकते हैं:

- अपने लोन खाते में एक से तीन महीने की ईएमआई एडवांस में जमा रखें, इससे आपात परिस्थितियों से निपटने में आसानी रहेगी.
- अचानक हुए बड़े लाभ को लोन एकाउंट में डालें, इससे नियत समय पर ऋण की किस्त का भुगतान किया जा सकेगा.
- एक अलग खाता खोलना लाभप्रद रहता है, जिससे लोन की अदायगी की जा सके. इससे लोन का रीपेमेंट नियंत्रण में रहती है और इस खाते में लोन एवं रीपेमेंट की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे आगामी योजना बनाने में आसानी होगी.

खातों के एनपीए होने से बैंकों को हानि:

- जिन खातों की एनपीए के रूप में पहचान की जाती है, उनके लिए बैंक को अपनी बहियों में प्रावधान करना पड़ता है, जिससे बैंक का तुलनपत्र प्रभावित होता है एवं लाभ में कमी आती है.
- एनपीए खातों पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जा सकता है, जिससे बैंक की ब्याज आय कम होती है.

खातों के एनपीए होने से बैंक को तो उक्त हानि होती ही है, साथ ही बैंक की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है. इसलिए खातों को एनपीए से बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है. इसके लिए बैंकों में प्रत्येक स्तर पर सतर्कता जरूरी है तथा प्रत्येक खाते का सूक्ष्म अनुश्रवण भी विशेष महत्व रखता है. इस तरह से यदि सामूहिक प्रयास किये जायें तो निश्चित रूप से भविष्य में एनपीए में कमी आयेगी.

एस.के. शुक्ला

प्रभावी एनपीए प्रबंधन हेतु कार्यनीतियाँ

एनपीए एक दुधारी तलवार की तरह है, जो एक तरफ हमारी ब्याज से प्राप्त आय को रोक देती है, वहीं दूसरी ओर अर्जित आय को भी **प्रावधान रूपी दीमक** चट कर जाता है. इतना ही नहीं, इससे बैंक की साख को भी बट्टा लगता है. यद्यपि एनपीए अवश्यंभावी है, परंतु इसका **बढ़ता दानवाकार** चिंता का विषय है.

एनपीए प्रबंधन में मुख्य रूप से शामिल किए जाने वाले बिंदु -

- आस्ति गुणवत्ता के उत्तरोत्तर द्रास को रोकना अर्थात् स्लिपेज को रोकना
- शुरुआत में ही एनपीए खातों को अपग्रेड करने का प्रयास
- एनपीए खातों की वसूली के उचित उपाय - कानूनी व अन्य उपाय
- एक बारगी निपटान स्कीम
- राइट - ऑफ खातों में वसूली
- आस्तियों की बिक्री

एनपीए की ओर द्रुत गति से बढ़ते हुये खातों को स्लिपेज से बचाने के लिए कुछ निरोधक उपाय निम्नानुसार हैं -

1. अतिदेय राशि की वसूली समय से करने हेतु रणनीति बनाना
2. समय से ऋण खातों का नवीनीकरण एवं पुनरीक्षण करना
3. यदि उधारकर्ता किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऋण खाता ठीक से नहीं चला पा रहा है तो उसे ससमय पुनःसंरचित करना
4. फिनेकल से अकाउंट में हो रहे नियमित लेनदेन की गतिविधि पर नजर रखना

5. उधारकर्ता के अन्य बैंक में चल रह खातों पर भी अपनी दृष्टि बनाए रखना
6. लेखा परीक्षकों की लेखा रिपोर्टों में उल्लिखित अनियमितताओं को दूर करना
7. क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट
8. नियमित निरीक्षण की आदत विकसित करना

उपर्युक्त की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे क्षेत्रोपयोगी रूप से यदि प्रस्तुत किया जाए तो इसे **वसूली के महत्वपूर्ण फाइव-एफ (5 f) सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है -**

1. फील्ड
2. फाइल
3. फिनेकल
4. फॉलो-अप
5. फोकस

फील्ड - वसूली हेतु वसूली टीम सदस्यों को प्रायः अपने व्यावसायिक क्षेत्र का एक पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार भ्रमण करते रहना चाहिए. इससे क्षेत्र के उधारकर्ताओं पर एक सामाजिक दबाव - सा बना रहता है कि समय से किस्त न देने से बैंक वाले हमें, हमारे प्रियजनों या सामाजिक दोस्तों व दुश्मनों के सामने टोककर हमारी लोक मर्यादा को भंग कर सकते हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए समाज में हर एक की नजर में अच्छा दिखना चाहता है. इसका एक पहलू यह भी है कि जो समाज के कुछेक उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी भी बैंक में कुछ गड़बड़ करने या लिए हुए ऋण का नियोजित जगह इस्तेमाल न करने की, उनकी कुरूप मानसिकता पर पानी फिर जाएगा. इतना ही नहीं, वसूली अधिकारी अपने सेवा क्षेत्र में नये अवसरों को भी तलाश कर अपने बैंक के व्यवसाय में आर्थिक वृद्धि कर सकता है. इस रणनीति का एक अन्य पहलू - सेवाओं में सुधार, ग्राहकों की फीड बैक, ग्राहकों के साथ एक अविस्मरणीय रिश्तों का निर्माण तथा वित्तीय समावेशन की बैंक की वचनबद्धता को भी असली जामा पहनाया जा सकता है. इस रणनीति के तहत निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :

- मूलभूत व संपार्श्विक प्रतिभूतियों का नियमित भौतिक सत्यापन करना तथा उसकी रिपोर्ट को फाइल में रिकॉर्ड के लिए अद्यतन करना.
- निरीक्षण के दौरान खानापूति न करना, वरन् उन समस्त अर्ली अलर्ट सिग्नल को

48 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

पहचानना तथा समय से उस पर कार्रवाई करना, ताकि भविष्य में एनपीए होने से इसे बचाया जा सके.

- ड्यू डिलिजेन्स का सही मायनों में पालन करना, विशेषकर नए व टेक-ओवर खातों में.
- उधारकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करना एवं उन्हें सलाह देना, क्योंकि हमारे देश में बैंकिंग साक्षरता की कमी होने के कारण बैंकर को उन्हें ऋण लेने से ऋण देने की सारी प्रक्रियाओं को सिखाना व उन्हें अनियमित भुगतान के लाभ एवं हानियों से अवगत करना.
- वसूली कैंप का आयोजन.

कहने का तात्पर्य है, **आम के आम गुठलियों के दाम**. एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोई भी मनुष्य गलती करने के लिए समाज की नजरों से बच कर ऐसा करना चाहता है, अतएव उधारकर्ता के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहेगा कि बैंक वाले अक्सर हमारे ही क्षेत्र में बने रहते हैं. इसको एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, जैसे किसी मॉल व एटीएम में भी लिखा रहता है कि कैमरा की नजर आप पर है. यदि नजर रखी जाएगी तो मनुष्य इतनी आसानी से गलती नहीं करेगा और यदि करना भी चाहेगा तो पहले कैमरे को तोड़ने का प्रयास करता है.

फाइल -

यहां पर फाइल का मतलब उन सभी प्रलेखों से है, जिनके द्वारा कोई भी बैंक अपने ग्राहक को उधारकर्ता के रूप में परिणत करता है. तात्पर्य है कि ऋण प्रार्थनापत्र से लेकर उन समस्त कागजात को, जिनकी या तो बैंक उससे अपेक्षा करता है या वह स्वयं जिन्हें अपने बैंक को सुपुर्द करता है. इस फाइल को नियमित रूप से अद्यतन करते रहना चाहिए, ताकि सभी दस्तावेज कानूनी रूप से कार्रवाई योग्य रहें. परंतु अफसोस है कि रिव्यू/रिन्यूअल की अनोखी प्रक्रिया, एक कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है. इसका तात्पर्य या तो ऑडिट भय या फिर क्षेत्रीय/आंचलिक/केंद्रीय कार्यालयों के निर्देशों की खानापूर्ति मात्र है. इसके अंतर्गत कुछ मार्गदर्शी पहलू, जिन्हें शाखा स्तर पर निगरानी औजार के रूप में भी देखा जाता है, इस प्रकार हैं :

- संस्तुति के निबन्धन व शर्तों का अनुपालन करना
- तर्क से परे होकर ओवरड्राफ्ट सीमा को लगातार अधिक की अनुमति देने या फिर बार-बार एड-हॉक लिमिट की आदत को बढ़ावा देने से बचना चाहिए

- स्टॉक स्टेटमेंट, बुक डेट को नियमित रूप से जमा करना
- क्यू4/एम6 निरीक्षण रिपोर्ट
- बाहर की एजेन्सीस द्वारा स्टॉक निरीक्षण रिपोर्ट
- फैंक्ट्री निरीक्षण रिपोर्ट
- टेक्निकल अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट
- समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- क्यूपीआरएस, एमएसओडी
- मार्केट रिपोर्ट
- अखबार में छपी खबरें, यदि कोई हों तो
- ग्रामवार बकायेदारों की सूची
- राइट ऑफ रजिस्टर

फिनेकल -

- एलएएस पैकेज के द्वारा नियमित रूप से ईएएस व एसएमए खातों का अनुश्रवण करना - ईएएस/एसएमए खातों में ऋण खातों का आना कई कारणों से होता है, जैसे - ऋण किस्त का भुगतान न करना, ऋण सीमा का नवीनीकरण न कर पाना, प्रतिभूतियों का निरीक्षण न करना, प्रलेखों में त्रुटियाँ आदि.
- अपनी शाखा में मॉक रन खातों का अनुश्रवण करने के लिए सभी कर्मचारियों के बीच रिकवरी हेतु खातों का वितरण कर एक छोटी सी मासिक प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना तथा उनमें से अधिकतम रिकवरी लाने वाले अधिकारी व कर्मचारी को स्टाफ मीटिंग में सम्मानित करना.
- एसीएस मेनू के माध्यम से खाते की समस्त प्रविष्टियों से यदि कोई संकेतक मिले तो अति शीघ्र उस पर कार्रवाई कर उसे स्लिपेज से बचाना.
- ऋण खातों को पार्टी के बचत व चालू खातों से लिंक करना, ताकि ऋण अतिदेय राशि होने पर उसकी स्वतः वसूली सिस्टम से ही हो सके.
- अनुदान यदि हो तो उसका समायोजन ऋण खाते में करना.
- यदि कोई ऐसी प्रतिभूति हो, जिसे तुरन्त समायोजित किया जा सके.

फॉलो-अप -

नियमित रूप से फॉलो-अप करना एनपीए प्रबंधन में अति महत्वपूर्ण अंग है. यह

अनुवर्ती कार्रवाई ऋण वितरण के तुरंत बाद शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उधारकर्ता के अंदर शुरू से ही ऋण अदा करने की आदत का निर्माण हो. बैंक केवल अतिदेय होने पर यह कार्य करते हैं और तब ऋणी के लिए एक किस्त से अधिक की अदायगी मुश्किल हो जाती है.

फॉलो-अप के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्र

- एक ही जूता सभी के पैर में फिट नहीं होता, के नियम का अनुपालन करते हुये अपनी शाखा के सभी ऋणियों को एनपीए के चतुर्भुज में बाँट देना चाहिए, क्योंकि सभी को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता है.
- 1. **ऋण भुगतान की इच्छा व क्षमता दोनों हो-** ऐसे लोगों के लिए वसूली बहुत आसान है. एक रिमाइंडर कॉल देकर, नोटिस देकर, एसएमएस, सूचना भिजवाकर, खातों में वसूली की जा सकती है. बैंक में इस प्रकार के खातों को अपने किसी भी सदस्य को सौंप कर यह कार्य किया जा सकता है, क्योंकि यह एक विशेष वसूली प्रक्रिया के तहत करना आवश्यक नहीं है.
- 2. **ऋण भुगतान की इच्छा तो है, परंतु क्षमता नहीं है-** ऐसे वर्ग के लिए ससमय ऋणी को सलाह दे कर उसके कारणों का पता लगाना चाहिए तथा यदि यह समस्या अल्पकालिक है तो पुनर्संरचना के माध्यम से उसकी समय या किस्त को कुछ समय के लिए यथा अनुरूप परिवर्तित करना चाहिए. यदि ऋणी एक बार में कहीं से कुछ मदद लेकर निपटान चाहता है और उसका एनपीए पुराना है, अर्थात् ओटीएस स्कीम में फिट होता है तो उसे एकमुश्त निपटान की सलाह देनी चाहिए.
- 3. **ऋण भुगतान की इच्छा का अभाव है, परंतु क्षमता है -** इस वर्ग को जानबूझकर न जमा करने वालों की श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए तथा इसके लिए यदि आप पूर्ण सुनियोजित है तो केवल कानूनी व अन्य दबाव रणनीति अपनानी चाहिए तथा कार्य किसी अनुभवी वसूली अधिकारी को सौंपना चाहिए. इस प्रकार के खातों की वसूली में दबाव देने की रणनीति की, कानूनी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही शुरुआत करनी चाहिए तथा इससे हतोत्साहित होकर अन्य प्रकार के खातों की वसूली में कोई उत्साह में कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे खाते बहुतायत में नहीं होते हैं. इस हेतु डीआरटी (10 लाख व उससे अधिक), सरफेसिया, लोक

अदालत (20 लाख तक), सूटफाइल, आरआर एक्ट जैसे कानूनी उपायों का सहारा लेकर वसूली रणनीति बनानी चाहिए.

4. ऋण भुगतान की इच्छा व क्षमता दोनों नहीं हैं - इस तरह के उधारकर्ताओं के लिए समझौता, एकमुश्त निपटान, राइट-ऑफ आदि का सहारा लेना चाहिए.

- जमानतदारों, रिश्तेदारों, मित्रों के माध्यम से व्यक्तिगत अनुश्रवण करना.
- रिकवरी के लिए विशेष टीम/ब्रांच.
- वसूली एजेंट के माध्यम से.

फोकस -

इस रणनीति का अपना महत्व है, जिसमें एक लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति “येन केन प्रकारेण” का रोड मैप तैयार रहना चाहिए. इसमें एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है, जो 100% इसके लिए देने की इच्छा रखता हो, क्योंकि इसके लिए अर्जुन की तरह की बाणभेदी एकाग्रता चाहिए. इसमें उपर्युक्त तीनों बिंदुओं का समावेश होना चाहिए. कहने का मन्तव्य है कि फील्ड, फाइल, फिनेकल और फॉलो-अप पर यदि फोकस किया जाए तो कोई कारण नहीं कि सुरसा के मुँह की तरह बढ़ते इस एनपीए को कम नहीं किया जा सकता है.

अतः इससे निपटने के लिए एक अभेद चक्रव्यूह का निर्माण किया जाए, ताकि बैंकों की आस्तियों पर कोई कुदृष्टि न डाल सके. सरकार नेम एंड शेम प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसके तहत बड़े बकाएदारों के नाम व फोटो को अखबार में प्रकाशित करने का प्रावधान है. मल्टिपल बैंकिंग व्यवस्था, कॉन्सोर्शियम अग्रिम, के मामले में सभी बैंकों ने वसूली में एकजुटता का परिचय दिया है. मार्च 2013 के आंकड़ों के अनुसार पीएसयू बैंकों में टॉप 30 बड़े बकाएदारों की कुल राशि रूपए 61,123 करोड़ थी, जो समग्र एनपीए का 39.7% है. सरकार ने सभी बैंकों से इसके लिए एक अलग वर्टिकल बनाकर महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया है. ऐसे में बहुत अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली बैंकिंग प्रणाली को इस दानव की तरह बढ़ते एनपीए के कुठाराघातों से बचाया जा सके.

नेहा जोशी

प्रभावी एनपीए प्रबंधन के लिए विधिक उपाय : सरफेसिया

बैंकिंग क्षेत्र के बढ़ते एनपीए शेयरों के प्रबंधन हेतु एक सुरक्षित मंच प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ कदम से कदम मिलाये रखने के लिए “प्रतिभूतीकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित को प्रभावी करने का अधिनियम 2002” (सरफेसी) (The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESIA) Act) लागू किया गया, ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की अनुमति मिल जाये. जैसा कि अधिनियम में कहा गया है, यह “बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का एहसास, तरलता की समस्याओं का प्रबंधन, परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन और प्रतिभूतियों का कब्जा लेने से वसूली में सुधार, उन्हें बेचने और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने के लिए वसूली या पुनर्निर्माण के उपाय अपना कर सक्षम बनाता है.” अधिनियम से पहले, वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित कानूनी ढांचा, तेजी से बदलती व्यावसायिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से पीछे था, जिसके चलते बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की चूक और एनपीए के बढ़ते स्तर के कारण वसूली धीमी हो गयी थी.

सरफेसी अधिनियम 2002 : 1990 के दशक तक, बैंक एनपीए के बढ़ते स्तर की परेशानी का सबब थे और समिति जैसे नरसिम्हन समिति द्वितीय और अन्ध्यारुजिना समिति, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की जांच के लिए गठित की गयी थी, ने एनपीए के मुद्दे से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता को माना. इन समितियों ने प्रतिभूतीकरण के लिए एक नये कानून, और अदालत के हस्तक्षेप के बिना और उधारकर्ताओं को सीका/बीआईएफआर के प्रावधानों के तहत शरण लेने की इजाजत के बिना

प्रतिभूतियों का कब्जा लेने, अदालत के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सशक्त बनाने की सलाह दी. इन सुझावों पर अमल करते हुए प्रतिभूतीकरण, और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन को वैध बनाने के लिए, सरफेसी अधिनियम, 2002 में पारित किया गया था. अधिनियम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी)/प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) के गठन की परिकल्पना करता है.

सरफेसी अधिनियम के प्रावधान :

अधिनियम में प्रतिभूतीकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण और विनियमन, बैंकों की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण की सुविधा, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए सुरक्षा रसीदें जारी के द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी)/प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) को धन जुटाने हेतु सशक्त बनाने, वित्तीय सहायता के लिए दी गयी प्रतिभूतियों का कब्जा लेने, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सशक्त बनाने, और डिफॉल्ट की घटना में उसी को बेच कर या पट्टे पर दे कर प्रबंधन अपने हाथ में लेने का प्रावधान किया गया है.

अधिनियम एनपीए की वसूली के लिए तीन वैकल्पिक तरीके प्रदान करता है, यथा :

- **प्रतिभूतीकरण (Securitisation):** इसका मतलब एससी/एआरसी द्वारा प्राप्ति या धन की स्थापना कर सुरक्षा देना है. एक प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए योजनाएं बना कर क्यूआईबी से धन जुटा सकती है. एससी/एआरसी/क्यूआईबी द्वारा किए गए निवेश में से, इस योजना के संबंध में हर तरह से अधिगृहीत हर वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलग और विशिष्ट खाता बनाये रखेगा. यह सुनिश्चित करता है कि प्रासंगिक योजना के तहत इस तरह के निवेश पर रिटर्न के भुगतान का आश्वासन हो.
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण (Asset Reconstruction):** एससी/एआरसी को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के उद्देश्य से निम्नलिखित उपायों में से किसी एक या अधिक को उपलब्ध कराना चाहिए :
 - उधारकर्ता के व्यवसाय का उचित प्रबंधन, उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में बदलाव या अधिग्रहण,
 - उधारकर्ता के कारोबार का एक हिस्सा या पूरे की बिक्री या पट्टे पर देना,

54 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- उधारकर्ता द्वारा देय ऋण के भुगतान का पुनर्निर्धारण,
 - इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा हित का प्रवर्तन,
 - उधारकर्ता द्वारा देय राशि/देय का निपटान,
 - इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना.
- **सुरक्षा रसीद के पंजीकरण से छूट** (Exemption from registration of security receipt): अधिनियम पंजीकरण अधिनियम, 1908 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना अधिकार प्रदान करता है, यथा
 - एससी/एआरसी द्वारा जारी की गयी किसी भी सुरक्षा रसीद, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 7 के तहत, और किसी अधिकार, टाइटिल या हित का निर्माण, घोषणा, निदेशित सीमन या शमन न करना या अचल संपत्ति में अब तक के सिवाय जैसा कि यह सिक्वोरिटी रसीद के धारक को एक पंजीकृत साधन द्वारा अविभाजित ब्याज अदा करता है ; या
 - सिक्वोरिटी प्राप्तियों में से किसी के अंतरण को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एससी/एआरसी के लिए दिशानिर्देश:

- इस तरह की फीस या शुल्क के भुगतान पर उधारकर्ता से अपनी बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से किसी बैंक या वित्तीय संस्था के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना,
- खुद के लिए वित्तीय देयता उठाये बिना, पार्टियों के बीच एक प्रबंधक के रूप में कार्य करना;
- किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा नियुक्ति पर रिसीवर के रूप में कार्य करना.

उपर्युक्त कार्यों के अलावा कोई भी एससी/एआरसी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई काम शुरू या कार्यान्वित नहीं कर सकता है.

प्रतिभूतीकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों (रिजर्व बैंक) के दिशानिर्देश और नीति, 2003

पंजीकरण, एआरसी के उपाय, कंपनी के कार्य, विवेकपूर्ण मानदंड, वित्तीय

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा सरफेसिया अधिनियम 2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत संबंधित मामलों से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश और नीति जारी किए.

एनपीए की परिभाषा : गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) माने ऐसी परिसंपत्ति, जिसके लिए:

- ब्याज या मूलधन (या किस्त) 180 दिनों से ज्यादा बाकी हो या अधिग्रहण की तारीख से ज्यादा हो या उधारकर्ता और प्रवर्तक के बीच प्रति अनुबंध के रूप में नियत तारीख या, बाद में जो भी हो,
- ब्याज या मूलधन (या किस्त) 180 दिनों से ज्यादा बाकी हो या प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि से उसकी संपत्ति की प्राप्ति के लिए तैयार की गयी योजना में हो,
- ब्याज या मूलधन (या किस्त) योजना अवधि की समाप्ति पर अतिदेय, या जहां प्राप्ति के लिए कोई योजना तैयार न की गयी हो,
- कोई भी अन्य प्राप्य राशि, यदि यह एससी या एआरसी की बहियों में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो.

ध्यान देने योग्य बात यह है कि एससी या एआरसी के निदेशक मंडल, उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट पर, किसी परिसंपत्ति को एनपीए की श्रेणी में उपर्युक्त उल्लिखित अवधि से पूर्व भी डाल सकते हैं.

पंजीकरण (Registration):

- हर एससी या एआरसी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और सरफेसिया अधिनियम में दिए गए प्रावधान के तहत रिज़र्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ;
- एक प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, प्रतिभूतीकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण गतिविधियां दोनों कार्य कर सकती है;
- सरफेसिया अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपंजीकृत कोई भी संस्था, अधिनियम के दायरे से बाहर प्रतिभूतीकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के व्यापार का संचालन कर सकती है.

प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निवल मूल्य (Net worth) : निवल मूल्य, चुकता ईक्विटी पूंजी, वरीयता चुकता पूंजी, रिज़र्व और अधिशेष पुनर्मूल्यांकन

रिजर्व छोड़कर, पी एंड एल खाते में डेबिट शेष द्वारा कम की गयी पूंजी, विविध व्यय (सीमा तक नहीं लिखी गयी), अमूर्त आस्तियां, निवेश मूल्य में कमी / एनपीए के खिलाफ कम प्रावधान, और आगे एससी / एआरसी में अधिगृहीत शेयरों के द्वारा कमी और लेखा परीक्षक योग्यता के कारण कटौती का कुल योग है। इसे स्वामित्व फंड भी कहा जाता है। सरफेसिया अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पंजीकरण की मांग करने वाली हर प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, रुपये 20 करोड़ का एक न्यूनतम स्वामित्व फंड रखना होगा।

अनुमेय व्यापार (Permissible Business): एक प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी प्रतिभूतीकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण गतिविधियों को और सरफेसिया अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान कार्य शुरू करेगी/हाथ में लेगी।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ व्यापक दिशा निर्देश इस प्रकार हैं :

वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण (Acquisition) : इसके निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ, हर एससी/एआरसी को पंजीकरण के प्रमाणपत्र के अनुदान के 90 दिनों के भीतर, एक “फाइनेंशियल एसेट अधिग्रहण नीति” स्पष्ट रूप से परिभाषित करनी पड़ती है, स्पष्ट रूप से जो नीति निर्धारण और दिशानिर्देश को परिभाषित करता है, वह है : मानदंड, प्रारूप, रूपरेखा और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया;

- वसूली योग्य मूल्य वाली संपत्ति, के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया, यथोचित अनुमानित और स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है;
- पुनर्निर्माण के लिए अधिगृहीत संपत्ति की प्राप्ति के लिए योजना.
- बोर्ड को नीति में परिवर्तन की मंजूरी के लिए शक्ति प्राप्त है और संपत्ति के अधिग्रहण पर/प्रस्तावों नीतियों पर निर्णय लेने के लिए समिति को शक्तियां सौंप सकता है.
- **प्रबंधन का बदलाव या अधिग्रहण/उधारकर्ता के व्यापार की बिक्री या लीज :** एससी/एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन का अधिग्रहण/बदलाव कर सकता है या उधारकर्ता के कारोबार को अंशतः या पूर्णतः बिक्री/लीज पर दे सकता है, जब तक भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी न करे.

- **ऋण का पुनर्निर्धारण/उधारकर्ता द्वारा देय राशि का निपटान** : उधारकर्ताओं के ऋण पुनर्निर्धारण के लिए नीति व्यापक मापदंडों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ तैयार की जानी चाहिए. प्रस्ताव स्वीकार्य कारोबार योजना के साथ, ऋण लेने की अनुमानित आय/नकदी प्रवाह, एससी/एआरसी की परिसंपत्ति देयता, प्रबंधन को प्रभावित किए बिना या निवेशकों को दी गयी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होनी चाहिए. उसीप्रकार, उधारकर्ताओं के पास बकाया राशि के निपटान के लिए एक नीति होनी चाहिए.
- **प्रतिभूति हित प्रवर्तन** : सरफेसिया अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए, एससी/एआरसी स्वयं, सुरक्षित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है, या तो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए या पुनर्विक्रय के लिए.
- **वसूली योजना** : योजना अवधि के भीतर एक वसूली योजना तैयार की जानी चाहिए, जो एक या अधिक उपाय उपलब्ध कराये, निपटान/उधारकर्ता द्वारा देय ऋण के पुनर्निर्धारण सहित, सुरक्षा हित का प्रवर्तन, या उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन का अधिग्रहण/ बदलाव या अंशतः या पूर्णतः बिक्री/लीज पर देकर होना चाहिए. योजना को स्पष्ट रूप से निर्धारित समय के भीतर संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए कदम को परिभाषित करना चाहिए, जोकि अधिग्रहण की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

सरफेसिया के तहत मुद्दे :

टाइटल का अधिकार : एक प्रतिभूतीकरण रसीद (एसआर) इसके धारक को टाइटल का अधिकार देती है या वित्तीय आस्तियों में ब्याज, जो प्रतिभूति में शामिल होता है. यह परिभाषा प्रतिभूतीकरण संरचनाओं के लिए अच्छी रहती है, जहां जारी प्रतिभूतियाँ “पास थ्रू सिक्योरिटीज” के रूप में जानी जाती हैं.

कमजोर निवेशक बेस : सरफेसिया अधिनियम प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) जारी करने के लिए बनाया गया है और पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) द्वारा आयोजित होता है. यह एनबीएफसी या अन्य निकायों को शामिल नहीं करता, जब तक एक वित्तीय संस्था (एफआई) के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न हो. एसआर के बाजार के विस्तार के लिए निवेशक आधार बढ़ने की जरूरत है. एसआर के बाजार को मजबूत बनाने के लिए अधिक खरीदार श्रेणी में शामिल किए जाने की जरूरत है.

निवेशक क्षुधा : प्रतिभूतियों की मांग कम अवधि के कागजात और सर्वोच्च रेटिंग तक सीमित है. इसके अलावा, यह सबसे अधिक रेटिंग वाले उच्चतर चरणों तक सीमित

है, जबकि निम्नतर चरण गैर निर्धारित हिस्सों के प्रवर्तकों के पास है। भारतीय बाजार की अविकसित प्रकृति और प्रतिभूतीकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा इसके लिए जिम्मेदार है।

उपसंहार :

सरफेसिया अधिनियम से बैंकों को उधारकर्ताओं की सुरक्षित आस्तियों को अपने अधिकार में लेने एवं उनका प्रबंधन अथवा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो गया। परंतु इसके लिए उन्हें उधारकर्ताओं को पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें न्यायालय से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में इसकी जद में अनेक चूककर्ता आ गए, लेकिन बाद में इस अधिनियम में भी कुछ बदलाव कर उधारकर्ता को बैंक के विरुद्ध ऋण वसूली अधिकरण में अपील करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त स्लिपेज हुए खातों में शीघ्र कार्यवाही करने से वांछित परिणाम सामने आ सकेंगे और यदि शुरू से ही इन पर कार्यवाही की गई तो उन खातों, में जहां सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस अवधि समाप्त हो गई है, वहां संपार्श्विक प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और बैंक के बकाया की वसूली की कार्यवाही वांछित परिणाम ला सकती है।

केशव बैजल

समझौते के जरिये एनपीए का निपटान - मुद्रा का आवधिक मूल्य

प्रस्तावना:

आज बैंक की मूल आवश्यकता नये उधारकर्ताओं को अपने बैंक के साथ जोड़ना एवं पुराने उधारकर्ताओं को अपने साथ बनाये रखना है. बैंक के एनपीए खातों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बैंक की आय कम हो रही है. साथ ही बैंक की तरलता भी प्रभावित हो रही है. हमें अपने स्तर को सुधारने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न उपायों को अपनाना होगा, अन्यथा अन्ततः इसका प्रभाव बैंक के कर्मचारियों पर ही पड़ना है, उनको दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर या उन्हें न बढ़ा कर. बैंक का हर कर्मचारी ऋण उत्पाद एवं अन्य उत्पादों से होने वाली आय पर ही अपने सपने देख सकते हैं.

एनपीए की अवधारणा:

गैर निष्पादक आस्तियों को क्रेडिट सुविधा रूप में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ऋण की मूल राशि के साथ-साथ ब्याज का भुगतान निर्दिष्ट समयावधि में जमा नहीं किया जाना, बैंक में बंधक संपत्ति/परिसंपत्ति अथवा पट्टे की संपत्ति से आय का सृजन बन्द हो जाना, गैर निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में आता है. बैंक की सफलता या असफलता में गैर निष्पादक आस्तियों का काफी प्रभाव रहता है, आज के समय में भारत-वर्ष में कार्यरत सभी बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं. कोई ऋण या अग्रिम खाता गैर निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में वर्गीकृत होने के निम्न कारण हो सकते हैं:

- अगर किसी मियादी ऋण खाते में मूल राशि का ब्याज अथवा किस्त 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय रहता है तो वह खाता एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है.

60 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- अगर किसी ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट खाते में ब्याज का भुगतान/ऋण मंजूर सीमा से ज्यादा बकाया/खाते में किसी राशि का जमा 90 दिनों तक नहीं होता है, इन परिस्थितियों में खाता एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है.
- अगर किसी ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट खाते में खाते का नवीकरण 180 दिनों तक नहीं किया जाए या स्टॉक स्टेटमेंट 180 दिनों तक नहीं जमा करायी जाए, तब भी खाता एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है.
- अगर कोई बिल पर्चेज और डिस्काउंट किया गया हो एवं बैंक के खाते में 90 दिनों तक अतिदेय हो तो वह खाता एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है.
- अगर लंबी अवधि के फसली ऋण में मूल राशि के ब्याज अथवा किस्त का भुगतान, एक फसल सीमा अवधि तक अतिदेय रहता है तो वह खाता एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है.

बैंक में खाते को एनपीए श्रेणी के तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :

- अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) आस्ति : ऐसे एनपीए खाते जो एनपीए वर्गीकृत होने से लेकर 12 माह से कम या 12 माह तक इस श्रेणी में रहते हैं.
- संदिग्ध (डाउट-फुल) आस्ति : इस श्रेणी में ऐसे खाते वर्गीकृत होते हैं, जो सब-स्टैंडर्ड आस्ति में 12 माह से ज्यादा समय तक रह गए हों.
- हानि (लॉस) आस्ति : इस श्रेणी में वैसे खाते वर्गीकृत होते हैं, जिन्हें बैंक के आंतरिक ऑडिटर, बाहरी ऑडिटर अथवा आर.बी.आई. के निरीक्षणकर्ता यह मान लें कि खाते में वसूली हेतु सममूल्य संपत्ति अथवा पूंजी 10% से कम बची है, पर बैंक ने उसे बटुटे खाते में नहीं डाला हो और कहीं न कहीं वसूली की गुंजाइश बरकरार हो.

मुद्रा के आवधिक मूल्य का आकलन एवं समझौते का अभिप्रायः

मुद्रा का आवधिक मूल्य वित्तीय सिद्धान्त पर आधारित है, जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्तमान समय में मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा होती है, उसी मुद्रा के किसी निश्चित समय बाद की क्रय शक्ति से. हम इसे निम्नप्रकार से भी कह सकते हैं, यदि आज हम रु.100/- में जो वस्तु क्रय कर सकते हैं, भविष्य में यदि उसी रु.100/- में ब्याज की राशि जोड़ दें, फिर भी उतनी वस्तु नहीं क्रय हो पाएगी, क्योंकि मुद्रा का मूल्य भविष्य में प्रभावित होने से महंगाई एक विशेष कारक बन जाती है.

बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने एनपीए खातों के निपटान हेतु वसूली की विविध प्रक्रिया को अपना कर खातों का समायोजन करते हैं। इस प्रक्रिया में बैंक संपूर्ण राशि की वसूली के बदले यदि कोई छूट बनती है तो छूट को देकर त्वरित वसूली को प्राथमिकता देते हैं, जिसे समझौता कहा जाता है। समझौता हेतु हर बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने दिशानिर्देश जारी करते हैं, जिसे आधार बनाकर उनके अधीन कार्य करने वाले कार्यालय एवं शाखाएँ समझौते की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं।

हमारे बैंक द्वारा भी एनपीए खातों के निपटान हेतु समय-समय पर वसूली नीति जारी की गई है, जिससे एनपीए खातों का समझौते के जरिये निपटान संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं चूककर्ता ऋणियों से खाते की राशि के ऊपर ध्यान न देते हुए इस प्रकार वार्ता करते हैं, जिससे कि समझौता राशि पर एक सहमति बने और तत्काल वसूली संभव हो सके। तत्काल वसूली से बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को दोहरा लाभ मिलता है। पहला बैंक के द्वारा किए जाने वाले विधिक एवं अन्य खर्चों की बचत करते हैं और दूसरा लाभ एनपीए खातों के लिए अपनी आय से निकाली गई राशि में कमी होती है, जो बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की आय को बढ़ाने के साथ-साथ तरलता भी प्रदान करता है, जिसका उपयोग कर वे अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं।

किसी भी बैंक एवं वित्तीय संस्था के लिए एनपीए खातों का समझौते के जरिये निपटान, व्यावसायिक निर्णय होता है न कि प्रशासनिक, इसके कई फायदे हैं, जो बैंक के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। एक तो बैंक की तरलता में वृद्धि होती है और इससे अतिरिक्त निधियों की प्राप्ति होती है, जिसे बैंक अपने व्यवसाय में लगाकर अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकता है। बैंक के लिए एनपीए खातों में वसूली महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसके द्वारा बैंक अपने जमा ग्राहकों के मूल एवं ब्याज को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की निधियों एवं विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। अतः किसी भी समझौता प्रस्ताव का उद्देश्य कम समय में, कम खर्च में अधिक से अधिक वसूली का होना चाहिये।

समझौते की वार्ता के समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है और इसके साथ जमाकर्ता एवं शेयर होल्डर की विश्वसनीयता जुड़ी है। हमें इनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, न कि चूककर्ता ऋणियों को, क्योंकि चूककर्ता ऋणियों के सापेक्ष हमारे जमाकर्ता एवं शेयर होल्डर की विश्वसनीयता अनिवार्य है। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि चूककर्ता ऋणियों को किसी प्रकार की छूट, हमारे जमाकर्ता एवं शेयर होल्डर के बड़े भाग को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाती है।

62 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

आपसी समझौते की सतह पर पहुँचने से पहले यह सुनिश्चित करना बैंक के लिए अति आवश्यक है कि बगैर किसी विधिक अथवा अन्य कार्रवाई हुए वसूल होने वाली राशि, जल्द से जल्द वसूल हो जाए.

हमने कई ऐसे वृत्तांत पढ़े और देखे हैं, जिनमें चूककर्ता ऋणी अन्य लोगों एवं राजनेताओं के गलत आश्वासन पर अपने खातों में किस्त/ब्याज की राशि जमा नहीं करते और खाता एनपीए हो जाता है. बैंक द्वारा वसूली की प्रक्रिया शुरू करने पर वे अनावश्यक ब्याज की राशि का भुगतान भी करते हैं और चूककर्ता की श्रेणी में भी बने रहते हैं, जिसके कारण उन्हें कहीं से भविष्य में वित्तीय मदद लेने में भी असुविधा होती है.

एक बैंकर होने के नाते हमेशा यह कोशिश होनी चाहिये कि ऋणियों को सही तरह से मार्गदर्शित करें और चूककर्ता नहीं बनने की सलाह दें.

डॉ. चेतना पांडेय

विवेकपूर्ण मानदंड, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में बैंकों की सफलता आस्ति एवं निवेशों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. बैंकिंग व्यवस्था के अन्तरराष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप एवं निवेशकों में विश्वास पैदा करने हेतु बैंकिंग व्यवस्था एवं प्रबंधन ने विभिन्न बदलाव लाए. भारत में भी उदारीकरण के उपरांत नरसिंहन समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय प्रणालियों के अनुसार आस्तियों का वर्गीकरण अनिवार्य कर दिया एवं चरणबद्ध तरीके से बैंकिंग व्यवस्था में आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण हेतु विवेकपूर्ण मानदंड एवं उनके आधार पर आस्तियों के प्रावधानीकरण से संबंधित प्रणाली विकसित करने का प्रावधान किया गया. आय निर्धारण से संबंधित नीतियां वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण एवं वसूली के आंकड़ों पर निर्भर करती हैं. साथ ही आस्तियों का वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर एवं प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्यों के आधार पर निर्धारित होना तय है. आस्ति वर्गीकरण हेतु रिजर्व बैंक द्वारा गैर उत्पादक आस्ति को परिभाषित किया गया है.

अनर्जक परिसंपत्तियों या आस्तियों की परिभाषा इस प्रकार है -

“किसी भी प्रकार की आस्ति भले ही पट्टे पर आधारित परिसंपत्ति हो, यदि बैंकों के लिए आय अर्जन न कर पाए तो ऐसी आस्तियां अनर्जक परिसंपत्तियां हो जाती हैं.” अनर्जक आस्तियां ऐसे अग्रिम हैं, यदि -

- सावधि ऋण पर प्रभारित ब्याज या मूलधन की किश्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय हों.
- नकदी ऋण या ओवरड्राफ्ट खाते अनियमित हों एवं यह अनियमितता 90 दिनों से अधिक हो.

- खरीदे गए बिल या भुनाए गए बिल 90 दिनों से अधिक अतिदेय हों.
- अल्पावधि वाली फसलों हेतु दिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज, फसलों के दो मौसमों तक अतिदेय हों. साथ ही दीर्घावधि वाली फसलों हेतु दिए गए ऋण का मूलधन एवं ब्याज एक मौसम से अधिक अतिदेय हो.
- 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतीकरण संबंधित नियमों के अनुसार यदि प्रतिभूतीकृत लेनदेन हेतु तरलता सुविधा 90 दिनों से अधिक बकाया रहे.
- व्युत्पन्न संबंधित लेनदेन में यदि प्राप्य राशियां जो बाजार से जुड़े व्युत्पन्न संविदा मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि अतिदेय हों या निर्धारित तारीख से 90 दिनों से अधिक अतिदेय हों.

आय निर्धारण हेतु ब्याज राशि के अतिदेय होने की व्याख्या इस प्रकार की गई है. “यदि किसी भी अग्रिम पर प्रभारित ब्याज देय हो और एक तिमाही समाप्त होने के उपरांत 90 दिनों तक वसूल न हो पाए तो वह अग्रिम खाता अनर्जक हो जाता है.”

इन सभी कारणों के अलावा तकनीक कारणों एवं अस्थायी कमियों के आधार पर खातों को अनर्जक वर्गीकृत किया जा सकता है.

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर किसी भी आस्ति के रूप में वर्गीकरण, वसूली के आंकड़ों या रिकार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए. मात्र अस्थायी कारणों से जैसे यदि कोई खाता अपनी निर्धारित सीमा से अस्थायी रूप से अधिक हो, या कोई खाता उपस्थित स्टॉक विवरण जो नवीनतम विवरण हो, उस पर आधारित आहरण सीमा पर्याप्त न हो एवं खाते की बकाया राशि आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि किसी खाते का नवीनीकरण नियत तिथि पर न हो पाए, स्टॉक विवरण के उपलब्ध न होने पर खातों को अनर्जक वर्गीकृत नहीं किया जा सकता. यदि विभिन्न खातों में ऐसी त्रुटियां पाई जाती हैं तो बैंक निम्नांकित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

1. किसी भी कार्यशील पूंजीगत खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग खाते की आहरण क्षमता पर निर्भर करता है, जो चालू परिसंपत्तियों की उपलब्धता पर निर्धारित होता है. इन चालू परिसंपत्तियों का क्षरण विपरीत परिस्थितियों में विनियोजन प्राथमिक रूप से हो जाता है. बैंकों को इन खातों की आहरण क्षमता उधारकर्ताओं द्वारा दिए गए स्टॉक विवरण के आधार पर करनी चाहिए, जो तीन महीने से अधिक पुराने स्टॉक विवरण पर आधारित हो एवं इन खातों में आहरण लगातार 90 दिनों तक किया जाए तो खातों को अनर्जक वर्गीकृत किया जाएगा.

2. यदि खातों का नवीनीकरण नियत तिथि से 180 दिनों तक न हो पाए तो ऐसे खाते भी अनर्जक खातों में वर्गीकृत किए जायेंगे. आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया के साथ अनर्जक आस्तियों हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रावधानीकरण करना पड़ता है. आस्तियों का प्रावधानीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर अर्जक एवं अनर्जक दोनों प्रकार की आस्तियों का प्रावधानीकरण अनिवार्य है, जो इस प्रकार है.

- हानि आस्तियों को बैंक को अपने खाता बहियों से बट्टे खाते में डालना चाहिए एवं इन खातों हेतु 100% प्रावधानीकरण करना चाहिए.
- संदिग्ध खाते या संदिग्ध आस्तियों हेतु प्रावधानीकरण इस प्रकार है:
 - अग्रिमों से संबंधित प्रतिभूतियों को वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए और अग्रिम के वे हिस्से, जिनमें वसूली योग्य प्रतिभूति अनुपलब्ध है, उनका प्रावधानीकरण 100% करना चाहिए.
 - यदि वसूली योग्य प्रतिभूतियां उपलब्ध हों एवं अग्रिम उनके द्वारा संरक्षित हो तो अग्रिम के संरक्षित भाग का प्रावधानीकरण परिसंपत्तियों के संदिग्ध वर्गीकरण की अवधि के आधार पर निम्नानुसार होना चाहिए:
 - अग्रिम के संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के एक साल तक -25%
 - संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण के 1 साल से तीन साल तक - 40%
 - संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण अवधि यदि तीन साल से अधिक हो -100%

प्रतिभूतियों के मूल्यांकन हेतु रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देश दिए हैं, जिनके आधार पर प्रावधानीकरण किया जा सकता है :

- 5 करोड़ से अधिक बकाया अनर्जक आस्तियों का बाह्य संस्थाओं द्वारा स्टॉक ऑडिट किया जाना चाहिए और इन स्टॉक लेखा परीक्षकों का चयन बैंक के बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिन्हें ऑडिट या लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष करना चाहिए.

66 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- समर्थक जमानत से संबंधित अचल संपत्तियों का मूल्यांकन बैंकिंग बोर्ड द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तीन साल के अंदर एकबार किया जाना चाहिए.

अवमानक परिसंपत्तियों का प्रावधानीकरण इस प्रकार है-

- 0 साधारणतया सभी अवमानक परिसंपत्तियां, जिनमें किसी भी प्रकार की प्रतिभूति उपलब्ध हो, कुल बकाया राशि का 15% का सामान्य प्रावधानीकरण करना आवश्यक है.
- 0 यदि अवमानक परिसंपत्तियां अनारक्षित हों तो 10% अतिरिक्त प्रावधानीकरण अर्थात् 25% प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है. यदि अवमानक परिसंपत्तियां संरचनात्मक क्षेत्र से संबंधित हों तो 20% प्रतिशत प्रावधानीकरण अनिवार्य है, पर संबंधित बैंकों को ऐसी प्रक्रिया की उपलब्धता प्रमाणित करनी होती है, जैसे विलंब लेखा खाते की उपस्थिति, ताकि सभी नकदी प्रवाह उस खाते द्वारा हों एवं बैंकों का प्राथमिक एवं वैध अधिकार हो.
- 0 सामान्य रूप से संदिग्ध परिसंपत्तियां यदि अनारक्षित हों तो अनारक्षित ऋण राशि का 100% प्रावधानीकरण आवश्यक है. पर अनारक्षित राशि क्या है? प्रारंभ से यदि बकाया राशि की 10 % से कम प्रतिभूति उपलब्ध हो एवं जिसका मूल्यांकन बैंकों के प्राधिकृत मूल्यांकनकर्ताओं या रिजर्व बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किया गया हो.
- 0 बैंकिंग क्षेत्र के निवेश या वित्त के अंतर्गत निधि एवं गैर निधि आधारित निवेश, जिनमें जोखिम अंकन एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को भी शामिल किया जाता है एवं उनका आकलन, वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण इनसे जुड़ी प्रतिभूतियों के आधार पर किया जाता है. प्रतिभूति मुख्यतया मूर्त जमानत या संपत्ति, जिन्हें बैंक निवेश या ऋण के पक्ष में प्रभारित हो, के रूप में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण हेतु उपयोग किया जाता है. अमूर्त आस्तियां जैसे गारंटी पत्र, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, चुकौती आश्वासन पत्र इत्यादि यदि ऋण से प्रभारित हों तो इन सभी ऋणों को प्रावधानीकरण हेतु आरक्षित ही समझा जाता है.
- 0 रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित ऋणों के प्रति भी पारदर्शिता एवं सही जानकारी देने हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के उपरांत अपने तुलन पत्रों में 9 नंबर सूची में आरक्षित निवेशों को दर्शाने का प्रावधान किया जाना है.
- 0 बैंकों के प्रकाशित तुलन-पत्र की सूची 9 में आरक्षित निवेशों के वर्गीकरण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश इस प्रकार हैं -

- अधिकतर संबंधित शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार पत्र इत्यादि भी समर्थक जमानत के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं। यदि बैंक इन सभी के आधार पर संरचनात्मक क्षेत्र में सुचारू प्रॉजेक्ट को ऋण प्रदान करते हैं तो भी वे आरक्षित ऋण के रूप में वर्गीकृत होते हैं।
- बैंक यदि निर्माण - परिचालन - स्थानांतरण (BOT) मॉडल के आधार पर रोड निर्माण हेतु ऋण प्रदान करते हैं एवं उसके वार्षिकी बांड, जिनमें प्राधिकार संकलन अधिकार बैंकों को प्रभारित हों तो बैंक उन्हें सुरक्षित या मूर्त जमानत के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, जहां राशि अनुमानित टैरिफ से कम होने के उपरांत भी न्यूनतम राशि देय हो।

सामान्य रूप से संरचनात्मक क्षेत्र के निर्माण प्रोजेक्ट उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान पर निर्भर करते हैं, जिसके लिए योजना आयोग ने रियायती मॉडल के मसौदे को प्रकाशित किया है। इसे विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकार ने सार्वजनिक - निजी भागीदारी प्रॉजेक्ट के रूप में अंगीकृत किया है। वे उधारकर्ताओं को समुचित समर्थन भी देते हैं एवं जमानत भी प्रदान करते हैं। अतः इस प्रकार के सार्वजनिक - निजी भागीदारी वाले प्रॉजेक्ट की ऋण आस्तियों को सुरक्षित तभी वर्गीकृत किया जाता है, जब उनके रियायती मसौदे में निम्नांकित दिशानिर्देश स्पष्ट हों:

- उपयोगकर्ता द्वारा देय प्रभार, कर अथवा टैरिफ को निलंब संपत्ति खाते या एस्करो एकाउंट में रखा जाए और उधारकर्ताओं को रियायती संस्थाओं या व्यक्तियों से अधिक अधिकार प्राप्त हों, ताकि वे पर्याप्त ऋण की वसूली कर सकें।
- जोखिम आकलन अथवा समायोजन हेतु उपयोगकर्ता पद प्रभाव की वृद्धि का प्रावधान हो, यदि प्रॉजेक्ट द्वारा अर्जित आय निर्धारित एवं अपेक्षित राशि से कम हो।
- भुगतान में चूक होने पर उधारकर्ताओं को एग्रीमेंट समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो।
- यदि उधारकर्ता करार के समाप्त होने की घोषणा कर दे तो प्रॉजेक्ट प्राधिकरण पर बाध्यता होगी कि इस प्रॉजेक्ट को बिक्री कर अंतरित कर सके एवं ऋण की चुकौती समय के पूर्व कर सके।

बैंकों द्वारा अमूर्त जमानतों के आधार पर दिए गए ऋणों के अपने प्रकाशित तुलन पत्र से अलग से टिप्पणी विवरण के रूप में दी जानी चाहिए।

मानक आस्तियों का प्रावधानीकरण :

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं प्रावधानीकरण संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधानीकरण करना चाहिए.

- कृषि तथा लघु एवं अतिलघु इकाई क्षेत्र में प्रत्यक्ष वित्त के क्षेत्र का 0.25 %.
- वाणिज्यिक स्थावर संपदा (Commercial Real Estate) क्षेत्रों को प्रदान किए गए वित्त का 1.00%
- आवासीय ऋण एवं पुनःसंचित ऋण यदि रियायती दरों पर दिए गए हों तो विस्तृत रूप प्रावधानीकरण के मानदंड रिजर्व बैंक ने निर्धारित किए हैं.
- अन्य सभी मानक आस्तियाँ व जिन्हें उपर्युक्त सूची में नहीं लिया गया, उन्हें 0.40 % के आधार पर प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है.

मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानीकरण को एकल अग्रिम से समायोजित पर निवल आस्तियों के रूप में प्रकाशित न कर तुलन पत्र की सूची 5 के अंतर्गत अन्य देयताएं एवं प्रावधान के तहत मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान के रूप में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है. साथ ही निवल अनर्जक आस्तियों के प्रावधानीकरण एवं अर्जक आस्तियों के प्रावधानीकरण को एकत्रित नहीं किया जाना चाहिए.

मध्यम उद्योगों हेतु वित्त प्रदत्त आस्तियों को 0.40% प्रावधानीकरण अनिवार्य है. मध्यम उद्योग को बृहत् रूप से रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है. वैयक्तिक संविभागों के प्रावधानों का निर्धारण प्रयोज्य दरों के आधार पर किया जाता है एवं उनमें अतिक्रय या कमी होने पर किसी पूर्ववर्ती तिथि पर किए गए प्रावधानों की तुलना में यदि प्रावधान कम हो, लाभ -हानि खाते से नामे कर प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है.

चल प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु विवेकपूर्ण मानदंड :

बैंकों के चल प्रावधानों हेतु नीतियां पारित की जानी चाहिए. बैंकों को वित्त अथवा निवेश हेतु पृथक् रूप से प्रावधानीकरण करना चाहिए, परंतु चल प्रावधानीकरण हेतु निर्धारित दिशानिर्देश "वित्त" अथवा "निवेश" दोनों के लिए समान होने चाहिए.

बैंकों द्वारा चल प्रावधानों के उपयोग हेतु निर्धारित नियम :

चल प्रावधानों का उपयोग बैंकों द्वारा विशेषीकृत प्रावधानों जिनका निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है. चल प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में असामान्य खातों हेतु विशेष प्रावधान के लिए किया जा सकता है, जिसकी पूर्व स्वीकृति बैंकों को अपने बोर्ड अथवा रिजर्व बैंक द्वारा लेना अनिवार्य है.

बैंक के बोर्ड को इस संदर्भ में स्वीकृति प्रदान करने हेतु एवं संदर्भित नीतियां बनाने हेतु विशेष परिस्थितियों में ऐसी हानि को इंगित किया जाता है, जो सामान्य कारोबार के क्रम में न होकर असाधारण एवं अनावर्ती प्रकार की होती है. रिजर्व बैंक द्वारा इन असामान्य परिस्थितियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है-

- सामान्य श्रेणी
- बाजार संबंधी श्रेणी
- वित्त संबंधी श्रेणी

सामान्य श्रेणी में ऐसी घटनाएं जैसे सामाजिक असंतुलन या किसी राज्य या राष्ट्र की मुद्रा के मूल्यों को क्षरण या प्राकृतिक आपदाओं द्वारा कारोबारों का बंद होना एवं उनके फलस्वरूप उत्पन्न हानि इन श्रेणी में आते हैं. बाजार संबंधी श्रेणी में असाधारण वित्तीय हानियों को रखा गया है.

चल प्रावधानों को लाभ-हानि खातों में समायोजित नहीं करना चाहिए. उनका उपयोग विशेष प्रावधानों हेतु असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए. अनर्जक आस्तियों पर बैंक निर्धारित दरों से अधिक दर पर अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं, परंतु हमें अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृति लेना अनिवार्य है. साथ ही वास्तविक सामूहिक हानि का आकलन कर अतिरिक्त प्रावधानीकरण की दर प्रत्येक वर्ष सामान्य हो एवं इन अतिरिक्त प्रावधानों को चल प्रावधानों के रूप में न किया गया हो. साथ ही अतिरिक्त प्रावधानों को सकल अनर्जक आस्तियों से घटाकर निवल अनर्जक आस्तियों का निर्धारण किया जाना चाहिए.

पट्टाकृत आस्तियों हेतु प्रावधान :

- i) अवमानक पट्टाकृत आस्तियों से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं - वित्त प्रभार को वित्तीय आय से घटाकर जो असंचित राशि हो, उस राशि अथवा निवल निवेश के कुल योग का 15% प्रावधान करना अनिवार्य है और यदि ऐसी पट्टाकृत

70 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

आस्तियां आरक्षित हों एवं उन्हें अवमानक वर्गीकृत किया गया हो तो अतिरिक्त 10% अथवा 25 % प्रावधानीकरण अनिवार्य है।

- ii) आरक्षित एवं संदिग्ध आस्तियां, जो वित्तीय पट्टाकृत आस्तियों पर प्राप्य राशि द्वारा सुरक्षित न हों तो 100% प्रावधान करना अनिवार्य है। साथ ही संदिग्ध आस्तियों पर सुरक्षा राशि हेतु निम्नानुसार प्रावधान अनिवार्य है :

| संदिग्ध आस्तियों की अवधि | प्रावधानीकरण हेतु आवश्यकता दर (%) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • यदि आस्तियां एक साल तक संदिग्ध हों | 25% |
| • एक साल से तीन साल तक | 40% |
| • तीन साल से अधिक | 100% |

- iii) हानि आस्तियों के प्रावधानीकरण की दर पट्टाकृत आस्तियों के निवल निवेश एवं वित्तीय आय से वित्तीय प्रभार राशि को घटाकर अप्राप्य राशि के कुल योग का 100% होगा।

विशेष अवस्थाओं में प्रावधानीकरण हेतु दिशानिर्देश :

1. पुनर्वास वित्त, जो वित्तीय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है या मियादी ऋण हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त प्रदत्त हो, उनका प्रावधानीकरण बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं की सामान्य अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए।
2. यदि पुनर्वास पैकेज कार्यक्रम में अतिरिक्त वित्त प्रदत्त किया गया हो तो ऋण संवितरण के एक साल तक प्रावधानीकरण की आवश्यकता नहीं है।
3. साथ ही यदि बैंकों द्वारा अथवा संघीय सहायता व्यवस्था के तहत सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योगों को सामान्य रूप से पुनर्वास वित्त प्रदत्त किया गया हो तो जो इकाई बीमार घोषित हो, उसको वित्त संवितरण के एक साल तक प्रावधानीकरण अनिवार्य नहीं है।
4. बैंकों की मियादी जमा योजनाओं, राष्ट्रीय बचत पत्र इंदिरा विकास पत्रों के साथ स्वर्ण आभूषणों एवं सरकारी प्रतिभूतियों तथा जीवन बीमा बचत योजनाओं के तहत दिए गए ऋणों को उनके आस्ति वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए।

5. ब्याज उचंत खातों की राशियां प्रावधानीकरण हेतु उपयोग में नहीं लायी जानी चाहिए. उनमें संग्रहित राशि को उनसे जुड़े ऋणों से घटाकर शेष राशि का प्रावधानीकरण.
6. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर संवितरित ऋणों पर गारंटी राशि के अतिरिक्त राशि पर प्रावधानीकरण अनिवार्य है. साथ ही ऐसी संदिग्ध आस्तियों पर प्रावधान करने से पूर्व बकाया राशि से प्रतिभूति मूल्य को घटाकर, शेष अप्राप्य राशि से ईसीजीसी कवर घटाकर, शेष राशि के 50% का प्रावधानीकरण किया जाना चाहिए. साथ ही आरक्षित राशि का 100% प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है.
7. साथ ही यदि ऋण गारंटी निधि न्यास स्कीम के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट द्वारा दिए गए गारंटी कवर को कुल बकाया राशि से घटाकर सुरक्षित राशि का 40% तक प्रावधानीकरण करना अथवा असुरक्षित राशि का 100% प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है.
8. अंतरण विपोषण हेतु प्रावधानीकरण के दिशानिर्देश की चर्चा करने से पूर्व अंतरण वित्तपोषण के विषय में जानकारी लेना अति आवश्यक है. संरचनात्मक क्षेत्र में दीर्घ अवधि वाले प्रॉजेक्ट हेतु यदि कोई बैंक वित्त प्रदान करते हैं और साथ ही किसी अन्य वित्तीय संस्था या बैंक से समझौता करार करते हैं कि किसी निर्धारित स्तर या तिथि पर वे इन आस्तियों का हस्तांतरण करेंगे. ऐसी वित्तीय व्यवस्था को अंतरण वित्तपोषण की संज्ञा दी गई है. सामान्य रूप से यदि अंतरण अथवा आस्ति हस्तांतरण के पूर्व यदि अतिदेय राशि हो और व्यतिक्रम की संभावना हो तो आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है एवं यह प्रावधान उसी बैंक द्वारा किया जाएगा, जिसके तुलन पत्र में यह राशि बकाया हो. आय निर्धारण भी वास्तविक देयताओं के उपरांत ही किया जाना चाहिए न कि संग्रहण के आधार पर किया जाना चाहिए. साथ ही अंतरण के पश्चात् जो बैंक उन आस्तियों का भार ग्रहण करते हैं, यदि अनर्जक आस्ति है तो वास्तविक एनपीए तिथि के आधार पर किया जाना चाहिए.
9. विनिमय दर अनिश्चितता खाते हेतु निर्मित रिजर्व कोष विनिमय दर के उतार चढ़ाव से भारतीय रुपये के मूल्यों में ह्रास होने की संभावना होती है एवं विदेशी मुद्रा ऋणों में जिनका आबंटन भारतीय रुपये में किया गया है, यदि अतिदेय हो तो प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है. इन आस्तियों का पुनः मूल्यांकन तभी किया

72 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

जाता है, यदि लेखा प्रणालियों हेतु आवश्यक है एवं उनका मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित प्रणाली आवश्यक है-

- यदि मूल्यांकन करने के उपरांत हानि हो तो बैंक के लाभ-हानि वाले खाते से समायोजन करना चाहिए.
- यदि आस्ति वर्गीकरण के उपरांत पुनः मूल्यांकन लाभ हो तो उसे आस्तियों के प्रावधानीकरण हेतु उपयोग किया जा सकता है.

10. देशी जोखिम हेतु प्रावधानीकरण

बैंकों को मार्च 31 2003 से किसी देश में किसी बैंक द्वारा प्रदत्त निवल ऋणों हेतु 0.25 से 100% तक विभिन्न जोखिम श्रेणियों के अनुसार प्रावधान करने के दिशानिर्देश रिजर्व बैंक ने दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं-

| जोखिम श्रेणी | ईसीजीसी द्वारा वर्गीकरण | प्रावधानीकरण की आवश्यकता % |
|------------------|-------------------------|----------------------------|
| न्यून या अति लघु | A-1 | 0.25 |
| लघु | A-2 | 0.25 |
| उच्च | B-2 | 20 |
| अति उच्च | C-1 | 25 |
| प्रतिबंधित | C2 | 100 |
| बाह्य वित्त | D | 100 |

किसी अन्य राष्ट्र में यदि उनकी सकल आस्तियों का 1% से अधिक हो तो उन्हें देशी जोखिम हेतु प्रावधान करने की आवश्यकता होती है. यह प्रावधान आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है और अवमानक एवं संदिग्ध आस्तियों की बकाया राशि को 100% प्रावधानीकरण करना अनिवार्य है. साथ ही विदेशी बैंकों द्वारा भारत में दिए गए वित्त का प्रावधानीकरण उनकी भारतीय खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य है. यदि अल्प अवधि के ऋणों का आबंटन हो तो सामान्य प्रावधानों का 25% ही प्रावधान किया जाना चाहिए.

11. मानक एवं अर्जक तथा अनर्जक आस्तियों के बिक्री हेतु अतिरिक्त प्रावधान-
 - क. यदि बिक्री के पश्चात् राशि, उन आस्तियों के खाते के मूल्यों से अधिक हो तो उसे लाभ-हानि खाते में जमा करना चाहिए.
 - ख. अनर्जक आस्तियों के बिक्री के कारण यदि प्रावधान अतिरिक्त हो तो उसे टीयर II पूंजी का अंश माना जा सकता है, पर यह राशि अधिकतम सीमा, जो कि कुल जोखिम आधारित आस्तियों का 1.25 % है, इससे अधिक न हो.
12. ऋणों की पुनर्संरचना के उपरांत यदि आस्तियों के मूल्यों में कमी आ जाए तो प्रावधानीकरण घटाए गए मूल्य पर किया जाना चाहिए.
13. प्रतिभूतीकरण द्वारा उत्पन्न तरलता हेतु प्रावधानीकरण के विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं, यदि यह तरलता व्यवस्था 90 दिनों से अधिक हो.
14. ऋणों के साथ-साथ उनसे जुड़े या संबंधित व्युत्पन्न तथा स्वर्ण निवेशों का प्रावधानीकरण भी उन आस्तियों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है.
15. जिन गृह निर्माण ऋणों को बैंकों द्वारा ऋणों की अवधि के प्रारंभ में कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदत्त हों एवं साथ ही कुछ वर्षों के उपरांत अधिक ब्याज दरों का प्रावधान हो तो बैंकों द्वारा 0.40% के स्थान पर 2% प्रावधान किया जाता है एवं यदि उन आस्तियों की स्थिति उस अवधि के उपरांत मानक हो तो एक वर्ष पश्चात् उस पर पुनः 0.40% तक प्रावधानीकरण किया जाना चाहिए.
16. प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात सकल अनर्जक आस्तियों से प्रावधानीकरण के अनुपात को संबोधित किया जाता है एवं उन निवेशों को इंगित करता है, जो बैंक द्वारा ऋणों से जुड़ी हानियों हेतु सुरक्षित निवेशों का अंश है. बैंकों द्वारा अपनी सुदृढ़ अवस्था के दौरान प्रावधानीकरण द्वारा पूंजी निर्माण करना चाहिए, ताकि विपरीत अवस्था में हानियों हेतु प्रावधानीकरण किया जा सके. सामान्य रूप से प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात सकल प्रावधानों, जिसमें चल प्रावधान भी सम्मिलित हो, 70% होना चाहिए. रिज़र्व बैंक से बासल मानदंड के आधार पर बैंकों को चाहिए -
 1. प्रावधानीकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव के अनुसार प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात का 30 सितंबर 2010 तक निर्माण करें.

2. यदि वे 70% से अधिक प्रावधानीकरण करते हैं तो उसे अलग खाते में शामिल करें, जिसे “Ouster cyclical provisioning as buffer” प्रति चक्रीय भंडार के नाम से संबोधित किया जाए.
3. इस बफर का उपयोग प्रतिकूल स्थितियों में विशेष प्रावधान के रूप में रिज़र्व बैंक की अनुमति पर उपयोग करें.
4. इस अनुपात का विवरण तुलन पत्र के अतिरिक्त नोट के रूप में दिया जाए.

बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के मानदंडों को पूर्ण रूप से बनाये रखने हेतु रिज़र्व बैंक ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिन्हें लेखा परीक्षण वित्तीय वर्ष के समापन एवं तुलन पत्र प्रकाशित होने के पूर्व लागू किया जाता है.

निमाई कुमार ठाकुर

एनपीए रोकथाम के लिए मंजूरी उपरांत आस्तियों का निरीक्षण

एनपीए आज के दिन सभी बैंकों के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुका है। इससे जूझते हुए सभी बैंक परेशान हैं। बेहद जरूरी होता है कि आस्तियों का वित्तीय, कानूनी और व्यावहारिक निरीक्षण कर के, समय रहते मिल रहे संकेतों को समझा जाए और तदनुसार कमियों को दूर किया जाए। इन उपायों को लागू करने से निश्चित ही ऋण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।

आज के समय में जब शून्य से शून्य का सिद्धांत लागू है, (अर्थात् ऋण शुरू होने से ऋण समाप्त होने तक), तब यह सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऋण पूर्ण रूप से जाँच परख कर ही दिया जाए, अपने ग्राहक को जाना जाये और सही तरीके से सभी जानकारियों की पुष्टि कर ली जाए। अच्छा ऋण देने का आधार सुदृढ़ मूल्यांकन और चुकाने की क्षमता या आशय की सही - सही परख है। अच्छा प्रदर्शन और अखंडता के पिछले रिकॉर्ड को भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं माना जा सकता। यहां तक कि सघन जाँच परीक्षण के आधार पर दिया गया ऋण भी खराब हो सकता है। इस तथ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि पूर्व मंजूरी परीक्षण और मंजूरी के बाद देख-रेख, दोनों ही सिक्के के दो पक्ष हैं और दोनों ही समय पर भुगतान के लिए आवश्यक हैं, जिससे हमें एनपीए रोकथाम में मदद मिलती है।

मंजूरी उपरांत यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि नियमित रूप से उन आस्तियों की जाँच करते रहें, जिनके आधार पर हमने ऋण दिया हुआ है। जाँच से हमें यह फायदा होता है कि आस्तियों से मिलने वाले संकेतों को समझकर हम समय रहते निवारक उपाय कर सकते हैं।

सामान्य तौर पर बरती जाने वाली सतर्कता और धन के प्रवाह की निगरानी, दूसरे शब्दों में बैंक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह इसलिए है कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए बैंक, उनके द्वारा मंजूर क्रेडिट सीमा, जिस उद्देश्य के लिए मंजूर की गई है, उसी उद्देश्य के लिए सख्ती से उसका उपयोग भी सुनिश्चित करे।

निगरानी - कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :

निगरानी, संवितरण के साथ शुरू होकर ऋण समाप्त होने तक जारी रहती है।

आस्तियों को एनपीए होने से रोकने के लिए निगरानी मोटे तौर पर निम्न प्रकार की हो सकती है, इन्हें-

1. कानूनी, 2. वित्तीय और तथ्यात्मक अनुवर्तन, में विभाजित किया जा सकता है।

1. कानूनी अनुवर्तन :

प्रलेखन, सही स्वरूप पर और पर्याप्त रूप से मुद्रांकित हों, ठीक तरह से सही व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाएँ, सभी मामलों में समय सीमा के अंदर एओडी/नवीकरण दस्तावेजों की प्राप्ति; न्यायसंगत बंधक, टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया हो, प्राप्तियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय या कानून विशेषज्ञों से कानूनी राय और अनुमोदन, आरओ से पंजीकृत विलेख के लिए विधि अधिकारी द्वारा दस्तावेज का सत्यापन, स्वीकृति आदेश के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन आवश्यक है।

बीमा : पूरी तरह से जोखिम कवर, बैंक खंड/शर्त के साथ बीमा, समय सीमा के अंदर नए सिरे से बीमा का नवीकरण अनिवार्य है।

2. वित्तीय अनुवर्तन :

- ऋण राशि के अंतिम उपयोग की निगरानी - धन के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जाना। इसके अलावा बिना चूक और जहाँ तक हो सके, सभी मामलों में आवश्यक दस्तावेजी सबूतों की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- एक स्वस्थ क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए कुशल और सजग निगरानी की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में, दस्तावेजों को उधारकर्ताओं द्वारा ऋण के दुरुपयोग से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाना आवश्यक है।

मंजूरी उपरांत आस्तियों को एनपीए में बदलने पर रोक लगाने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय :

(i) “प्रारंभिक चेतावनी” प्रणाली के तहत अधिकांशतः ऋण एनपीए होने से पहले कुछ संकेत देने लगते हैं, जिन्हें समय पर पहचान कर बचाव कार्य जरूरी होता है. आंतरिक निगरानी प्रयोजन के लिए बैंकों को एक समय-सीमा निर्धारित करने की जरूरत होती है, ताकि अतिदेय खातों के लिए एक समय सीमा के अन्दर अपेक्षित सक्रिय हस्तक्षेप किया जा सके - अच्छे खाते के एनपीए होने के संकेतों को समझा जा सके और उसे सक्षम बनाया जा सके. डिफॉल्ट कुछ निहित कमजोरियों की वजह से होता है, जिसके कारणों का समय से आकलन जरूरी है. पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान संभावित एनपीए सूची के अनुसार की जानी चाहिए. समयबद्ध कार्रवाई के द्वारा फिसलन को रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं. खाते में एक या एक से अधिक संभावित लक्षणों के आधार पर, उसे संभावित एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है एवं उनकी रोकथाम की जा सकती है.

1. शेयर विवरण/वित्तीय विवरण/अन्य नियंत्रक विवरणों को प्रस्तुत करने में विलंब.
2. उधारकर्ताओं द्वारा जारी किए गए चेकों की वापसी.
3. नियमित किश्तों का उचित अवधि भीतर भुगतान न होना.
4. रियायती बिलों/चेकों की अधिकांशतः वापसी या वसूली के तहत रियायती बिल का भुगतान प्राप्त न होना.
5. बिक्री में गिरावट और मुनाफे के मामले में खराब वित्तीय प्रदर्शन, नकदी घाटा, शुद्ध घाटा, निवल मूल्य आदि में कटौती.
6. पंजीकरण के मामले में, अधूरे दस्तावेज, बंधक आदि मंजूरी के नियमों और शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर आरोप तैयार करना.

विशेष उल्लेख खाते :

एनपीए में फिसलन से निपटने के लिए समय पर पर्याप्त उपायों के साथ जल्दी पहचान को एक प्रणाली के रूप में विकसित करना बहुत सहायक सिद्ध होगा.

एक विशेष उल्लेख खाते में, संक्षेप में, निम्नलिखित मुख्य लक्षण हो सकते हैं-

परिसंपत्तियों को निकटता से निरीक्षण की जरूरत होती है, जो कि संभावित कमजोरियों में से एक है, समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से इसे हल किया जा सकता है.

इस विशिष्ट संवर्ग के तहत किसी संपत्ति का वर्गीकरण अक्सर किसी बैंक की कमजोर सर्विसिंग नीतियों का ही नतीजा है, हालांकि तकनीकी या अन्य कारकों से भी यह हो सकता है।

इसके अलावा अनियमितताओं के लगातार बने रहने से कोई भी खाता, “विशेष उल्लेख खाते” में परिवर्तित हो सकता है, इस तरह के खातों को अपर्याप्त नकदी प्रवाह जैसे कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्परतापूर्वक विनियामक निरीक्षण और प्रूडेंशियल रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य रूप से किसी भी तरह की संभावनाओं से बचने के लिए समय-सीमा में समुचित निवारक कार्रवाई करना उचित रहता है।

(ii) असली इरादे से ऋण लेने वालों की पहचान :

गैर जिम्मेदार लोगों और असली इरादे से ऋण लेने वालों की पहचान बहुत आवश्यक है। प्रतिबद्धता या पुनरुद्धार में हिस्सेदारी बैंकों के लिए एक चुनौती है। इस उद्देश्य के आकलन के लिए फ्रंट लाइन ऑफिसरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें सजग रह कर प्रोमोटर्स, प्रोजेक्ट एवं अन्य सभी संबंधित अंदरूनी जानकारी समय-समय पर प्राप्त करनी होती है। बैंकों को एक विशेष तकनीकी पैनल गठित करके, उधारकर्ताओं की परियोजनाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है, अस्थायी फंडों के बेमेल होने के कारण को वास्तविक समस्या के आधार पर पहचाना जाना चाहिए। उधारकर्ताओं की अतिरिक्त धन की आकस्मिक आवश्यकताओं आदि समस्या को शाखा स्तर पर निपटाया जा सकता है।

इस उद्देश्य के लिए इस तरह की आकस्मिकताओं से निबटने के लिए, एक विशेष सीमा मंजूरी ली जा सकती है। इसके माध्यम से अतिरिक्त धन अनुरोध करने की जरूरत नहीं रहेगी।

(iii) समयबद्धता और प्रक्रिया की पर्याप्तता :

प्रक्रिया में जितना विलंब किया जाएगा, ऋण और आस्तियां उतनी ही मात्रा में प्रतिकूलतः प्रभावित होंगी। किसी भी रोकथाम या पर्यवेक्षण में समय-सीमा का पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है।

(iv) नगदी प्रवाह पर फोकस :

पुनर्गठन के समय, बैंकों द्वारा वित्तपोषण करते हुए, एक भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना हो सकती है, जिसे केवल पारंपरिक फंड प्रवाह विश्लेषण की तस्वीर, या फिर

ताजा ऋण आवश्यकताओं के लिए पुनर्मूल्यांकन करके, या फंड प्लो विश्लेषण करके, या कैश प्लो के बजाय केवल फंड के प्रवाह के आधार पर, दूर किया जा सकता है।

(V) प्रबंधन प्रभावशीलता :

उधारकर्ताओं के बीच आम धारणा यह है कि वित्त की कमी के कारण ऋण रुग्णता/ एनपीए की ओर चला जाता है। लेकिन हर समय यही मामला नहीं होता, कई अन्य कारणों जैसे तकनीकी खामियां या समय रहते दस्तावेजों को अद्यतन न करना या कंप्यूटर में समय रहते उनका नवीकरण न होना आदि से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा भी कभी-कभी प्रबंधन प्रभावहीनता, प्रतिकूल व्यापार की स्थिति से निपटने के लिए उचित रणनीति का अभाव इत्यादि भी उधार को प्रभावित करते हैं, और ये सब भी काफी महत्वपूर्ण पहलू हैं। बाद में इकाई की कीमत, प्रबंधन की गुणवत्ता के संदर्भ में भी उद्यम की बुनियादी व्यवहार्यता को परखना अनिवार्य होता है, जिसकी सामयिक जांच के बाद ही पुष्टि की जा सकती है। हमें उचित तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार किसी भी भविष्य की कार्रवाइयों पर विचार किया जा सकता है।

(vi) संघ/एकाधिक वित्तपोषण (कन्सोर्शियम फाइनेंस) :

- व्यवहार्यता और पुनर्गठन का आकलन
- कुछ डिफॉल्ट के मामलों में, जहां इकाई अभी भी काम कर रही है, बैंक को चाहिए कि

वह नकदी प्रवाह की बराबर एवं नजदीक से समुचित जानकारी रखे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के नकदी प्रवाह का कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जाता है। अंत इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, संघ (कन्सोर्शियम) के बीच जानकारी का नियमित प्रवाह होना चाहिए, सदस्य, जोकि संघ का हिस्सा नहीं हैं, को चाहिए कि नियमित रूप से cibil से जानकारी प्राप्त करें, और यह भी कि इस तरह के ग्राहकों के लिए गैर संघ बैंकों (non group banks) से ऋण प्रस्तावना को सीधे - सीधे तौर पर नकार दिया जाए (उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट (सिबिल) का इस्तेमाल किया जा सकता है)।

उधारकर्ताओं/ दोषी पर सार्थक जानकारी का आदान - प्रदान बैंकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सभी उधारदाताओं का एक ही मंच पर होना, ऋणदाता की प्राथमिकता से अलग नहीं होना चाहिए। इससे उधारदाताओं को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए एक लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

(vii) कानूनी और संबंधित मुद्दे :

तय समय-सीमा के अंदर दिये गए सभी दस्तावेजों का नवीकरण एवं यह सुनिश्चित करना कि उचित स्टाम्प-मूल्य डाल कर सभी दस्तावेजों को दुरुस्त रखा जाए, एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है.

इन सभी सुझावों के बावजूद भी यह बैंक में सभी की जिम्मेवारी होती है कि ऋण के खराब होने के पूर्व खाते से मिल रहे संकेतों को सही - सही समझा जाये और समय पर ही निदान किया जाये.

अंत में हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी ऋण की अगर हम मंजूरी उपरांत देख-रेख, समय-सीमानुसार एवं नियमबद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो यह खतरा हमेशा बना रहता है कि लोन एनपीए न हो जाए. अतः सभी आस्तियों का मंजूरी उपरांत निरीक्षण और सजग एवं सटीक निरीक्षण जरूरी है.

विशाल झाड़िया

राजस्व वसूली अधिनियम की प्रभावोत्पादकता

भारत की बैंकिंग व्यवस्था अन्य एशियाई देशों से भिन्न प्रकार की है, जिसका कारण भारत की अनूठी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं का पाया जाना है। भारत की विशाल भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक संरचना के कारण विभिन्न प्रांतों के लोगों की आज बृहद स्तर पर असमानताएँ परिलक्षित होती हैं। अगर मूल रूप से देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकिंग की स्थापना सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ, आय के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये हुई थी। इसके लिए बैंकों ने कृषि आधारित उद्योगों को ग्रामीण भागों में बढ़ावा दिया तथा सरकारी धन से पोषित विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सरल व सुलभ ऋण व्यवस्था उपलब्ध करवाई।

बैंकों ने 1993 के बाद के वैश्वीकरण के दौर में बहुत-सा ऋण ग्रामीण क्षेत्रों व सरकारी प्रयोजनों हेतु दिया। आज के विकास के दौर में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अनेकों समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें से एक प्रमुख है - बढ़ता हुआ एनपीए।

एनपीए एक ऐसा ऋण खाता है, जो बैंक के लिए आय देना बंद कर देता है तथा बैंक द्वारा दी गयी पूंजी उस निश्चित ऋण में फंस कर रह जाती है।

ऐसी परिस्थिति में एनपीए प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य बनकर बैंकिंग क्षेत्र में उभरा है, जिसके बारे में जानने से पहले एनपीए की स्थिति को जानना महत्वपूर्ण होगा।

पिछले वर्ष 2011-12 की तुलना में 35 लिस्टेड बैंकों में 2012-13 वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए 51% तक बढ़ा।

नियमित व्यावसायिक बैंकों में एनपीए स्तर

प्रतिशत एनपीए विभिन्न बैंकों में (कुल अग्रिम का)

| बैंक | 2006 | 2009 | मार्च, 2013 | सितं, 2013 |
|--------|------|------|-------------|------------|
| सरकारी | 3.9% | 2.1% | 3.61% | 4.46% |
| निजी | 2.6% | 3.1% | 1.82% | 1.94% |

एनपीए प्रबंधन में एनपीए होने वाले खातों को दिये गये ऋण का प्रबंधन करते हुए उसे वसूलने के तरीके पर विचार किया जाता है. इसमें बैंक द्वारा उधारकर्ता को समझाना तथा विभिन्न विधिक उपायों द्वारा ऋण की वसूली सुनिश्चित करना शामिल है.

कुछ उपायों पर एक नजर :

- लोक अदालत
- ऋण वसूली नियम
- ऋण वसूली अधिनियम (1993)
- सरफेसी (SARFAESI 2002)
- राजस्व वसूली अधिनियम
- मूलतः राजस्व वसूली अधिनियम का उद्देश्य है - सरकारी योजनाओं में वितरित किए गए ऋणों की वसूली में सरकार का सहयोग.

राजस्व वसूली अधिनियम को देखा जाए तो यह आम जनता के पैसों की वसूली से संबंधित है.

बैंक एनपीए एवं राजस्व वसूली का संबंध :

बैंक आम जनता तथा सरकार के पैसों को जमा के रूप में स्वीकार करके ऋण के रूप में आम लोगों को उपलब्ध करवाती है. इस प्रकार इस ऋण से बनी संपत्ति, आम जनता के धन से बनती है. इसलिए आम जनता के पैसे उस स्थिति (परोक्ष रूप से) में मौद्रिक बाजार में फंस जाते हैं, जब कोई खाता एनपीए हो जाता है. राजस्व वसूली अधिनियम सरकारी ढांचे के स्रोतों (आर्थिक, मानवीय) को प्रयोग में लाते हुए ऋण की वसूली को सुनिश्चित करने का कार्य प्रभावी ढंग से करता है.

राजस्व वसूली में - यह राज्य सरकार के नियंत्रण वाला विभागीय ढांचा है, जिसके नियमन हेतु जिला स्तर पर सबसे बड़ी इकाई के तौर पर जिला कलेक्टर होता है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राजस्व वसूली अधिनियम के तहत बाकी/बकाया राजस्व (भू-राजस्व) किसी व्यक्ति या संस्था पर बकाया वह देय होता है, जिसका निश्चित देय निधि तक भुगतान न किया जाये, जो देय किसी निश्चित किश्त बंदी या अन्य किसी प्रावधान के तहत देय हो। बाकीदार, ऐसा व्यक्ति या संस्था जिस पर सार्वजनिक राजस्व बकाया हो, इसमें वह व्यक्ति भी शामिल किया जाता है, जिसने उस व्यक्ति के भुगतान की जमानत ली हो।

राजस्व वसूली की विधि निर्धारण में बाकीदार भी अहम् भूमिका निभाते हैं। यह इस प्रकार निर्धारित होता है कि बाकीदार -

| | |
|---|--|
| ऋण चुकाना चाहता है और समर्थ है | ऋण चुकाना नहीं चाहता है, परंतु समर्थ है |
| ऋण चुकाना चाहता है, परंतु समर्थ नहीं है | ऋण चुकाना नहीं चाहता है और समर्थ नहीं है |

राजस्व वसूली के तहत बकाया वसूलने की विधि/तरीके :

- बाकीदार की अचल संपत्ति को बेचना/नीलाम करना.
- बाकीदार की चल संपत्ति को बेचकर.
- एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं, जो अचल संपत्ति या उस पर स्थापित किसी व्यापार का संचालन कर सकता है.
- बाकीदार को गिरफ्तार करके उसे कैद में रखकर.

राजस्व वसूली अधिनियम आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि राजस्व वसूली करना राज्य सरकार का दायित्व है तथा यह बढ़ते एनपीए के बोझ को प्रभावी रूप से खत्म कर सकता है।

राजस्व वसूली अधिनियम में राजस्व वसूली करना सरकारी दायित्व होता है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यह जमीन पर बकाया राजस्व वसूलने का कार्य करता है।

84 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

हर राज्य में यह अधिनियम आवश्यकतानुसार होता है, लेकिन इसका कुछ राज्यों में ही प्रभावी ढंग से प्रयोग हो पाया है, जैसे :

- कर्नाटक राजस्व वसूली अधिनियम (1964)
- तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम (1964)
- केरल राजस्व वसूली अधिनियम (1968)
- गुजरात सार्वजनिक मुद्रा अधिनियम (बकाया वसूली) (1979)
- राजस्थान राजस्व वसूली अधिनियम (1980)
- उत्तर प्रदेश राजस्व वसूली अधिनियम (1965)

इस वसूली अधिनियम के तहत :

- सभी प्रकार के कृषि आधारित ऋण सम्मिलित हो जाते हैं
- सरकारी ऋण परियोजनाएं

इस अधिनियम में सार्वजनिक धन अधिनियम (Public Money Act) तथा कृषि वसूली अधिनियम सम्मिलित होते हैं.

राजस्व वसूली अधिनियम के तहत एनपीए हुए खाता धारक को -

बैंक की तरफ से सर्वप्रथम 30 दिन का मांग पत्र जारी किया जाता है, जिसके अनुसार समय पर निस्तारण नहीं होने पर अंतिम मांग पत्र 30 दिन की कालावधि का जारी किया जाता है. इस पर भी जवाब नहीं मिलने पर बैंक की तरफ से राजस्व वसूली प्रारूप के अनुसार तीन प्रतिलिपियां बनाकर कलेक्टर को भेजी जाती हैं. कलेक्टर इसका अध्ययन कर एक प्रतिलिपि स्वयं रखता है, एक बैंक को भेजता है तथा तीसरी प्रतिलिपि तहसीलदार या स्वयं द्वारा निर्धारित अधिकारी को देता है, जो उसकी जांच प्रक्रिया पूर्ण करता है. जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर संबंधित कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है.

अचल संपत्ति हेतु - नियुक्त अधिकारी मांग पत्र पर बाकीदार के हस्ताक्षर करवाते हैं, जिसमें उसका नाम, बकाया राशि, अतिदेय होने की तारीख आदि होते हैं. यदि नियुक्त अधिकारी बाकीदार से बकाया ऋण जमा करवाने में असमर्थ होता है तो संपत्ति जब्त कर ली जाती है.

इसके बाद 15 दिन का सूचना पत्र जारी किया जाता है, अगर इस अवधि में भी बकाया चुकाया नहीं जाता है तो संपत्ति को बेचा जा सकता है.

अचल संपत्ति हेतु मांग पत्र जारी किया जाता है तथा बकाया निश्चित अवधि तक जमा नहीं करवाने पर संपत्ति जब्त हो जाती है.

इस संपत्ति पर अगर 14 दिन की अवधि में तृतीय पक्ष अपना दावा नहीं करता तो प्रतिनिधि अधिकारी उसे नीलामी हेतु जब्त करने का आदेश दे देते हैं.

बैंक के अधिकारी भी नीलामी के समय संपत्ति जब्त करने के लिए उपस्थित रह सकते हैं.

नीलामी :

- सार्वजनिक तौर पर की जाती है.
- नीलामी पत्र (सूचना) नीलामी से 30 दिन पूर्व आता है.
- संपत्ति की बोली लगाने वालों को न्यूनतम 15% (अचल संपत्ति) जमानत के तौर पर रखना होता है.
- प्रतिनिधि अधिकारी चाहे तो इस अवधि (30 दिन) को बढ़ाकर (60 दिन) तक कर सकता है.

हाल ही में आयी नियंत्रक महा लेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट :

| | |
|---|----------------------|
| तमिलनाडु (31 मार्च 2010) तक बकाया वसूली | - रु. 10990.96 करोड़ |
| जिसमें से 75 वर्ष बकाया | - रु. 5334.90 करोड़ |
| तथा इसमें से राजस्व वसूली अधिनियम में आने वाली मात्रा | - रु. 1163.31 करोड़ |

इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने तमिलनाडु सरकार से राजस्व वसूली अधिनियम के तहत (विभिन्न बैंकों के) राजस्व वसूली करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा गत 2 वर्ष की अल्पावधि में राजस्व वसूली का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया है.

आज भारत जैसे कृषि प्रधान ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले देश में बैंकों के लिए राजस्व वसूली अधिनियम बहुत प्रभावी बन पड़ा है. इस अधिनियम का मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रभाव दोनों स्तरों पर परिलक्षित होता है.

इस अधिनियम से बैंक की जगह सरकारी व्यवस्थागत ढांचे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सरकार अपने स्तर पर राजस्व वसूलने का कार्य करती है. बैंक हेतु इसके बहुत

फायदे बन जाते हैं, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में राजस्व वसूली अधिनियम ही महत्वपूर्व अधिनियम है, जो कृषि प्रधान, ग्रामीण जनसंख्या से ऋण की वसूली कर पाता है.

- इस अधिनियम को प्रभावात्मकता की दृष्टि से देखा जाये तो सरकारी लोगों के शामिल होने से लोगों के अंदर ऋण जमा करने की भावना जागती है.
- यह सभी कृषि ऋणों के लिए बहुत उपयोगी (छोटी ऋण मात्रा वाले) है.
- सरकारी पैसे से संचालित योजनाओं की राजस्व वसूली हेतु प्रभावी.
- बैंक के कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव कम होता है, क्योंकि उनका कार्य अब सरकारी ढांचे के द्वारा सम्पन्न होता है.
- इसके सफल क्रियान्वयन हेतु, कलेक्टर द्वारा कुछ शुल्क वसूला जाता है, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन यह कलेक्टर ही निर्धारित करता है कि शुल्क की मात्रा क्या होगी.
- यह ग्रामीण क्षेत्रों को समाविष्ट करता है, जहां ऋण की मात्रा कम होती है, बैंक के लिए जहां वसूली करना महंगा होता है तथा जहां पर एनपीए होने की संभावनाएं अधिक होती हैं.

इस प्रकार राजस्व वसूली अधिनियम बैंक के एनपीए प्रबंधन में सहायक होता है, लेकिन कुछ कमियां भी सामने आती हैं:

- इसका हर राज्य में प्रभावी रूप से लागू न होना.
- इसके बारे में जानकारी का अभाव - जो कि सरकारी एवं बैंकिंग दोनों स्तरों पर परिलक्षित होता है.
- जैसा कि कानूनी व्यवस्थाओं में होता है, बहुत सारी कमियों का फायदा उठाकर संपत्ति नीलामी पर रोक लगा दी जाती है, मामला न्यायालय में चला जाता है तथा एनपीए वसूली में और समय लग जाता है.

इन सब कमियों के बावजूद राजस्व वसूली की प्रभाविता को गौण नहीं समझा जा सकता है. इसमें सुधार के साथ-साथ सही क्रियान्वयन होने पर इसके अंतर्गत आने वाले सभी अग्रिम ऋणों की वसूली समय पर हो सकेगी.

दिलीप ए. गवई

लोक अदालत-वैकल्पिक विवाद निस्तारण फोरम

बैंक देयराशि की वसूली हेतु बैंकों द्वारा दीवानी न्यायालयों में दायर मुकदमों की संख्या, वर्ष 1980 के अंत में इतनी बढ़ गयी थी कि उपलब्ध आधारभूत संरचना के भीतर उचित समय सीमा में मुकदमों का निपटान करना काफी कठिन होने लगा था. अतः समझौता संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस होने लगी, ताकि छोटी रकमों के विवाद, कानूनी कार्यवाही की कठिन लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय प्रतियोगी पार्टियों के बीच निपटाए जा सकें. समझौता करारों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक था कि करारों को न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए. इसका मतलब था कि ऋणदाता बैंकों के लिए, कानूनी कार्यवाही पर बिना धन खर्च किए, कम समय सीमा के भीतर भारी संख्या में उपलब्ध छोटी रकम वाले एनपीए का निपटान करवाना.

यह समय की मांग थी एवं विधि सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 का अधिनियमन हुआ, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू किया गया. लोक अदालतों के जरिये समझौता प्रक्रिया इस अधिनियम से प्रारम्भ हुई. पहले उल्लेख के अनुसार, किसी भी विवादित पार्टियों को न्यायालय गए बगैर ही न्याय दिलवाने की यह एक सामान्य प्रक्रिया है. प्रतियोगी पार्टियां अपने विवाद सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, इसी भूमिका पर लोक अदालत कार्य करती है. विवाद सरल, शीघ्र एवं कम लागत पर निपटाने के लिए यह प्रक्रिया मदद करती है. जब से यह लागू हुआ है, तब से देय राशि, विशेष रूप से बैंक देय राशि के निपटान में लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

अधिनियम द्वारा गठित लोक अदालत के मुख्य पहलू :

विधि सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार के तहत लोक अदालत गठित की गयी है. अधिनियम के अधीन विधि सेवाएँ

उपलब्ध करवाने के लिए नीति एवं सिद्धान्त बनाने के लिए यह प्राधिकरण शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करता है। समझौता/मध्यस्थता/समंजन की प्रक्रिया के जरिये सरसरी तौर पर विवादों के लिए लोक अदालत कार्य करती है, जो देश के विभिन्न स्थानों पर गठित की गई है। लोक अदालत का परिचालन संबंधित राज्यों में गठित राज्य स्तर, जिला स्तर एवं तालुका स्तर एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जिला विधि सेवाएँ प्राधिकारी, जिसके प्रधान, मुख्य जिला न्यायाधीश, अधिनियम की धारा 10 में उल्लेखित कार्य देखते हैं। प्राधिकार में उल्लेखित ऐसे कार्य संबन्धित अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, जिला प्राधिकारी, तालुका स्तर विधि सेवाएँ समिति तथा जिले की अन्य विधि सेवाओं की गतिविधियों का समन्वयन करते हैं।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय :

मध्यस्थता/समझौता के किसी मामले पर निर्णय हेतु, दीवानी कार्यविधि संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों के अधीन दीवानी न्यायालय को प्रदत्त वही अधिकार, लोक अदालत के पास होंगे। अतः लोक अदालत, किसी भी गवाह को सम्मन भेजकर उपस्थिति प्रवर्तित कर शपथ के आधार पर प्रश्न पूछकर जांच कर सकती है, परीक्षण आदि के लिए किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी न्यायालय या कार्यालय से दस्तावेज (या प्रति) माँगा सकती है, शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकती है एवं किसी दस्तावेज को परीक्षण आदि के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है। सामान्य स्थिति में, लोक अदालत उसके सम्मुख आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण हेतु अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अधिकार सुरक्षित रखती है। संक्षेप में, लोक अदालत के सम्मुख आने वाली कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अनुसार न्यायिक कार्यवाही है।

दीवानी विवाद तथा गैर-समाधेय फौजदारी अपराध :

किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं, ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर अन्य फौजदारी या दीवानी विवाद, जो किसी न्यायालय के सम्मुख लंबित हो, की लोक अदालत द्वारा सुनवाई एवं निपटान किया जा सकता है। विवादित दावा, जो निर्णय हेतु किसी न्यायालय में नहीं गया हो, अर्थात् जिसमें कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गयी हो, उसमें ऐसे विवादित मामलों में विवाचक के रूप में लोक अदालत कार्य करती है तथा सभी पार्टियाँ, जो धारा 19(5) को मान्य हो, ऐसा समझौता निपटान करती है। बैंक देय राशि के मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार ऋणदाता बैंक, सभी एनपीए खाते जिसमें रु. 20 लाख की बकाया शेषराशि हो (मुकदम दायर एवं गैर-मुकदमा दायर दोनों खातों), एवं जो संदिग्ध एवं हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हों, को ऐसी लोक

अदालत योजनाओं में शामिल कर सकता है। लोक अदालत लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य ओटीएस योजनाओं की तरह कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है।

लोक अदालत को निर्दिष्ट (रेफरंस) करना एक महत्वपूर्ण कार्य:

विधि सेवा प्राधिकार अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, निर्धारित पद्धति - धारा 20(1) द्वारा निर्दिष्ट होने पर न्यायालय से प्राप्त मामलों पर लोक अदालत विचार करती है। जब कभी संबन्धित विधि सेवा प्राधिकारी या लोक अदालत की संचालन समिति द्वारा निर्धारित पद्धति - धारा 20(2) में निर्दिष्ट मामलों पर भी लोक अदालत विचार करती है, उक्त रेफरंस को छोड़कर किसी पार्टी द्वारा स्वयं निर्दिष्ट करने पर मामलों पर विचार करने एवं निर्णय देने का अधिकार लोक अदालत के पास नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण है कि लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के पूर्व न्यायालय दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही संतुष्ट होने पर लोक अदालत को रेफर करते हैं। मामला प्राप्त होने के तुरंत बाद लोक अदालत, विवादित पार्टियों के बीच समझौता या निपटान करने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में, लोक अदालत न्याय, निष्पक्षता, न्यायसंगत निष्पक्ष व्यवहार एवं विधि सिद्धांतों का अनुपालन करती है। कभी-कभार विवादित पार्टियों के बीच कोई समझौता या निपटान हो नहीं पाता, तब ऐसे मामलों के रिकॉर्ड, संबंधित न्यायालय (जिसने मामला रेफर किया था वहाँ) को लोक अदालत वापस भेज देती है एवं न्यायालय में न्याय मांगने के लिए पार्टियों को सलाह देती है। लोक अदालत को ऐसे मामले निर्दिष्ट करने के पूर्व मामले जिस स्तर पर थे, वहाँ से आगे की कार्रवाई न्यायालय द्वारा पुनः प्रारम्भ की जाती है।

लोक अदालत द्वारा दिये गए निर्णय की स्थिति :

जब लोक अदालत के आदेश पर समझौता किया जाता है, तब निर्णय दिया जाता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, दीवानी न्यायालय की आज्ञा (डिक्री) या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के समकक्ष होगा। निर्णय सभी संदर्भों में अंतिम होगा तथा विवाद की सभी पार्टियों के लिए बाध्य होगा (अधिनियम की धारा 21)। अतः निर्णय आज्ञा (डिक्री) के रूप में प्रवर्तनीय होगा एवं अंतिम होगा। वास्तविक रूप में, निष्पादन का मूल प्रयोजन, विवादों को सीमित करना तथा अंतिम निर्णय इस प्रकार से निश्चित करना, ताकि पार्टियों को पुनः मुकदमा दायर करने या विवाद को उत्पन्न करने के लिए बाध्य होना न पड़े। तथापि, लोक अदालत का निर्णय गुणवत्ता पर विवाद के परिणामस्वरूप नहीं है (नियमित न्याय विचार मुकदमे पर न्यायालय द्वारा नियमित मुकदमे के मामले के जैसा)। इस निर्णय को सम आधार पर एवं न्यायालय द्वारा दिये गए समझौता आज्ञा

(डिक्री) को नियमित अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार, लोक अदालत के निर्णय को कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी नियमित उपायों, जिसमें निर्णय की सत्यता को चुनौती के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 को आह्वान भी शामिल हो, को चुनौती नहीं दी जा सकती।

लोक अदालत समझौते का लाभ :

वसूली के मामले या विवादों का निपटान करने के लाभ संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- न्यायालय में वर्तमान किसी भी मुकदमे या नए विवादों पर लोक अदालत विचार कर निर्णय दे सकती है।
- लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय विधि संगत होता है, जो बंधनकारी एवं अंतिम होता है, जिस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती।
- यदि कोई समझौता न हो, तब पार्टी न्यायालय कार्यवाही को जारी रख सकती है।
- अंत में, कार्यवाही पर कोई कोर्ट शुल्क प्रभारित नहीं किया जाता।

ऋणदाता बैंक के लिए महत्वपूर्ण सुझाव :

भारतीय रिजर्व बैंक ने राय प्रकट की है कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक देय राशियों के निपटान के लिए सख्त नियम नहीं हो सकते। ऐसे निपटानों में लचीला दृष्टिकोण अपनाना व्यावहारिक होगा। लोक अदालत के माध्यम से विवाद के निपटान करवा लेते समय कुछेक एक समान सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली ऋणदाता को अपनानी होगी।

लोक अदालत से बैंकों द्वारा आज्ञापति (डिक्री) प्राप्त करना :

मुकदमे में दावा की गयी रकम एवं ब्याज के लिए ऋणदाता बैंक को आज्ञापति (डिक्री) प्राप्त करनी चाहिए। निर्णयित रकम के पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही बैंक द्वारा डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। चूंकि, लोक अदालत, मौके पर ही मामलों का निपटान करती है एवं लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करना ही उद्देश्य है, इसलिए लोक अदालत के प्रधान अधिकारी के सुझावों के प्रति अग्र सक्रियता से बैंकर को रिस्पाण्ड करना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऋणदाता बैंकों के अधिकारियों को विभिन्न स्थितियों में समझौता बातचीत के लिए पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। समझौता या

अन्य मामले में अपने नियंत्रक प्राधिकारी को मामला रेफर करना पड़ेगा. इस भूमिका से योजना का प्रयोजन बेकार हो जाएगा.

बैंक प्रतिनिधियों को प्राधिकार देना :

प्रत्येक बैंक लोक अदालत में उपस्थित रहने वाले अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को छूट/रियायत की मात्रा से अवगत कराएगा. प्रतिभूति के मूल्य, उधारकर्ता की ऋण चुकौती क्षमता, वसूली की लागत एवं सबसे महत्वपूर्ण अन्य उपचित लागत, जिसकी गणना न की हो, (क्योंकि खाता एनपीए हुआ है) को शामिल कर, उधारकर्ता द्वारा कुल देय राशि पर ऐसी छूट की मात्रा निर्भर करेगी.

चुकौती अवधि :

भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि चुकौती अवधि एक से तीन वर्षों के भीतर होनी चाहिए. इस सीमा अवधि से अधिक दी गयी चुकौती अवधि, एनपीए घटाने को तत्काल प्रभावित नहीं करेगी.

रकम चुकता न करने की स्थिति में समझौता करार में

उपवाक्य जोड़ना :

उधारकर्ता के साथ किए गए समझौता करार में उपवाक्य जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें उल्लेख हो कि निर्धारित की गयी अवधि के दौरान एक या अधिक किस्तों का भुगतान न करने पर, सम्पूर्ण ऋण रकम को तत्काल रूप से चुकाना होगा एवं ऐसी रकम की वसूली के लिए बैंक कानूनी कार्यवाही करेगा.

बैंकों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन करना :

बैंकों को अग्रसक्रिय रहकर लोक अदालत आयोजित करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए. इस संदर्भ में लोक अदालतों को आयोजित करने हेतु राज्य/जिला/तालुका स्तर के विधि सेवा प्राधिकारियों से बैंकों को संपर्क करना चाहिए. राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंकों तथा जिलों के अग्रणी बैंकों को योजना का आवश्यक प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए.

गणेश तिवारी

प्रूडेन्शियल राइट ऑफ की प्रासंगिकता तथा एन.पी.ए. पर इसका प्रभाव

बैंकिंग एक बहुत व्यापक दायरे वाला अति सक्रिय सेवा उद्योग है, जहां नित प्रति व्यापक बदलाव समयानुसार होते रहते हैं। मुख्यतः ये बदलाव किसी पूर्व परिभाषित (Pre-defined) नियमों की जगह विश्व के विभिन्न बैंकों द्वारा किये गये अनुभवों से संचालित/प्रभावित होते रहते हैं।

पहले की बैंकिंग सिर्फ जमाराशियां लेने व ऋण देने तक सीमित थी, जो समय-समय पर विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आज वित्तीय सुपर बाजार की तर्ज पर कार्य कर रही है, यानि “सभी वित्तीय आवश्यकताओं की एक ही छत के नीचे उपलब्धता” और जब हम बात इस व्यापार परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो किसी भी संस्था का मुख्य लक्ष्य चिरकालीन अस्तित्व वाली एक विख्यात एवं निरंतर लाभप्रद संस्था के रूप में पहचान बनाना होता है।

अभी कुछ दो दशक पूर्व तक हम सिर्फ ऋण देने की बात करते थे और उस दिये गए ऋण पर नियमित मासिक/तिमाही/छमाही आदि अंतराल पर ब्याज प्रभारित करते थे, चाहे प्रभारित ब्याज ऋणी जमा करें या न करें। सचेतकों, आडिटरों ने गहन मंथन के बाद परिभाषित किया कि यदि प्रभारित ब्याज व किश्तें नियमित जमा नहीं हो रही हैं तो एक समय सीमा के बाद संबंधित ऋण खाते में और ब्याज लगाना लेखा मानदंडों के अनुसार भी व वास्तविक रूप से भी गलत है, जाली आय दिखाने के समान है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता का गलत प्रस्तुतीकरण होता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। कालांतर में ऐसे ऋणों को अनुत्पादक आस्तियों का नाम दिया गया और विश्व के विभिन्न देशों के बैंकों ने इसे अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के कारण लगभग सभी देशों में समान रूप से परिभाषित है और हमारे देश

में केंद्रीय नियंत्रक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समान रूप से सभी बैंकों पर लागू किया गया है।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बैंक के लिए एनपीए का बढ़ना उस बैंक की लाभप्रदता को घटाने के साथ-साथ उसकी छवि व आंतरिक सुदृढ़ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंक व प्राइवेट बैंक सार्वजनिक निर्गम के जरिये स्टॉक एक्सचेंज में सूची बद्ध हैं। अतः न सिर्फ भारत सरकार के प्रति, बल्कि देश की जनता के प्रति भी उत्तरदायी हैं, इसलिए एनपीए प्रबंधन सभी बैंकों का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में हमारे इस लेख की विषय-वस्तु अत्यंत समीचीन है। आइए संक्षेप में चर्चा करते हैं। प्रूडेन्शियल राइट ऑफ अंग्रेजी शब्द है, जिसे यदि हम थोड़ा शाब्दिक तौर पर परिभाषित करें तो इसका मतलब निकलता है, बुद्धिमतापूर्वक बट्टे खाते में डालना और चूंकि विषय-वस्तु बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में है, अतः पी. डब्ल्यू. का तात्पर्य अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने से है। इस क्रिया को बैंकिंग की भाषा में ऋणों को राइट ऑफ करना बोलते हैं, जो कि अपने-आप में सिर्फ लेखा हेतु एन.पी.ए. प्रबंधन है और कुछ नहीं। यह न तो वास्तविक रूप से एनपीए घटाता है, न ही कोई ऐसा साधन है, जो बढ़ते एनपीए को रोके और लाभप्रदता बढ़ाये। अतः इसे सिर्फ तुलनपत्र प्रबंधन के एक साधन के रूप में देखने की जरूरत है, जो बैंक के बाह्य ग्राहक को दिखाने के लिए है, न कि बैंक के आंतरिक ग्राहक यानि स्टाफ सदस्यों को।

उक्त वाक्य क्यों लिखा गया, आइये इसे समझते हैं :

पूर्व प्रथा में हम प्रूडेन्शियल राइट ऑफ में ऋण की बकाया राशि में से 100 रुपया प्रतीकात्मक बकाया राशि छोड़कर शेष राशि बट्टे खाते में डालकर बाकी राशि का पीओबी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय पर आहरित करते थे, और केंद्रीय कार्यालय से पीओबी रिसपाण्ड होने पर शाखा के ऋण लेजर में क्रेडिट कर शेष राशि का प्रूडेन्शियल राइट ऑफ करते थे। इससे शाखा/बैंक का बैलेन्स शीट/पी एण्ड एल चमका हुआ दिखता था। यानि कम एनपीए, जिससे लाभप्रदता बढ़ी हुई प्रतीत होती थी।

उच्च प्रबंधन वर्ग ने मनन कर इसके नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण किया तो पाया कि इस प्रक्रिया का गलत प्रभाव बैंक कर्मियों पर पड़ रहा है, और बहुत से मामले में पाया गया कि उक्त प्रक्रिया के उपरांत शाखाएं ऋण वसूली में शिथिलता बरतने लगती थीं। कुछ मामलों में तो चंद वर्षों के बाद शाखाओं में ऋणियों के बकाया की वसूली का

फोकस ही समाप्त होने लगा था, जबकि इस तरह के ऋण खातों में करोड़ों-अरबों रुपयों की देनदारियां बकाया होती हैं.

उक्त अनुभवों के आधार पर उच्च प्रबंधन ने प्रूडेन्शियल राइट ऑफ की प्रविष्टि सिर्फ कारपोरेट स्तर पर नियंत्रित कर दी. जो भी पात्र ऋण खाते प्रूडेन्शियल राइट ऑफ के लिए प्रबंधन चयनित करता है, उसकी केंद्रीय कार्यालय स्तर पर प्रविष्टि करके बैंक की तुलनपत्र सुदृढ़ की जाती है. लाभप्रदता तो अवश्य कम होती है, किन्तु एनपीए भी कम दिखता है, जिससे ब्रांड वैल्यू बरकरार रहती है, अन्यथा एनपीए का दावानल बैंकों की विश्वसनीयता, लाभप्रदता, ब्रांड वैल्यू - तीनों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुये बैंकों के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है.

अब चूंकि ऋण की वास्तविक वसूली तो हुई नहीं, अतः यह वास्तविक एनपीए कम न होकर केवल लेखाकृत अनुत्पादक ऋण में कमी हुई, जो वास्तव में हमारी लाभप्रदता को निम्न रूप से नकारात्मक प्रभाव देता है:

1. वास्तविक वसूली नहीं, तो जाहिर है कि वास्तविक लाभ भी नहीं.
2. अधिक प्रूडेन्शियल राइट ऑफ अधिकाधिक प्रावधानीकरण व अपेक्षाकृत कम लाभ.
3. ऋणियों में एक गलत संदेश, कि बैंक ऋण छोड़ देगा (यदि उनकी जानकारी में आया तब)

उक्त तथ्यों की गंभीरता को देखते हुये हम सभी बैंक कर्मियों का यह मुख्य कर्तव्य है कि यदि उच्च प्रबंधन तकनीकी कारणों, बैंक की नीतियों या निर्णयों के कारण, योग्य चयनित अनुत्पादक ऋणों का प्रूडेन्शियल राइट ऑफ करता है तो किसी भी स्थिति में न ही ऋणी को इसकी खबर लगनी चाहिए और न ही शाखा, क्षेत्रीय, अंचल या बैंक स्तर पर ऐसे प्रूडेन्शियल राइट ऑफ खातों में ऋण की वसूली में कोई शिथिलता बरती जानी चाहिए.

जैसा कि सर्वविदित है, प्रूडेन्शियल राइट ऑफ ऋण खातों में आई वसूली, सीधे बैंक आय में जुड़ती है, अतः हम इन खातों में वसूली जारी रखकर न सिर्फ बैंक की लाभप्रदता बढ़ाते हैं, बल्कि परिस्थिति विशेष में किये गये प्रूडेन्शियल राइट ऑफ में वसूली जारी रखकर बैंक की आंतरिक सुदृढ़ता भी बढ़ाते हैं, और जानबूझकर ऋण डिफाल्ट करने वाले ऋणियों को एक सही व कठोर उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे आगे ऋण डिफाल्ट होने की संभावना कम होती है.

पी.डब्ल्यू. के लिए पात्र ऋण खातों की पहचान अनुत्पादक ऋणों के संवर्ग (यथा अवमानक/संदिग्ध/हानि), उसकी अनुत्पादकता उम्र (यानि >1 वर्ष, >3 वर्ष, आदि), ऋणों में उपलब्ध प्रतिभूति, बैंकों की कानूनी वैधता स्थिति तथा ऋण वसूली की संभावना के अनुरूप करते हैं. सामान्यतया अधिक पुराना एनपीए, कम प्रतिभूति की उपलब्धता व वसूली की क्षीण संभावना पी.डब्ल्यू. हेतु अशोध्य ऋण खातों को अधिक पात्र बनाती है. कभी-कभी बैंक आंशिक राइट ऑफ भी करता है, जो कि प्रावधान की राशि पर निर्भर करता है. यदि पूर्ण राइट ऑफ करना है तो पूर्ण प्रावधानीकरण होना चाहिए. यदि पूर्ण प्रावधानीकरण करने में बैंक असमर्थ है और प्रतिभूति नहीं है या कम है तो आंशिक राइट ऑफ का रास्ता चुन सकते हैं.

स्पष्टतः राइट ऑफ एक बुद्धिमतापूर्ण लेखाकृत उपाय (विवेकपूर्ण लेखा उपाय) है, जो निम्न उद्देश्य की पूर्ति करता है :

1. सकल एन पी ए कम करना, क्योंकि बैंक ने उपयुक्त मानदंडानुसार प्रोविजन किया हुआ है.
2. टैक्स प्लानिंग करना (उपलब्ध लाभ व कर लाभ के अनुसार)

बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण खातों में हमें डमी लेजर अद्यतन करते रहना होता है, जिससे वसूली जाने वाली ऋण राशि का सही-सही आकलन होता रहे, और हमारे मानस पटल पर भी ऋण की बकाया राशि का बढ़ता भार महसूस होता रहे, ताकि हम ऋण वसूली में कोई शिथिलता न बरतें.

पी.डब्ल्यू. हेतु डेलीगेशन :

वर्तमान में हमारे बैंक में पी.डब्ल्यू. सिर्फ केंद्रीय कार्यालय के आदेश से हो सकता है तथा स्वीकृति पी.डब्ल्यू. करने वाले खाते की ऋण राशि की मात्रा के हिसाब से विभिन्न स्तरों पर होती है, जिसका निर्धारण कितनी राशि को बट्टे खाते में डालना है, इस पर निर्भर होता है. यहां नियमित बट्टे खाते व विवेकपूर्ण बट्टे खाते का अंतर समझना आवश्यक है. विवेकपूर्ण बट्टे खाते को हमने ऊपर परिभाषित किया है. विवेकपूर्ण बट्टे खाते में वसूली अनवरत जारी रहती है, जब तक पूर्ण ऋण वसूल न हो जाए तथा नियमित राइट ऑफ उस ऋण खाते में करते हैं, जिसमें समझौते के तहत यदि किसी राशि को बट्टे खाते में डालना हो तो उच्च प्रबंधन ने उसे निर्धारित और स्वीकृत किया है. नियमित राइट ऑफ की राशि स्वीकृत प्रावधानों के तहत प्रधान कार्यालय करता है तथा सामान्यतः नियमित बट्टे खाते के साथ ऋण खाता बंद कर दिया जाता है.

96 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

ऐसे विवेकपूर्ण बट्टे खाते में भूलवश भी शाखा को नो ड्यूज प्रमाणपत्र नहीं जारी करना है, न ही कोई उपलब्ध सिक्योरिटी छोड़नी है, जब तक ऋणी सारे ब्याज बकाया सहित पूरा ऋण बैंक को चुकता नहीं कर देता.

प्रूडेन्शियल राइट ऑफ चूंकि सिर्फ तकनीकी लेखा बट्टा-खाता है, अतः इसका प्रत्यायोजन सिर्फ केंद्रीय कार्यालय समिति के पास है. अतः यह स्पष्ट है कि प्रूडेन्शियल राइट ऑफ सिर्फ एक तकनीकी लेखा टूल है, जो एनपीए मैनेजमेंट के तहत बैलेन्स शीट की अच्छी प्रस्तुति करने हेतु सहायक है, न कि एनपीए को वास्तविक तौर पर कम करने का अस्त्र.

पूजा कनौजिया

ग्राहक संबंध प्रबंधन - आस्ति गुणवत्ता हेतु प्रभावी साधन

बैंकिंग एक ऐसा उद्योग है, जो अपनी विविध गतिविधियों के लिए अर्थात् विविध बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए, कारोबार बढ़ाने इत्यादि के लिए हमेशा अपने ग्राहकों पर निर्भर रहता है. बैंकर हमेशा आस्ति गुणवत्ता के लिए जागरूक होता है, क्योंकि आस्ति की उच्च गुणवत्ता ही बैंक की आय का निर्धारण करती है. ऋण पोर्टफोलियो व ऋण चयन कार्यक्रम प्रमुख कारक हैं, जिनसे आस्ति की गुणवत्ता निर्धारित होती है. ऋण बैंक की आस्ति का मुख्य हिस्सा है, साथ ही पूंजी पर जोखिम भी. पहले की अपेक्षा बैंक आजकल ग्राहक-संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक जागरूक हैं, ग्राहक से मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे आसान उपाय है - उसे बेहतर सेवाएँ प्रदान करना.

बैंकिंग के क्षेत्र में वर्ष 1991 में हुए बैंक उदारीकरण से बड़ा परिवर्तन आया है. बैंक का प्राथमिक कार्य है - ऋण देना, फिर चाहे वो कृषि, उद्योग, व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण हो या कोई और. बैंक हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे फहराते जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों से बैंक ऋण देने के लिए काफी सतर्क हो गए हैं, कारण है - अनर्जक परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी. एनपीए से तात्पर्य है - दिया गया वह ऋण, जिससे कोई भी आमदनी नहीं हो रही हो, चाहे वह ब्याज हो या मूलधन की चुकौती. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार इस तरह की आमदनी को प्रोद्दवन (accrual) के रूप में बुक में नहीं लिखा जाता, जब तक कि उससे प्रत्यक्ष आमदनी नहीं होती, अर्थात् यदि ब्याज प्राप्त न हो तो इसे हम आमदनी मानकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते.

इस तरह से एनपीए न केवल बैंक के मुनाफे को कम करता है, वरन् लाभ व हानि खाते में इसका प्रावधान भी करना होता है. एनपीए का उच्च स्तर बैंक की निवल

98 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

संपत्ति पर प्रतिकूल असर करता है व साथ ही बैंक पर पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने का दबाव भी रहता है।

ग्राहक से संबंध सुधारकर, किस तरह आस्ति की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, इसे नीचे दी गयी जानकारी से समझा जा सकता है:

ऋण या एनपीए दोनों में दो ही पक्ष रहते हैं।

- 1) बैंक
- 2) ग्राहक

यदि एनपीए को कम करना है व आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है तो यह जरूरी है कि ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाये जाये व संबंध प्रबंधन किया जाये।

एनपीए के कारण :

- बाजार के हालात
- जानबूझ कर चूक करना
- अनुवर्ती कार्रवाई व पर्यवेक्षण न करना
- बैंकों से सहयोग न मिलना
- कानूनी ढांचों का मजबूत न होना
- उद्यमशीलता / कौशल की कमी
- निधि का विपथन (diversion)

एनपीए कम करने व ग्राहक संबंध प्रबंधन हेतु कुछ सुझाव :

बैंक के मुख्यतः दो ही काम हैं - ऋण देना व राशि जमा करना. किसी भी एक कार्य के बिना बैंक चल नहीं सकता. एनपीए से बचने के लिए बैंक ऋण देना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक की आय का मुख्य स्रोत ऋण देना ही है।

आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए व एनपीए को कम करने लिए यह जरूरी है कि बैंक अपने ग्राहक से अच्छे संबंध बनाकर रखे. बैंक निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देकर आस्ति गुणवत्ता बनाने के साथ - साथ ग्राहक से अच्छे संबंध भी बना सकता है :

- ऋण देने के पूर्व अपने ग्राहक को जानें, मानदंड का अच्छे से पालन करना चाहिए, जिससे ऋण सही व्यक्ति तक पहुंचे व बैंक में धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके.
- ग्राहक की ऋण-पात्रता का मूल्यांकन पूरी सावधानी व जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए, जिससे बैंक को ऋण वसूली के समय किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े व ग्राहक खुद समय पर ऋण चुकाने में सक्षम हो.
- मंजूर की गई धनराशि का उचित प्रयोग जानने के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावी व नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाये. यह प्रक्रिया हर तिमाही में की जा सकती है, ताकि एनपीए होने वाले खातों पर नजर रखी जा सके.
- बैंकर को ग्राहक से नियमित संबंध बनाकर रखना चाहिए, न कि केवल वसूली के समय उसे ग्राहक की याद आनी चाहिए. इससे ग्राहक के सामने बैंक की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत होगी.
- ऋण देने के पूर्व बैंक को ग्राहक को ऋण के सभी पहलुओं जैसे कि ऋण का एनपीए होना, वसूली के माध्यम, बंधक आदि की जानकारी दे देनी चाहिए.
- बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक को वो सभी तरीके बताये, जिसके द्वारा ग्राहक जल्द से जल्द ऋण चुका सकता है.
- बैंक ग्राहक को समय-समय पर परिवर्तित होते ब्याज दर के बारे में भी अवगत कराए, जिससे ग्राहक किसी भी तरह की वित्तीय समस्या से उबरने के लिए तैयार हो सके.
- बैंकर व ग्राहक के बीच मधुर संबंध बनाना चाहिए. कई बार हमें बैंक द्वारा ग्राहक से बलपूर्वक वसूली के किस्से सुनने में आते हैं, जो कि कॉर्पोरेट नीति के विरुद्ध हैं. सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऋण वसूली अधिक कारगर व आसान होगी.

लोकेश यादव

एनपीए रोकने में भारतीय साख सूचना ब्यूरो लि. (CIBIL) की भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और उसके कार्यकलाप समय के साथ होने वाले परिवर्तन के गवाह रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कई अहम मोड़ों से होकर गुजरी है। इस दौर में आर्थिक विकास को सुस्थापित करने के साथ, गहन उपयोग के क्षेत्रों में परिवर्तन कर साख प्रबंधन का प्रभावी विस्तार किया गया है।

जैसे-जैसे ऋण सुविधाओं और क्रेडिट के साधनों में वृद्धि में क्रांतिकारी सुधार होते गए, उसके साथ ही जोखिम में भी वृद्धि हुई है। जिसका मतलब है कि बढ़ती साख/ऋण प्रदायगी के अवसर के साथ जोखिम और चूक से सुरक्षा की बड़ी जरूरत है। एक कहावत है, बाद में सुधार से बेहतर है, पहले सावधानी बरती जाए। ऋण जोखिम से निपटने के बजाय उससे बचाव का प्रभावी तरीका कुशल बैंकर तलाशता रहा है।

ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, इस पर काफी विचार मंथन के पश्चात यह सर्वमान्य तथ्य सामने आया कि प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है, सबसे पहले तो ग्राहक और उसकी विश्वसनीयता की ठीक-ठीक जानकारी हासिल की जाये। इस तरह की जानकारी/सूचना प्राप्त होने से उधारदाताओं को ऋणी की चुकौती क्षमता और इरादे का सही आकलन कर पाना संभव होगा।

प्रत्येक बैंक/वित्तीय संस्था व्यक्तिगत रूप से सभी ग्राहकों की मौजूदा देनदारियों का पता लगाने के क्रम में सभी ग्राहकों के क्रेडिट विवरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे सब के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वित्तीय परिवेश और ग्राहक समुदाय का दायरा इतना बड़ा है कि किसी अकेले बैंकर के लिए ऋण

प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ग्राहक की देनदारियों का पता निर्धारित समय में लगाना असंभव प्रायः है।

इस प्रकार संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये उधारकर्ता की क्रेडिट विवरण की जानकारी के केंद्रीय भंडार की आवश्यकता दीर्घकाल से महसूस की जा रही थी। वर्तमानतः यह आवश्यकता पूरी हो रही है सिबिल के माध्यम से। भारत में सभी उधारकर्ताओं के क्रेडिट की जानकारी, डेटा बैंक के रूप में क्रेडिट जानकारी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) में उपलब्ध है।

भारतीय बैंक संघ का एक सहयोगी सदस्य "सिबिल" है, जो कि चार आयामी रिपोर्ट प्रदान करता है:

- क) स्वतंत्र
- ख) केंद्रीकृत
- ग) व्यापक
- घ) विश्वसनीय

इस प्रकार उधारदाता, उधार आवेदक के भुगतान इतिहास की एक पूरी तस्वीर हासिल कर सकता है, जो कि विभिन्न संस्थानों में फैली हो सकती है। "सिबिल" वाणिज्यिक और उपभोक्ता ऋण से संबंधित डेटा का संकलनकर्ता है, जो अपने सदस्यों के लिए अर्थात् वे भारत के ऋण संस्थान और बैंक हो सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट बनाने और वितरित करने का कार्य करता है। सिबिल के 900 मजबूत सदस्य हैं, जिनके रूप में सभी प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आवास वित्त कंपनियाँ शामिल हैं।

विशेष रूप से सिबिल के उत्पादों, साख सूचना रिपोर्ट (CIR) और सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋण प्रदाता ऋण आवेदन के सेट का मूल्यांकन करने पर फैसला करता है, वह आवेदक की पात्रता निर्धारित करने के लिए CIR स्कोर का विश्लेषण करता है। पात्रता का मूल रूप से अर्थ है कि आवेदक की अतिरिक्त कर्ज लेने की क्षमता और उनकी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को देखते हुए अतिरिक्त बाह्य ऋण चुकाने की आवेदकों की क्षमता। आवेदन की मंजूरी पूर्व दो चरणों से गुजरने के साथ, ऋण-प्रदाता संतुष्ट होने पर आखिरकार ऋण मंजूरी के क्रम में आवेदक को आय प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेजों के लिए अनुरोध करता है।

CIR और क्रेडिट स्कोर केवल ऋण प्रदाताओं को वापस अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम होने की संभावना को दर्शाता है, यह उपभोक्ताओं को पहचानने में मदद करता है, साथ ही यह उन्हें शीघ्रता से और आर्थिक रूप से अधिक सहयोग करने के लिए मदद करता है. सिबिल रिपोर्ट की मदद से उधारदाता ऋण लेने वालों की मौजूदा ऋण देनदारियां पता कर सकते हैं और पुनर्भुगतान क्षमता का पता करने के क्रम में उसकी आय के साथ तुलना कर सकते हैं, जिससे समय की बचत के साथ विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण अग्रिम और बेहतर एवं शीघ्र ऋण प्रदायगी में सहायता मिलती है.

सिबिल, इसलिए अधिक स्पष्टरूप से और उधारकर्ता वित्तीय और क्रेडिट इतिहास का दर्पण है, एनपीए में खाते का परिवर्तन रोकने के लिए तथा बेहतर और अधिक उचित निर्णय लेने के लिए ऋण प्रदाताओं को शक्ति प्रदान करता है. अतः गुणवत्ता पूर्ण अग्रिमों को बढ़ाने तथा एनपीए रोकने के लिए सिबिल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

श्रीकला एल.के.

एनपीए वसूली में नवोन्मेषी दृष्टिकोण

एनपीए (अनर्जक आस्ति) ऐसी ऋण देयता है, जिसमें ऋणी भुगतान अवधि के बढ़ाए जाने पर भी ऋण प्रदाता को ब्याज एवं मूल धन के भुगतान में चूक करता है। परिणामतः खाते से किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं हो पाती है, साथ ही ऋण प्रदाता बैंक को किश्त भी रुक जाती है। परिणामस्वरूप बैंकिंग संस्था के समग्र लाभ एवं शेयरधारण मूल्य में कमी आती है, इस प्रकार इसका प्रभाव उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक एवं व्यापक होता है।

अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी पड़ने के फलस्वरूप, बैंकों में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणप्रदाताओं में, वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में अनर्जक आस्तियों में पर्याप्त बढ़ोतरी दिखाई दी है। हाल ही में प्रकाशित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह दर्शाया है कि वित्त वर्ष के अंत तक बैंकों का सकल एनपीए 4.4 प्रतिशत को छू जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने हाल ही में तैयार अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि भारतीय बैंकों का सकल एनपीए मार्च के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर जून तिमाही में 3.7 प्रतिशत हो गया, जो कि इस वित्त वर्ष के अंत तक 4.4 प्रतिशत होकर 4 खरब रुपये तक पहुंच जाएगा। शेष वित्तीय वर्ष में ब्याज दरों के न बढ़ने के कारण एवं अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर के चलते बैंकों की राह बहुत कठिन है।

यह कड़वी और बेचैन करने वाली वास्तविकता है। इससे पहले कि हम अपने अशोध्य ऋणों की वसूली की प्रक्रिया के नए रास्ते तलाशने पर विचार करें, यह उचित होगा कि हम अपने एनपीए को ठीक ढंग से परिभाषित कर लें तथा बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा ऋण वसूली के परंपरागत तरीकों की आधारभूत जानकारी समुचित रूप से प्राप्त कर लें।

प्रायः हमारे द्वारा दिया गया ऋण, निम्न में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के संयोजन की वजह से अनर्जक हो जाता है। जैसे (क) ऋणी का गलत चुनाव (ख) गलत

104 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

मूल्यांकन प्रक्रिया (ग) समय पर सहायता उपलब्ध करने में असफल रहना (घ) अपर्याप्त अनुश्रवण (ङ) प्रोजेक्ट की असफलता को स्वीकार करने में हिचकिचाहट (च) आर्थिक मंदी (छ) शासकीय नीति या (ज) नियंत्रण से परे घटनाक्रम.

वस्तुतः हमारे द्वारा दी गई ऋण सुविधा, अपनी प्रकृति एवं सुविधा के प्रकार के आधार पर, एनपीए के तौर पर चिह्नित की जाती है. उदाहरणार्थ -

- किसी सावधि ऋण के ब्याज अथवा मूल धन की किश्त का भुगतान 90 दिनों तक नहीं होता है तो उसे अनर्जक माना जाता है.
- कार्यशील पूंजी सुविधा जैसे नकद ऋण/ओवर ड्राफ्ट खाते के मामले में उसे एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, जब उसके ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक न किया जाये, मूल प्रतिभूति स्टाक अपर्याप्त हो या बकाया राशि आहरण शक्ति से अधिक हो जाए या लगातार 90 दिन तक इतनी राशि जमा न हो सके आदि.
- इसी तरह खरीदे गए/डिस्काउंट किए गए बिल, खाते या अन्य किसी प्रकार की ऋण सुविधा के लिए यदि 90 दिनों तक किश्त न चुकायी जाए तो उसे अनर्जक आंशिक माना जाता है.
- यदि यह कृषि से संबद्ध खाता है और अल्पावधि फसलों की स्थिति में, ब्याज या मूलधन दो फसल मौसम तक बकाया रहता है तो हमारी बहियों में वह सावधि ऋण एनपीए हो जाता है. लंबी अवधि के ऋण की स्थिति में ब्याज/मूल धन के एक फसल अवधि तक बकाया रहने पर ही वह एनपीए माना जाता है.
- केसीसी खाता होने पर अल्पावधि फसल की स्थिति में दो फसल चक्रों तक निष्क्रिय रहने पर तथा लंबी अवधि का ऋण होने पर एक फसल चक्र तक निष्क्रिय रहने पर हमारे लिए यह अनर्जक माना जाएगा.

गैर मानक आस्तियाँ वसूली के लिए चुनौती होती हैं. उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है.

(1) गैर मानक एनपीए : 12 माह तक एनपीए (2) संदिग्ध-I : 12 माह से अधिक एवं 24 माह तक एनपीए (3) संदिग्ध-II : 24 माह से अधिक एवं 48 माह तक एनपीए (4) संदिग्ध-III : 48 माह से अधिक अवधि तक एन.पी.ए (5) हानि आंशिक : बैंक के आंतरिक/बाह्य/लेखा परीक्षक/आरबीआई के निरीक्षक द्वारा इसे डूबती हुई आंशिक के रूप में चिह्नित किया गया है.

प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए एनपीए ऋणों को 4 आधारभूत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- I. चुकाने को इच्छुक एवं चुकाने में सक्षम
- II. चुकाने को इच्छुक पर चुकाने में अक्षम
- III. चुकाने के लिए अनिच्छुक पर चुकाने में सक्षम
- IV. चुकाने के लिए अनिच्छुक एवं चुकाने में अक्षम

वैधानिक वसूली उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं:

>लोक अदालत > राजस्व वसूली अधिनियम > धन वाद या बंधक वाद > ऋण वसूली ट्रिब्यूनल 1993> सरफेसिया 2000 > वित्तीय आस्तियों को सुरक्षित रखना एवं उनका पुनर्निर्माण करना तथा सुरक्षा हितों को लागू करना > ई-नीलामी > टीएस.

लोक अदालत वसूली का किफायती उपाय है, जिसका लक्ष्य कम मूल्य के अधिकतर खातों का निपटान, वैधानिक समझौता प्रक्रिया द्वारा करना है.

बैंक एवं वित्त संस्थानों के ऋण वसूली अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी (पीओ) एवं वसूली अधिकारी (आरओ) तथा डीआरटी कार्यालयों के गठन का विधान ₹.10 लाख या उससे अधिक के ऋणों की वसूली हेतु किया गया है. इसकी प्रक्रिया में मांग सूचना देना, प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, कब्जा प्राप्त करना, नीलामी द्वारा विक्रय और डीआरटी के माध्यम से अपील करना शामिल है.

वित्तीय आस्तियों को सुरक्षित रखना एवं पुनर्निर्माण तथा हित संरक्षण को लागू करने से संबंधित अधिनियम 2002 (सरफेसिया), बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अपने अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए सशक्त बनाता है.

इस अधिनियम के प्रावधान केवल 1.00 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि पर लागू होंगे, वहीं यह राशि मूल धन एवं ब्याज के 20 प्रतिशत से कम होने पर, इन प्रावधानों को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है. चूक की स्थिति में यह अधिनियम बैंकों एवं वित्त संस्थानों को, वित्त सहायता प्राप्त करते समय दी गई प्रतिभूति को, अपने अधिकार में लेने एवं उसका निपटान करने या बट्टे पर देने व अपने प्रबंधन अधिकार में लेने की शक्ति प्रदान करता है.

इससे परे कई आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियाँ हैं, जिन्हें बैंक अपने एनपीए बेच सकता है. इसकी प्रक्रिया के विषय में सरफेसिया अधिनियम में विस्तार से वर्णन किया गया है.

इन समस्त वैधानिक उपायों के होते हुए भी वसूली प्रक्रिया में देरी होती है. अतः इस बात की आवश्यकता है कि लगातार बढ़ते एनपीए की वसूली एवं आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवोन्मेषी प्रक्रिया को अपनाया जाए.

ऐसी ही नवोन्मेषी पहलों के रूप में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी आजमाया जा सकता है:

- (1) कर्मचारियों की भागीदारी, कर्मचारी प्रोत्साहन योजना, कैरियर मैपिंग
 - (2) ऋणी एवं उसके परिवार के साथ बैठक
 - (3) मीडिया के माध्यम से ऋणों के नाम एवं उनकी सूची का प्रचार
 - (4) शाखाओं में वसूली एवं समझौता शिविर लगाना
 - (5) काल सेंट्रों द्वारा टेलीकॉलिंग
 - (6) व्यावसायिक वसूली एजेंटों की भागीदारी
 - (7) वेबसाइट चैनल एवं आनलाइन पोर्टल
- (1) कर्मचारियों की भागीदारी: वे बैंक की वास्तविक आस्तियाँ हैं. उन्हें बौद्धिक पूंजी अथवा मानवीय इक्विटी भी कहा जा सकता है. यदि उन्हें अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए प्रशिक्षित किया जा सके तो इसका विशेष प्रभाव संभवतः व्यापक हो सकता है. एनपीए वसूली प्रबंधन में 'ज्ञान' या जानकारी का अपना अलग महत्व है. ज्ञान की शक्ति जो कि कर्मचारी अपने काम से प्राप्त करते हैं, उन्हें वे कोर समूह बनाकर ऋणी के कार्यस्थल अथवा उसके घर पर जा सकते हैं, जिससे जनसाधारण का ध्यान इस पर जाएगा. जनजागरूकता से सकारात्मक प्रभाव एवं ऋणियों पर दबाव बनाया जा सकता है.

बैंक के टॉप लाइन कार्यपालकों को प्रेरणादायक की भाँति कार्य करना चाहिए. आवश्यक है कि वे अपने कर्मचारियों से विभिन्न अवसरों पर प्रत्यक्ष मुलाकात करते रहें, वसूले जाने वाले सार्वजनिक धन के खतरे के बारे में अभियान चलाकर जागरूकता फैलानी चाहिए, लक्ष्यों का निर्धारण एवं उन तक पहुँचने के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तय किया जाना चाहिए. मान्यता एवं पुरस्कार वे उपकरण हैं, जो कि परिवर्तन लाने के लिए बैंक कर्मचारियों के बीच उपयोग में लाए जा सकते

हैं. बैंक का एचआर विभाग कैरियर मैपिंग द्वारा जिन खातों में वसूली की गई अथवा उसका प्रयास किया गया, उन्हें चिह्नित कर सकता है आदि. सभी स्टाफ सदस्यों को प्रेरणा देने के लिए बैंक को सफलता की कहानियों को आनलाइन अथवा अपनी गृह पत्रिका में प्रकाशित करना चाहिए.

- (2) ऋणी और उसके परिवार के साथ मिलना-जुलना तथा उसके परिवार को परामर्श द्वारा ऋण अदायगी न होने के परिणाम की जानकारी देना. यह कदम ऋणी की पारिवारिक प्रोफाइल, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, आदि को देखकर ही उठाना चाहिए.
- (3) चूक करने वाले ऋणियों का मीडिया द्वारा प्रचार, उनके नाम एवं पत्तों का समाचार-पत्रों एवं अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार पर्याप्त प्रभावी हो सकता है. नाम छापने से अधिक चुकौती न किये जाने पर नाम को छापे जाने का भय, ऋण वापसी में योगदान दे सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा को तरजीह देने वाले इस समाज में, जब ऋणी स्वयं उपस्थित हो तो इस तरह की पहल की जा सकती है. इससे परंपरागत माध्यमों की तुलना में अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.
- (4) वसूली कैंपों के द्वारा शाखावार ऋण वसूली को भी प्रभावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. इस पहल का प्रभाव शाखा की टीम द्वारा की गई तैयारी यथा अधिकतम ऋणियों को एकत्रित करना, शाखा कर्मियों का समझौता कौशल, आदि पर निर्भर करता है.
- (5) काल सेन्टर द्वारा टेली-कालिंग ऋण चूककर्ताओं पर शीघ्र समझौता करने या ऋण अदा करने के लिए दबाव बना सकता है. निश्चित रूप से यह किफायती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक का अपना विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों का काल-सेन्टर होता है.
- (6) व्यावसायिक वसूली एजेंटों की सेवाएं लेना काफी फलदायी सिद्ध होता है, क्योंकि वे व्यावसायिक धरातल पर यह कार्य करते हैं तथा उन्हें मिलने वाला वेतन सीधे तौर पर वसूली से प्राप्त रकम से जुड़ा होता है. इस प्रकार नियमित तरीकों की तुलना में तेजी से वसूली की जा सकती है.
- (7) प्रौद्योगिकी के युग में जब वेबसाइट महत्वपूर्ण आधिकारिक माध्यम के रूप में उभरा है, बैंक नवीनतम ऋण सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकता है. बैंक

आनलाइन पोर्टल भी स्थापित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एनपीए ऋणी बिना किसी परेशानी के बकाया की अदायगी कर सकते हैं।

एनपीए बैंकिंग क्षेत्र की बहुत बड़ी बुराई है। यह बैंक के प्रदर्शन को दर्शाता है। बड़ी संख्या में एनपीए का अर्थ है - उधारियों की बड़ी मात्रा में चूक, जिसका प्रभाव बैंक के लाभ एवं निवल-मूल्य पर होता है तथा यह आस्तियों के मूल्य में भी गिरावट लाता है। इसके कारण लाभ एवं हानि खाते का प्रावधान करना पड़ता है और लाभांश में कमी आती है। इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि इनसे संपत्ति को बचाए रखना, बैंक के लिए एक अतिरिक्त लागत है तथा प्रबंधन को बहुत सा समय, श्रम और पैसा इन पर लगाना पड़ता है। अतएव एनपीए में वृद्धि बैंकिंग उद्योग के लिए चिंता बढ़ाती है, साथ ही यह अर्थव्यवस्था एवं सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इसलिए अस्वस्थता की तरह इनकी चिकित्सा एवं भलीभाँति उपचार किया जाना बैंकिंग एवं अर्थ तंत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

हमने वसूली हेतु उठाए जाने वाले कुछ कदम सुझाने का प्रयास यहाँ किया है, जो वैधानिक उपायों के अतिरिक्त हैं। कौन-सी रणनीति अपनाई जाए और कब अपनाई जाए, इस हेतु कोई निश्चित नियम नहीं है, यह बकाया प्राप्ति के लिए ऋणी विशेष पर निर्भर करता है। सही निर्णय लेना हमेशा परिस्थिति विशेष एवं ऋणियों की प्रोफाइल पर निर्भर करता है। आवश्यक है कि क्रियान्वित करने से पहले लागू किए जाने वाले उपायों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा एक-दो अथवा अधिक रणनीतियों के संयोजन को अपनाकर संतुलित पद्धति से काम लिया जाना चाहिए।

आइए अशोध्य ऋण की वसूली एवं आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार पर हम समुचित ध्यान दें।

अमृता विजय डोंगरवार

समझौता और निपटान - आवश्यकता एवं प्रक्रिया

राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है, जमाराशि लेना और अग्रिम देना. बैंकों का ध्येय न सिर्फ लाभ कमाना है, बल्कि सरकार की नीतियों की परिधि में रहते हुए समाज व देश का उत्थान करना भी है. विभिन्न कारकों से दिये हुये अग्रिम का कुछ अंश अनियमित और अशोध्य होने की संभावना बनी रहती है. आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष एनपीए एक ज्वलंत मुद्दा है. हर एक बैंक को अन्य बैंकों के साथ प्रतियोगिता में अपना स्थान अग्रक्रम में सुनिश्चित करने के लिये एनपीए पर काबू पाना अनिवार्य हो गया है. आज बैंकों का आकलन और उनकी स्थिरता का आकलन भी उनके अग्रिम के साथ एनपीए के प्रतिशत से ही किया जाता है.

ऐसे में उत्कृष्ट बैंकों की सूची में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिये एनपीए खातों का समझौता/निपटान एक ऐसा आयाम है, जिसका सही तरीके से उपयोग करके बैंक अपनी लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी दर्शाकर, अपनी आस्ति गुणवत्ता (ASSET QUALITY) को उत्तम साबित करने में सक्षम रह सकते हैं.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में एनपीए खातों के समझौता/निपटान करने के लिये रिजर्व बैंक के कुछ निश्चित दिशा-निर्देश हैं, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होता है.

समझौता/निपटान की आवश्यकता

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में अग्रिम के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली योजनाओं का समावेश होता है. भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ देश की लगभग 70% जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि है. अतः सरकार की कई सब्सिडी समर्थित अग्रिम

की योजनाओं को प्रारंभ करने का हमारे वार्षिक बजट में प्रावधान होता है। वास्तव में इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ही प्रदान की जाती है, चूँकि इन्हीं बैंकों की शाखाएँ ग्रामीण और अर्धशहरी स्थानों में रहती हैं। गावों की गरीब जनता के लिए इन योजनाओं से लाभ पाने का यह सुनहरा अवसर होता है। अक्सर भारत के कृषियोग्य अधिकांश भूभाग में या तो अकाल/अनावृष्टि (वर्षा की कमी) होती है या फिर अतिवृष्टि (अधिक वर्षा), जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। ऐसे में कृषि उत्पाद के लिये बैंक से लिए गए ऋण चुकाने में कृषक असमर्थ होते हैं। उसी तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के अंतर्गत जो ऋण दिये जाते हैं, वे मूलतः छोटे कारोबार, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, काश्तकार, कमजोर वर्गों को दिये होते हैं, जिनके लिये बैंकों को विशेष प्रतिभूतियाँ लेने का प्रावधान नहीं होता है। चूँकि ये योजनाएँ सरकार द्वारा बनायी गयी होती हैं, इन ऋणों की चुकौती करने का कोई मानसिक बोझ इन उधारकर्ताओं पर नहीं होता है। इसी तरह इन कृषकों की भूमि को बंधक रखकर जो गृह ऋण बैंक द्वारा दिये जाते हैं, उनमें भी बैंक वसूली के लिए कोई ठोस कदम उठा नहीं पाते, हमारे बैंक में यह ऋण यूनियन आवास के नाम से जाना जाता है।

शिक्षा ऋण में भी बैंकों द्वारा जरूरतमंद बच्चों को ऋण देने की योजना है। परंतु 7.50 लाख तक की सीमा के लिये सिर्फ पालकों की गारंटी और बच्चों के शैक्षणिक कार्य प्रदर्शन को मद्देनजर रखकर ऋण दिया जाता है और कोई प्रतिभूति की माँग का प्रावधान नहीं है। ऐसे में बैंक द्वारा दिये जाने वाले कई ऋण खातों में किसी न किसी कारण से राष्ट्रीयकृत बैंक वसूली के ठोस कदम उठाने से वंचित कर दिये जाते हैं, जबकि बैंकों के हर वित्तीय समापन (FINANCIAL CLOSING) में इन अनियमित (एनपीए) खातों के लिये प्रावधान करना पड़ता है, जिसका सीधा असर बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ता है। आज एनपीए वर्गीकरण की प्रक्रिया भी काफी बदल चुकी है, जिससे उधारकर्ता द्वारा सिर्फ 90 दिनों की किश्तों के अनियमित भुगतान से खाता एनपीए में दर्ज हो जाता है। साथ ही कम्प्यूटरीकरण की वजह से सिस्टम अपने-आप ही खातों को एनपीए में वर्गीकृत कर देता है, जिससे बैंक योग्य मामलों में भी कुछ नहीं कर पाते हैं।

इन सारी परिस्थितियों में से उभर कर आने वाला एक और सफल उपाय समझौता/निपटान हो सकता है, जिसके सही और उत्कृष्ट (OPTIMUM) उपयोग से बैंक अपनी एनपीए की स्थिति में सुधार लाकर आज के प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग युग में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं।

हर वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों को विविध क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का लक्ष्य दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें ऋण अनिवार्यतः देना पड़ता है। इनमें से अधिकतर सरकारी

योजनाएं होती हैं। बहुधा इन ऋण योजनाओं में यह देखा गया है कि उधारकर्ताओं को ऋण वापसी की जिम्मेदारी का एहसास या उनकी परिस्थिति होती ही नहीं है। ऐसे में ऋण का निपटान समझौते से किया जाना एक सफल पर्याय हो सकता है, अन्यथा ऋणों की मंजूरी और संवितरण हर वर्ष बढ़ते ही चले जाएंगे और ऋण की वसूली का कोई मार्ग नहीं होगा।

एनपीए खातों का वर्गीकरण ए2 (अवमानक), ए3 (संदिग्ध) और ए4 (हानि) इन तीन वर्गों में होता है। कोई भी खाता एनपीए होने के पश्चात् एक वर्ष तक ए2 में रहता है। इस दौरान अतिदेय राशि के भुगतान से खाता अपग्रेड अर्थात् पुनः नियमित खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। एक वर्ष तक एनपीए में रहने पर कोई भी खाता अपने आप ए3 में वर्गीकृत हो जाता है। इस वर्ग में खाता तब तक रहता है, जब तक खाते का समझौता/निपटान या पूरी वसूली नहीं हो जाती। जब किसी खाते में उपलब्ध प्रतिभूति (प्राथमिक एवं सम्पार्श्विक) का विनियोजन हो जाता है, खाते का वर्गीकरण ए4 में हो जाता है, जो कि लॉस एसेट के नाम से जाना जाता है। चूंकि इन खातों में वसूली प्रायः दुष्कर होती है, इनका समझौता/निपटान वसूली का एक सार्थक पर्याय होता है और इन खातों में वसूली बैंक के लिए शुद्ध आय होती है। इसलिए ए4 खातों का समझौते द्वारा निपटान बैंकों के लिए सबसे अच्छा और लाभकारी उपाय है।

बैंकों में हर वर्ष वसूली नीति बनायी जाती है, जिसके अंतर्गत बैंक मॉड्यूलर स्कोर के हिसाब से ऋण खातों में समझौते की राशि तय कर सकते हैं।

समझौता/निपटान की प्रक्रिया

वैसे तो समझौते द्वारा ऋण वसूली के कई तरीके होते हैं :

1. बैंकों के ऋणों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष कई ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे उधारकर्ता को भी पर्याप्त छूट मिल जाती है और बैंक के अवरुद्ध हुए खातों में भी वसूली के रास्ते निकल आते हैं।
2. लोक अदालत और वसूली अभियान के तहत कई एनपीए खातों का निपटारा किया जा सकता है, जिससे उधारकर्ता द्वारा दिये वचन पूरे नहीं किये जाने पर कोर्ट की डिक्री पास हो जाने का बंधन उधारकर्ता पर होता है।
3. सिविल सूट, डीआरटी सूट और सरफेसी वसूली के ऐसे आयाम हैं, जहाँ उधारकर्ता को बैंक को ऋण राशि (ब्याज सहित) का भुगतान कोर्ट के आदेशानुसार करना पड़ता है।

मॉड्यूलर स्कोर का आकलन करने के लिये कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है:

1. प्रतिभूति का मूल्य (वैल्यू) : बैंक के पास बंधक रखी गयी प्रतिभूति की कीमत जितनी अधिक हो, उतनी ही उसे कम छूट मिलने की/छूट नहीं मिलने की संभावना होती है.
2. उधारकर्ता के साधन : उधारकर्ता के संसाधनों का आकलन कर ही उसे छूट देने की राशि तय की जा सकती है. अगर उधारकर्ता के संसाधन अच्छे हों और भले ही उसने बैंक में गिरवी न रखे हों तो भी बैंक उसे छूट नहीं दे सकता है. उसके ऊपर कोर्ट की कार्यवाही करके पूरी राशि वसूली जा सकती है.
3. एनपीए की अवधि : जितना पुराना एनपीए हो, उतनी ही उसकी छूट की राशि बढ़ सकती है. वास्तव में एनपीए होकर दो वर्ष तक किसी भी खाते का निपटान समझौते द्वारा नहीं करना चाहिये. सर्वप्रथम पूरी वसूली के सारे प्रयत्न करना बैंक का फर्ज होता है, अर्थात् ए2 (SUB STANDARD) खातों का निपटान/समझौता सामान्यतया नहीं किया जाता है.
4. वैधानिक स्थिति : वैधानिक स्थिति अर्थात् ऋण के दस्तावेजीकरण जैसे कि डीपी नोट, डीबीसी इन कागजात का प्रत्येक तीन वर्ष में नवीनीकरण होना अनिवार्य होता है और अगर उधारकर्ता बैंक में आता ही नहीं है और न ही कोई सहयोग करता है तो इसे अद्यतन करना मुश्किल हो जाता है. परंतु वैधानिक स्थिति को अद्यतन रखना आवश्यक होता है, अन्यथा जवाबदेही का मामला आ जाता है.

उपनिर्देशित उपाय ए3 अर्थात् संदिग्ध खातों के निपटान के लिए उपयोग में लाये जाते हैं. ए4 अर्थात् लॉस एसेट के निपटान के लिए कोई विशेष बंधन नहीं होता है, चूँकि इन खातों में बैंक के पास कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होती और इन खातों का निपटान "AS MUCH AS POSSIBLE" अर्थात् जितना अधिक से अधिक मुमकिन होगा, ऐसी स्थिति में ही करना पड़ता है. हर मामले को देखकर ही समझौते की राशि तय करनी पड़ती है, कोई निश्चित मानदंड नहीं होता है.

बैंक के सभी एनपीए खाते, जो दो वर्ष से अधिक पुराने हों, उनका निपटान समझौते द्वारा करना मुमकिन है :

जैसे हाउसिंग और मोर्टगेज के खाते, जहाँ प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों, वहाँ भी सिक्यूरिटी को बेचने के बाद अगर देयता (LIABILITY) हो तो उसे सेटलमेंट में एकमुश्त राशि देकर उधारकर्ता ऋण मुक्त हो सकता है. शिक्षा ऋण (रु. 7.50 लाख तक) जहाँ कोई प्रतिभूति लेना अनिवार्य नहीं होता, उन खातों में कई बार या तो उधारकर्ता (छात्र/

छात्रा) शिक्षा पूरी करते ही नहीं या कोई दुर्घटना/आत्महत्या के शिकार हो जाने से खाता मजबूरन एनपीए में दर्ज हो जाता है। इन खातों में भी सेटलमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। यूनियन माइल्स में जिस भी गाड़ी की खरीद के लिए ऋण दिया जाता है, उसका पुनर्भुगतान समय पर नहीं करने से खाता अनियमित होकर एनपीए हो जाता है। एक तो नयी गाड़ी शो रूम से बाहर आते ही उसका मूल्य काफी कम हो जाता है, दूसरे कई बार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसे बेचना भी मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी तो गाड़ी दूसरे शहर की रोड पर चल रही होती है, जिससे उसे कब्जे में लेना भी बैंक के लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में एनपीए खातों में वसूली आने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं और बैंक के पास समझौते के सिवाय वसूली का कोई पर्याय ही नहीं बचता है। यूनियन कंपर्ट स्कीम में पहले 1.00 लाख तक (जो कि अब 5.00 लाख हो गया है) का ऋण सामान्य/विविध प्रयोजन के लिए दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत कोई प्रतिभूति की माँग नहीं की जा सकती है। इन खातों के एनपीए हो जाने पर खातों का निपटान या तो मोड्यूलर स्कोर से किया जा सकता है या फिर बैंक द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं के तहत इनका निपटान करना पड़ता है। यूनियन ट्रेड भी एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, परंतु व्यापार में मंदी या कोई अन्य कारणवश अगर खाते में आय-बिक्री (TURNOVER) या वसूली न हो पाये तो खाता एनपीए हो जाता है। इन खातों में मुख्य प्रतिभूति तो दुकान, फैक्ट्री और माल-सामग्री ही होती है और धंधा बंद हो जाने पर कुछ अंश ही वसूलने योग्य होता है और बाकी की ऋण रकम वापस न मिल सकने योग्य हो जाती है, जिसकी वसूली बैंक केवल समझौता/निपटान द्वारा ही कर सकते हैं। उपरोल्लिखित सभी वित्तीय सहायताओं में समझौता/निपटान के पश्चात् अगर रनिंग लेजर की राशि आवर्तित हो तो केस टू केस बेसिस पर बैंक राइट ऑफ करने की मंजूरी देता है और बहुधा डमी ब्याज (जिस तारीख से खाता एनपीए हो जाता है, उस तारीख से ब्याज जिस बही में लगाया जाता है) उसे (छोड़) वेव कर दिया जाता है। समझौता/निपटान करना बैंक की गैर-निष्पादनकारी-आस्तियों को कम करने एवं एसेट क्वालिटी (आस्ति गुणवत्ता) को सुधारने के लिए अत्यावश्यक है।

हमारे बैंक में हर वर्ष कृषि खातों तथा छोटे एनपीए (रुपये एक लाख तक, पाँच लाख तक तथा दस लाख तक के) खातों की वसूली के लिए कई आकर्षक योजनाएँ बनायी जाती हैं, जिनके सही एवं अनुकूल उपयोग से हमारे बैंक के अग्रिम की स्थिति में सुधार के साथ-साथ ईमानदार एवं सच्चे एनपीए उधारकर्ताओं, (जहां ऋण खाता यथार्थ कारणों से एनपीए हुआ हो) को राहत भी मिल सकती है।

अमृता विजय डोंगरवार, एसडब्ल्यूओ(बी), सीआरएलडी, क्षे.का., नागपुर

पिंकी राठोर

एनपीए निपटान में प्रभावी समझौता वार्ता

बैंकों में बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियों की चर्चा फिर से जोरों पर है. बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियाँ, जो 31 मार्च, 2008 को 76400 करोड़ रुपए थीं, 31 मार्च, 2013 को बढ़कर 145461 करोड़ रुपए हो गई हैं. उपर्युक्त तिथियों पर यह सकल अग्रिम का क्रमशः 2.3 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत थीं. इस प्रकार वर्ष 2008 से 2012 के बीच न केवल सकल अनर्जक आस्तियाँ बढ़ी हैं, वरन उनके फिसलन की दर भी बढ़ी है. नए निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक आस्तियों में कहीं तेजी से वृद्धि हुई है. ये बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियाँ न केवल बैंक के लाभों में कमी कर देती हैं, बल्कि ब्याज की दर को भी ऊँचा बनाए रखने के लिए मजबूर कर देती हैं और अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ-साथ आय और रोजगार निर्माण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं. बैंकिंग क्षेत्र में यदि अनर्जक आस्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएं तो यह पूरे बैंकिंग क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था के लिए संकट खड़ा कर सकती हैं.

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इनके विस्तार को रोका जाए. इनको रोकने के लिए, इनके बढ़ने का कारण और इनसे निपटने के उपायों को समझना होगा. परंतु इससे पहले हमें यह समझना होगा कि अनर्जक आस्तियाँ क्या होती हैं.

जब कोई देनदार अपने बैंक को ईएमआई देने में नाकाम रहता है, तब उसका ऋण खाता नॉन-परफार्मिंग ऐसेट (एनपीए) कहलाता है. नियमों के हिसाब से जब किसी ऋण की ईएमआई, प्रिंसिपल या इंटररेस्ट ड्यू डेट के 90 दिन के भीतर नहीं आती है तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है. लोन के कई क्लासिफिकेशन हैं- स्टैंडर्ड, सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस ऐसेट. अग्रिम पर चूक के चलते बैंकों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े, इसके लिए आरबीआई ने उसके लिए प्राविजन करने का नियम बनाया है. बैंक को प्राविजन के बराबर की रकम बिजनेस से अलग रखनी पड़ती है.

अनर्जक आस्तियाँ :

सामान्य भाषा में पट्टे वाली आस्तियों सहित कोई आस्ति अनर्जक तब होती है, जब वह बैंक के लिए आय का सृजन करना बंद कर देती है। बैंक के किसी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए, जब किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज को उस तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूर्ण रूप से चुका नहीं दिया जाता।

“अव्यवस्थित” हैसियत :

बकाया शेष की स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहने पर किसी खाते को “अव्यवस्थित” माना जाता है। ऐसे मामलों में, जहाँ परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किंतु तुलन-पत्र के दिन लगातार 90 दिनों से कोई जमा न हो, या जमा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की चुकौती करने हेतु पर्याप्त न हो तो इन खातों को “अव्यवस्थित” माना जाना चाहिए।

अतिदेय :

किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंकों को देय कोई भी रकम, बैंक द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई नियत तिथि को भुगतान न किए जाने पर “अतिदेय” होती है।

अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ :

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए आस्तियों को, जिस अवधि हेतु आस्ति अनर्जक रही हो, उसके तथा प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक होता है :

(क) अवमानक आस्ति : अवमानक आस्ति वह होगी, जो बारह महीने से कम या उसके समकक्ष अवधि तक अनर्जक आस्ति रही हो। जब कोई ऐसेट 12 महीने या कम समय तक एनपीए रहता है तो वह सब-स्टैंडर्ड ऐसेट कहलाता है।

(ख) संदिग्ध आस्ति : किसी आस्ति को उसके बारह महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में रहने पर, संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे ऋण की समूची बकाया रकम की वसूली की संभावना कम होती है।

(ग) हानि आस्ति : हानि आस्ति वह होती है, जिसमें बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षकों ने हानि की पहचान कर ली हो, किंतु रकम को पूर्ण रूप से बट्टे खाते न डाला गया हो।

अनर्जक आस्तियाँ बनने का कारण :

1. **सट्टेबाजी:** कभी-कभी बैंक अधिक प्रतिफल के लालच में अत्यधिक जोखिम वाले देनदारों को ऋण दे देते हैं. इस प्रकार के ऋणों के अनर्जक बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है.
2. **चूक:** कभी-कभी बैंक अपने भावी ऋणकर्ता की सही पहचान नहीं कर पाते हैं और उन्हें ऋण दे देते हैं. ऐसे व्यक्ति जानबूझकर ऋण अदा नहीं करते हैं.
3. **कपटपूर्ण व्यवहार:** कभी-कभी बैंक के कर्मचारी भी कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं और अयोग्य व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिभूति अथवा जमानत के ऋण दे देते हैं, जो शीघ्र ही अनर्जक ऋण बन जाते हैं.
4. **कोष का विपथन:** बहुत सारी अनर्जक आस्तियों का कारण देनदार द्वारा कोषों का व्यवसाय के विस्तार अथवा विविधीकरण में अनधिकृत प्रयोग है.
5. **सूचना एवं संपार्श्विक का अभाव:** कुटीर उद्योगों को ऋण देते समय बैंकों के लिए यह एक मुख्य समस्या है. प्रायः इन उद्यमों की वित्तीय स्थिति की कोई प्रकाशित सूचना नहीं होती है. यही नहीं, ये अपने निजी व्यय एवं व्यापारिक व्ययों में कोई भेद नहीं रखते, जिसके कारण बैंक को उनका मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है. इनके पास प्रायः संपार्श्विक भी नहीं होते.
6. **आंतरिक कारण:** कई-कई बार बैंक ऋण आंतरिक कारणों से भी अनर्जक बन जाते हैं, जैसे अकुशल प्रबंध, श्रम-विवाद, विपणन असफलता, अनुपयुक्त तकनीकी आदि.
7. **बाह्य कारण:** कभी बाह्य कारण जैसे - अर्थव्यवस्था में मंदी, मूलभूत सुविधाओं में कमी, मुद्रास्फीति, प्राकृतिक आपदाएं एवं सरकारी नीति, विदेशी मुद्रा दर आदि के कारण अनर्जक आस्तियों का निर्माण होने लगता है. बीच-बीच में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सुनामी, बाढ़ आदि भी कृषि एवं उससे जुड़े उद्योगों में क्षति लाते हैं, जो अंततः बैंक में अनर्जक आस्तियों को बढ़ा देते हैं.
8. **सरकारी नीति:** भारत में सरकारी नीति भी बैंकों में अनर्जक आस्तियाँ बढ़ने का एक कारण है. उदाहरण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों में अनर्जक आस्तियाँ कुल अनर्जक आस्तियों का लगभग 46.9 प्रतिशत हैं, जबकि सकल ऋण में उनका हिस्सा मात्र 37.2 प्रतिशत है. ऊर्जा क्षेत्र में भी बढ़ती अनर्जक आस्तियों

के लिए काफी हद तक सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं. सरकार की बार-बार की ऋण माफी योजना भी देनदार को ऋण न चुकाने के लिए प्रेरित करती है.

अनर्जक आस्तियों के निवारण का उपाय :

- (अ) **निषेधात्मक उपाय :** ये वे उपाय हैं, जो आस्तियों को अनर्जक बनने से रोकते हैं. ये निम्नलिखित हैं :
- (i) **साख सूचना कंपनियाँ:** साख सूचना कंपनियाँ देनदारों की साख से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत स्थापित की गई हैं. बैंक इनकी सदस्यता लेकर इनसे देनदारों की साख से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं.
- (ii) **शोध विभाग की स्थापना:** बैंकों को आंतरिक शोध विभाग की स्थापना करनी चाहिए, जो स्वतंत्र रूप से अर्थव्यवस्था के हर अंग पर शोध करे और उनमें आगामी उतार-चढ़ाव की पहचान कर सके.
- (iii) **साख निर्धारण एवं बेहतर मूल्यांकन:** बैंक ऋण आवेदनों का बेहतर ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं. इस मूल्यांकन से आवेदक की आय, उम्र, योग्यता, अनुभव, वित्तीय क्षमता, ऋण मूल्य अनुपात, संपार्श्विक आदि का आकलन होता है.
- (iv) **खाते की निगरानी:** खाते की निगरानी बड़ी महत्वपूर्ण है. इससे पता चलता है कि बैंक कोष या व्यवसाय से होने वाली आय को देनदार कहाँ इस्तेमाल कर रहा है. इससे कोष के अनधिकृत विपथन का पता लग सकता है और खाते को बीमार होने से रोका जा सकता है. इसी प्रकार बैंक को देनदार से स्टॉक के विवरण की सूचना भी प्राप्त करते रहना चाहिए और समय-समय पर देनदार के कारखाने, कार्यस्थल आदि का दौरा करते रहना चाहिए.
- (v) **निगम ऋण पुनर्संरचना:** रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत यह एक स्वैच्छिक एवं गैर विधिक क्रियाविधि है. यह लेनदार एवं देनदार के मध्य अनुबंध पर आधारित है. यह केवल उन बहु बैंकिंग खातों पर लागू की जा सकती है, जिनमें कुल उधार रूपए 100 मिलियन से भी अधिक है. यदि 75 प्रतिशत से अधिक लेनदार (राशि के हिसाब से) एवं 60 प्रतिशत संख्या के आधार पर अनुमति प्रदान कर देते हैं तो मानक और अवमानक आस्तियाँ निगम ऋण पुनर्संरचना के लिए स्वीकृत की जाएंगी.

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत बैंक लघु एवं मध्यम उपक्रमों के ऋणों की पुनर्संरचना भी कर सकते हैं.

- (ब) **उपचारात्मक उपाय** : ये वे उपाय हैं, जिनके द्वारा अनर्जक हो चुके ऋणों को वसूला जाता है. इनका विवरण निम्नलिखित है :
- (i) **एकबारगी समझौता**: उधारकर्ता अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ होने पर बैंकों से एकबारगी समझौता कर सकते हैं. वे संपूर्ण ऋण चुका सकते हैं. ऐसे समझौते में देनदार को अदत्त ऋण की राशि में कुछ छूट मिल जाती है.
- (ii) **प्रतिभूतीकरण एवं आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को विक्रय**: बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को विक्रय कर सकते हैं. ये कंपनियाँ अनर्जक आस्तियों की वसूली में दक्ष हैं और वसूली के आधार पर क्रमशः बैंक को भुगतान करती हैं. जून 2012 को देश में इस प्रकार की कुल 14 कंपनियाँ कार्यरत थीं.
- (iii) **लोक न्यायालय**: लोक न्यायालयों की स्थापना लीगल सर्विसेज अथारिटीज एक्ट, 1997 के तहत की गई है. यह ऋण विवादों को सुलझाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है. इसकी अध्यक्षता सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है.
- (iv) **ऋण वसूली अधिकरण**: ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की बकाया वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत की गई है. प्रारंभ में ऋण वसूली अधिकरणों ने अच्छा काम किया और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उनकी अनर्जक आस्तियों की वसूली में योगदान दिया. लेकिन जब उन्हें बड़े तथा प्रभावशाली उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी तो उनकी प्रगति अवरुद्ध होने लगी.
- (v) **सरफेसिया एक्ट 2002**: इस एक्ट के तहत नियमानुकूल बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बैंक अपने पक्ष में प्रभारित चल-अचल संपत्ति का कब्जा कर सकता है एवं विक्रय कर एनपीए की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

क्या कोई एनपीए वापस स्टैंडर्ड लोन हो सकता है?

देनदार के बकाया ब्याज व मूल धन का भुगतान होने पर एनपीए स्टैंडर्ड लोन श्रेणी में डाला जा सकता है. एनपीए को स्टैंडर्ड श्रेणी में ट्रांसफर करने के लिए बैंक अक्सर देनदार को बकाया भुगतान के लिए ज्यादा वक्त देकर और ब्याज दर घटाकर लोन को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं. इस वजह से पिछले चार वित्तीय वर्षों में सरकारी बैंकों को ब्याज वगैरह में

लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की संभावित हानि हुई है। बैंकों के इस नियम का बड़े औद्योगिक घराने काफी फायदा उठाते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे पुराने फंसे कर्ज वाले खाते को तभी लोन दें, जब ग्राहक पुराने कर्ज को समय पर लौटाने लगे। रीयल एस्टेट कंपनियों के कर्ज के खाते को पुनर्गठित करने के मौजूदा तरीके में भी बदलाव करने और इसे सख्त बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राहक अगर कर्ज चुकाने में लेट लतीफी कर रहा है तो बैंक अब ज्यादा सख्ती दिखा सकते हैं। खास तौर पर बैंकों से कर्ज ले कर जो कंपनियां या कॉर्पोरेट घराने उसे समय पर नहीं लौटा पाते, उनके खिलाफ बैंक ज्यादा कड़ा रवैया अपना सकते हैं।

समझौता वार्ता:

इन सबके बावजूद यह भी सत्य है कि हाल ही में नये खुले बैंकों को छोड़कर विश्व में ऐसा कोई भी आदर्श बैंक नहीं है, जिसका एनपीए शून्य हो। सभी बैंकों के ऋण व अग्रिम का कुछ हिस्सा अनर्जक होना अवश्यंभावी है। वर्तमान समय में समझौता वार्ता के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान निकालना पूरे विश्व में सर्वाधिक सफल तरीका माना गया है। उदाहरण स्वरूप विश्व के पूर्वी व पश्चिमी देशों के मध्य जारी तनाव को बातचीत के जरिए सफलतापूर्वक कम किया गया। अतः यह माना जा सकता है कि बातचीत के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। परंतु, किसी भी समझौता वार्ता की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि मध्यस्थ किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से अपने एजेंडे को सामने वाले पक्ष तक पहुंचा कर अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त एक सफल समझौता वार्ता से अनेक अन्य लाभ भी होते हैं, यथा:

1. जन-मानस की चेतना जागृत होती है, और वे स्वतः ही कर को चुकाने के लिए उद्यत हो जाते हैं।
2. पूंजीवादी व्यवस्था जनित सामाजिक बुराइयों का समाधान होता है।
3. इस प्रकार की वार्ता से ग्राहकों की गलतफहमियाँ दूर होती हैं, जिससे वे समझौता उपरांत भी संगठन के साथ बने रहते हैं।
4. किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पूर्व ग्राहक को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिल जाता है।

प्रभावी समझौता वार्ता के महत्वपूर्ण बिन्दु:

समझौता वार्ता के दौरान ये बिन्दु बैंक व ग्राहक दोनों के लिए लाभदायक रहेंगे।

1. **स्टाफ की जवाबदेही की जांच :** किसी भी समझौता या निपटान प्रस्ताव की सिफारिश/मंजूरी देने से पहले स्टाफ की जवाबदेही के पहलुओं को भलीभाँति जांच लिया जाना चाहिए.
2. **समझौता वार्ता को मात्र एक कानूनी मामले के रूप में न देखें :** मध्यस्थता के दौरान कानूनी पहलुओं से अधिक समग्र आपसी बातचीत पर ज्यादा ध्यान दें. ध्यान रहे कि कानून महत्वपूर्ण तो है, परंतु गतिशील बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है.
3. **समझौते के प्रत्येक पहलू के साथ तैयार रहें:** समझौता वार्ता से पहले आप बातचीत के समग्र पहलुओं से वाकिफ हो लें, यथा आप किस प्रकार का समझौता चाहते हैं तथा समझौते में आप क्या क्या बोली लगा सकते हैं आदि.
4. **अत्यधिक आक्रामक मत बनें :** समझौता वार्ता के दौरान अत्यधिक आक्रामक होने से बातचीत के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. अतः इस प्रकार की स्थिति से बचना चाहिए.
5. **वार्ता के दौरान होने वाले खर्च का आकलन कर लें :** वार्ता के दौरान लगने वाले खर्च का सही-सही आकलन कर लेने पर आप बातचीत के दौरान मजबूत स्थिति में रहेंगे तथा बातचीत के बाद भी आप फायदे में रहते हैं.
6. **यथार्थवादी रहें :** अपनी शक्तियों और कमजोरियों का आकलन करने के पश्चात् ही बातचीत को आगे बढ़ाएं. मध्यस्थ कैसा भी हो, परंतु बातचीत के असफल होने का खतरा हमेशा बना रहता है. अतः आप बातचीत के अंतिम पहलू पर भी विचार कर लें, ताकि उसके बाद आप को किसी प्रकार का अफसोस न हो.
7. **यदि संभव हो तो समझौता का प्रथम प्रस्ताव आप प्रस्तुत करें :** यदि आप पहले एक मजबूत व यथार्थवादी पहलू करने में सफल रहते हैं तो आपको प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने का अवसर मिल जाता है तथा बाद में एक बेहतर परिणाम की आशा कर सकते हैं.
8. **अपने प्रकरण का विस्तार से विश्लेषण कर लें :** एक पारंपरिक बातचीत में जोखिम विश्लेषण व प्रकरण विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है. विश्लेषण के लिए वार्ताकार में कानूनी कौशल का होना अति आवश्यक है. मध्यस्थता में एक वकील की मौजूदगी बहुत उपयोगी हो सकती है.
9. **याद रखें कि सफल आंदोलन से ही नए आंदोलन आरंभ होते हैं :** आपकी बातचीत करने का तरीका दूसरे पक्ष के बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता

है. समझौते के निपटान के दौरान सबसे बड़ी बाधा यह सोच होती है कि समझौता नहीं हो पाएगा. अतः मंथन किए गए प्रस्तावों के अनुरूप बात को आगे बढ़ाकर समझौते तक पहुंचने का प्रयास करें.

10. **बातचीत में योग्य व्यक्तियों को शामिल करें :** कोई भी बातचीत तभी सफल हो सकती है, जब उसमें शामिल मध्यस्थ काबिल हो व विषय का ज्ञाता हो. ऐसा नहीं होने पर समझौता के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.
11. **वार्ता के दौरान अपने मामले की समीक्षा करते रहें :** बातचीत के दौरान यह भी आकलन करते रहें कि बातचीत का रुख क्या चल रहा है.

ऋण मूल्यांकन और निगरानी :

किसी भी प्रकार की समझौता वार्ता से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि:

- ❖ बैंक के पास ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित पूर्ण रूप से परिभाषित नीति है और उन नीतियों को सभी स्टाफ सदस्यों को स्पष्ट रूप सूचित किया गया है, अन्यथा बैंक के हित खतरे में पड़ सकते हैं.
- ❖ ऋण मूल्यांकन किसी भी पूर्वाग्रह के बिना परिभाषित नीतियों को ध्यान में रख कर शाखा के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए.
- ❖ समस्त ऋण खातों की आवधिक अंतराल पर समीक्षा करते रहना चाहिए व समयानुसार उन्हें नवीकृत किया जाना चाहिए.
- ❖ उधारकर्ताओं से आवधिक अंतराल पर संपर्क किया जाना चाहिए, और शाखा के अधिकारी तथा प्रबंधक को प्रत्येक चरण में उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का पता लगाते रहना चाहिए.
- ❖ शाखा प्रबंधक को बाजार की स्थितियों का गहरा ज्ञान रखना चाहिए तथा अपने ज्ञान को अखबारों, मीडिया व इंटरनेट जैसे विभिन्न माध्यमों से समृद्ध करते रहना चाहिए.
- ❖ ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी की कमजोरी को ऑपरेटिंग स्टाफ द्वारा उचित प्रशिक्षण, मानव संसाधन प्रबंधन और अर्जित ज्ञान का साहसपूर्वक उपयोग करके दूर किया जा सकता है.

निष्कर्ष :

एक अंग्रेजी कहावत है - "समथिंग इज बेटर दैन नथिंग" अर्थात् जहां कुछ आशा नहीं हो, वहाँ से अगर कुछ मिल जाए तो बेहतर होता है. एनपीए के परिप्रेक्ष्य में भी यह कथन बिलकुल सटीक बैठता है. यह तो सत्य है कि एनपीए को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे कम अवश्य किया जा सकता है, जो कि हमारे बैंकिंग अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है. अशोध्य ऋण बैंक की पूँजी रूपी ऊर्जा को निचोड़ कर उनकी वित्तीय ताकत को कमजोर कर देता है. साथ ही यह एक बड़ा राजनीतिक व वित्तीय मुद्दा भी है. अतः इस क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक सदस्य द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को रोकने के लिए सक्षम राजनीतिक इच्छाशक्ति के प्रदर्शन, एक व्यावहारिक अनर्जक परिसंपत्ति प्रबंधन नीति को अपनाने, अधिक सक्रिय होने व गैर निष्पादन आस्तियों के निवारण को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है.

सर्वविदित है कि विश्व के महाशक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य परमाणु हथियारों की दौड़ समाप्त करने का श्रेय आपसी बातचीत को जाता है. इसी प्रकार पूर्व में ईरान व ईराक के मध्य जारी क्षेत्रीय संघर्ष को शांति वार्ता के माध्यम से ही कम किया गया था. यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस व जिम्बाब्वे में अफ्रीकन नेशनल यूनियन फ्रंट (ZANUPF) रंगभेदी शासकों के साथ शांति समझौते के परिणामस्वरूप हुए चुनावों के पश्चात् सत्ता पर काबिज हुए. कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभावी समझौता वार्ता के द्वारा एनपीए निपटान में भी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की जा सकती है. मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज के प्रगतिशील समाज में बुद्धिजीवी ग्राहकों के मध्य इस समस्या से निजात पाने का सबसे आसान व प्रभावी तरीका समझौता वार्ता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है.

कल्याण कुमार

ऋण पुनःसंरचना - गैर निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

आज के इस आर्थिक मंदी के दौर में बैंकों के समक्ष गैर निष्पादक आस्तियों का समुचित प्रबंधन एक गंभीर चुनौती है।

गैर निष्पादक आस्तियों से निपटने के कई तरीके हैं। इस कार्य में मूलतः दो प्रकार के ग्राहक होते हैं। एक वैसे जो आर्थिक मंदी एवं अन्य बाह्य कारणों से बैंक ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरे वे ग्राहक, जो जानबूझकर चूककर्ता की श्रेणी में आते हैं। ग्राहकों की यह श्रेणी जानबूझ कर बैंक ऋण का दुरुपयोग करती है। बैंकों का इनसे निपटने (ऋण वसूली) का तरीका बिलकुल अलग होता है। यहां बैंक सरफेसी एक्ट एवं अन्य वैधानिक तरीकों से ऋण की वसूली सख्ती से करते हैं। किन्तु जहां उचित कारणों, जिनमें उधारकर्ता की अपनी कोई गलती नहीं होती, बल्कि व्याप्त आर्थिक मंदी, बाह्य कारणों यथा विदेशी बाजारों से मांग की कमी, निर्यातकों के लिये रुपये का अवमूल्यन, आयातकों के लिये एवं अन्य नीतिगत कारणों से यदि उधारकर्ता परेशान हो तो बैंक उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है एवं उन्हें अपने व्यापार/उद्योग धंधे को संभालने का अवसर देता है।

इसमें ऋण पुनःसंरचना (Debt Restructuring) एक सशक्त माध्यम है। वर्तमान परिस्थिति में भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस माहौल में व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुत-सी परेशानियों से गुजर रहे हैं। इस वजह से वे स्वीकृत शर्तों के अनुसार ऋण की चुकौती नहीं कर पा रहे हैं।

ऋण पुनःसंरचना इस तरह की जायज समस्या से जूझ रहे व्यापारिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये संजीवनी है। किन्तु इस कार्य के लिये केवल वही यूनिट लिये जाने

चाहिए, जो कि व्यवहार्य (viable) हों न कि केवल गैर निष्पादक आस्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये. ऋण पुनःसंरचना दो तरह से होती है, एक बैंक और ग्राहक के मध्य, दूसरा जिसमें एक से अधिक बैंक शामिल होते हैं तथा कुल ऋण जब रु. 10.00 करोड़ से अधिक होता है तो सीडीआर के माध्यम से ऋण पुनःसंरचना की जाती है.

ऋण पुनःसंरचना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण दाता मर्यादा का पालन करे तथा उधारकर्ता पुनःसंरचना पैकेज का अनुशासन से पालन करे.

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. (पत्रांक डीबीओडी:बीपी:99/21.04.132/2012-13 दिनांक 30.05.2013.

पुनःसंरचना क्या है?

ऋण की अदायगी के संदर्भ में स्वीकृत शर्तों में कोई भी फेर-बदल पुनःसंरचना की श्रेणी में आता है.

क. मोराटोरियम अवधि अथवा डीसीसीओ में परिवर्तन :

यदि परिवर्तित डीसीसीओ (Date of Commencement of Commercial Operation) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में मूल डीसीसीओ से दो वर्ष की अवधि के अंदर हो तथा गैर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एवं कमर्शियल रियल स्टेट के संदर्भ में एक वर्ष की अवधि के अंदर हो तो इसकी वजह से चुकोती अवधि परिवर्तित डीसीसीओ से कम या बराबर होने की स्थिति में, इसे पुनःसंरचना नहीं माना जायेगा. इस जगह ऋण की अन्य शर्तों में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये.

ख. उन किश्तों का पुनर्वर्गीकरण/पुनःनिर्धारण जो अतिदेय हो चुकी हों.

ग. कैश क्रेडिट से कार्यकारी पूंजी मियादी ऋण (WCTL) लिमिट बनाना.

घ. भविष्य के ब्याज हेतु funded interest term loan की सुविधा देना.

इन सभी सुविधाओं से ऋण इकाइयों में संजीवनी का संचार होता है.

उपयुक्तता के मानदंड :

कोई भी आस्तियां जो कि मानक, अवमानक और संदिग्ध हों, पुनःसंरचना के लिए पात्र हैं. यह पुनःसंरचना बैंक लेवल या सीडीआर लेवल दोनों स्तरों पर हो सकती है.

ऋण पुनःसंरचना हेतु पूर्व आवश्यकताएँ :

- (क) बैंकों का कुल बकाया 100% सुरक्षित होना चाहिये (मूल तथा संपार्श्विक दोनों मिलाकर). इसके कुछ अपवाद निम्नलिखित हैं :
1. लघु उद्योग (SSI) ग्राहक, जहां बकाया रु.25 लाख तक हों.
 2. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां प्रोजेक्ट जनित नकद प्रवाह (Cash Flow) ऋण की चुकौती हेतु पर्याप्त हो.
- (ख) प्रमोटर को अपने अंशदान बैंक त्याग का 20% अथवा कुल पुनःसंरचित ऋण का 2%, दोनों में जो अधिक हो, तुरंत लाना होगा.
- (ग) प्रमोटर की वैयक्तिक गारंटी अनिवार्य है.
- (घ) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की व्यवहार्यता (viability) 8 वर्षों में तथा गैर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की व्यवहार्यता (viability) 5 वर्षों में होनी चाहिये.

उन्हीं आस्तियों की पुनःसंरचना की जानी चाहिये, जिनकी वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) हो तथा जो ग्राहक पुनःसंरचना की शर्तों के अनुसार चुकौती कर सकने में सक्षम हो. जो भी इकाइयां उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करतीं, उनकी पुनःसंरचना नहीं की जानी चाहिये.

विशेष नियामक व्यवहार तथा प्रोत्साहन के लिए त्वरित लागू होने की स्थिति में बैंकों को फायदा, वैसे पुनःसंरचना के बाद बैंकों को अपनी आस्तियों को डाउन ग्रेड करना पड़ता है, किन्तु कुछ शर्तों के पालन से भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें छूट दे रखी है, कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. पुनःसंरचना पैकेज को 120 दिनों के अंदर लागू करना होगा:
 - (क) सीडीआर रचित पुनः संरचना में यह अवधि अनुमोदन पत्र की तिथि से 120 दिन होगी.
 - (ख) बैंक लैवल पुनःसंरचना में यह 120 दिन आवेदन प्राप्ति की तिथि से होगी.
2. कुल बकाया 100% सुरक्षित होना चाहिये. (दोनों मूल और संपार्श्विक प्रतिभूति को मिलाकर).
3. प्रमोटर का अंशदान: बैंक के त्याग का 20% अथवा कुल पुनःसंरचित ऋण का 2%, दोनों में जो ज्यादा हो, यह अंशदान पैकेज लागू होने पर साथ लेकर आना चाहिये.

4. प्रमोटर की वैयक्तिक गारंटी ली जानी चाहिये.
5. इकाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 8 वर्षों में एवं गैर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 5 वर्षों में व्यवहार्य हानी चाहिये.
6. कुल चुकौती अवधि मोराटोरियम अवधि सहित अधिक से अधिक 15 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो सकती है एवं 10 वर्ष गैर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो सकती है.
7. पुनःसंरचना दोबारा नहीं होनी चाहिये, यदि यह दोबारा होती है तो खाते का अवमूल्यन कर इसे गैर निष्पादक आस्ति में वर्गीकृत करना पड़ेगा.

आस्ति वर्गीकरण के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया गया इन्सेंटिव 31.03.2015 तक ही उपलब्ध है. इसके बाद पुनः संरचित ऋण खाते को एनपीए में वर्गीकृत करना होगा. अभी भी निम्नलिखित ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक आस्ति पुनःसंरचना की सुविधा नहीं देता है, ऐसे वर्ग निम्नलिखित हैं :

1. उपभोक्ता एवं वैयक्तिक ऋण
2. पूंजी बाजार को दिये गये ऋण
3. कमर्शियल रियल इस्टेट को दिये गये ऋण

जिस समय ऋण पुनःसंरचना की प्रक्रिया चल रही होती है, उस दौरान आस्ति वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार होता है.

प्रावधान मानक नये पुनःसंरचित खातों पर, जो कि मानक हैं, 5% की दर से दिनांक 01.06.2013 से लगेंगे. वर्तमान में यथा दिनांक 31.03.2013 जो ऋण खाते पहले से पुनःसंरचित हैं, उन खातों पर निम्न दर से प्रावधान की गणना होगी:

- क. मानक पुनःसंरचित खातों पर वर्ष 2013-14 में दर : 3.50% होगी.
- ख. मानक पुनःसंरचित खातों पर वर्ष 2014-15 में दर : 4.25% होगी.
- ग. मानक पुनःसंरचित खातों पर वर्ष 2015-16 में दर : 5.00% होगी.

इसके अलावा बैंकों को जहां भी त्याग अथवा एफआईटीएल (FITL) की सुविधा दी गयी है, वहां 100% प्रावधान करना होगा. इस प्रावधान की प्रक्रिया केंद्रीय कार्यालय स्तर पर की जाती है.

कुछ मामलों में ऋण को प्राथमिकता शेयर में भी बदलने का प्रावधान है, किन्तु यह एकदम अंतिम उपाय के रूप में ली जानी चाहिये. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार यह अधिक से अधिक पुनःसंचित ऋण का 10% हो सकता है.

पुनः मुआवजा पाने का अधिकार : पहले यह केवल सीडीआर माध्यम से पुनःसंचित खातों पर लागू था, किन्तु अब भारतीय रिजर्व बैंक इसे बैंक लेवल पुनःसंचना पर लागू कर चुका है.

पुनःसंचना पैकेज के अंतर्गत पुनः मुआवजा प्राप्ति की राशि की गणना पश्चात् कम से कम 75% पुनः मुआवजा राशि और यदि कोई सुविधा बैंक ने आधार दर से नीचे दर पर दी हो तो पुनः मुआवजा राशि का 100% बैंकों को वसूलना होगा.

प्रत्यायोजित अधिकार :

ऋण पुनःसंचना का प्रत्यायोजित अधिकार उनके पास होता है, जिनके पास ऋण स्वीकृति के अधिकार होते हैं, किन्तु इसकी सहमति अगले उच्च अधिकारी से ले लेनी होगी.

मुख्य प्रबंधक स्तर के शाखा प्रबन्धकों के पास पुनः ऋण संरचना का अधिकार नहीं होता है. अपने बैंक में सभी पुनःसंचित ऋण LONRSHDL मेनू में प्रविष्ट किये जाने चाहिये.

प्रशांत प्रभु

एन.पी.ए. से निपटने में सीजीटीएमएसई तथा ईसीजीसी की भूमिका

सीजीटीएमएसई क्या है :

कई छोटे तथा मध्यम उद्यम अपने कारोबार के लिए पूंजी संग्रहण की चुनौतियों का सामना करते हैं. यह चुनौती कारोबारों को प्रारम्भ करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है. इस चुनौती का मूल कारण यह है कि कारोबार प्रारम्भ करने तथा उसको चलाने के लिए, शुरू के वर्षों में छोटे तथा मध्यम उद्यमियों के पास अपनी पूंजी नहीं होती है. इसके अलावा एस.एम.ई. कारोबार को वित्तीय सुविधा प्रदान करने का निर्णय लेने से पहले बैंकों द्वारा सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग की जाती है. इस अवरोध को दूर करने के लिए, सम्पार्श्विक प्रतिभूति के अभाव में छोटे उद्यमों के लिए पूंजी संग्रहण के क्या विकल्प हैं ?

इस प्रश्न का जवाब सीजीटीएमएसई (लघु एवं मध्य उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास) नाम की योजना में है.

सीजीटीएमएसई की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी तथा यह योजना दिनांक 01 अगस्त, 2000 से लागू हुई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिना सम्पार्श्विक प्रतिभूति के छोटे कारोबारों को ऋण प्रदान करना है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना आरम्भ की गई, ताकि छोटे तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र को साख प्रदान करने की प्रणाली को सुदृढ़ कर साख के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके.

सीजीटीएमएसई के तहत ऋण छोटे तथा मध्यम उद्यमों को आरम्भ करने तथा विद्यमान उद्यमों को भी दिया जा सकता है. ये ऋण, सदस्य उधारकर्ता संस्थानों

के माध्यम से दिये जाते हैं। इस योजना के तहत सभी प्रमुख बैंकों द्वारा ऋण दिये जाते हैं। सदस्य उधारकर्ता संस्थानों की सूची सीजीटीएमएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्य उधारकर्ता संस्थानों द्वारा इस योजना के तहत दिये गये ऋण, सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित सीमाओं तक गारंटीकृत होते हैं। योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- ❖ योजना के तहत दिये गये ऋणों के लिए कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जाती है, अर्थात् छोटे उद्यमों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु अपनी कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ इस योजना के तहत लिये गये ऋण से प्राप्त आस्तियां ही बैंक के लिए मूल प्रतिभूतियां होती हैं।
- ❖ कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, विस्तार योजनाओं आदि के लिए इस योजना के तहत ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- ❖ सदस्य उधारकर्ता संस्थानों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
- ❖ खुदरा व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी इस योजना में पात्र नहीं हैं।
- ❖ इस योजना के तहत ऋण का संवितरण सदस्य उधारकर्ता संस्थानों द्वारा किया जाता है।
- ❖ इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी को ही संमिश्र गारंटी शुल्क का भुगतान करना होगा। ऋण राशि के 1.00% तक गारंटी फीस हो सकती है, यह सदस्य उधारकर्ता संस्थान पर निर्भर करता है। उत्तरपूर्वी क्षेत्रों एवं महिलाओं के लिए यह 0.75% है, जबकि अन्य मामलों में 5 लाख से 100 लाख तक के लिए यह 1.00% है।
- ❖ इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने हेतु स्थायी खाता संख्या (PAN) अनिवार्य है।
- ❖ एक से अधिक सदस्य उधारकर्ता संस्थानों से एक साथ रु.100.00 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है।
- ❖ ऋणी के संवर्ग तथा गारंटी कवरेज के अनुसार ऋण सुविधा के अधिकतम 85 % तक कवर उपलब्ध होता है।
- ❖ महिलाओं द्वारा स्वामित्व / परिचालित सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी ऋणों के लिए गारंटी कवर 80% है। सदस्य उधारकर्ता संस्थान द्वारा दी

गई साख सुविधाओं के भुगतान में चूक होने पर ट्रस्ट द्वारा दावों का निपटान 75% (या 80%) तक किया जाता है।

सीजीटीएमएसई आवेदन करने तथा दावा निपटान की प्रक्रिया :

स्वीकृत ऋणों के गारंटी कवर के लिए पात्र सदस्य उधारकर्ता संस्थानों द्वारा निवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन ऋण स्वीकृति की अगली तिमाही के अन्दर करना होगा, अर्थात् अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए क्रमशः जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून तिमाही समाप्ति के पहले। गारंटी कवर प्रारम्भ होने की तारीख वही होगी, जिस दिन ट्रस्ट के बैंक खाते में गारंटी फीस जमा की गई हो।

जैसे ही खाता गैर निष्पादक आस्ति संवर्ग में जाता है, उसे अगली तिमाही समाप्ति से पहले सीजीटीएमएसई को रिपोर्ट करना होगा। दावा आवेदनों की प्रस्तुति के लिए अवरुद्ध अवधि (lock in period) गारंटी कवर होने की तारीख के बाद 18 माह तक होती है। ऋणदात्री संस्था, यदि एन.पी.ए. अवरुद्ध अवधि के बाद हुआ हो तो एन.पी.ए. की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अंदर गारंटी इनवोक कर सकती है। यदि एन.पी.ए. अवरुद्ध अवधि के अंदर हुआ हो तो अवरुद्ध अवधि की समाप्ति से दो वर्ष के अंदर गारंटी इनवोक कर सकती है।

उधारकर्ता संस्थान द्वारा गारंटीकृत राशि के दावे के लिए, संबंधित सभी कार्रवाइयों से संतुष्ट होने पर, ट्रस्ट द्वारा चूक की राशि का 75% भाग दिया जाएगा। वसूली प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शेष 25% राशि दी जाती है। वसूली प्रक्रिया को तभी समाप्त माना जाएगा, जब सदस्य उधारकर्ता संस्थान द्वारा डिक्री को लागू कर लिया गया है और वसूली पूरी हो गई हो।

दावा दायर करने की पूर्व-शर्तें :

- गारंटी कवर प्रवृत्त (in force) हो
- राशि को एन पी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो
- निर्धारित अवधि के अन्दर एन पी ए की तारीख सीजीटीएमएसई को रिपोर्ट की गई हो
- अवरुद्ध अवधि समाप्त हो चुकी हो
- वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई हो

सीजीटीएमएसई के लाभ :

- ऋण संविभाग का विस्तार
- जोखिम का बेहतर प्रबंधन
- देय राशियों की वसूली में तेजी
- बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि

सारांश : ऋणियों द्वारा सम्भावित चूक के लिए, सदस्य उधारकर्ता संस्थान को, सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी जाएगी तथा सदस्य उधारकर्ता संस्थान को एनपीए की वसूली से लाभ होगा.

ईसीजीसी क्या है ?

भारतीय निर्यात वित्त गारंटी निगम लि. (Export Credit Guarantee Corp. of India Ltd.) भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो भारत में निर्यातकों तथा बैंकों को निर्यात वित्त बीमा प्रदान करता है. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, तथा इसका प्रबंधन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा तथा निर्यातक समूह के प्रतिनिधियों के निदेशक मंडल द्वारा होता है. विगत वर्षों में, इसने भारतीय निर्यातकों तथा वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न निर्यात वित्त जोखिम बीमा उत्पाद बनाये हैं. देश के निर्यातों को कवर करने की दृष्टि से भारतीय निर्यात वित्त गारंटी निगम, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी वित्तीय बीमा कंपनी है. वर्तमान में इस कंपनी की दत्त पूंजी तथा प्राधिकृत पूंजी रु. 1000 करोड़ है.

वास्तव में, भारतीय निर्यात वित्त गारंटी निगम एक निर्यात प्रोत्साहन संस्थान है, जो भारतीय निर्यातकों को वित्तीय बीमा प्रदान कर अन्य देशों के निर्यातकों से प्रतियोगिता करने की क्षमता प्रदान करता है. यह अपने प्रीमियम को यथासम्भव न्यूनतम रखता है.

ईसीजीसी क्या करता है ?

- निर्यात किये गये माल तथा सेवाओं के लिए वित्तीय जोखिम बीमा की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है.
- निर्यातकों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए निर्यात वित्त बीमा कवर प्रदान करता है.

- इक्विटी या ऋण के रूप में विदेशों में भारतीय कंपनियों को संयुक्त उपक्रम में निवेश के लिए विदेशी निवेश बीमा प्रदान करता है।

ईसीजीसी निर्यातकों की कैसे मदद करता है ?

- भुगतान जोखिमों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना.
- निर्यात संबंधी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन देना.
- अपनी स्वयं की रेटिंग से विभिन्न देशों की सूचनाएं देना.
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से निर्यात वित्त लेने को सरल बनाना.
- अशोध्य ऋणों की वसूली में निर्यातकों की मदद करना.
- विदेशी क्रेताओं के साख की सूचनाएं देना.

निर्यात वित्त बीमा की आवश्यकता :

बहुत अच्छे समय में भी निर्यात के भुगतान में जोखिम की संभावना हो सकती है. विश्व में तेजी से हो रहे राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण यह जोखिम बढ़ता जा रहा है. युद्ध प्रारम्भ होने या गृहयुद्ध के कारण भी निर्यात किये गये माल के भुगतान में रुकावट या देरी हो सकती है. किसी प्रकार की बगावत होने पर भी इसी तरह के परिणाम हो सकते हैं. आर्थिक कठिनाइयों या भुगतान संतुलन की समस्याओं के कारण, कोई देश कुछ विशिष्ट माल के आयात पर या आयातित माल के भुगतान पर प्रतिबंध लगा सकता है. इनके अलावा, क्रेता के दिवालिया होने या लम्बी अवधि तक भुगतान में चूक जैसे व्यापारिक जोखिम भी हो सकते हैं. राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी क्रेताओं का दिवालिया होना या उसकी भुगतान क्षमता खोना जैसी व्यापारिक जोखिम में वृद्धि हो रही है. राजनीतिक तथा व्यापारिक परिस्थितियों के कारण निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा नुकसान के भय के बिना विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए निर्यात वित्त बीमा प्रारम्भ किया गया है.

ईसीजीसी के निर्यात वित्त बीमा से बैंक को मुख्य लाभ कौन से हैं ?

- निर्यातकों को पर्याप्त वित्त की उपलब्धता - बीमा द्वारा सुरक्षित
- वित्त का प्रतियोगात्मक मूल्य
- कम मार्जिन/सम्पार्श्विक प्रतिभूतियां
- तरलता में वृद्धि - दावों का भुगतान

- कवर अधिक प्रतिशत तथा प्रीमियम की कम दरें
- ईसीजीसी द्वारा निर्यात वित्त जोखिम के लिए कम भार - पूंजी पर्याप्तता
- ईसीजीसी कवर तक एनपीए के लिए कम प्रावधान
- ग्राहकों का बेहतर चयन - विशिष्ट अनुमोदन सूची

हमारे बैंक ने ईसीजीसी से कौन सी निर्यात वित्त बीमा पालिसियां ली हैं? (अनुदेश परिपत्र क्र.9383 तथा 9384 दिनांक 03.09.2012) :

कुछ अपवादों को छोड़कर, हमारे बैंक के सभी निर्यात वित्तों को कवर करने के लिए ईसीजीसी द्वारा समग्र टर्नओवर पालिसियों के द्वारा बीमा कवर किया जाता है.

- i. प्री-शिपमेंट अग्रिम (पैकिंग क्रेडिट) - ईसीआईबी (डब्ल्यूटी-पीसी) के तहत कवर.
- ii. पोस्ट-शिपमेंट अग्रिम (एफडीबीपी/एफयूडीबीपी) - ईसीआईबी (डब्ल्यूटी-पीसी) के तहत कवर.

ईसीजीसी में दावा दायर करने की प्रक्रिया :

- ऋण स्वीकृति के बाद 30 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में शाखा द्वारा अधिसूचना देना.
- अग्रिम देय होने पर या अग्रिम को रीकॉल करने के बाद एक माह के अन्दर, जो भी पहले हो, शाखा द्वारा ईसीजीसी को चूक की रिपोर्ट भेजनी होगी.
- चूक की रिपोर्ट को एनपीए में वर्गीकरण या अन्य किसी के साथ संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए. अगर शाखा द्वारा चूक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए खाते को एनपीए में वर्गीकृत किये जाने की प्रतीक्षा की जाती है तो हो सकता है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय समाप्त हो चुका हो और इस कारण से ईसीजीसी द्वारा दावे को निरस्त किया जा सकता है.
- ईसीजीसी को अन्तिम दावा प्रस्तुत करने से पूर्व, सभी अग्रिमों (सीडीआर/बीआईएफआर मामलों को छोड़कर) को रीकॉल करना होगा.
- चूक रिपोर्ट देने के बाद 6 महीनों के अन्दर, निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक विवरणों जैसे - खाते का विवरण, निरीक्षण रिपोर्ट आदि के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा. इस दावे की प्रति अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय को भेजनी होगी.

134 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

- इसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि को विविध जमा - इसीजीसी क्लेम सेटलड खाता (321/1000) में रखना होगा.

इसके बाद, शाखा को वसूली के अन्य प्रयास प्रारम्भ करने होंगे, जैसे-सरफेसिया, डीआरटी, सिविल सूट आदि.

- वसूल की गई राशि में से, वसूली खर्चों को काटकर शेष राशि को खाते की मूल-राशि में समायोजित किया जायेगा.
- वसूली गई राशि का आनुपातिक अंश (दावा निपटान के अनुपात के आधार पर) तुरन्त इसीजीसी को भेजना होगा.
- दावे से प्राप्त राशि का समायोजन ऋण को अन्तिम रूप से, बट्टे खाते में डालते समय/प्रूडेंशियल राइट ऑफ करते समय ही करना होगा.

इस प्रकार, निर्यात अग्रिमों को इसीजीसी के परिदृश्य में कवर करने से एनपीए खातों में कम प्रावधान तथा इसीजीसी दावे के द्वारा वसूली का भी लाभ बैंक को मिलता है.

शेषाचल हेगड़े

सरफेसिया एवं डीआरटी अधिनियम में नवीनतम संशोधन - बैंकों का सुदृढ़ीकरण

अब यह सर्वविदित है कि एनपीए बैंकिंग प्रणाली धन का अपव्यय ही नहीं, वरन् इससे अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों यथा - समय व ऊर्जा का भी ह्रास होता है. यद्यपि 31.03.2013 को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का एन.पी.ए. सकल अग्रिम का लगभग 3.5% एवं निजी क्षेत्र का 1.5% से 2% है. इतने कम प्रतिशत का बैंक के तुलन-पत्र पर प्रभाव व्यापक है, यथा प्रावधानीकरण पूंजी व लाभप्रदता पर पड़ने वाला यह नकारात्मक प्रभाव इतना गहरा है कि इस कम प्रतिशत को झेलना भी बैंकों के लिए असह्य है. अतः समग्र अर्थव्यवस्था पर एन.पी.ए. का गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण नए निवेश में कटौती, बेरोजगारी को बढ़ावा, जीडीपी पर एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंकों के दानवाकर बढ़ते आस्ति पुनःसंरचना के आंकड़े व विनियामकों द्वारा इसके लिए बैंकों हेतु बाध्यकारी प्रावधानीकरण व आगामी वर्ष 2015 तक इसे एनपीए में वर्गीकरण से यह बैंकों के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं. वर्तमान आर्थिक स्थितियों यथा उच्च मुद्रास्फीति, रुपये की गिरती दरें, घटती हुई जी.डी.पी. दर ये सभी इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं.

एनपीए के इस प्रकार के बढ़ते बुरे प्रभाव को नियंत्रण में करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में सरकार ने आरडीडीबी व एफआई अधिनियम के तहत डीआरटी की स्थापना की, जिससे ऐसे ऋणों का तुरंत निपटान करते हुए बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के 10.00 लाख से अधिक ऋणों की वसूली की जा सके. वर्तमान में 33 डीआरटी हैं. इनकी उपादेयता में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण है, इन न्यायालयों में लंबित विवादों का कतार में होना. बैंकों पर इसके कुप्रभाव को महसूस करते हुए तथा बढ़ते हुए एनपीए खातों का डीआरटी द्वारा निपटान करने में असमर्थता को भांपते हुए वर्ष 2002 में सरफेसिया एक्ट लाया गया,

इसके द्वारा अचल संपत्तियों की जब्ती व बेचने के अधिकार बैंकों को दिए गये हैं. (इसके पूर्व में बिना कोर्ट आदेश के भी चल संपत्तियों के जब्ती के आदेश दिए गये हैं). इस एक्ट के माध्यम से बैंकों ने जानबूझकर चूक करनेवालों व अड़ियल किस्म के लोगों में नकेल डालने का काम किया है.

तथापि, सरफेसिया के तहत किसी भी प्रकार के उठाये गए कठोर कदम के बावजूद उधारकर्ता भुगतान से किसी न किसी तरह न्यायालय की सहायता से स्वयं को बचाने की कोशिश करते हैं. इतना ही नहीं वे इस हेतु बैंक अधिकारियों को आवश्यक सहयोग नहीं देते. ऐसे अड़ियल लोगों द्वारा उत्पन्न किये गए प्रतिरोध से बैंक को वास्तविक जब्ती में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. बैंकों को इस हेतु धारा 14 के तहत डीएम/सीजेएम से अनुमति लेनी पड़ती है, इसमें समय और श्रम दोनों का व्यय होता है. उपर्युक्त के मद्देनजर सरफेसिया एक्ट भी अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाता.

बैंकों की स्थिति और मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्यूरिटी इंटरैस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट्स लॉस (संशोधित) बिल, 2011 पास किया. ये संशोधित प्रावधान 15.01.2013 से लागू हैं. यद्यपि कई संशोधन हुए हैं, लेकिन बैंकों से संबंधित संशोधन सुलभ संदर्भ हेतु तुलनात्मक रूप में नीचे प्रस्तुत हैं :

टेबल-1 सरफेसिया एक्ट में संशोधन :

| संशोधन पूर्व | संशोधन के पश्चात् |
|--|---|
| धारा 13(2) की नोटिस मिलने पर उधारकर्ता/जमानतदार के अनुरोध/आवेदन पर बैंक 7 दिनों के भीतर अपने उत्तर भेजा करते थे. | यह अवधि अब 15 दिनों तक बढ़ा दी गई है - 13(3ए) |
| बैंक नीलामी (बोली) में भाग नहीं ले सकते. | अचल संपत्ति के मामले में जहां आरक्षित रकम से कम बोली हो तो बैंक की ओर से कोई भी अधिकारी, जो बैंक से अधिकृत हो, नीलामी (बोली) लगा सकता है - 13(5ए, 5बी, 5सी) |
| केवियट (CAVEAT) में दर्ज करवाने (फाइलिंग) का प्रावधान नहीं | उधारकर्ता/गारंटीकर्ता द्वारा आवेदन/अपील के पूर्वानुमान में बैंक या कोई भी |

| | |
|--|---|
| | व्यक्ति केवियट (CAVEAT) में दर्ज कर सकता है. 18(सी) सीसीसी |
| धारा 14 के तहत वास्तविक जब्ती हेतु हलफनामा दर्ज करने का प्रावधान नहीं. | धारा 14 के तहत देय रकम, धारा 13(2) के तहत पुष्टि नोटिस, उधारकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति आदि प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सहित हलफनामा डीएम/सीजेएम/सीएमएस को आवेदन के रूप में दिया जा सकता है - 14(1) |
| धारा 13(4) के तहत एक से अधिक जमानती देनदार या आस्तियों के संयुक्त वित्तीय सेवा वाले या उधारकर्ता जो 3/4 तक अंश रखते हों, देनदार अपने अधिकार के उपयोग हेतु सहमत हों. | एक से अधिक जमानती देनदार या आस्तियों के संयुक्त वित्तीय सेवा वाले जो 60% (संख्या के अनुसार) एवं 75% (मूल्य के अनुसार हों) अधिकारों के उपयोग में सहमत हों. |
| धारा 14 के तहत डीएम/सीजेएम के पास निचले वर्ग के अधिकारी को जब्ती करने के अधिकारों का प्रावधान नहीं. | अब सीएम/सीजेएम अपने से निचले वर्ग के अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं - 14(1ए) |
| केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना होने तक वर्तमान के किसी प्रभार का सेंट्रल रजिस्ट्री में या सेरसाई रजिस्ट्री का कोई प्रावधान नहीं हो, या फिर केंद्रीय रजिस्ट्री में ऐसे लेनदेन को दर्ज करने के लिए अवधि का विस्तार. | केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना के पूर्व बचे मामलों में अब रजिस्ट्री प्रभार दर्ज का प्रावधान है. केंद्रीय सरकार को अब यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे लेनदेन की अवधि विस्तार का अधिकार दिया जा सकता है - नियम 26ए(1) |

टेबल-2 डीआरटी एक्ट में संशोधन :

| संशोधन पूर्व | संशोधन के पश्चात् |
|--|---|
| अनंतिम आदेश के पूर्व डीआरटी में मामले निपट जाने पर, प्रदत्त फीस की वापसी का कोई प्रावधान नहीं. | अनंतिम आदेश के पूर्व डीआरटी में मामले के निपटान के मामले में बैंक फीस वापसी हेतु आवेदन दे सकते हैं - धारा19(3ए) |

| | |
|---|--|
| लिखित विवरण दर्ज करवाने हेतु निर्धारित अवधि का कोई प्रावधान नहीं. | समन देने की तारीख के 30 दिनों के अंदर चूककर्ता/उधारकर्ता लिखित विवरण दर्ज कर सकता है. विशेष मामलों में पीठासीन अधिकारी दो बार से अधिक विस्तार अवधि प्रदान नहीं कर सकता है - धारा 19(5) |
| स्थगन के मामले में पीठासीन अधिकारी लागत अधिरोपित नहीं कर सकते. | स्थगन के मामले में पीठासीन अधिकारी लागत अधिरोपित कर सकते हैं - धारा 19(5ए) |
| निर्धारित समय में आवेदन की सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं. | सुनवाई दैनंदिन आधार पर चलेगी एवं पार्टी को 3 या 3 से अधिक पार्टी होने पर, ऐसे मामलों में स्थगन 6 बार से अधिक नहीं. |
| डीआरटी के पास उधारकर्ता/गारंटीकर्ता के बीच समझौते/निपटारा संबंधी पावती सूचना देने का प्रावधान नहीं. | ऐसे निपटारे/समझौते के मामलों में डीआरटी आदेश जारी कर सकता है - धारा 19(20ए) |

उपर्युक्त संशोधनों से यह स्पष्ट है कि सरकार दानवाकार होते एनपीए पर लगाम कसने के लिए कटिबद्ध है. बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को जारी 60 दिन की नोटिस के अंदर यदि उधारकर्ता किसी कारणवश प्रतिवेदन या नोटिस देता है तो बैंकों को उसे 7 दिनों में उत्तर देना बाध्यकारी था, परंतु नए संशोधन में यह अवधि बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है, जिससे बैंकों को राहत मिली है. कई बार बिडर्स के न होने के कारण संपत्तियों की नीलामी नहीं हो पाती थी, अब बैंक का कोई भी अधिकारी बैंक की ओर से भी (नीलामी) बोली लगा सकता है, अर्थात् अब बैंक ऐसी संपत्तियों की नीलामी कर सकता है. इतना ही नहीं, डीएम/सीजेएम किसी कारणवश अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मामले नहीं निपटा सकते थे, लेकिन अब मामला निपटान की धारा 14 के तहत मामले के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से वे अधीनस्थ अधिकारियों को मामला निपटाने का अधिकार दे सकते हैं.

इसी प्रकार यद्यपि बैंक केवियट (CAVEAT) में मामले दर्ज करते थे एवं कोर्ट भी इसे स्वीकार करता था, लेकिन अब संशोधित केवियट (CAVEAT) में फाइल करने का प्रावधान है, जिसमें उन उधारकर्ताओं के विरुद्ध कदम उठाया जा सकता है, जो अनावश्यक

बहाने बनाते हुए कोर्ट आदेश से बचने की कोशिश करते हैं। अधिकतर कनसॉर्शियम खातों में अन्य बैंकों द्वारा उस खाता विशेष में उचित निर्णय न लेने के कारण सरफेसिया कार्रवाई में विलंब होता है, जिससे अन्य सदस्य बैंक उचित कार्रवाई कर वसूली न कर सकने के कारण हताश महसूस करते हैं। हाल ही के संशोधन के अनुसार 3/4 के बजाय कनसॉर्शियम/बहु-बैंकिंग व्यवस्था के 60 बैंकों की सहमति ही एनपीए उधारकर्ता के विरुद्ध सरफेसिया में जाने के लिए पर्याप्त है। यह निश्चित ही बैंकों को सरफेसिया प्रक्रिया में तेजी लाने में मददगार होगी।

टेबल - 2 के अनुसार डीआरटी एक्ट के संशोधन से, प्रतिबंधित स्थगन एवं लागत, लिखित विवरण दर्ज करने की निर्धारित अवधि से इस प्रक्रिया में कार्यवाही में भी तेजी की संभावना है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीआरटी में 60,000 मामले लंबित हैं - यदि हर डीआरटी प्रतिदिन एक मामला भी निपटाता है, ऐसे में नए उभरते हुए मामलों को छोड़ते हुए भी लंबित सूची को निपटाने में लगभग 9 वर्ष लग जाएंगे। (200 कार्य दिनों एवं 33 डीआरटी मानकर चलने पर भी)। तथापि वर्तमान में हुए संशोधन से बैंकों की अपेक्षा है कि इन मामलों में आवश्यक तेजी आयेगी। जो भी हो चूककर्ता उधारकर्ता एवं उनके वकील विधिक कार्यवाही के विलंब हेतु कोई न कोई हथकंडा अपनाना जानते हैं। यदि बैंकर्स वकील के चयन, उचित प्लेन्ट ड्राफ्टिंग मुकदमा दायर इत्यादि गंभीरतापूर्वक करें और निर्धारित समय, नियंत्रित स्थगन, आवेदनों में अड़चन एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, तभी निर्णय में तेजी की संभावना है। डीआरटी से आदेश के जारी होते ही प्रिसाइडिंग आफिसर से वसूली प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु उचित अनुवर्तन करना चाहिए, जिससे संपत्ति के विक्रय हेतु आवश्यक कदम उठाया जा सके।

सारांशतः यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त सरफेसिया एवं डीआरटी के हाल ही में लाये गये संशोधन स्पष्टतया व अन्य एनपीए उधारकर्ताओं को यह संदेश देते हैं कि अब इनके मंसूबे बैंकों एवं सरकार को गुमराह करने में सफल नहीं हो पायेंगे। बैंक अधिकारियों की एनपीए वसूली की प्रतिबद्धता में ये संशोधन इजाफ़ा करते हुए उनके विश्वास को मजबूत करेंगे। फलतः बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ते हुए एनपीए को कम किया जा सकेगा, जिससे एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली का सूत्रपात होगा, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था एक नई ऊंचाई को छू सकेगी।

कृष्ण कुमार यादव

स्टाफ हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ : एनपीए वसूली का सशक्त माध्यम

किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंक जनता से प्राप्त संसाधनों का उपयोग उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने में करते हैं, जिनसे विकास के साथ रोजगार सृजन के लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और वे अपनी भूमिका अनवरत रूप से निभाते रहें। यह तभी संभव है, जब वे सतत लाभ कमाते रहें, ग्राहकों/निवेशकों का विश्वास जीत आवश्यक पूंजी बाजार से जुटाते रहें तथा कपट व्यवहार से बचाव के प्रति सचेत रह इस दिशा में उत्कृष्टता प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते रहें। वर्तमान में बैंकों के इन प्रयासों के बीच जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वह है - बैंक की अनर्जक आस्तियां।

बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में अनर्जक आस्तियां वे आस्तियां हैं, जिन्होंने बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर दिया है। अनर्जक आस्तियां देश के लिए वास्तव में एक लागत के रूप में हैं, क्योंकि ये दुर्लभ पूंजी और ऋण निधियों का गैर-उत्पादक प्रयोग दर्शाती हैं। यदि बैंकों द्वारा पूर्व में दिया गया ऋण एनपीए होने लगे तो बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाएगी और आगे उधार देने की उनकी क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तदनंतर अपने पिछले कड़वे अनुभवों के चलते बैंकर्स ऋण देने में उदासीनता बरतेंगे और कोई भी ऋण देने के पहले फूँक-फूँककर कदम उठाने के साथ ज्यादा प्रतिभूति की मांग करेंगे। हर किसी उधारकर्ता के लिए पर्याप्त प्रतिभूति जुटा पाना आसान नहीं होता है। अतएव, वैसे उधारकर्ता ऋण से वंचित हो जाएंगे, जो बैंकों से कर्ज लेकर कोई आर्थिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं। बैंकों के इस रवैये से उत्पादक गतिविधियों हेतु धन की किल्लत होगी, जिसके चलते आर्थिक गतिविधियाँ सुस्त होने लगेंगी। जब आर्थिक गतिविधियाँ सुस्त हो जाएंगी तो

आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था को हर तरफ से चोटिल करेगा. बढ़ते एनपीए का एक परिणाम यह भी होगा कि जिस क्षेत्र विशेष का एनपीए अधिक होगा, उस क्षेत्र की अच्छी कंपनियों/कारोबारी समूहों को भी ऋण देने से बैंक परहेज करेंगे. मिसाल के तौर पर, किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया ऋण एनपीए होने से बैंक अब बेहतर प्रबंधन वाली एयरलाइंस को भी ऋण देने से कमी काटेंगे. इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा जुटाई गई निधि की लागत भी औरों के मुकाबले कहीं अधिक होगी. जब निधि की लागत अधिक होगी तो जाहिर है कि कर्ज की दरें भी ऊँची होंगी. महंगे कर्ज से उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी. साथ ही इससे जमाकर्ताओं और निवेशकों का बैंकिंग तंत्र से भरोसा घटेगा, परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन की मुहिम को भी झटका लगेगा.

किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का गतिशील रहना बहुत ही आवश्यक है. आर्थिक गतिविधियों को गतिशील बनाए रखने में बैंकों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं. केयर रेटिंग्स के एक अध्ययन के मुताबिक दिसंबर, 2012 के अंत तक सरकारी बैंकों का कुल एनपीए उनके कुल अग्रिम का 3.92 फीसदी था, और पिछले एक वर्ष में इन बैंकों के सकल एनपीए में 42.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. एनपीए में इस तरह की बढ़ोतरी बैंकिंग जगत् के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है, अर्थात् अनर्जक आस्तियां न केवल बैंकों की समस्या हैं, अपितु ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक हैं. वर्तमान समय में बैंकिंग उद्योग की भी प्रमुख समस्या अनर्जक आस्तियों में कमी लाना है.

बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) यानी वसूली में फंसा धन और नकदी की तंगी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अल्पकालिक जोखिम है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारतीय वित्तीय प्रणाली पर एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय प्रणाली को निकट भविष्य में सबसे बड़ा जोखिम बढ़ते एनपीए और नकदी की प्रणालीगत व्यवस्था पर नए किस्म के दबाव से है. हमारे वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर बैंकों की जम कर खबर ली. वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयार रिपोर्ट जब बैंकों के सामने रखी गई, तब कई बैंक प्रमुखों को बचाव के लिए शब्द नहीं मिले. पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च, 2013) में ही सभी सरकारी बैंकों ने संयुक्त तौर पर 11,724 करोड़ रुपये कर्ज की राशि को बट्टे खाते में डाला, जबकि वास्तविक वसूली सिर्फ 6,348.23 करोड़ रुपये की थी. कई बैंकों ने तो कर्ज की राशि को बट्टे खाते में डालने में हद ही पार कर दी है. यूनाइटेड बैंक ने वास्तविक वसूली के मुकाबले 605 फीसदी ज्यादा राशि बट्टे खाते में डाली. बैंक ऑफ इंडिया ने 557 फीसदी ज्यादा, तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने वास्तविक

वसूली के मुकाबले 519 फीसदी ज्यादा बट्टे खाते में डाली है। भारतीय स्टेट बैंक ने 213 और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 370 फीसदी ज्यादा कर्ज की राशि बट्टे खाते में डाल दी।

भारत सरकार द्वारा भविष्य में बैंकों की तरफ से बट्टे खाते में डाली गई राशि कर्ज वसूली से कम रखने का निर्देश दिया गया है। यह भी सच है कि इन्हीं बैंकों के कामकाज के बल पर भारत 2008 की वैश्विक मंदी से काफी हद तक अप्रभावित रहा। जब देश की आर्थिक नीतियों पर समाजवाद हावी होता है तो इसका असर सिर्फ सरकारी बैंकों पर पड़ता है, क्योंकि बैंकों के लिए एनपीए एक बड़ा मसला हो जाता है। यह समस्या अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

वर्तमान समय में बैंकों के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि एनपीए हुए खातों की निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई कर अपना एनपीए कम करें। बैंक एनपीए कम करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है, जैसे कि एनपीए को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री व वसूली एजेंटों की सेवाओं का उपयोग आदि। परंतु ये सभी सेवाएं बैंकों के लिए बहुत खर्चीली साबित हुईं। साथ ही सरकार ने भी वसूली एजेंटों की सेवाएँ लेने के लिए बैंकों को मनाही कर दी। फिर सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि ने एनपीए वसूली में तेजी लाने के लिए एक अभिनव प्रयोग करते हुए अपने स्टाफ सदस्यों के लिए कई स्तरों पर प्रोत्साहन योजनाएं इस सोच के साथ शुरू कीं कि इससे स्टाफ सदस्य प्रेरित होंगे और वसूली के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप बैंक के समग्र एनपीए में तेजी से ह्रास देखने को मिला। इस प्रकार के प्रयास और भी अनेक कारणों से बैंकों के लिए फायदेमंद रहे, यथा:

1. इस प्रकार से की गयी वसूली अन्य वसूली प्रक्रियाओं की तुलना में कम खर्चीली रही।
2. स्टाफ सदस्य ग्राहकों के स्वभाव को भलीभाँति जानते व पहचानते थे, अतः कम से कम समय में वसूली करने में सफल रहे।
3. स्टाफ सदस्य विनम्रता से ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उनसे कोई जोर जबर्दस्ती नहीं करते, अतः उनके साथ भविष्य के सम्बन्धों पर असर नहीं पड़ा।
4. शीघ्र वसूली से बैंक धन का उपयोग दुबारा कर अधिक मुनाफा कमा सके।
5. अपनी संस्था द्वारा उनके प्रयासों की सराहना से उन्हें अधिक संतुष्टि का एहसास हुआ और संस्था के साथ उनके संबंध और अधिक प्रगढ़ हुए।

6. एनपीए स्तर कम होने से बाजार में बैंक की छवि सुधरी.

किसी भी संस्था की सफलता के लिए उसके स्टाफ का मनोबल ऊंचा होना अति आवश्यक होता है. विभिन्न संगठन अपने कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तरह-तरह की प्रोत्साहन योजनाओं का सहारा लेकर उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करते रहते हैं. इस प्रकार की योजनाएँ अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं. इनका प्रमुख उद्देश्य कर्मचारी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को संगठन में पहचान दिलाना तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है. इसके अतिरिक्त इस प्रकार की योजनाओं से कुछ अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है, जैसे :

- स्टाफ आकर्षित होते हैं.
- स्टाफ को संगठन में बनाए रखने में आसानी रहती है.
- स्टाफ बेहतर करने को प्रेरित होते हैं.
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले को पुरस्कृत करने का सुअवसर मिलता है.
- संगठन की रणनीतियों को कार्यान्वित करने में आसानी होती है.
- सदस्यों में उद्यमशीलता की भावना जागृत होती है.
- सदस्यों का बेहतर निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित होता है.
- सदस्यों के कार्य कौशल को बढ़ावा मिलता है.

सुप्रसिद्ध बाजार विशेषज्ञ पॉल वील्ड प्रारम्भ में प्रोत्साहन के लिए केवल नकद इनाम के पक्षधर थे, परंतु कुछ वर्षों के अनुभव के पश्चात् उन्होंने माना कि प्रोत्साहन योजनाओं में नकद इनाम के अतिरिक्त स्टाफ के कार्य की प्रशंसा व उसकी पहचान तथा उपहार भी महत्वपूर्ण होते हैं.

अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले स्टाफ जैसे कि सब-स्टाफ और लिपिकीय स्टाफ को भी प्रोत्साहन योजना में शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही इस प्रकार की योजना लागू करने से पहले निम्न मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है:

- ❖ प्रोत्साहन योजना को सरल बनाएँ व छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लें.
- ❖ ऐसी योजना बनायें, जिसमें प्रत्येक सदस्य के जीतने की संभावना हो.
- ❖ सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें, छोटी-छोटी व्यक्तिगत सफलताओं की भी सराहना करें.

- ❖ बोनस अंक प्रदान करने का भी प्रावधान रखें, जिसके बदले में कर्मचारी अपनी पसंद के उपहार जैसे कि वीडियो कैमरा, यात्रा पैकेज, मोबाइल या कोई अन्य उपयोगी वस्तु ले सकें.

प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम बनाने से पूर्व :

- व्यक्ति या समूह के लिये लक्ष्य निर्धारित कर लें.
- तय कर लें कि लक्ष्य प्राप्ति का आकलन किस प्रकार होगा.
- प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरस्कार बजट निर्धारित कर लें.
- प्रोत्साहन स्वरूप देय वस्तुओं की सूची बना लें.
- निर्धारित कर लें कि योजना की जानकारी सभी सदस्यों तक कैसे पहुँचाई जायेगी, जैसे कि ईमेल, पोस्टर, न्यूजलेटर आदि.
- योजना के लिए बजट का अनुमोदन पहले से ले लें तथा प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहन से होने वाले लाभ का भी आकलन कर लें. लाभ को बताकर अनुमोदन लेना आसान होता है.
- योजना ठीक तरह से परिभाषित व आसानी से समझी जाने लायक होनी चाहिए.
- योजना के प्रारम्भ होने की तिथि निर्धारित कर लें.
- योजना का शुभारंभ धूमधाम से करें.
- योजना के लिए सदस्यों में उत्साह बनाए रखें.
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदस्यों की सफलता की कहानी बताकर दूसरों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है.
- प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन और गैर प्रदर्शन के लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए.

यह सर्व विदित है कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की असीमित क्षमता होती है. आवश्यकता होती है, उस क्षमता को पहचान कर उसे निखारने की. संगठन का यह दायित्व होता है कि वह अपने सदस्यों की क्षमता को पहचाने व उन्हें निखरने का पर्याप्त अवसर दे. कुछ लोग नगद धन से प्रोत्साहित होते हैं तो कुछ सम्मान पत्र से. अब यह संगठन को निर्णय करना है कि वह अपने सदस्यों को कैसे प्रोत्साहित करता है.

पी के मोहन्ती

एनपीए रोकने में ड्यू डिलिजेंस एवं ऋण मूल्यांकन का महत्व : इलाज से परहेज बेहतर

ड्यू डिलिजेंस से अभिप्राय किसी कारोबार या व्यक्ति पर वित्तीय निवेश करने से पहले उसकी उचित छानबीन करना है। यह संबंधित संस्था या व्यक्ति की ईमानदारी पर रोशनी डालकर हमें उसके कारोबार, परिचालनों के बारे में सूझबूझ प्रदान करता है, जो हमें ऋण - निर्णय लेने में आश्वस्त करता है एवं विश्वास देता है।

वर्तमान समय में बैंकों में एनपीए एक वृहद् समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, इससे बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है। इसलिए एनपीए रोकने में ड्यू डिलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

ऋण खातों को एनपीए से बचाने में ड्यू डिलिजेंस का योगदान :

ऋण खाता एनपीए होने के अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण खाते के ड्यू डिलिजेंस पर ध्यान नहीं देना है। वास्तव में ड्यू डिलिजेंस का अर्थ होता है कि जब हम किसी ऋण खाते की प्रोसेसिंग करते हैं, तब स्वविवेक से ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएं, जिससे बैंक के हित सर्वोपरि रहें एवं खाते के एनपीए होने के मौके न्यूनतम अथवा नगण्य रहें। यदि ऋण प्रोसेस एवं स्वीकृति के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये तो खाता एनपीए होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं:

- संबंधित पार्टियों/साझेदारों/निदेशकों के बारे में बाजार में पूछताछ की जाये एवं उनकी प्रतिष्ठा के बारे में पूरी जानकारी ली जाये।
- निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाये, इसके अंतर्गत ऋण मंजूरी के पहले एवं ऋण मंजूरी के बाद पार्टियों के संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाये।

- यदि ऋणी ने पहले किसी अन्य बैंक से भी ऋण ले रखा है तो उसकी जानकारी सिबिल साइट से ली जाये. इससे बैंक, संपत्ति को गिरवी रख कर ऋण देने से पहले सरसाई (CERSAI) और सिबिल (CIBIL) से रिपोर्ट ले कर यह पता लगा लेगा कि इस संपत्ति पर किसी अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण तो नहीं लिया गया है तथा सिबिल की रिपोर्ट में ऋण लेने वाले के फाइनेंशियल ट्रेक रिकार्ड की जानकारी मिल जायेगी.
- खातों के एनपीए होने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि ऋणी एक ही संपत्ति पर कई जगह से ऋण ले लेता है और फिर वह लिए गए ऋण की चुकौती नहीं करता है एवं उसकी संपत्ति भी विवादास्पद होती है. इसलिए ऋण वसूली में दिक्कत आती है और कानूनी समस्याएं भी पैदा होती हैं.
- नये प्रावधानों में यह भी व्यवस्था है कि अब तक ऋणी द्वारा किसी एक संपत्ति को इक्विटेबल मार्गेज कर, कई बैंकों से ऋण लेने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिससे बैंकों में धोखाधड़ी एवं खातों के एनपीए होने की घटनाएं बढ़ी हैं. सरसाई एवं सिबिल की व्यवस्था लागू होने से अब इस पर रोक लग सकेगी. सरसाई की रिपोर्ट से यह मालूम लग जायेगा कि संबंधित संपत्ति पर पहले कभी कहीं से ऋण लिया गया है अथवा नहीं. इसी के साथ सरफेसी एक्ट 2002 में भी यह प्रावधान किया गया है कि किसी संपत्ति को गिरवी रख कर ऋण देने पर, इसकी सूचना सरसाई को देना आवश्यक है.
- ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया उधारकर्ता की पहचान एवं चयन से आरंभ होती है. इसमें निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है:
 - ✓ क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों/संस्थानों से संबंधित उधारकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना.
 - ✓ उधारकर्ता के वर्तमान बैंकर से साख रिपोर्ट प्राप्त करना.
 - ✓ उधारकर्ता के ट्रेक रिकार्ड एवं पूर्व चालचलन आदि के बारे में जानकारी लेना.
 - ✓ उधारकर्ता के आपूर्तिकर्ता/क्रेता एवं कर्मचारियों से संस्थान की साख के बारे में जानकारी लेना.
 - ✓ रेटिंग देने वाली संस्थाओं से संबंधित उधारकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना.

- ✓ वित्तीय विवरणों/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/संपत्ति के मूल्यांकन आदि की जांच करना.
- ✓ ईसीजीसी की विशेष अनुमोदित सूची/भारतीय रिजर्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची/भारतीय रिजर्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची आदि की गहनता से जांच करना.
- ✓ उधारकर्ता से व्यक्तिगत भेंट एवं उसका विस्तृत साक्षात्कार लेना.
- ड्यू डिलिजेंस केवल उधारकर्ता पर नहीं किया जाए, अपितु बंधक के लिए प्रस्तावित संपत्ति/बंधककर्ता और गारंटर पर भी किया जाना आवश्यक है. इसके अंतर्गत इनसे केवाईसी का कड़ाई से पालन करवाया जाये एवं बंधक संपत्ति के स्वामित्व/कब्जा [पोजेशन]/मूल्यांकन/विपणनीयता आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये.
- उधारकर्ता के ऋण प्रकरण में भौतिक [फिजिकल] सत्यापन प्रोसेसिंग करने वाले अधिकारी के अलावा किसी अन्य बैंक अधिकारी से करवाये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
- उधारकर्ता के बारे में, उधारकर्ता से जुड़े सभी बैंकों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं अपने पास उपलब्ध सूचना उन्हें देनी चाहिए, ताकि प्रकरण के वास्तविक तथ्य उजागर हो सकें.
- कृषि अग्रिम प्रस्तावों के अंतर्गत ऋण मंजूरी पूर्व निरीक्षण किये जायें, केवाईसी मानदण्डों का पालन करवाया जाये एवं संबंधित व्यक्ति के गाँव में रहने/प्रतिष्ठा आदि के बारे में पूछताछ की जाये. इसके अलावा आस्ति सत्यापन, कृषि उत्पाद की बिक्री, वसूली, अनुवर्ती कार्रवाई हेतु खाते का ऋण वितरण के बाद अर्ध-वार्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिए.
- बैंक “मॉक रन” के माध्यम से सिस्टम में सूची जनरेट कर रहे हैं, जिससे यह मालूम किया जा सके कि ऐसे कौन से खाते हैं, जिनका विशेष ध्यान रखा जाना है. ऐसे खातों को मॉक रन में आते ही एनपीए के रूप में स्लिपेज होने से बचाने के प्रयास किये जाते हैं और उचित उपायों से इन्हें एनपीए होने से बचाया जाता है.

ऋण खाता एनपीए होने के पूर्व चेतावनी संकेत :

कोई भी खाता अचानक खराब नहीं होता है. इस तरह के खातों में पूर्व में कुछ

संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। अब यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह इन संकेतों से खतरे का आभास जानें एवं इन्हें चेतावनी संकेत मानते हुए, यथेष्ट समय पूर्व सुधारात्मक कदम उठावें, जिससे कि खाता स्लिपेज होने से बचाया जा सके। यह संकेत निम्न हो सकते हैं:

- 0 उधारकर्ता द्वारा आरंभ से ही अथवा कुछ समय बाद मंजूरी शर्तों का पालन नहीं करना.
- 0 मार्जिन की राशि के लिए अनियोजित तरीके से उधार लेना.
- 0 ब्याज की राशि के भुगतान को 15 दिनों से भी अधिक समय तक बकाया रखना.
- 0 30 दिन से भी अधिक समय तक किश्तों का भुगतान नहीं करना.
- 0 वित्तीय कारणों से उधारकर्ता के चेक वापिस होना.
- 0 उधारकर्ता द्वारा संव्यवहारों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बैंक खाते के माध्यम से नहीं करते हुए, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी अन्य बैंक के खाते से संग्रहण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू करना.
- 0 बिल्स परचेस खाते में बकाया लंबित रहना.
- 0 बैंक के माध्यम से वसूली हेतु प्रेषित बिलों का देय तिथि के बाद भी बकाया रहना एवं ऐसे बिलों का बार - बार वापिस आना और/अथवा राशि की वसूली नहीं होना.
- 0 वर्किंग कैपिटल लिमिट का लगातार अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाना.
- 0 स्टॉक स्टेटमेंट एवं अन्य आवधिक विवरण की प्रस्तुति में अनावश्यक विलंब करना.
- 0 खाते में सीमा से अधिक आहरण/अतिरिक्त सीमा स्वीकृत करने या ब्याज/किश्त जमा करने हेतु समय बढ़ाने का बार-बार अनुरोध करना.
- 0 उधारकर्ता द्वारा बैंक के साथ छल-कपटपूर्ण व्यवहार करना एवं बैंक अधिकारियों से मिलने से बचने हेतु बार-बार बहाने बनाना.
- 0 स्टॉक स्टेटमेंट में अनपेड स्टॉक का उल्लेख नहीं करना अथवा बुक डेट विवरण में बुक डेट की अवधि का उल्लेख नहीं करना.

इसके अलावा निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिससे खाते के एनपीए होने के संकेत प्राप्त होते हैं.

- ▶ प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में देरी.
- ▶ प्रोजेक्ट रिपोर्ट/अनुमोदित कोटेशन के अनुसार मशीनों को स्थापित नहीं करना.
- ▶ प्लांट एवं मशीनरी बार-बार बंद होना.
- ▶ उत्पादन/निर्माण, पूर्ण क्षमता से कम होना अथवा नहीं होना.
- ▶ उत्पादन/निर्माण में बार-बार रुकावट आना एवं श्रम समस्याएं पैदा होना.
- ▶ कच्चा माल/स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं होना.
- ▶ बैंक की जानकारी के बिना, निर्धारित मापदण्ड के अलावा कार्य/उत्पादन करना.
- ▶ बैंक की जानकारी के बिना प्लांट/मशीनरी के किसी भाग अथवा पूरे प्लांट/मशीनरी को बेचना/बदलाव करना अथवा बंद करना.
- ▶ विक्रय में लगातार गिरावट होना.
- ▶ सांविधिक देयताओं के भुगतान में चूक/विलम्ब होना.
- ▶ वर्किंग केपिटल का पूंजीगत व्ययों अथवा अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना.
- ▶ देनदारों एवं लेनदारों की राशि में बहुत अधिक अंतर आना.
- ▶ ग्राहक/लेनदारों/कर्मचारियों आदि के द्वारा संस्थान के विरुद्ध विधिक प्रकरण दर्ज कराना.
- ▶ आर्थिक मंदी के कारण उद्योग/व्यवसाय में गिरावट.
- ▶ अनावश्यक माल का संग्रहण.
- ▶ प्रबंधक वर्ग में बार-बार एवं अनावश्यक परिवर्तन करना.
- ▶ प्रबंधन/कर्मचारी विवादों में वृद्धि.
- ▶ लाभप्रदता कम होना.
- ▶ यूनिट द्वारा जानबूझकर घाटा दिखाया जाना/या घाटा होना.
- ▶ एक मात्र अथवा कुछ थोड़े से खरीदारों पर निर्भरता.
- ▶ उत्पाद के लिए कोई वैकल्पिक बाजार उपलब्ध नहीं होना.
- ▶ नियमित एवं महत्वपूर्ण ग्राहकों का संस्थान से दूर होना.
- ▶ संस्थान में निर्धारित एवं प्रभावी योजना का अभाव.

खातों को एनपीए से बचाने के उपाय :

- ऋण खातों को स्वस्थ रखने/स्लिपेज से बचाने के लिए यह जरूरी है कि
- उधारकर्ता से ऋण मंजूरी शर्तों/निबंधनों का कड़ाई से पालन करवाया जाये.
 - उधारकर्ता के वास्तविक कार्य निष्पादन का अनुश्रवण किया जाये, जिसमें पार्टी के विक्रय, परिचालन, लाभ, इन्वेन्टरी, देनदारों का स्तर, नकदी प्रवाह, ब्रेक-इवन पाइंट आदि का विशेष ध्यान रखा जाये.
 - यदि उधारकर्ता के प्रस्तुतीकरण [प्रोजेक्शन] एवं वास्तविक स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर हो तो ऐसे समय में उधारकर्ता द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए रिशेड्यूलिंग एवं रिस्ट्रक्चरिंग जैसे सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए.
 - ऋण वितरण पूर्व एवं पश्चात् निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं कमियों से समझौता किए बिना सुधारात्मक उपाय समय रहते किया जाये.
 - खाते का संचालन नियमित रूप से हो, इसका ध्यान रखा जाये.
 - नियमित अंतराल से स्टॉक स्टेटमेंट, पार्टी से प्राप्त किये जाएं एवं उनका फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाये.
 - स्टॉक आडिट एवं आडिट निरीक्षण रिपोर्ट की कमियों को तुरंत दूर किया जाये.
 - खाते में यदि ब्याज अथवा किश्त की राशि अतिदेय हो गई है तो तुरंत उसकी वसूली की कार्रवाई की जाये.
 - यदि खाते में सीमा से अधिक आहरण कर लिया गया है तो उसे तुरंत समायोजित करवाया जाये.
 - वर्किंग कैपिटल के मामले में : ऋण मंजूरी शर्तों का अनुपालन करवाया जाये, आहरण अधिकार की उपलब्धता देखी जाये, स्टॉक निरीक्षण/स्टॉक का मूवमेंट/स्टॉक निरस्तीकरण आदि पर ध्यान दिया जाये. स्टॉक का पर्याप्त बीमा किया जाए. खाते में असंबंधित नामे की गई प्रविष्टियों का पता लगाया जाए और बड़ी राशि के नकदी आहरणों की जांच की जाए.
 - टर्म लोन के संबंध में : प्रोफार्मा इन्वाइस प्राप्त की जाए/प्रमोटर्स के मार्जिन के साथ टर्म लोन का वितरण सीधे किया जाए/लागत में वृद्धि होने की स्थिति में वित्तीय

व्यवस्था की जाए/संस्थान के प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में स्वतंत्र एजेन्सियों, जैसे आर्किटेक्ट, कान्ट्रैक्टर, सी.ए. आदि से प्राप्त प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाए.

इस प्रकार यदि एनपीए खातों में ड्यू डिलिजेंस एवं ऋण मूल्यांकन का समुचित ध्यान रखा जाये तो खातों को एनपीए होने से रोका जा सकता है और निश्चित ही हम यह कह सकते हैं कि इलाज से परहेज बेहतर है.

एन. जयराम

एनपीए में वसूली एजेंसियों की भूमिका

एनपीए प्रबंधन में प्रतिबद्धता के साथ-साथ पेशेवर/व्यावसायिक एप्रोच की आवश्यकता है, अतः बैंक को वसूली एजेंसियां, प्रवर्तन एजेंसियां एवं जांचकर्ता एजेंसियों को इम्पेनल करना होगा. उक्त विषय में विस्तार से चर्चा के पूर्व मैं एक सत्य घटना का उदाहरण देना चाहूंगा. बात उस समय की है, जब मैं शाखा प्रबंधक था. मेरी शाखा बेंगलूर से 800 कि.मी. की दूरी पर स्थित थी.

मैं छुट्टी लेकर बेंगलूर आया हुआ था. मैं अपने घर की चहारदीवारी (कंपाउंड) में खड़ा था और घर के ठीक सामने तोड़-फोड़ का काम चल रहा था. मैंने देखा कि एक ट्रेलर की सहायता से जमीन से ट्रैक्टर मलबा उठा रहा था. मेरी नज़र तुरंत ट्रैक्टर के उस स्थान पर गयी, जहां बैंक का नाम लिखा होता है. मैंने ट्रैक्टर पर सिंडिकेट बैंक का नाम व उस शाखा का नाम देखा, जो मेरी शाखा के पास था और तुरंत ट्रैक्टर व ट्रेलर का नंबर नोट कर लिया.

अगले दिन शाखा पहुंचने पर मैंने सिंडिकेट बैंक के प्रबंधक से फोन पर संपर्क किया एवं उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नं. दिया एवं पूछताछ की कि क्या वह खाता स्तरीय है या नहीं. रिकार्ड जांचने पर सिंडिकेट बैंक के शाखा प्रबंधक सीधे मुझसे मिलने आये और उन्होंने बताया कि वह अत्यंत ही हार्ड कोर खाता है. परंतु उनका उस उधारकर्ता एवं ट्रैक्टर को ढूंढने का हर प्रयास विफल रहा.

मैंने उस बैंक के प्रबंधक को पता दिया और एक सप्ताह के अंदर उस शाखा प्रबंधक ने अपनी प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से ट्रैक्टर व ट्रेलर दोनों को जब्त कर लिया.

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 800 कि.मी. की दूरी से वाहन को वसूली/जब्तीकरण एजेंसियों की सहायता से जब्त किया गया. यदि सिंडिकेट बैंक वालों को यह

मालूम भी होता कि वाहन 800 कि.मी. की दूरी पर है, तब भी शाखा प्रबंधक या कोई अधिकारी आस्तित्व कर हेडक्वार्टर्स इतनी आसानी से नहीं ला सकता था. अतः एनपीए प्रबंधन एवं वसूली के लिए पेशेवर लोगों की सेवाएं बहुत ही कारगर होती हैं. यह उसकी झलक मात्र है.

हमारे बैंक ने वसूली एजेंसी/प्रवर्तन एजेंसी/जांच एजेंसी के इंपैनलमेंट हेतु नीति बनाई है.

यद्यपि वसूली एजेंसी/प्रवर्तन एजेंसी/जांच एजेंसी आउटसोर्स किए इंपैल पर होते हैं, तथापि, उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई को पूरा करना बैंक की जिम्मेवारी होती है. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये एजेंसियां कानून के दायरे में ही अपना काम करती हैं. इन एजेंसियों द्वारा उठाये किसी भी प्रकार के गलत कदम बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकते हैं. अतः इनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का बैंकों को सतत अनुश्रवण करना होगा. इन एजेंसियों के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत की पूरी तरह जांच कर संतोषजनक रूप से निपटना चाहिए.

वसूली एजेंसियों की भूमिका :

- वसूली एजेंसियां बैंक व उधारकर्ता के बीच पुल का काम करती हैं.
- वसूली एजेंसियों से अपेक्षित है कि वे एनपीए उधारकर्ताओं से अनुवर्तन करें एवं उनकी देयताओं के निपटान हेतु उन्हें बैंक में लाएं.
- उन्हें चाहिए कि विधिक कार्रवाई हेतु कदम उठाने के मामले में वे बैंक की सहायता करें.
- एनपीए उधारकर्ताओं को समझौते के लिए राजी करें एवं ओटीएस के माध्यम से वसूली में बैंक की सहायता करें.
- एनपीए उधारकर्ताओं की आस्तियों की विस्तृत जानकारी, वर्तमान गतिविधि आदि की जानकारी हासिल करते हुए उन्हें बैंक की देयता चुकाने का सुझाव दें.
- वसूली एजेंसियों की सभी गतिविधियां संपूर्णतः पारदर्शी हों, चूंकि बैंक द्वारा इसकी कभी भी जांच की जा सकती है.
- उन्हें चाहिए कि वे एनपीए उधारकर्ता को किसी भी प्रकार यथा - मौखिक या शारीरिक रूप से क्षति न पहुंचाएं.

- आईबीए के वसूली कोड एवं पुनः जब्तीकरण संबंधी नीतियों का उन्हें पूर्णतः पालन करना चाहिए.
- बैंक द्वारा उन्हें सौंपे गये कार्य को बैंक की अनुमति के बिना किसी दूसरे को, उप-करार के तौर पर नहीं सौंपना चाहिए.

प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका :

- सरफेसिया के तहत बैंक द्वारा जब कोई कार्रवाई की जाती है, तब प्र.ए.को चाहिए कि वे प्रतिभूतियों की जब्ती में बैंक अधिकारियों की सहायता करें, ताकि इसके निपटान से एनपीए उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय रकम की वसूली की जा सके.
- उन्हें चाहिए कि वे उस माल/वाहन को बैंक के पक्ष में जब्त करें, जिसे बैंक द्वारा आड़मानित किया गया हो.
- प्र.ए. को चाहिए कि वे बैंक को जब्त आस्ति के निपटान तक इनके सही/सुरक्षित स्थिति में रखने हेतु बैंक की सहायता तब तक करें, जब तक रकम वसूल की जा सके.
- प्र.ए. जब्त की गयी आस्तियों के बीमा हेतु बैंक की सहायता करें.
- बैंक द्वारा जब्त की गयी आस्तियों के भंडारण, प्रतिभूति, रखरखाव, रक्षा आदि की व्यवस्था प्र.ए. को करनी चाहिए.
- प्र.ए. को आवश्यकतानुसार 24x7 सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने चाहिए.
- प्र.ए. को न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि एनपीए वसूली हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की आवश्यकतानुसार सहायता की जा सके.
- उधारकर्ता की अचल संपत्तियों के जब्तीकरण के पूर्व प्र.ए. को बैंक अधिकारियों द्वारा उठाये जानेवाले आवश्यक कदम पर सहायता करनी चाहिए.
- उन्हें चाहिए कि वे बैंक को आस्ति जब्तीकरण के लागत-लाभ की विस्तृत जानकारी दें, ताकि बैंक द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके.
- आस्ति की जब्ती के कुशल संचालन हेतु प्र.ए. को जिला या मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश से आदेश प्राप्त कर बैंक की सहायता करनी चाहिए.

- आस्ति के जब्ती हेतु पंचनामा प्राप्त करने के लिए भी उन्हें बैंक की सहायता करनी चाहिए.
- प्रवर्तन एजेंसी की समस्त क्रियाविधि पारदर्शी हो, ताकि किसी भी समय बैंक द्वारा जांच की जा सके.
- बैंक द्वारा उन्हें सौंपे गये कार्य को बैंक की अनुमति के बिना, किसी दूसरे को उप-करार के तौर पर नहीं सौंपना चाहिए.

जांचकर्ता एजेंसियों की भूमिका (आई.ए.) :

- जांचकर्ता अधिकारियों की भूमिका जासूसी सेवाओं जैसी होती है.
- जांचकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त राजस्व, या पुलिस, टैक्स अधिकारी हो सकते हैं.
- जांचकर्ता अधिकारियों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार एनपीए उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति के रूप में दी गयी आस्ति, देयता की वसूली हेतु पर्याप्त नहीं होती. अतः उधारकर्ता/गारंटीकर्ता की आस्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करनी होती है, ताकि बैंक द्वारा इनके निपटान से देय रकम वसूल की जा सके.
- बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सभी हानि एवं पीडित व्यक्तियों खातों में जांच एजेंसियों की सहायता लेने के निर्देश दिये हैं.
- जांच एजेंसी की समस्त क्रियाविधि पारदर्शी हो, ताकि किसी भी समय बैंक द्वारा जांच की जा सके.
- बैंक द्वारा उन्हें सौंपे गये कार्य को बैंक की अनुमति के बिना, किसी दूसरे को उप-करार के तौर पर नहीं सौंपना चाहिए.

वसूली एजेंसी/प्रवर्तन एजेंसी एवं जांच एजेंसी की भूमिका एवं दायित्व के मद्देनजर बैंक ने “**देयों की वसूली व पुनःजब्ती के लिए मॉडल कोड**” लागू किया है, जिनका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, इनमें से कुछेक निम्नानुसार हैं -

- बैंक के लिए ग्राहक की प्रतिष्ठा एवं मान अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं देय वसूली के लिए बैंक अनावश्यक नीतियों में विश्वास नहीं करता.
- बैंक की नीति नम्रता, सद् व्यवहार एवं अनुवर्तन है.
- बैंक की नीति देयता की वसूली है, न कि पार्टियों को उसकी आस्तियों से वंचित करना.

- पुनःजब्ती, मूल्यांकन एवं वसूली उगाही आदि स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना बैंक की नीति का एक हिस्सा है।

सामान्य दिशानिर्देश :

- ग्राहक से उनकी इच्छानुरूप उनके बताये स्थल पर संपर्क किया जाएगा एवं विशेष स्थान न बताये जाने पर उनके निवास स्थान या कार्यालय या कारोबार स्थल पर ही संपर्क करना होगा।
- उधारकर्ता को बैंक के प्रतिनिधि की पहचान एवं उनके अधिकार की जानकारी देना।
- बैंक ग्राहक की गोपनीयता बनाए रखेगा।
- उधारकर्ता की निजी बातों को गोपनीय बनाए रखना एवं चर्चा के दौरान शिष्टाचार बनाए रखना।
- सामान्यतः प्रातः 7.00 से सायं 7.00 बजे तक उधारकर्ता से संपर्क का समय होता है, केवल विशेष परिस्थिति में जब उधारकर्ता से मिलने का अलग समय/स्थान का अनुरोध किया जाए।
- उधारकर्ता के अनुरोध पर टेलीफोन के समय व स्थान की मर्यादा रखनी होगी।
- सभी वसूली प्रयास एवं भेजे संप्रेषण के दस्तावेजों को रिकार्ड हेतु रखा जाए।
- ग्राहक को उनकी देयता की विस्तृत जानकारी दी जाए।
- देयता की वसूली हेतु मतांतर को आपस में निपटाने में आवश्यक सहायता देनी चाहिए।
- विधिक कार्रवाई या वसूली हेतु अन्य किसी प्रकार के कदम उठाने के पूर्व उचित सूचना देनी चाहिए। उधारकर्ता द्वारा बताये गये जायज कारण पर विचार करना चाहिए
- जब्तीकरण, मूल्यांकन, प्रतिभूतियों की उगाही आदि में पारदर्शिता. आस्ति की पुनःजब्ती हेतु पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
- देयता की वसूली के बाद या अतिदेय किश्त की वसूली के बाद जब्ती की उगाही गई रकम, सक्षम प्राधिकारी/कोर्ट से सहमति के बाद वापस कर देनी चाहिए।

- वसूली एजेंसियों की नियुक्ति नियमानुसार की जानी चाहिए. उन्हें 100 घंटे न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त या आईआईबीएफ प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए.
- वसूली/प्रवर्तन/जांच एजेंसी आदि की जानकारी उधारकर्ता को दी जानी चाहिए. एनपीए उधारकर्ताओं से निपटने हेतु उन्हें बैंक के दिशानिर्देशानुसार आचार संहिता एवं बीसीएसबीआई का पालन करना होगा.
- किसी प्रकार की आपराधिक या हिंसा की धमकी को रोका जाना चाहिए.

वर्तमान में एनपीए का बढ़ता दानवाकार जगत की भयावह समस्या बनता जा रहा है, जिससे निपटना एक कड़ी चुनौती है. ऐसे में एन.पी.ए. के प्रबंधन हेतु पेशेवरों की सेवाएं लेकर इस पर लगाम लगाई जा सकती है.

गणपत लाल चपलोट

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और एनपीए

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (पीएमईएसी) के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन द्वारा 2013-14 के आर्थिक परिदृश्य पर नई दिल्ली, में 13 सितंबर 2013 को जारी रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- वित्त वर्ष 2013-14 की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से घटाकर 5.3 प्रतिशत किया. चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि दर में सुधार होगा.
- कृषि उत्पाद वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत, उद्योग की 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान. 2012-13 में यह 7 प्रतिशत थी.
- मार्च के अंत तक मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- चालू खाते का घाटा (करेंट अकाउंट डेफिसिट) प्रमुख चिंता, इस वर्ष घटकर 70 अरब डॉलर या 3.8 प्रतिशत पर आ सकता है.
- व्यापार घाटा 185 अरब डॉलर रहने का अनुमान.
- सोने का वार्षिक आयात घटकर 38 अरब डॉलर रह सकता है.
- कुल आवक विदेशी पूंजी पिछले वित्त वर्ष के 89.4 अरब डॉलर से घटकर 61.4 अरब डॉलर रह सकती है.
- रुपए में बहुत सुधार हुआ है. कैड में सुधार के साथ इसमें और मजबूती आएगी.

- राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के स्तर पर नियंत्रित रखना चुनौती है.
- राजकोषीय घाटे को लक्ष्य तक सीमित रखने के लिए व्यय में कमी, सब्सिडी पुनर्गठन आवश्यक है.
- रुपए में स्थिरता आने तक मौजूदा कड़ी मौद्रिक नीति जारी रहनी चाहिए.
- वृद्धि दर को प्रोत्साहित करने के लिए एफडीआई मानदंड को उदार बनाने, कर संबंधी मसलों के समाधान और कोयला, बिजली आदि क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत.
- घरेलू बचत दर बढ़कर 31 प्रतिशत रहेगी, जो 2012-13 में 30.2 प्रतिशत थी.
- निवेश दर घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 34.7 प्रतिशत के बराबर रहेगी, जो पिछले साल 35 प्रतिशत थी.

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर विश्व बैंक ने कहा है कि यूरो क्षेत्र में जारी गिरावट के बावजूद विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जोखिम कम हुआ है और वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं. वहीं विकासशील देशों की तेजी में थोड़ी नरमी रहेगी, जिसका कारण कई मध्यम आय वाले देशों में क्षमता वृद्धि के रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाएं हैं. वैश्विक आर्थिक परिदृश्यक (जीईपी) शीर्षक से अपनी ताजा रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वहीं 2014 तथा 2015 में इसके क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 3.3 प्रतिशत रहने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में जीडीपी 2013 में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2014 तथा 2015 में क्रमशः 5.6 तथा 5.7 प्रतिशत रह सकती है. इसमें कहा गया है कि ब्राजील, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा तुर्की में आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण उनकी आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है. विश्व बैंक ने कहा कि बाह्य जोखिम नरम होने के साथ इन देशों में वृद्धि संकट पूर्व के स्तर पर पहुंच सकती है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपूर्ति संबंधी बाधाएं दूर हों. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब एक साल पहले जो स्थिति थी और जिसको लेकर हम आशंकित थे, उसमें कमी की संभावना है. जोखिम कम हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर वृद्धि की संभावना भी घटी है.

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संपत्ति की गुणवत्ता तथा आर्थिक वृद्धि की संभावना को लेकर चिंता का हवाला देते हुए देश के बैंकिंग क्षेत्र के लिए परिदृश्य नकारात्मक रखा है. मूडीज के इनवेस्टर्स सर्विस ने एक नोट में कहा कि नकारात्मक

परिदृश्य कमजोर आर्थिक वृद्धि, बैंक की संपत्तियों की गुणवत्ता और खराब होने तथा लाभ में कमी को प्रतिबिंबित करता है। इसका कारण है कि बैंक को वसूल नहीं हो रहे ऋणों के एवज में प्रावधान बढ़ाना होगा और वे बढ़ते कोष की लागत को पूरी तरह हस्तांतरित करने या ऋण में वृद्धि के जरिये इसकी भरपाई करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि एक दशक के न्यूनतम स्तर पर होगी। एजेंसी नवंबर 2011 से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के परिदृश्य के बारे में अपना दृष्टिकोण नकारात्मक बनाये हुए है। मूडीज ने हाल ही में वित्त वर्ष 2013-14 में भारत के वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 4.5 प्रतिशत कर दिया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि नकारात्मक परिदृश्य मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है, जिनकी देश की कुल बैंकिंग गतिविधियों में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। मूडीज ने यह कहा है कि निजी क्षेत्र की स्थिति इसके ठीक उलट है। इन बैंकों का मार्जिन, आरक्षित कोष तथा पूंजी का स्तर ऊंचा है।

रेटिंग एजेंसी **स्टैंडर्ड एंड पुअर्स** ने भारत के आर्थिक परिदृश्य की रेटिंग को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया। इसका मतलब क्या है? परिदृश्य का मतलब है कि लघु से मध्यम अवधि विशेष रूप से छह महीने से दो वर्षों में रेटिंग किस दिशा में बढ़ सकती है। परिदृश्य स्थिर रहने का मतलब है कि रेटिंग में बदलाव नहीं होने वाला है। नकारात्मक परिदृश्य का मतलब है कि रेटिंग को घटाया जा सकता है, जबकि सकारात्मक परिदृश्य का मतलब है कि रेटिंग को बढ़ाया जा सकता है। रेटिंग एजेंसी विकासशील या उभरता परिदृश्य भी देती है। इसका मतलब यह है कि रेटिंग को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हालांकि परिदृश्य तय करने से यह तय नहीं हो जाता कि रेटिंग में बदलाव होगा। रेटिंग एजेंसी दीर्घवधि रेटिंग में स्थिरता बनाए रखने के लिए परिदृश्य तय करती है। रेटिंग घटाए जाने का मतलब यह है कि सरकार अपनी देनदारी पूरी करने में कम सक्षम है। इससे कर्ज पर ब्याज बढ़ सकता है। प्रमुख रेटिंग एजेंसियों **एसएंडपी**, **फिच रेटिंग** और **मूडीज** ने भारत को निवेश श्रेणी की सबसे निचली रेटिंग दी है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने पास पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिये सरकार से पूंजी लेने की जरूरत होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ते बैड लोन (अशोध्य आस्तियों) पर नियमों में सख्ती का जो चाबुक चलाने वाला है, उसमें सरकारी बैंकों को संभावित डिफॉल्ट को लेकर शुरू में ही चेतावनी जारी करने वाली व्यवस्था बनाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को ऐसे एनपीए के लिए प्रोविजन टालने और बैलेंसशीट की विंडो ड्रेसिंग करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग करने से रोक सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से लेकर डिप्टी गवर्नर के.सी. चक्रवर्ती और कार्यपालक निदेशक श्री बी. महापात्रा से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वे बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं. चक्रवर्ती ने हाल ही में बैंकरों की कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आपको रीस्ट्रक्चरिंग से बचना होगा, रीस्ट्रक्चरिंग की कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए. लोन रीस्ट्रक्चर होते ही उसे एनपीए करार दिया जाना चाहिए. कोई टेक्निकल राइट ऑफ नहीं होना चाहिए. इसके लिए तैयार रहें. टेक्निकल राइट ऑफ में बैंड लोन को यह मानकर बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है कि उसे रिकवर करना मुमकिन नहीं है'. सितंबर में राजन के गवर्नर बनने के बाद से आरबीआई, लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर लगातार कड़े कदम उठा रहा है. दरअसल, कहा जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में इकॉनॉमिक फैक्टर्स के चलते मुसीबत में फंसी कंपनियों को उबारने के लिए बने रीस्ट्रक्चरिंग के सिस्टम से खिलवाड़ हो रहा है. वर्ष 2000 के बाद से इंडियन बैंकर्स एक लाख करोड़ रुपए के बैंड लोन राइट ऑफ कर चुके हैं. इनमें बहुत से लोन पहले रीस्ट्रक्चर किए गए थे. राजन ने बैंकॉन कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अगले कुछ हफ्तों में हम डिस्ट्रेस्ड लोन को शुरुआत में पहचानने, उससे बेहतर तरीके से निपटने और उसकी ठीक-ठाक रिकवरी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदमों का ऐलान करेंगे. हम असेट्स को वहां लगाने पर फोकस करें, जहां उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके. इसमें भी सिस्टम में बने इन्सैटिव से परहेज करने में आप बैंकरों का अहम रोल होगा. आपको उनकी मदद करनी होगी, जो सचमुच में मुसीबत में हैं. उनके साथ सख्ती करनी होगी, जो सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं. आरबीआई अपनी तरफ से हरसंभव मदद करेगा.'

महापात्रा ने संकेत दिए थे कि हफ्ते भर के भीतर अर्ली डिटेक्शन इनसैटिव्स का ऐलान किया जा सकता है. अफसरों ने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग के रूल्स सख्त बनाए गए हैं, लेकिन कुछ कंपनियां प्रोसेस का गलत फायदा उठा रही हैं. जैसे कि कंपनियां लोन लेती हैं, लेकिन वे उसको इक्विटी की तरह पेश करती हैं, जो असल में कर्ज होता है. आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है.

राजन ने कहा है, 'लिमिटेड टेनर वाले बैंक मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रेस्ड लोन से निपटने का सबसे स्वाभाविक और खराब तरीका इस उम्मीद में उसको लंबे समय तक के लिए बढ़ाना और उसके एवरग्रीन होने का दिखावा करना होता है कि वह चमत्कार से रिकवर हो जाएगा या उससे अगला मैनेजमेंट निपटेगा. प्रमोटर के लिए डिस्ट्रेस्ड लोन से निपटने का स्वाभाविक तरीका यह होता है कि वह कंपनी में इक्विटी दिखाता रहे और इक्विटी खत्म हो जाने के बावजूद उस पर कंट्रोल बनाए रखे. वह प्रोजेक्ट बचाने की हर

कोशिश के आड़े आकर सोचेंगे कि भगवान सब ठीक करेंगे. सब ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं.’

जानबूझ कर डिफॉल्ट करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाने से बैंकों को अपना बैंड लोन रिकवर करने में मदद मिली है. बैंकों ने सितंबर तिमाही में फ्रेश स्लिपेज पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया है. इससे आने वाली तिमाहियों में बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार आने की संभावना बढ़ गई है.

सरकार ने चूककर्ता उधारकर्ताओं के खिलाफ सख्ती करने की आजादी दी है. इससे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को लोन रिकवरी करने में मदद मिली है. इन बैंकों ने चूककर्ताओं के खिलाफ कई विज्ञापन जारी कर उनके कोलैटरल असेट की नीलामी की घोषणा की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने चूककर्ताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी. उन्होंने बैंकों को अपनी बुक्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेचकर बैंड लोन से मुक्त होने के लिए दबाव बनाया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस.एस. मूंदड़ा ने कहा कि सबसे बुरा दौर शायद खत्म हो रहा है. अगले कुछ सालों में एसेट क्वालिटी और इससे जुड़े निष्पादन में सुधार आने की पूरी उम्मीद है. सात में से तीन बैंकों ने सितंबर तिमाही में एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस के मोर्चे पर सुधार किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा का स्लिपेज गिरकर 1,600 करोड़ रुपए रह गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,800 करोड़ रुपए था.

एनपीए एक त्रासदी है, एक राष्ट्रीय आपदा है, एक राष्ट्रीय खतरा है और हमारे समाज को लीलते भ्रष्टाचार से भी बड़ी बीमारी है. यह एक दुष्चक्र है. खराब आस्तियों के बढ़ने और वर्ष 2000 से अब तक 13 वर्षों में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली ने अग्रिमों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ते खाते में डाल दिये हैं. जून 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2013 के 1.64 लाख करोड़ की तुलना में 1.92 लाख करोड़ था, जो सकल अग्रिम का 3.99 प्रतिशत था. केवल कृषि ऋणियों की ऋण माफी की चर्चा करते रहना ठीक नहीं है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री के.सी. चक्रवर्ती के अनुसार 95% राइट ऑफ बड़े घरानों के हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है. एनपीए का सारा दोष अर्थव्यवस्था के स्लो डाउन पर मढ़ने से भी समस्या का हल नहीं होगा.

आइए, हम देखें कि आखिर एनपीए क्यों होता है, आखिर लोग पैसा लेने के बाद उसे चुकाना क्यों नहीं चाहते, क्या है ऐसा कि सिस्टम में एनपीए एक त्रासदी बन गया है?

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में **एनपीए बढ़ने के कुछ कारण** इस प्रकार हैं:

1. ऋण को जानबूझकर, इरादतन नहीं चुकाना- यह सोचकर कि यदि नहीं चुकाया तो क्या फर्क पड़ता है.
2. सरकारी नीतियों में परिवर्तन, जिससे ऋणियों को यह विश्वास होना कि यदि उन्होंने लोन नहीं भी चुकाया तो भी अंततोगत्वा माफ कर दिये जाएंगे.
3. ऐसे कारोबार के लिए लोन लेना, जो चल नहीं रहा है या जिसके चलने की संभावना नहीं है.
4. ऋण देने से पहले ठीक से निरीक्षण नहीं करना.
5. राष्ट्रीयता की भावना का अभाव.

एनपीए के प्रभाव :

किसी प्रोजेक्ट का धीरे-धीरे बंद होने की ओर बढ़ना

ग्राहक और बैंक की साख पर नकारात्मक असर

एनपीए के लिए किये जाने वाले आवश्यक प्रावधानों से नकदी प्रवाह कम होना

एनपीए रोकने के लिए क्या करें?

1. बैंकों में रखा पैसा जनता का है और बैंकर उसके ट्रस्टी हैं, यह सोचकर बैंककर्मियों को प्रशिक्षित करना होगा. इस हेतु बैंक में प्रवेश के समय ही पहला प्रशिक्षण चारित्रिक मूल्यों को तरजीह देने वाला होना चाहिए. यह विशुद्ध रूप से उन मूल्यों को सृजित करने की दिशा में होना चाहिए, जिससे बैंक सिस्टम में ईमानदार और कुशल लोगों की प्रचुरता बनी रहे.
2. ऋण देने से पहले ऋण के उद्देश्य और अर्थक्षम होने की जांच करें.
3. ऋणी की साख का निष्पक्ष मूल्यांकन करें.
4. जमानती और उसकी संपदा, आर्थिक हैसियत की सही ढंग से जांच करें.
5. कानूनी रूप से बचाव के लिए हर छःमाह में नामे शेष प्रमाणपत्र प्राप्त करते रहें.

164 ■ एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम

6. ऋण से पूर्व और पश्चात स्वीट (SWOT) विश्लेषण करते रहें.
7. इस पर ध्यान दें कि फंड डाइवर्ट न हो.
8. सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता के सिद्धांतों का अनुपालन करें.
9. आस्तियां पूरी तरह बीमित रखें.
10. ऋण पर पूरी तरह नजर बनाये रखें.
11. प्रभावी और तेजी से वसूली के प्रयास करें.
12. वसूली कार्य से जुड़े होने में गौरव महसूस करें.
13. इस तरह के सार्थक प्रयास करें कि एनपीए परफॉर्मिंग असेट में परिवर्तित हो.
14. सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले ऋणों में ऋणी की पात्रता को ध्यान में रखें.
15. यह सुनिश्चित कर लें कि ऋणों को पुनःसंचित करने का उद्देश्य कहीं स्लिपेज को एनपीए संवर्ग में परिवर्तित करने से रोकना तो नहीं है.
16. ऋण वसूली हेतु सरफेसिया और कानूनी कार्रवाई में तेजी लाएं. ऋणी को यह संदेश जाना चाहिए कि इरादतन ऋण न चुकाना उसके हित में नहीं है और इससे उसके ऋण के रास्ते बंद होंगे.
17. सतर्कता और चूककर्ता ऋणियों का अनुश्रवण कारगर बनाएं.
18. एनपीए आस्तियों की बिक्री भी एनपीए आस्तियां कम करने का एक विकल्प हो सकता है.

क्या है भविष्य के गर्भ में :

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन ने नवंबर 2013 के बैंकॉन को संबोधित करते हुए कहा कि जो सिस्टम को दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको दंड देने और एनपीए वसूली में सहयोग करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही कुछ कदमों की घोषणा करने वाला है.

वर्तमान आर्थिक अनिश्चितता के वातावरण में बैंकों में बैंड लोन बढ़ रहे हैं. क्रेडिट गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण कम विकास दर एवं ऊंची ब्याज दरें हैं.

हमारा बैंक और एनपीए :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री एस.के. जैन ने हाल ही में बिजनेस भास्कर के अजीत सिंह के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि इस आर्थिक चुनौती वाले दौर में बैंक को लगता है कि अगले 8-10 महीनों में बैंकिंग उद्योग में एनपीए और कर्ज पुनर्गठन के सेगमेंट में सुधार होने की उम्मीद है. बैंकों का जोखिम प्रबंधन असफल नहीं रहा है. आर्थिक स्थिति ऐसी रही है कि कुछ मामलों में एनपीए (गैर निष्पादन संपत्तियां) बढ़ी हैं. पर ऐसा लगता है कि आर्थिक व्यवस्था जैसे ही ठीक होगी, एनपीए में सुधार देखने को मिलेगा. जहां तक यूनियन बैंक की बात है तो सितंबर 2012 में ग्राँस एनपीए 3.66 फीसदी रहा है, जो अब 3.64 फीसदी है. मुझे लगता है कि अगले 8-10 महीनों में इसमें सुधार दिखेगा. इंध्र के सुधारने से सीमेंट, लौह अयस्क जैसे सेक्टर में जो एनपीए अधिक हैं, वे कम होंगे. साथ ही डिस्कॉम के ऋणों के पुनर्गठन के कारण पावर सेक्टर के एनपीए में सुधार होगा. हमारी किसी सेक्टर से निकलने की योजना नहीं है. हर सेक्टर में उधारी दी जाएगी. हो सकता है कि किसी सेक्टर में कम उधारी दी जाए. जहां तक सेक्टर में एनपीए का सवाल है तो यह मिला-जुला है. पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे अधिक है. केमिकल और जेम्स एंड ज्वेलरी उसके बाद हैं. फील्ड स्तर पर हम रिकवरी कैंप चला रहे हैं. छोटे खातों तक में हम देख रहे हैं कि किस तरह रिकवरी हो सकती है. अच्छी रिकवरी रिटेल सेक्टर से हो रही है. इसका उदाहरण यह है कि सितंबर 2012 में हाउसिंग में 2.47 फीसदी एनपीए था, जो कम होकर 1.70 फीसदी रह गया. शिक्षा में 9.15 से घटकर 6.78, व्हीकल में 9.95 से घटकर 3.05 और कृषि में 8.71 से घटकर 6.93 फीसदी हो गया है.

एनपीए के मामले में अब से हमें शून्य सहिष्णुता की नीति अपनानी होगी और इस आशावादी सोच पर अमल करना होगा कि **माना अंधेरा बहुत घना है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है और हर बार कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती.**

इसी सोच और इस सोच के क्रियान्वयन में ही व्यक्ति, समाज और देश का भला होगा.

एस. रमेश

एनपीए प्रबंधन में टेक्नॉलॉजी की भूमिका

गत दशक से अर्थ व्यवस्था के बढ़ते स्वस्थ दर 8-9% के साथ-साथ ऋण संविभाग भी व्यापक रूप से बढ़ रहा है. भौगोलिकानुसार बैंक के बढ़ते चरण के साथ-साथ लेनदारों की संख्या में भी वृद्धि हुई. तथापि, वर्ष 2010 से बैंकों के समक्ष विचित्र परिस्थिति पैदा हुई है, जहां बैंक अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से ऋण संविभाग बढ़ाना चाहते हैं, जबकि आर्थिक प्रगति में गिरावट आयी है.

आर्थिक व्यवस्था में गिरावट के परिणामस्वरूप कारोबार वृद्धि की संभाव्यता का पता लगाना कठिन हो गया है. इस कारण अच्छे-अच्छे कारोबार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पायी है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण की चुकौती में चूक होती है. इसके कारण ही एनपीए में बढ़ोत्तरी हुई है और बैंकों को अधिक प्रावधानीकरण करना पड़ रहा है. बढ़ते हुए वित्तीय सुधार के परिणामस्वरूप खातों के वर्गीकरण में भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैं.

खातों के स्तर को गिरने से रोकने हेतु प्रोसेसिंग स्तर पर ही पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है. संवितरण स्तर के पूर्व, बैंक की मूल्यांकन तकनीक को सक्रिय बनाना होगा. परियोजना के सभी तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यिक, संगठनात्मक एवं वित्तीय पहलुओं का वास्तविक रूप से मूल्यांकन करना होगा.

खाते के संबंध में बैंकर हर प्रकार से संतुष्ट हों, यथा तकनीकी संभाव्यता, उत्पादकता माप आदि. परियोजना में तकनीकी संभाव्यता हो, जिससे इसके लिए लगे कच्चे माल की उचित दर एवं आगे इसके बेचने हेतु अनुकूल निश्चित बाजार की उपलब्धता हो सके. यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना रिपोर्ट वास्तविकता आधार पर हो. अवास्तविक योजना, अपर्याप्त मूल्यांकन एवं गलत तरीके से कार्यान्वयन के कारण कई योजनाएं रुग्णावस्था में पहुंचती हैं.

परियोजना की मंजूरी या नामंजूरी की पहल बैंकर द्वारा की जाती है, वह न्यायपूर्वक ढंग से निर्णय ले सकता है. अतः बैंकर मंजूरी-पूर्व स्थिति में ही न केवल उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत परियोजना को आंक सकता है, बल्कि उधारकर्ता एवं उसकी क्षमता को भी. ऐसा कहा भी गया है कि “बी” श्रेणी की परियोजना को “ए” श्रेणी की परियोजना की तुलना में आसानी से मंजूर किया जा सकता है. यह सुनिश्चित किया जाए कि संवितरण के पूर्व उधारकर्ता सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करते हैं.

एनपीए का एक और मुख्य कारण है - अव्यावहारिक रूप से किशतों का निर्धारण. चुकौती सारणी तैयार करते समय कार्य के आरंभ एवं उसकी समाप्ति को ध्यान में रखा जाए, यथा - कटाई का समय, आय संसाधन, अधिकता आदि. यदि चुकौती सारणी, किशत की रकम या वसूली अवधि किसी से भी प्रभावित हो तो आस्तियों के एनपीए होने की संभावना अधिक होती है.

संवितरणोपरांत स्तर पर बैंकर को चाहिए कि उचित अनुवर्तन से यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम एनपीए नहीं होता है एवं सही पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करे कि आस्ति निर्माण एवं उसकी उपयोगिता सही प्रकार से हो. बैंकर या तो ऑफ साइट पर निगरानी रख सकते हैं या यूनिट/परियोजना स्थल का निरीक्षण कर पता लगाये कि क्या यह एनपीए होने जा रहा है या नहीं. एनपीए में वर्गीकरण हेतु अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा किए बिना, बैंकर एनपीए की शुरुआत की खतरे की घंटी पहचानें.

निम्नलिखित स्रोतों से एनपीए की संभावना का पता बैंकर लगा सकते हैं एवं समय रहते सुधारात्मक उपाय कार्रवाई कर सकते हैं :

खातों की जांच - इनकी जांच के दौरान बैंकर को सचेत रह कर देखना चाहिए कि क्या खाते में नियमितता है या ब्याज और किशत के भुगतान में अनियमितता एवं घटती ऋण प्रवृत्ति पाई गई है एवं बारबार लौटाए चेक या बिल लौटाए जा रहे हैं.

विवरणों की जांच - यदि उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण में उत्पाद एवं बिक्री में तीव्र गिरावट, बढ़ते / रखे हुए अधिक माल, निधि का प्रत्यावर्तन हो तो यह समझ लेना चाहिए कि यूनिट की स्थिति ठीक नहीं है.

बाह्य स्रोत - बाहरी स्रोतों द्वारा भी बैंकर को इकाई संबंधी जानकारी मिल सकती है. उद्योग में मंदी, असंतोषजनक बाजार रिपोर्ट, सरकार नीति में प्रतिकूल परिवर्तन एवं


कच्चा माल आपूर्तिकर्ताओं से शिकायतों से जानकारी मिलती है कि यूनिट सारणी अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और हानि हो रही है.

ऋण अनुश्रवण का कंप्यूटरीकरण - कंप्यूटरीकृत शाखाओं में यह संभव है कि अन्य खातों की तुलना में रुग्णता के लक्षणवाले/कमजोर खातों का सूक्ष्मता से अनुश्रवण किया जा सके,

“विशेष उल्लेख” संवर्ग के खाते - ऑफ साइट एवं ऑन साइट अनुश्रवण से प्राप्त खतरे के सिग्नल के आधार पर 30 दिनों से अधिक अनियमितता वाले खातों का वर्गीकरण **“विशेष उल्लेख”** या **“संभाव्य एनपीए”** में किया जा सकता है. इससे बैंक को समय रहते उचित कार्रवाई कर सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता मिलेगी. उपाय में अस्थायी तरलता से जूझने हेतु ऋणकर्ता को अतिरिक्त रकम दी जा सकती है और मामले की उत्तमता को देखते हुए ईमानदार उधारकर्ताओं के खातों की पुनःसंरचना की जा सकती है.

टेक्नॉलॉजी के प्रयोग से एनपीए में उचित नियंत्रण लाया जा सकता है. ऑटोमेटेड डाटा से आंकड़ों के सूक्ष्म विश्लेषण में सहायता मिलती है एवं इससे पहले कि परिस्थिति आपे से बाहर हो जाए, सचेत रहने के संकेत मिलते हैं. इससे बैंकर अपने संविभाग को मजबूत बना सकते हैं, जिससे एनपीए को प्रभावीपूर्ण ढंग से निपटा सकते हैं. साथ ही इससे कार्य को मैनुअली किए जाने पर हुई त्रुटियों से भी बचा जा सकता है. हमारे बैंक में टेक्नॉलॉजी के उपयोग से कोर बैंकिंग एवं लैस दोनों में बढ़ते हुए एनपीए की रोकथाम प्रभावी ढंग से की है. पूर्व चेतावनी संकेत, जो कि प्रथम माह में सिस्टम से दिखते हैं, ऐसे खातों को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए.

सिस्टम में तकनीकी रूप से वर्गीकृत एनपीए खाते-यथा दस्तावेजों की अप्रस्तुति/समाप्ति, स्टॉक विवरण एवं शाखाओं द्वारा समय से नवीकरण, मूल्यांकन न किये जाने वाले विवरण भी जेनरेट होते हैं. कोर बैंकिंग सोल्यूशन से ऐसे तकनीकी रूप से किए जाने वाले एनपीए की पहचान भी होती है एवं समय से आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है. डीआईटी/एमआईएस विभाग द्वारा एनपीए हेतु मॉक रन जेनरेट किया जाता है. शाखाओं को समय रहते इसकी सूचना दी जाती है, जिससे उधाकर्ताओं से संपर्क कर एनपीए पर नियंत्रण पाया जा सकता है.



अरुण कृष्ण

भारत सरकार की नीतियों का गैर निष्पादित आस्तियों पर प्रभाव

वर्तमान में जबकि दुनिया के अधिकतर देश, खासकर विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं, भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। खासकर, गैर निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) में लगातार वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नयी समस्या खड़ी कर दी है। भारत में शुरुआती दिनों से ही बैंकिंग व्यवस्था को “सामाजिक बैंकिंग” के आदर्शों के अंतर्गत विकसित किया गया। अतः नीति-नियंताओं ने हाल तक खराब-ऋणों के बावत कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया था। भारत में एन.पी.ए. के संबंध में वास्तविक कदम नरसिंहम समिति रिपोर्ट (1991) के पश्चात् ही उठाये गये।

यहां यह वर्णन करना समीचीन होगा कि अस्सी के दशक की शुरुआत में ही भारत-सरकार द्वारा बैंकिंग-ऋणों की गुणवत्ता में हो रही लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह महसूस कर लिया गया कि परंपरागत नोटिस एवं सिविल न्यायालयों की कार्रवाई द्वारा ऋण वसूली के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया बेहद जटिल एवं समय खपाने वाली थी एवं इससे ऋणधारकों के ऊपर कोई खास दबाव भी नहीं डाला जा सकता था। लिहाजा, 1981 में भारत-सरकार ने वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये तिवारी समिति गठित की, जिसने वसूली के विभिन्न माध्यमों एवं तरीकों का विस्तृत अध्ययन किया और इस दिशा में व्यापक कदम उठाने हेतु “विशेष अधिकरण/ट्रिब्यूनल” गठित करने की संस्तुति की। बाद में, नरसिंहम समिति (1991) ने भी उपर्युक्त संस्तुति का समर्थन किया तथा इस संबंध में एक “आस्ति पुनर्निर्माण निधि” (Asset Reconstruction Fund) गठित करने का भी सुझाव दिया।

तिवारी एवं नरसिंहम समितियों के सुझावों के आधार पर ही ऋण वसूली अधिकरण (डी. आर. टी.) की स्थापना देश के विभिन्न भागों में की गयी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन अधिकरणों के प्रभावी होने के पश्चात् गैर निष्पादित आस्ति वसूली के क्षेत्र में, विशेषकर 10.00 लाख रुपये या ऊपर के खातों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नीतिगत तौर पर भारत-सरकार द्वारा काफी प्रभावकारी कदम उठाये गये। हालांकि, वर्तमान में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादित आस्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण इन अधिकरणों में वादों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। फलस्वरूप वादों के निपटारे में विलंब हो रहा है। इसका कारण देश के विभिन्न भागों में स्थित अधिकरणों/अपीलीय अधिकरणों में न्यायिक अधिकारियों/वसूली अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ की अत्यंत कमी को बताया जा सकता है। अतः भारत-सरकार को तत्काल इस दिशा में उचित दिशा-निर्देश देते हुए समुचित नीतिगत कार्रवाई करनी चाहिये।

इसी संदर्भ में, यह वर्णन करना भी बहुत समीचीन होगा कि भारत-सरकार ने ऋण वसूली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने तथा खास प्रकार के ऋणों के संदर्भ में वसूली के कार्य को अपेक्षाकृत सहज बनाने के लिये 1999 में श्री टी. आर. अंध्यारुजिना, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता के अधीन एक समिति का गठन किया। इस समिति की संस्तुति के आधार पर ही भारत-सरकार ने 17 दिसंबर 2002 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) को संसद में पारित करवाया। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से गैर निष्पादित आस्ति खातों में ऋण-वसूली की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अधिनियम ने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को बिना किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल की मदद के ही बंधक संपत्तियों का निष्पारण कर उनसे ऋण वसूलने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम के रूप में भारत-सरकार ने गैर निष्पादित आस्ति खाताधारकों के विरुद्ध एक समुचित उपकरण विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया है।

साथ ही साथ, भारत-सरकार ने ऋण वसूली की दिशा में उचित नीतिगत कदम उठाते हुए लोक-अदालत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर सुझाये गये एकमुश्त समझौता प्रस्ताव तथा विभिन्न राज्यों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कार्यों के लिये उचित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यहां यह बताना समीचीन होगा कि केंद्र सरकार ने *लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अधिनियम 1987* के तहत लोक-अदालत के विचार का प्रादुर्भाव किया, जिसके तहत ऋणधारकों तथा बैंक के बीच बिना किसी खर्च एवं विधिक जटिलता के ही गैर निष्पादित आस्ति खातों में उल्लेखनीय वसूली प्रभावी की जा सकती है।

उपर्युक्त तथ्यों के अलावा यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ सालों से भारत-सरकार ने कृषि-क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ऋणों को विभिन्न प्रावधानों के तहत माफ किया है। चूंकि, भारत एक कृषि-प्रधान देश है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते समय-समय पर उठाये जाने वाले ये सरकारी कदम बेहद सराहनीय हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले कृषक समाज को न सिर्फ सहारा मिलता है, बल्कि समय-समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले इत्यादि के प्रकोप से राहत मिलती है। परंतु, पिछली सरकारी ऋण-माफी योजना 2008 पर दृष्टिपात करने पर कुछ दूसरी ही तस्वीर प्राप्त होती है। ज्यादातर, ऋणधारकों ने इस आशय से कि सरकार ने उनके समस्त ऋण को ही माफ कर दिया है, विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऋणों की अदायगी रोक दी। यहां बताना उचित होगा कि इस योजना के तहत पात्र कृषकों की केवल अतिदेय (ओवरड्यू) राशि को ही माफ किया गया था, जबकि शेष बकाया राशि को पूर्व नियोजित समझौते के अनुसार ही जमा करना था।

इस प्रकार, या तो बिचौलियों/दलालों के प्रभाव या सरकार के इस संदर्भ में उचित दिशा-निर्देशों के अभाव में समुचित सूचनाओं को प्रसारित नहीं किया गया, जिसका दुष्प्रभाव वसूली प्रक्रिया पर पड़ा है। इसके अलावा लेखक के विचार से ऐसी योजनाओं को आपाधापी में और महज चुनावी मुद्दों से न जोड़कर, बल्कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, वैज्ञानिक पद्धतियों के अंतर्गत अध्ययन कर लागू करना चाहिये। उपर्युक्त ऋण-माफी योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखने पर हम पाते हैं कि इस योजना का लाभ उन पात्र कृषकों को नहीं मिलना था, जो अपने ऋणों की भरपाई समुचित ढंग से कर रहे थे। लिहाजा, बाद में यह पाया गया कि ज्यादातर किसान, जिनके खाते सही चल रहे थे, उन्होंने भी अपने ऋणों की अदायगी को इस आशय से रोक दिया कि भविष्य में लागू होने वाली ऐसी ऋण-माफी योजनाओं में वे भी शामिल हो जायेंगे। इस प्रकार, भारत-सरकार की अच्छी नीतियां भी बिना उचित एवं वैज्ञानिक तरीकों के प्रसारित होने के कारण, कृषि क्षेत्र के गैर निष्पादित आस्ति खातों में वृद्धि कर रही हैं तथा वसूली की प्रक्रिया को भी बाधित कर रही हैं।

इस प्रकार, इन तथ्यों के आलोक में यह धारित किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु भारत-सरकार ने गैर निष्पादित आस्तियों को नियंत्रित तथा कम करने हेतु विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक कदम उठाये हैं।

लक्ष्मी श्रीनिवास

लघु स्तरीय एनपीए से निपटने हेतु वसूली कैम्प

गैर निष्पादक आस्तियों अर्थात् एनपीए का अस्तित्व हरेक सुस्थापित बैंक में कुछ कालांतर में होता ही है। एनपीए खातों में बकाया राशि के अनुपात में प्रावधान की बाध्यता के कारण भी वसूली कर इन खातों को एनपीए के बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। चूंकि ऐसे खातों पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से लाभप्रदता विपरीत ढंग से प्रभावित होती है। जब खाता एनपीए हो जाता है तो पहले उधारकर्ता को नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस द्वारा खातेदार को, बकाया राशि ब्याज सहित भरने के लिए सूचना को उसके पते पर पहुंचाया जाता है। नोटिस वितरण के बावजूद भी कई लोग पैसे नहीं भरते, तब बकाया राशि की वसूली हेतु यदि कोई प्रतिभूति उपलब्ध है तो उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। जिन खातों में ऋण बकाया राशि रुपए 10.00 लाख से अधिक है, उन खातों में वसूली की कार्रवाई डीआरटी के माध्यम से शुरू करना अपेक्षित है। गारंटर एवं उधारकर्ता की सम्पत्ति पर बंधक सम्पत्ति के अलावा अन्य सम्पत्ति को भी डीआरटी के माध्यम से कुर्क किया जा सकता है।

वस्तुस्थिति यह है कि गृहनिर्माण ऋण कर्ज खातों का अपग्रेडेशन कर अथवा सरफेसियांतर्गत प्रापर्टी का कब्जा लेकर उसे बेच कर वसूला जा सकता है। ठीक वैसे ही ट्रैक्टर के लिए दिए गए ऋणों की वसूली वाहन को जब्त करने के बाद बेचकर की जा सकती है और बकाया रकम वसूली जा सकती है। लेकिन बैंक के लघु स्तरीय एनपीए से निपटने के लिए वसूली कैम्प का आयोजन कारगर उपाय है। हर शाखा में ऐसे कई लघु स्तरीय एनपीए खाते होते हैं, जिनकी वसूली हेतु कोई भी कार्रवाई, तब तक नहीं की जाती, जब तक वसूली कैम्प का आयोजन नहीं किया जाता। चूंकि इन खातों में बकाया राशि कम होती है, इसीलिए इन खातों को निपटाने हेतु विशेष लघु स्तरीय वसूली कैम्पों का आयोजन करना जरूरी हो जाता है।

वसूली कैम्प आयोजन की दृष्टि से पहला कदम है, तारीख निश्चित करना कि किस दिन लघु स्तरीय एनपीए वसूली कैम्प का आयोजन करना है। कैम्प की तारीख निश्चित होने पर सभी एनपीए खातेदारों को समय पर नोटिस पहुँचाने की व्यवस्था की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा उधारकर्ता कैम्प में उपस्थित हों। कभी-कभी तो क्षेत्रीय कार्यालय से भी अधिकारी शामिल होकर इस वसूली कैम्प को आशातीत सफलता दिला सकते हैं। गाँव में नोटिस बांटने का काम बैंक कर्मचारी के अलावा कारोबार समन्वयक कर सकते हैं। लाउड स्पीकर लगाकर ऑटो रिक्शा को गाँव भर में घुमाने से भी सभी गाँववालों को पता चल जाता है कि फलॉ फलॉ तारीख को बैंक का वसूली कैम्प है। अगर डाक द्वारा वसूली कैम्प में आने का निमंत्रण उधारकर्ता को भेजा जाता है तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके कारोबार एवं निवास दोनों ही स्थान का पता लिख नोटिस भेजा जाए। जितने ज्यादा उधारकर्ताओं को जमा किया जा सकता है, उतनी ज्यादा वसूली की उम्मीद की जा सकती है। हमारे सारे साथी कर्मचारी सक्रिय रूप से इसमें भाग लें तथा वसूली एजेन्ट, आर आर सी, कारोबार समन्वयक, किसान मित्र इन सभी की सेवाओं का उपयोग भी अवश्य करें। रेडियो द्वारा प्रसारण, केबल टीवी पर वसूली कैम्प की तारीख का जिक्र और निमंत्रण भी दिया जा सकता है। स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। यह तो हो गया निमंत्रण का भाग।

अब शाखा स्तर पर तैयारी एक महत्वपूर्ण और असरकारी भाग है। जिस दिन वसूली कैम्प हो, पंडाल लगाया जाए, जो रंग बिरंगे बैनर, पोस्टर से सुसज्जित हो। शाखा के कर्मचारी उधारकर्ता-वार बकाया राशि की रकम की शीट तैयार कर रखें, ताकि भीड़ ज्यादा हो, तब भी हमारे पास आंकड़े तैयार रहें। यदि ओटीएस/एकबारगी समझौते की उम्मीद है तो शाखा के स्टाफ उसकी गणन शीट भी तैयार रखें। पानी, जलपान की व्यवस्था भी करें। जिस तरह बाकी के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, उसी तरह रिकवरी कैम्प वाले दिन हमारे अतिथि हमारे एनपीए उधारकर्ता हैं। उनके आने से ही हमारा समझौता हो सकता है। उस दिन हम उन लघु स्तरीय एनपीए खातों में ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सकते हैं। चाहें तो हर उधारकर्ता का स्वागत गुलाब का फूल देकर उन्हें खुश किया जा सकता है। हमें याद रखना होगा कि समान्यतया कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर एनपीए नहीं होता है। परिस्थिति के कारण वह खाता एवं खातेदार एनपीए हो जाता है। तो हम उसे एक मौका दे रहे हैं कि वसूली कैम्प के माध्यम से वह उधारकर्ता, जैसे कि नियत है, पैसे भर खाता समायोजित करने के इस अवसर का जरूर लाभ उठाए। कई बार तो बैंक की विशेष स्कीम भी होती है, जिसके माध्यम से लघुस्तरीय एनपीए वसूली कैम्प में सफलतापूर्वक ज्यादा से ज्यादा खातों का निपटान किया जा सकता है।

ऐसे ही 2010-2011 के दौरान एक कैम्प का जिक्र करना मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि केवल एक दिन के वसूली कैम्प में पातुर शाखा ने 532 खातों का निपटान एवं 0.32 करोड़ की वसूली कर दिखायी थी. बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है. उसी तरह लघुस्तरीय एनपीए की मात्रा इतनी अधिक है और स्टाफ/प्रयास कम. इसीलिए ये जो रिकवरी कैम्प आयोजन किए जाते हैं, उससे लाभ ही होता है. कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है. कैम्प में उधारकर्ता को इस तरह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि अपना खाता बंद करने पर वह नये ऋण के लिए पात्र हो जायेगा. आजकल बैंक सिबिल में एनपीए खतेदारों का नाम डाल देते हैं तो फिर उन्हें और दूसरे बैंकों से भी ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है.

एक बार तो हमारे वसूली अधिकारी ने एक ऐसी घटना बतायी कि आज भी यादकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एक गाँव की घटना है, जब हमारी टीम नोटिस देने उस उधारकर्ता (एनपीए) का पता पूछते-पूछते उसके घर पहुँची तो उन्होंने देखा कि घर की परिस्थिति तो बिल्कुल खराब है. घर के भीतर कदम रखने पर पता चला कि उधारकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और चूँकि वही घर का कमाने वाला एक मात्र सदस्य था, इसलिए उसकी विधवा और उसके दो छोटे बच्चों को देखकर हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कुछ वसूली यहाँ से हो सकती है. पर आने का कारण बतलाना भी जरूरी था, इसलिए हमने उस विधवा को सब कुछ बताया कि उसके पति ने हमारे बैंक की शाखा से ऋण लिया था और अभी तक पैसे न भरने के कारण रुपये 15342/- की बकाया राशि वसूलने हेतु हम लोग आये थे. उस विधवा को ही नोटिस देकर हमने उसे बताया कि कल कैम्प है और अगर वह पैसे भर अपने पति का एनपीए खाता बंद कर दे तो अच्छा रहेगा. यह सूचित कर हम सब वापस आ गए. दूसरे दिन जब रिकवरी कैम्प का उद्घाटन हो गया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे पहले उस विधवा की ही वसूली की रकम हमें मिली. उसने अपने कान के सोने के झुमके बेचकर अपने पति के नाम का कर्ज उतारा. समझौता प्रमाणपत्र लेकर ही वह वापिस उस कैम्प से गयी. उसको, उसके घर की परिस्थिति को याद कर हम सबकी आँखों में आँसू भर आए. तो ऐसे भी होते हैं हमारे एनपीए उधारकर्ता, जो लघु स्तरीय एनपीए होता है, हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. चूँकि ये ज्यादातर सरकारी ऋण होते हैं, जिनमें कोई संपार्श्विक प्रतिभूति, गारंटीकर्ता नहीं होते. उन्हें समझा कर ही हम पैसे वसूल कर सकते हैं. कई बार तो योजनांतर्गत उन्हें छूट दी जाती है. ऐसे में उधारकर्ता को यह समझाया जाना चाहिए कि यह स्कीम समाप्त होने से पहले उसे केवल निर्धारित रकम भर कर छूट का लाभ उठा लेना चाहिए. उसे प्रोत्साहित कर पैसे की वसूली करनी चाहिए. जहाँ हमें यह लगता है कि उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो इन ऋण खातों

में ओटीएस/एकबारगी समझौते के माध्यम से वसूली का प्रयास करना चाहिए. 25% समझौता राशि को तुरंत भरवा लें और फिर प्रस्ताव मंजूरी हेतु भेज दें.

वसूली कैम्प एक मौका देता है कि हम उन छोटे एनपीए खातेदारों से मिलें एवं उनसे पैसा वसूल करें, ताकि हम फिर किसी जरूरतमंद की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकें, उस व्यक्ति का आर्थिक विकास कर सकें. उन्हें बताया जाना चाहिए कि हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वयमेव सक्षम नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक ही उनकी मदद कर सकता है. इसीलिए अपना एनपीए खाता समायोजित करें.

ऋण वसूली शिविर में उधारकर्ता को और एक लाभ भी है कि उसे बैंक के 10 चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, चूँकि एक ही दिन में वह पैसे भरकर निपटान/अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है. एक और घटना मैं यहाँ बताना चाहती हूँ. एक सरदारजी भाई साहब थे, जिन्होंने हमारे बैंक से ऋण लिया था. रकम कोई 50000/- से कम की थी. जब हम वसूली के लिए गए तो हमने देखा कि दंगों में उनका घर, दुकान जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया था, सब जलकर राख हो गया था. पर वहाँ पर हमने उन भाईसाहब को नोटिस दिया तथा हम वापिस आ गए. हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब 3 साल बाद वही सरदारजी हमारी शाखा में पुराना नोटिस दिखा कर यह पूछ रहे थे कि अगर उन्हें एनपीए खाता बंद करना है तो अभी कितने पैसे भरने पड़ेंगे. हम बड़े खुश हुए और हमने जाना कि किस तरह उस आदमी ने मेहनत और लगन से पुनः अपने-आप को इस काबिल बना लिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके. उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, इसीलिए उसने नोटिस को संभालकर रखा. वसूली कैम्प की जानकारी मिलते ही वह निपटान करने दौड़ा चला आया. तो ऐसे उधारकर्ता भी होते हैं, जो अपनी प्रतिबद्धता का बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.

ऐसी घटनाओं के माध्यम से लघुस्तरीय एनपीए उधारकर्ता की बाध्यता के साथ ईमानदार पहलू का भी दर्शन होता है, जो हमें अपने ग्राहकों की सहायता करने को प्रेरित करता है. वसूली एक अविरत प्रक्रिया है और इसका व्यावसायिक तौर पर संचालन किया जाना चाहिए. वसूली कैम्प में ज्यादा से ज्यादा स्टाफ का शामिल होना बहुत जरूरी है, जिनमें सभी स्टाफ अधिकारी, लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ. एनपीए उधारकर्ता से संपर्क कर हमारे लघु स्तरीय वसूली कैम्प का उद्देश्य सफल बनाएँ. एनपीए को कम करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बैंक के शेयर होल्डर भी लगातार बैंक का अनुश्रवण करते रहते हैं, जिनके आकलन से हमारे बैंक की छवि बनती और बिगड़ती है. वसूली कैम्प में निपटान हुए खातों की जानकारी, वसूल की गई राशि का ब्यौरा केंद्रीय कार्यालय को दिया जाता है. वसूली कैम्प के दौरान कई उधारकर्ता आश्वासन देते हैं कि अभी उनके पास पैसे

नहीं है, पर आगे की तारीख को पैसे मिलने पर वे जमा कर देंगे. तो उस उधारकर्ता को याद दिलाने का काम भी करना जरूरी होता है. हमारा उधारकर्ता खुशहाल रहे और उसका खाता एनपीए से बाहर आ जाए, इसके लिए बैंक के नियम के अनुसार जितनी सहूलियत दी जाती है, हमें उसका इस्तेमाल कर उसकी मदद करनी चाहिए. जहाँ हमें लगता है कि उधारकर्ता के पास पैसे होने के बावजूद उसकी नीयत ही पैसे भरने की नहीं है, ऐसे मामलों में बिना अधिक समय गवाएं कानूनी तौर पर उसे निपटाना ही अकलमंदी होगी. वसूली कैंप अधिकतर वसूली करने वाली शाखा/स्टाफ को केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रोत्साहन का भी प्रावधान है. अतः इस सुवर्ण अवसर का हम पूरा लाभ उठाएँ और एनपीए को न्यूनतम स्तर पर लाना एक मिशन बनाएं, जिससे हम अपने बैंक को मजबूत बैंक के रूप में उभरने में अपना हर संभव योगदान दे सकें.

दयानंद चौधरी

प्रभावी एनपीए प्रबंधन हेतु रणनीतियां - विधिक उपायों के इतर

जैसे जीवन से अधिक स्वस्थ जीवन का महत्व है, वैसे ही बैंकिंग में, आस्तियों से अधिक स्वस्थ आस्तियों का महत्व है। जब आस्तियां रुग्ण हो जाती हैं, अर्थात् आयोपार्जन की जगह खर्चीली हो जाती हैं तो उसे ही एनपीए कहते हैं। बिना आस्ति अर्थात् ऋण के बैंक की परिकल्पना ही नहीं हो सकती है। ऋण को एनपीए होने से बचाना, एनपीए होने पर उसे उन्नत कर स्टैंडर्ड करना या उसकी वसूली करना ही प्रभावी एनपीए प्रबंधन कहलाता है।

एनपीए प्रबंधन की दो प्रमुख रणनीतियां हैं :

1. विधिक
2. गैर विधिक

विधिक उपाय :

इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही उपयोग में लाया जाना चाहिये। यह एक लम्बी व अपरिहार्य प्रक्रिया है। यह बैंक एवं ग्राहक के मध्य तल्खी पैदा करता है, जो किसी भी व्यवसाय के सिद्धांत के खिलाफ है। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के ऋण मामलों के निपटारे हेतु विशेष रूप से गठित 33 “डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स (DRT)” में मार्च, 2013 तक 42,819 मामलों में कुल 1.43 लाख करोड़ ऋण का निस्तारण लम्बित है। (स्रोत -The Financial Express - 02 अगस्त 2013).

अतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से एनपीए प्रबंधन हेतु ग्राहक एवं परिस्थिति के अनुसार विधिक से अधिक गैर विधिक उपाय बेहतर हैं। यह एक ऐसी होमियोपैथ दवा है,

जो विधिक उपाय के पूर्व से लेकर इसके साथ भी चल सकती है। इसका कोई पार्श्व प्रभाव नहीं है, और कभी भी अचूक काम करती है; बशर्ते आप में धैर्य एवं कुशलता हो।

आइये हम गैर विधिक उपायों के बारे में विस्तार से जानें।

गैर विधिक रणनीतियां - गैर विधिक उपाय तीन महत्वपूर्ण सूत्रों पर आधारित हैं :

1. ग्राहक-संबंध बरकरार रखना
2. न्यूनतम व्यय में अधिकतम वसूली करना तथा
3. शीघ्र वसूली करना।

उपाय - गैर विधिक उपायों की एक लम्बी श्रृंखला है, जो आपके कौशल एवं ग्राहक की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है। इनमें प्रमुख हैं :

- | | |
|--|----------------------------------|
| i. सीधा संवाद | ii. पत्राचार |
| iii. दूरभाष संवाद | iv. बकाया वसूली नोटिस |
| v. कार्य-स्थल निरीक्षण | vi. पुनर्समय निर्धारण/पुनःसंरचना |
| vi. जमानतदार/मित्र/संबंधी से सम्पर्क | viii. वसूली एजेंट |
| ix. बैंक के पक्ष में चार्ज सिक्यूरिटी की जब्ती एवं उनका विक्रय | |

जैसा देश वैसा वेश : सभी प्रकार के ग्राहकों से एनपीए प्रबंधन हेतु एक जैसी रणनीति नहीं अपनायी जा सकती है। वैसे ऋण देने से पूर्व हम ग्राहकों के चरित्र, अनुभव एवं पूँजी के बारे में पता लगाते हैं, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। पर समय या परिस्थिति उन्हें बदल देते हैं या हम धोखा खा जाते हैं। अतः एनपीए प्रबंधन हेतु हम उधारकर्ताओं को चार श्रेणियों में बांट कर अलग-अलग **गैर विधिक रणनीतियां** अपनाते हैं :



- I. **ऋण चुकाने की इच्छा एवं चुकाने की सामर्थ्य** - ये हमारे सबसे उच्च श्रेणी के संवेदनशील ग्राहक हैं. इनसे मोबाइल पर सुमधुर सतत वार्ता एवं सम्पर्क ही आस्ति को एनपीए के संक्रमण से बचाने के लिये पर्याप्त है.
- II. **ऋण चुकाने की इच्छा, पर सामर्थ्य कम या नहीं** - इस प्रकार के ग्राहक को सामर्थ्य से अधिक ऋण इनके चरित्र को देखते हुए दिल की बात सुनकर भावना में दिया गया है. इसे ओवर-फाइनांसिंग कहते हैं. इसमें दिमाग की बात अनसुनी कर दी गयी है. ऋण संवितरण आपसी विचार-विमर्श के पश्चात् मनन कर दिल एवं दिमाग दोनों की आवाज में संतुलन बैठा कर ही करना चाहिये. पर कभी-कभी समय, परिस्थिति, व्यावसायिक जोखिम, मंदी या सही प्रबंधन के अभाव में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है.
गैर विधिक उपाय - ग्राहक से मिलकर सही बैंकिंग समाधान करना यथा रिफेजमेंट/रिशिड्यूलमेंट/रिस्ट्रक्चरिंग (यदि व्यवसाय तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम या समर्थ हो) या बिजनेस फेल हो जाने पर अंतिम उपाय है - ओ टी एस.
- III. **ऋण चुकाने की सामर्थ्य, पर इच्छा नहीं** - ये कठिन प्रकार के ग्राहक हैं, जिनके चयन में भूल हो गयी है अथवा सामाजिक, राजनीतिक या अन्य दबाव के तहत इन्हें ऋण का वितरण किया गया है.

उपाय - नियमानुकूल इनके लिये विधिक उपाय ही विकल्प है. पर, कहते हैं - "जहाँ चाह वहाँ राह". ऐसे ग्राहक दबंग दिखावटी प्रकृति के होते हैं. हमारा उद्देश्य इनकी दिखावटी महत्वाकांक्षा/अहंकार या ईगो से टकराना नहीं, बल्कि ऋण की राशि वसूलकर एनपीए प्रबंधन करना है. ऐसे ग्राहक उस नारियल फल के समान हैं, जो ऊपर से काफी सख्त हैं, पर भीतर उपयोगी माल समाये हुए हैं. इनसे सिर टकरायेंगे तो क्या होगा ? आप खुद घायल हो जायेंगे. नारियल में दो-तीन मुलायम आसानी से छेद करने योग्य स्पॉट होते हैं, जो ऊपर से नहीं दिखते; पर सावधानी से खोज कर बिना नारियल तोड़े भीतर के माल को निकाला जा सकता है. समर्थवान दबंग इरादतन ऋण नहीं चुकाने की प्रवृत्ति वाले ग्राहक में भी इसी प्रकार की कमजोर नस होती है. कुशल बैंकर ऐसे ग्राहक के मिथ्या स्वाभिमान से बिना टकराये, उनकी कमजोरी पता लगा कर, ऋण को एनपीए होने से बचाते हैं या एनपीए की राशि वसूलते हैं. इसका कोई पूर्व निर्धारित फार्मूला नहीं है. सफल प्रबंधक समय, ग्राहक की प्रकृति एवं सामाजिक परिवेश के अनुसार अलग-अलग फार्मूला बनाकर इसका सावधानी से उपयोग करते हैं. आप सफल

केसों का अध्ययन कर उनमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर सफल उपयोग कर सकते हैं. यदि आप हार ना मानें और उतावलापन न दिखायें, तो सफलता अवश्यम्भावी है. ऐसी कोई लंका नहीं है, जहां विभीषण नहीं हो. ऐसे ग्राहक के अच्छे दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के अन्य सदस्य से मिलकर ऋण वसूलना एक योजनाबद्ध कला है. एक बैंकर के ऋण वसूली कौशल की परख यहीं है.

- IV. **ऋण चुकाने का सामर्थ्य कम या नहीं और इच्छा भी नहीं** - इस श्रेणी में वैसे उधारकर्ता होते हैं, जिनका परिस्थितिवश या व्यवसाय का उचित प्रबंधन नहीं कर पाने के कारण सामर्थ्य घट जाता है और इनके ऋण चुकाने की इच्छा मर जाती है. अधिकांशतः सरकारी योजना के तहत बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले ग्राहक या व्यवसाय में अनुभवहीन ग्राहक आते हैं.

उपाय - इस परिस्थिति में बैंक की वसूली नीति के तहत रियायत के साथ "एक मुश्त समझौता योजना (OTS) ही विकल्प है.

एकमुश्त समझौता - यह बैंक का अपने क्षेत्र के अधिकारियों को प्रदत्त एक व्यावसायिक निर्णय है, न कि प्रशासनिक या वैधानिक निर्णय. इसका मूल उद्देश्य उधारकर्ता के पास फंसे हुये एनपीए फंड को निकालकर बैंक को वास्तविक आय दिलाना है. इसके तहत बैंकर ध्यान रखते हैं कि अधिक से अधिक रकम न्यूनतम व्यय पर कम से कम समय में वसूली जाए, ताकि इस अनुत्पादक फंड का पुनः उत्पादक आस्ति में निवेश किया जा सके.

एक मुश्त समझौता हेतु बैंक प्रतिवर्ष वसूली नीति जारी कर क्षेत्र अधिकारी को आवश्यक छूट देने हेतु दिशा निर्देश जारी करता है. बैंक, माँड्यूल के अनुसार चूककर्ता तथा स्वयं का सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर एवं जोखिम विश्लेषण (SWOT analysis) के आधार पर निर्मित स्कोरिंग कर न्यूनतम वसूली रकम निर्धारित करता है. *यह स्कोरिंग चार सूत्रों के विश्लेषण पर आधारित है :*

1. बैंक के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूति की उगाही एवं बाजार मूल्य
2. उधारकर्ता/जमानतदार का नेट साधन या आय
3. एनपीए की अवधि
4. बैंक की वैधानिक स्थिति

माँड्यूल आधारित रकम से ऊपर अधिक से अधिक रकम वसूलने हेतु ग्राहक से एकमुश्त समझौता किया जाता है.

सरफेसी एक्ट अर्थात् सिक्यूरिटाइजेशन - रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी एक्ट, 2002 के तहत उद्धृत नियमानुकूल बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बैंक अपने पक्ष में प्रभारित चल अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण कर भी एनपीए की वसूली बैंक के पास एक महत्वपूर्ण टूल है। इसका सावधानीपूर्वक नियमानुसार अनुपालन नहीं करने से उत्पीड़ित ग्राहक डीआरटी में अपील कर वसूली में बाधा पहुँचा सकता है।

निष्कर्ष :

शून्य जोखिम ऋण की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। एनपीए प्रबंधन ऋण के जोखिम को कम करने से लेकर एनपीए होने के बाद तक एनपीए से उबारने की सतत प्रक्रिया है। इसे कम करने हेतु कानूनी वसूली अंतिम विकल्प है। आज वह बैंक मजबूत बैंक है, जिसके पास अपेक्षाकृत कम से कम एनपीए है। वह बैंकर मजबूत है, जिसके पास इससे निपटने हेतु तीन महत्वपूर्ण “स” अस्त्र हैं : 1. समर्पण, 2. समन्वय और 3. साहस।

आइए, समर्पण के साथ अपनी टीम के मध्य समन्वय स्थापित कर हर सम्भव साहसी कदम उठाकर एनपीए न्यूनतम करें और अपने बैंक को बैंकिंग क्षितिज में एक मजबूत बैंक के रूप में स्थापित कर गर्व के साथ कहें “अच्छे लोग अच्छा बैंक”।

“नया क्षितिज, नये विचार, बेहतर कल को करें साकार”

रामजीत सिंह

देयों की वसूली हेतु मानक संहिता

परिचय :

बैंक की ऋण वसूली नीति ग्राहकों की मर्यादा एवं सम्मान को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। बैंक देयों की वसूली में अनावश्यक रूप से प्रतिरोधी नीतियों को नहीं अपनाएगा। बैंक की नीति शिष्टाचार, अच्छे व्यवहार एवं विश्वास पर बनी है। बैंक देयों की वसूली एवं प्रतिभूति के अधिग्रहण के संबंध में ग्राहक के साथ अच्छे व्यवहार एवं प्रगाढ़ संबंधों को बनाए रखने में विश्वास रखता है।

बैंक द्वारा मंजूर किए गए किसी भी ऋण की चुकौती अवधि उधारकर्ता की अदायगी क्षमता तथा शुद्ध आय को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी। बैंक द्वारा ग्राहक को शुरू में ही ब्याज की गणना की विधि एवं समान मासिक किश्तों (ईएमआई) की जानकारी दी जाएगी और देय मूलधन एवं ब्याज को ग्राहक से किसी अन्य चुकौती माध्यम से भुगतान प्राप्त होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। बैंक ग्राहक से सहमत चुकौती अवधि के अनुपालन की आशा रखेगा तथा ग्राहक चुकौती दायित्व से संबंधित कोई कठिनाई आने पर किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु बैंक से संपर्क स्थापित करेगा। बैंक द्वारा देयों की वसूली एवं प्रतिभूति पर कब्जा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई प्रचलित कानून के तहत ही की जाएगी।

सामान्य दिशा-निर्देश :

बैंक के सभी स्टाफ सदस्य या बैंक के प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति नीचे दिये गए दिशा-निर्देशों के तहत वसूली कर सकते हैं:

1. ग्राहक से सामान्य तौर पर उसके बताए गए स्थान पर संपर्क करना चाहिए। बताए गए स्थान पर ग्राहक के नहीं मिलने पर उनके निवास स्थान पर मिलना चाहिए

और यदि वे निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं हो तो कारोबार/व्यवसाय के स्थान पर मिलना चाहिए.

2. देयों की अनुवर्ती कार्रवाई एवं वसूली हेतु बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की पहचान ग्राहक को प्रथम अवसर पर ही हो जानी चाहिए. ग्राहक द्वारा मांग किए जाने पर बैंक स्टाफ या बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण-पत्र दिखाया जाना चाहिए.
3. बैंक अपने उधारकर्ता की गोपनीयता बरकरार रखेगा.
4. बैंक को यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी है कि उधारकर्ताओं के साथ सभी लिखित एवं मौखिक संप्रेषण साधारण कारोबारी भाषा में होंगे तथा बैंक, उधारकर्ताओं से संपर्क हेतु सभ्य व्यवहार को अपनाएगा.
5. सामान्यतः बैंक के प्रतिनिधि उधारकर्ता से 07.00 बजे से 19.00 बजे के बीच ही संपर्क स्थापित करेंगे, जब तक कि वह विशेष परिस्थितियों में अपने कारोबार या व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बैंक से अन्य समय में संपर्क करने हेतु नहीं कहे.
6. उधारकर्ता यदि किसी खास समय या खास स्थान पर भेंट नहीं कर पाने का अनुरोध करता है तो बैंक उसका यथासम्भव पालन करेगा.
7. बैंक देयों की वसूली हेतु किए गए प्रयासों तथा ग्राहकों को भेजे गए पत्राचार की प्रतियों को रिकॉर्ड में रखेगा.
8. उधारकर्ता के परिवार में कोई शोक हो जाने या ऐसे अन्य आपदा वाले अनुपयुक्त अवसरों पर देयों की वसूली हेतु उधारकर्ता को बुलाने या उनके पास जाने से बचना होगा.

उधारकर्ताओं को नोटिस देना :

ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया लिखित सूचना, टेलीफोन पर अनुस्मारक या बैंक के प्रतिनिधि द्वारा उधारकर्ता के स्थान या निवास पर मुलाकात करके की जाएगी. बैंक कोई भी विधिक कार्रवाई या वसूली के अन्य तरीके जैसे प्रतिभूति का कब्जा लेने आदि की प्रक्रिया बिना किसी विधिवत् लिखित सूचना के शुरू नहीं करेगा. वसूली की कार्रवाई शुरू करने के पहले बैंक को ग्राहक द्वारा बतायी गयी वास्तविक परेशानियों/विवाद को भी ध्यान में रखना होगा. बैंक वसूली/प्रतिभूति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया प्रचलित कानून के तहत ही करेगा.

प्रतिभूति पर अधिकार/कब्जा प्राप्त करना :

प्रतिभूति पर कब्जा प्राप्त करने से तात्पर्य केवल देयों की वसूली से ही हो, न कि उधारकर्ता की संपत्ति को छीनने से हो. संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने पर वसूली की प्रक्रिया प्रतिभूति के मूल्यांकन एवं समुचित साधनों से उसके विक्रय के माध्यम से की जाएगी. ये सभी निष्पक्ष एवं निष्कपट भाव से की जाएंगी. कब्जे की कार्रवाई केवल नोटिस देने के उपरांत की जाएगी. कब्जा लेते समय प्रचलित कानूनी प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाएगा. संपत्ति को कब्जे में लेने के बाद सामान्य तौर पर बैंक उसकी समुचित सुरक्षा एवं देखभाल के सभी उपाय करेगा तथा आवश्यक लागत को उधारकर्ता से वसूल करेगा.

मूल्यांकन एवं संपत्ति की बिक्री :

कब्जे में ली गई संपत्ति का मूल्यांकन एवं विक्रय कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष एवं निष्कपट ढंग से किया जाएगा. संपत्ति की बिक्री के बाद भी यदि रकम बकाया रह जाती है तो बैंक को शेष वसूल करने का पूरा अधिकार रहेगा. यदि संपत्ति की बिक्री से कोई अतिरिक्त राशि बचती है तो बैंक उससे संबंधित खर्चों आदि को काटने के बाद वह राशि ग्राहक को वापस करेगा.

दृष्टिबंधक आस्तियों के मामले में कब्जा लेने के बाद यदि भुगतान नहीं आता है तो उधारकर्ता को 07 दिन का समय देकर विक्रय नोटिस भेजा जाएगा. इसके बाद, बैंक दृष्टिबंधक आस्ति की बिक्री हेतु उचित प्रक्रिया अपनाएगा. सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30 दिन का समय देकर विक्रय नोटिस भेजा जाएगा. यदि सार्वजनिक नीलामी या निविदा की प्रक्रिया अपनायी है तो उसे 02 प्रमुख समाचार पत्रों (जिसमें 01 स्थानीय भाषा का होगा) में प्रकाशित कराया जाएगा.

उधारकर्ता को प्रतिभूति वापस लेने हेतु अवसर :

बैंक अपने देयों की वसूली हेतु प्रतिभूति को कब्जे में लेने की कार्रवाई अंतिम उपाय के रूप में ही करेगा. बैंक उधारकर्ता को संपत्ति से बेदखल करने के इरादे से कार्य नहीं करेगा. बैंक कब्जे में ली गई संपत्ति को कब्जे में लेने के बाद एवं विक्रय के पूर्व कभी भी उधारकर्ता को वापस सौंप सकता है, बशर्ते कि विक्रय के पूर्व पूरी बकाया राशि का भुगतान हो जाए. निर्धारित चुकौती अवधि के अनुसार यदि उधारकर्ता ऋण की किश्तें वास्तव में असमर्थता के कारण अदा नहीं कर पाया है तो भविष्य में शेष किश्तों की समय से अदायगी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने पर बैंक संपत्ति को वापस सुपुर्द करने पर विचार कर सकता है.

यदि बैंक द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान हो जाता है तो बैंक के सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय/ डीआरटी में मामला लंबित होने पर संबंधित न्यायालय / डीआरटी की अनुमति प्राप्त होने के 07 दिन के अंदर उधारकर्ता को कब्जे में ली गई आस्ति का कब्जा वापस देना होगा.

वसूली एजेंट्स को रखना :

1. बैंक अपने देयों की वसूली या प्रतिभूतियों के अधिग्रहण हेतु वसूली एजेंट्स की सेवाएँ ले सकता है. वसूली एजेंट्स की नियुक्ति वैधानिक दिशा-निर्देशों के तहत ही की जाएगी. इस संबंध में बैंक के अनुमोदित पैनल में रखे गए सभी वसूली एजेंट्स के नाम व पते बैंक की वेबसाइट पर सभी संबंधितों की जानकारी हेतु रखे जाएंगे.
2. बैंक द्वारा केवल अनुमोदित पैनल के वसूली एजेंट्स की सेवाएँ ली जाएंगी.
3. यदि बैंक इन वसूली एजेंट्स की सेवाएँ वसूली हेतु लेता है तो बैंक द्वारा उधारकर्ता को उसके संबंध में जानकारी देनी होगी .
4. वसूली एजेंट्स ग्राहकों के साथ वसूली की मानक संहिता के तहत ही व्यवहार करेंगे.